माला, खंड 28, अंक 8

गुरुवार, 3 मार्च, 1994
12, फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 28 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवा ही प्रामाणिक मानी आयेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना आयेगा।]

3 मार्च, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद

के हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	13	बोफर्स मामले के बारे में	बोफोर्स मामले के संबंध में
13	नीचे से 3	श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटलि	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
42	नीचे से 8	श्री पी॰एस॰ सईद	श्री पी॰एम॰सईद
76	ऊपर से 4	इवौरी कास्ट	आइवरी कोस्ट
	नीचे से 7	लक्सजंगबर्ग	लग्जमबर्ग
77	ऊपर से 10	नाउरू	नौरू
184	नीचे से 4	श्रीमती कृष्णचन्द कौर (दीपा)	मती कृष्णेन्द्र कौ[illegible] पा
208	नीचे से 3	श्री सीताराम केसरी	श्री सीताराम केसरी
239	ऊपर से 1	कर्मियों की मरुस्थल [illegible]	[illegible]मियों का मरुस्थल [illegible]
241	नीचे से 9	श्री मुमताज अनुसारी	डा॰ मुमताज अंसारी
266	नीचे से 10	श्री पंकत चौधरी	श्री पंकज चौधरी
348	3	मार्गें	मांग

विषय-सूची

दशम माला, खंड 28, नवां सत्र, 1994/1915(शक)

अंक 8, गुरुवार, 3 मार्च 1994/12 फाल्गुन, 1915 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		**1-18**
*तारांकित प्रश्न संख्या :	121-23 और 126	1-13
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		18-268
तारांकित प्रश्न संख्या :	124, 125 और 127-140	18•30
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1301-1312, 1314-1322 1325-1401, 1403-1404, 1406-1408 14010-1416, 1418-1476, और 1478-1514	42-268
बोफर्स मामले के बारे में		**269**
सभा पटल पर रखे गए पत्र		**282**
लोक लेखा समिति		
बासठवां प्रतिवेदन-प्रस्तुत		**288**
नियम 377 के अधीन मामले		**288-290**
(एक) प्राकृतिक रबड़ के लिए नया खरीद मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता +प्रो. सावित्री लक्ष्मणन		288
(दो) फाजिल्का-कोटिकपुरा सेक्शन पर और अधिक रेल गाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता श्री जगमीत सिंह बराड़		288

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री राम कापसे 289

(चार) दिल्ली-जोधपुर मेल को डेगाना जंक्शन और दिल्ली के बीच शीघ्र चलाये जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 289

(पांच) इलाहाबाद में यमुना नदी के समीपवर्ती क्षेत्र को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्कता

श्रीमती सरोज दुबे 289

(छः) छोटा नागपुर क्षेत्र के कुछ जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने और वहां राहत कार्यों के लिए समुचित धनराशि देने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 290

(सात) बिहार में सिंदरी स्थित फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड की इकाइयों को बन्द होने से बचाने की आवश्यकता

प्रो. रीता वर्मा 290

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव **291-385**

श्री एच.डी. देवगोड़ा 291

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट 302

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी 308

श्री इन्द्रजीत गुप्त 317

डा. वसंत पवार 327

श्री मानवेन्द्र शाह 332

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी 336

श्री नवल किशोर राय 338

श्री सैयद मसूदल हुसैन 343

विषय	पृष्ठ
श्री मंगल राम प्रेमी	347
श्री विजय कुमार यादव	348
श्री एन. डेनिस	353
श्री डी. वेंकटेश्वर राव	355
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	359
श्री याइमा सिंह युमनाम	363
श्री जगमीत सिंह बरार	364
प्रो. के. वेंकटगिरि गौड	372
श्री मोहन सिंह (देवरिया)	377
श्री किरिप चालिहा	379
अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेल) 1993-94-प्रस्तुत	348

लोक सभा

गुरुवार, 3 मार्च 1994/12 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

नकली औषधियां

*121. **श्री खेलन[+] राम जांगड़े :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्यों के खाद्य और औषध प्रशासनों से घटिया/नकली औषधों का निर्माण करने वाली भेषज कम्पनियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और खरीदकर्ता एजेंसियों को ऐसी भेषज कम्पनियों की काली सूची में डालने के निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : ये प्रश्न नहीं उठते। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के अंतर्गत औषधों के निर्माण और उनकी बिक्री पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य औषध नियंत्रण सीधे उत्तरदायी हैं, जिसमें अधिनियम में निर्धारित मानकों को लागू करना शामिल है।

सरकार ने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को निगरानी कार्य तेज करने और घटिया/नकली औषधों के निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के भी अनुदेश दिए हैं।

[हिन्दी]

श्री खेलन राम जांगड़े : मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं, इसमें

मेरी सम्मति नहीं है। देश में और खासकर मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सी दवा निर्माण कम्पनियां हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, जिनका उल्लेख हमारे सरकारी आंकड़ों में भी नहीं है तो ऐसी कम्पनियां, जो दवा निर्माण करती हैं और घटिया दवाइयां बाजारों में बेचती हैं, उनके बारे में क्या मंत्री जी उसकी जांच करवाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन नियमों के अन्तर्गत राज्य-लाइसेंस देने वाले अभिकरण हैं और उन्हें अपने राज्यों में उन पर नियन्त्रण रखना होता है तथा अधिनियम में निर्दिष्ट आवश्यक कार्यवाही करनी होती है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बहुत सारी दवाइयां जो पेटेण्ट कम्पनीज अपने मुल्क के अन्दर बना रही हैं जो यूरोपियन कण्ट्रीज में या सब कोण्टीनेंट में बैन हो गई है लेकिन फिर भी वह दवाइयां हिन्दुस्तान के अन्दर बन रही हैं और लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं ? दूसरी बात में यह जानना चाहता हूं कि बहुत सारी दवायें होम्योपैथी, यूनानी या आयुर्वेदिक पद्धति के अन्दर बगैर रिसर्च के बन रही हैं और लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका सही असर लोगों पर हो रहा है या गलत हो रहा है, यह भी मालूम नहीं है तो क्या कोई ऐसी संस्था है, जो इन दवाइयों के स्टैण्डर्ड को कण्ट्रोल करती है और उनका इस्तेमाल इन्सानी जिस्म पर सही तरीके से हो रहा है या नहीं, हिन्दुस्तान में इस तरह की रिसर्च खास तौर से इन तीन फील्ड्स में हो रही है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार : आयुर्वेदिक औषधियों के संबंध में, ये औषधियां हमारी उन प्राचीन पुस्तकों के आधार पर बनाई जाती हैं, जो हमारे पाठ्यक्रमों, प्राचीन पाठ्यक्रमों में शामिल हैं।

इनके आधार पर आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है। आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कोई पद्धति नहीं है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : माननीय सदस्य ने एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात सत्य है कि आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए कोई परीक्षण प्रयोगशालाएं नहीं हैं और हमें यह जानकारी नहीं है कि विभिन्न निर्माण करने वाली एजेन्सियों द्वारा तैयार की जाने वाली और बनाई जाने वाली ये औषधियां वास्तव में आयुर्वेदिक मानदण्डों को पूरा करती हैं। यहां तक कि इन औषधियों का निर्माण करने वाली एजेन्सियों और बेचने वाली एजेन्सियों को उस प्रकार लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं जैसे कि ऐलोपैथी औषधियों के मामले में दिये जाते हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में इन औषधियों के निर्माण और विक्रय के लिए कतिपय मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें घटिया औषधियों, नकली औषधियों को विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा इनके निरीक्षण के लिए नियम तथा विनियम निर्धारित किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत औषधि निरीक्षकों को निर्माण करने वाली एजेन्सी के परिसरों, विक्रय इकाइयों तथा भण्डारण सुविधाओं की जांच करनी होती है और यदि आवश्यक समझा जाए तो वे कार्यवाही कर सकते हैं। आयुर्वेदिक

औषधियों के मामले में इन सुविधाओं की कमी है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि इस मामले में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला। मैंने यह मालूम करना चाहा था कि क्या ऐसी दवाएं, जो हिन्दुस्तान के अन्दर चल रही हैं, उनको पेटेंट कम्पनियों ने बनाना बंद कर दिया। मैंने यूनानी और होम्योपैथिक के बारे में पूछा था, इन्हें मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं, जो बैन हो गई हैं, लेकिन वे अभी भी बिक रही हैं। ...(व्यवधान)... आप यूनानी और होम्योपैथिक के बारे में बताइये।

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने विश्व के विभिन्न देशों में प्रतिबंधित औषधियों के बारे में प्रश्न पूछा है, परन्तु जो इस देश में बनाई जा रही हैं और बेची रही हैं। जहां तक हमारे देश में औषधियों के प्रतिबंध का संबंध है, हम औषधि नियंत्रकों के निर्देशों का पालन करते हैं। केवल उन औषधियों को ही बाजार में बेचने की अनुमति दी जाती है जो लाभदायक हैं, जो जीवन रक्षक औषधियां हैं तथा जो इस देश के लोगों के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं न कि अन्य औषधियों को।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यह प्रश्न पूछने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका अत्यधिक आभारी हूं। मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्हें घटिया और नकली औषधियां बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कम्पनियों के संबंध में राज्य स्तर के खाद्य और औषधि नियंत्रण प्रशासन से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या जनता से कोई शिकायत प्राप्त हुई है और क्या सरकार को घटिया और नकली औषधियों के निर्माताओं तथा फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध राज्य स्तर के प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जानकारी सरकार के पास है; यदि हां तो किस राज्य में, किस कम्पनी के विरुद्ध तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : मैंने पहले ही बता दिया है कि राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा औषधियों के नमूने एकत्रित किये जाते हैं। वर्ष 1991-92 और 1992-93 के सम्बन्ध में सूची मेरे पास है कि कितने नमूने एकत्रित किये गये हैं और कितने नमूने मानदंड के अनुरूप खरे नहीं उतरते हैं। यह सूची मेरे पास है। अधिनियम में विहित नियमों के अनुसार राज्य औषधि नियंत्रक कार्यवाही कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य किसी राज्य विशेष की किसी घटना विशेष के संबंध में जानकारी चाहते हैं, यदि वे उस बारे में मुझे बताते हैं तो मैं उस राज्य के बारे में उल्लेख कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मंत्री महोदय आपको वह जानकारी दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो मौजूदा आर्थिक नीति अपनाई है और डंकल प्रस्तावों का जितना जोर है, इससे दवाओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी और

उन दवाओं तक पहुंचना आम आदमी के लिए मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में स्पूरियस ड्रग्स की बहुतायत होगी। इस स्थिति को सामने रखते हुए क्या सरकार कोई कदम उठाना चाहती है, जिससे सही दवाएं वाजिब दामों पर लोगों को प्राप्त हो सकें।

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने नकली औषधियों के निर्माताओं के बारे में एक प्रश्न पूछा है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि देश में इन औषधियों के लगभग 20 हजार पंजीकृत निर्माता हैं जिनमें से केवल पांच हजार बड़े पैमाने और मध्यम पैमाने के निर्माता हैं। शेष सभी केवल छोटे पैमाने के निर्माता हैं। यहां 15 हजार लोग ऐसे हैं, जो छोटे निर्माता हैं। चूंकि वे छोटे निर्माता हैं, अतः वे अच्छी औषधियों के निर्माण के लिए प्रयोगशालाओं में औषधि परीक्षण सुविधाओं और परिसरों में आवश्यक मानक दशाओं के रख रखाव को वहन कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। ये सभी नये निर्माता हैं, जो दवाइयां बना रहे हैं। ये इन औषधियों को बाजार में बेच रहे हैं तथा लोग उन दवाइयों को खरीद रहे हैं। नकली औषधि निर्माता पंजीकृत नहीं हैं। वे इस कार्य को चोरी-छिपे करते हैं। वे इसे केवल निजी रूप में ही नहीं कर रहे हैं, अपितु इस कार्य को अत्यधिक गुप्त और गोपनीय ढंग से कर रहे हैं। वे पुलिस तथा निरीक्षण प्राधिकारियों से बचना चाहते हैं। उन पर नियंत्रण रखने के लिए जनता को सरकार के कानून लागू करने वाले तंत्र के साथ सहयोग करना होगा। राज्यों और केन्द्र दोनों में औषधि नियंत्रक इस पर अवश्य निगरानी रखते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : इस तरह की दवाएं, जो बड़े पैमाने पर बन-रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या सरकार कोई कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है।

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : इसे रोकने के लिए कानून हैं। हमें इस उद्देश्य के लिए पुलिस के साथ-साथ लोगों के सहयोग की आवश्यकता है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : अभी-अभी मंत्री महोदय जी ने घटिया औषधि बनाने वाली छोटे पैमाने की औषधि कम्पनियों के बारे में बताया है। तथापि, यदि कोई लेंटिन आयोग की रिपोर्ट को देखें तो पता लगता है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और बड़ी औषधि कम्पनियां ऐसी घटिया औषधियों के निर्माण के लिए समान रूप से अथवा इससे भी अधिक उत्तरदायी हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संचालनात्मक अनुसंधान ग्रुप ने हाल ही में कुछ आकंड़े प्रस्तुत किये हैं जो यह दर्शाते हैं कि सबसे अधिक बिकने वाली 77 औषधियों में से लगभग 23 औषधियां या तो खतरनाक हैं या असगंत हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि रोगहर औषधि संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 1988 में स्वीकृत नैतिक मानदंड के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्ग निर्देशों को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का क्या विचार है। भारत द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए होने के कारण सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली में ये मानदंड, विश्व स्वास्थ्य सभा की संहिता को बनाये रखा जाए। केन्द्रीय सरकार उस बारे में क्या कर रही है ?

श्री बी. शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने एक ही प्रश्न में विभिन्न प्रश्नों को मिला दिया है। माननीय सदस्य की इन बातों के बारे में चिंतित होना सही है। जहां तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के उन नैतिक मानदंडों का संबंध है, जिन पर हमने हस्ताक्षर किये हैं, निश्चय में हम उन सिद्धान्तों का पालन कर रहे हैं जिन पर हमने हस्ताक्षर किये हैं। हमें जानकारी होनी चाहिए कि नकली और घटिया औषधियों को नियंत्रित करने, विनियमित करने, उनका निर्माण तथा बिक्री पर रोक लगाने के लिए इस देश में कानून है।

एक सुस्पष्ट कानून और उसके विस्तृत उपबन्धों में इन सभी बातों का प्रावधान है माननीय महिला सदस्या ने पूछा है कि क्या हम देश में विभिन्न आवश्यक दवाइयों की निर्माण प्रक्रिया को नियंत्रित और नियमित करते समय विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित नीति संबंधी सिद्धान्तों पर विचार कर रहे हैं, मैं केवल यह कह सकता हूं कि हमने इन सब पर विचार कर लिया है। हम उन दवाइयों को जो मानकों के अनुरूप हैं, को कानून के तहत बेचने और निर्मित करने की अनुमति देते हैं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि आयुर्वेदिक मेडीसन पुस्तकों के आधार पर निर्मित की जाती है, इसलिए उन पर कोई चैक नहीं किया जाता है। पुस्तकों के आधार पर सीतोपलोदी चूर्ण बनता है और पांच दवाओं में से चार दवाएं नकली मिलती हैं जैसे-तुगाक्षीरी, पीपली, वंशराज, वजय यानी पीपल, वंशलोचन, दालचीनी और इलायची जैसी चीजें नकली मिलती हैं और केवल मिश्री असली मिलता है। वंशलोचन दुनिया में नहीं मिल रहा है बल्कि हिंदुस्तान की आयुर्वेदिक कंपनियां वंशलोचन की जगह कैल्शियम मिलाकर सीतोपलोदी चूर्ण बनाकर बेच रही हैं। आयुर्वेदिक दवाएं दुनियाभर में मशहूर हैं। हमने 1992 में तीन करोड़ की दवाएं निर्यात की थी, 1993 में सात करोड़ की निर्यात की थी और दिसम्बर तक 74 करोड़ की निर्यात की है और आपने नए बजट में इस पर 10 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है। ...**(व्यवधान)**... हिंगस्टिक चूर्ण बहुत मशहूर है। नकली हींग तीन रुपए तोला और असली 70 रुपए तोला मिलता है, तो क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है कि जिसमें कच्ची औषधि पर कोई चैक-बैलेंस हो सके।

[अनुवाद]

श्री बी. शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में काफी अधिक जानकारी रखते हैं। ...**(व्यवधान)**... वह एक विद्वान आयुर्वेदिक डाक्टर है। देश में इन दवाइयों के सम्बन्ध में जो कुछ हो रहा है। मैं उनकी इस चिन्ता से सहमत हूं। मैं माननीय सदस्य द्वारा देश में नकली आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण को रोकने, नियमित करने तथा नियंत्रित करने के सुझाव की प्रशंसा करता हूं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है और उनके द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।

...**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे क्षमा कीजिए।

...**(व्यवधान)**...

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में लगभग 20 मिनट लग गये हैं; और अन्य प्रश्न भी हैं।

...(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में बहुत से महत्वपूर्ण अनुपूरक प्रश्न जो पूछे गये हैं, माननीय मंत्री उनका उत्तर दे सकते थे।

...(**व्यवधान**)...

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में लगभग 20 मिनट लग गए है; और अब हम प्रश्न संख्या 122 लेंगे।

बाम्बे हाई से गैस

*122. **डा. †वसन्त पवार** :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 तक किन-किन राज्य सरकारों ने **बाम्बे** हाई से गैस की मांग की है,

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी गैस की मांग की है,

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है, और

(घ) महाराष्ट्र ने बाहर की जिन विद्युत परियोजनाओं को **बाम्बे** हाई में उपलब्ध अतिरिक्त गैस सप्लाई करने योग्य समझा गया है, उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से विद्युत और अन्य परियोजनाओं हेतु आबंटनों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से 55.60 एम.एम.एस.सी.एम.डी. आबंटन किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र को किया गया 16.65 एम.एम.एस.सी.एम.डी. का आबंटन सम्मिलित है।

महाराष्ट्र में एम.एस.ई.बी. और टी.ई.सी. के विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त राजस्थान के अंटा स्थित एन.टी.पी.सी. के संयंत्रों, उत्तर प्रदेश में औरेया व दादरी, गुजरात में कावास, हरियाणा में फरीदाबाद, दिल्ली और बवाना में डेसू के संयंत्रों को गैस का आबंटन किया गया है।

डा. वसंत पवार : महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, राज्य सरकारों द्वारा कितनी गैस की मांग की गई है। बाम्बे हाई में गैस फैलने को कम करने के लिए भारत सरकार के जीरो पलेरिंग प्लान के अनुसार समूची उपलब्ध अतिरिक्त गैस को एच.बी.जे. पाइप लाइन द्वारा उत्तर भारत में उर्वरकों के लिए तथा विद्युत परियोजनाओं तथा अन्य इकाइयों के लिए प्रयोग किया जाना है। यह योजना गहन पूंजी और अधिक समय लेने वाली है।

क्या महाराष्ट्र सरकार ने 30 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस की मांग संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और क्या माहराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उसार में एक दूसरा गैस टर्मिनल स्थापित करने के लिए एक वैकल्पिक योजना का प्रस्ताव है और क्या समुद्र तट पर सुनियोजित बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने 20 जनवरी 1994 को महाराष्ट्र में एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस की मांग के लिए और उसार में एक गैस टर्मिनल लगाने और उसार से गैस वितरित करने के लिए भारत सरकार को लिखा है।

मैं इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानना चाहूंगा।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, प्रश्न के भाग (क) में माननीय सदस्य ने गैस फैलने के मुद्दे का संक्षेप में उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि गैस फैलने को कम करने संबंधी योजना, जो एक व्यापक योजना है, जिसमें 3 बिलियन डालर का निवेश हुआ है ठीक प्रकार से चल रही है। वर्ष 1996 तक गैस का फैलाव जीरो तकनीकी स्तर तक नीचे आ जायेगा।

जहां तक महाराष्ट्र की अतिरिक्त आवश्यकता का सम्बन्ध है, जी हां महाराष्ट्र ने अतिरिक्त गैस की मांग की है। लेकिन पहले से की गई वचनबद्धताओं के कारण, हम महाराष्ट्र को अतिरिक्त गैस की सप्लाई करने की स्थिति में नहीं हैं, जिसके लिए अनुरोध किया गया है।

डा. बंसत पवार : यह प्रस्ताव बहुत अधिक समय लेने वाला है। क्या दक्षिणी राज्यों के सभी मुख्य मंत्रियों ने एक दक्षिणी गैस ग्रिड, जिसकी लम्बाई 2500 कि.मी. है, जिस पर 4500 करोड़ रुपय के लगभग खर्च हाने का अनुमान है, जो मार्गस्थ सभी राज्यों के लिए लाभदायक होगा, के लिए प्रस्ताव किया है ? क्या राज्य सरकारों ने प्रस्ताव किया है कि वे खर्च में हिस्सा देने के लिए तैयार है ?

क्या सरकार दक्षिण गैस ग्रिड की मांग के लिए राज्य सरकारों तथा भारत सरकार की सहायता से मिलकर ग्रिड के खर्च के बारे में विचार करेगी ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : दक्षिणी गैस ग्रिड वास्तव में अगला तारांकित प्रश्न है। यदि आप दोनों प्रश्नों को मिलाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं।

डा. बसंत पवार : मैं अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

श्री शिवराज सिंह चौहान : मध्य प्रदेश में बिजली की अत्यन्त कमी है। इसको देखते हुए वहां पर ग्वालियर के पास भाण्डेर में गैस पर आधारित बिजलीघर स्थापित किया गया है। उसके लिए गैस आबंटित करने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में एच.बी.जे. पाइपलाइन 550 किलोमीटर तक होकर गुजरती है। वहां की सरकार बार-बार केन्द्र सरकार से आग्रह करती रही है कि उस संयंत्र के लिए गैस आबंटित की जाये। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भाण्डेर के उस गैस आधारित बिजलीघर के लिए सरकार गैस आबंटित करेगी, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भाण्डेर में गैस विद्युत परियोजना के लिए मांग लम्बित पड़ी है। अनुरोध लम्बित है, लेकिन हम मध्य प्रदेश के अनुरोध को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाये हैं, क्योंकि एच.बी.जे. पाइपलाइन के साथ पहले से ही वायदे किये जा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि किन-किन राज्यों में कितनी गैस की आवश्यकता है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में गैस की भारी कमी है और कई जिलों में गैस की कमी होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार से कितनी गैस की डिमांड की गयी है और उसमें कितनी आपूर्ति की गयी है ? और क्या जितनी मांग की गयी है, उसकी आपूर्ति की गयी है या नहीं और नहीं तो कब तक करना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, बिहार के पास व्यापक मात्रा में कोयले के भण्डार होने के कारण चाहे यह विद्युत उत्पादन या अन्य के लिए हो संसाधनों आदि जो हमारे देश में उपलब्ध है से दूरी पर विचार के बाद ही विशेष परियोजनाओं के लिए ईंधन की आर्थिक व्यवहार्यता देखी जाती है। जहां तक प्राकृतिक गैस का संबंध है, जैसा कि सदस्य जानते हैं, मुख्य रूप से बल दिया गया

श्री लोकनाथ चौधरी : वह अलग बात है। प्रश्न के भाग (ख) में विभिन्न राज्यों द्वारा गैस की मांग की आवश्यकता के बारे में पूछा गया है। आपने इसका उत्तर नहीं दिया है। सदन को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य को बिहार द्वारा मांगी गई सही-सही गैस की मात्रा के बारे में जानकारी दूंगा। मेरे पास विभिन्न राज्यों से राज्यवार मांग के आकड़े हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री जी को उपयुक्त ढंग से उत्तर देने दीजिए। मंत्री जी, वे प्रत्येक राज्य द्वारा की गई गैस की मांग के बारे में जानना चाहते हैं।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं माननीय सदस्य को प्रत्येक राज्य द्वारा की गई गैस की मांग के आंकड़े दे दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, आप कृपया प्रश्न देख सकते हैं। माननीय सदस्यों के मन में यह विचार उभर रहे हैं कि प्रश्न के भाग (ख), जो प्रत्येक राज्य सरकारों द्वारा की गई गैस की मांग के ब्यौरे के बारे में है, के सम्बंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। क्या माननीय मंत्री सभी तथ्यों को दर्शाने वाला विवरण देने के लिए तैयार हैं ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : जी हां, महोदय।

मैं राज्यों को पहले से वितरित की गई गैस से संबंधित विवरण देने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा है कि जहां तक बिहार का संबंध है, जब आप प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, मैं माननीय सदस्य को आंकड़े दे दूंगा। यदि आप अन्य राज्यों के आंकड़े चाहते हैं तो मैं आपको दे दूंगा। दिल्ली में प्रति दिन में 3.65 मिलियन स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर गैस आबंटित की जाती है। गुजरात को एक दिन में 10.35, हरियाणा को 2.5; मध्य प्रदेश को 3.6; महाराष्ट्र को 16.5, राजस्थान को 3.8 तथा उत्तर प्रदेश को 15.5 मिलियन स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर गैस आबंटित की जाती है। मेरे पास क्षेत्र वाइज जानकारी भी है। यदि सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें जानकारी उपलब्ध करा सकता हूं। जहां तक बिहार का संबंध है, मैं जानकारी दे दूंगा, क्योंकि इस गैस वितरण नेटवर्क में बिहार के संबंध में आंकड़े नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : गैस अलॉटमेंट का क्राइटीरिया क्या है ?

...(व्यवधान)...

श्री राम कृपाल यादव : बिहार की घोर उपेक्षा हुई है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार को छोड़कर सभी राज्यों से संबंधित जानकारी दे दी गई है। बिहार से संबंधित आंकड़े बाद में दिये जायेंगे। मंत्री भी जानकारी देने के लिए सहमत हो गये हैं, कृपया बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं प्राकृतिक गैस के लिए पंजीकृत मांग के राज्यवार आंकड़े दे सकता हूं। एक दिन में मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यूनिट है। आंकड़े इस प्रकार हैं– आन्ध्र प्रदेश 23.61; अरुणाचल प्रदेश 0.041, असम 0.005; दिल्ली 31; गुजरात 45.13; हरियाणा 6.76; हिमाचल प्रदेश 0.001; कर्नाटक 9.361; मध्य प्रदेश 21.34, पंजाब 0.02, राजस्थान 15.95, तमिलनाडु 12.82; त्रिपुरा 1.8; उत्तर प्रदेश 30.17; दक्षिणी क्षेत्र 40.27 और पूर्वी क्षेत्र 5.23 है यह राज्यवार पंजीकृत मांग है, जैसा कि प्राकृतिक गैस क लिए विभिन्न राज्यों द्वारा भेजी गई है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए हमने एक प्रश्न पर बहुत अधिक समय ले लिया है। अब हम प्रश्न संख्या 123 लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की इसमें घोर उपेक्षा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2200 उद्योग ताज ट्रेपैज़ियम एरिया में उजाड़े जा रहे हैं। वहां के लिए गैस नहीं दी जा रही है। आखिर गैस अलॉटमेंट का क्राइटीरिया क्या है ? लाखों लोग वहां बेरोजगार हो रहे हैं। सारी इकोनॉमी बरबाद हो रही है अगर इतने पर भी गैस आबंटन के क्राइटीरिया में नहीं आता है तो कब आयेगा मैं कहना चाहता हूं कि इस पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए और इस पर समीक्षा होनी चाहिए और वहां के लिए गैस दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर आधे घंटे की चर्चा की जा सकती है। कृपया आप उपयुक्त सूचना दीजिए।

दक्षिणी गैस ग्रिड

***123 श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी गैस ग्रिड परियोजना सरकार के पास लम्बे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दक्षिणी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार से परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) क्या दक्षिणी गैस ग्रिड को ओमान से आने वाली गैस पाइप लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (छ) : दक्षिणी राज्यों से पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी अपतट से दक्षिणी तट तक एक गैस पाइपलाइन बिछाने की संकल्पना सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दी गई। प्रस्ताव में पश्चिमी अपतट से अधिशेष गैस का प्रयोग परिकल्पित है, जिसे मध्य-पूर्व से आयातित गैस द्वारा संपूरित किया जाएगा। ओमान आयल कम्पनी से ओमान से भारत तक गैस के परिवहन हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : साउदर्न स्टेटस के लिए जो चीफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप हमारी गैस इनक्रीज कीजिए, क्या आप उसको कुबूल करते हैं ?

[अनुवाद]

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य दक्षिण गैस ग्रिड का उल्लेख कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में उल्लेख किया है, सरकार ने सिद्धांत रूप से दक्षिण गैस ग्रिड को स्थापित करना स्वीकार कर लिया है। हम सिद्धांत रूप में दक्षिण गैस ग्रिड की पूर्व संकल्पना से सहमत हैं। दरअसल मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे ओमान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर

करने के बाद उन्होंने पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, ओमान से प्राकृतिक गैस को 1400 कि.मी. की पाईपलाइन के माध्यम से प्राप्त करना तकनीकी रूप से व्यावहारिक है। इस परियोजना को 1998 तक पूरा कर लिया जाएगा। हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि उस कार्य के साथ सामंजस्य रखा जाए तो दक्षिण गैस ग्रिड के लिए करने की आवश्यकता है। इसलिए, ओमान से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति अगर जारी रही तो इस परियोजना को वर्ष 1998 तक पूरा कर लिया जाएगा।

श्री पी.सी. चाको : दक्षिण गैस ग्रिड, दक्षिणी राज्यों के लोगों की लम्बे समय से लम्बित माँग है। हम इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट आश्वासन देने के लिए माननीय मंत्रीजी के प्रति कृतज्ञ हैं।

मंत्रीजी ने बताया है कि प्राकृतिक गैस ओमान से भारत तक वर्ष 1998 तक आ जाएगी। मंत्रीजी ने हमें यह भी आश्वासन दिया है कि बम्बई हाई में प्राकृतिक गैस का फैलना वर्ष 1996 तक में बंद हो जाएगा। क्या मंत्रीजी सदन को आश्वासन देंगे कि दक्षिण गैस ग्रिड पर कार्य शीघ्र शुरू हो जाएगा ताकि वर्ष 1998 तक जब तक ओमान से आपूर्ति आरम्भ होने की अपेक्षा की जाती है, ग्रिड का कार्य पूरा हो जाएगा ? पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, इसके निर्माण की अवधि क्या है और कब तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा ?

श्री एस.बी. सिदनाल : महोदय, यह मेरा प्रश्न है। मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री एस.बी. सिदनाल : मुझे अवसर नहीं दिया गया। फिर भी, मैं दक्षिण गैस ग्रिड के लिए मंत्रीजी द्वारा की गई प्रतिबद्धता के लिए उनका आभारी हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह ग्रिड ओमान-भारत समझौते का एक हिस्सा है या यह उससे अलग है।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : ओमान पाईपलाइन, जो भविष्य में पूरी होगी, दक्षिण गैस ग्रिड से अलग है।

माननीय मंत्री जी ने बम्बई हाई में गैस के फैलने के विषय में उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि वर्ष 1996 तक यह तकनीकी रूप से समाप्त हो जाएगा। पश्चिमी समुद्र तट से अधिकतम उपलब्धता 4.82 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। इसे आर्थिक दृष्टि से अर्थक्षम बनाने के लिए हमें पाईपलाइन बिछाने की आवश्यकता होगी, जो दक्षिण राज्यों तक कम से कम 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन ले जा सके। यह दक्षिण भारत के राज्यों के लिए पाईपलाइनों का एक अलग नेटवर्क होगा। यह ओमान पाईपलाइन से सम्बन्धित नहीं है।

ओमान पाईपलाइन दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण वर्ष 1998 तक पूरा होने की उम्मीद है। दूसरे चरण में, दूसरा पाईपलाइन बिछाया जाएगा, जिससे 28 मिलियन स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन ले जाई जा सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिदिन कुल 56 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस ओमान से भारत तक पहुंच पाएगी। यहां पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार है और यह दक्षिण गैस ग्रिड से अलग है।

हमारा यह प्रयास है कि जब ओमान में पाइपलाइन के निर्माण का कार्य शुरू हो, तो इसके साथ ही दक्षिण गैस ग्रिड पर भी कार्य शुरू हो जाए, ताकि ओमान से आनेवाली प्राकृतिक गैस के साथ सामंजस्य रखा जा सके। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मि. सिदनाल

श्री एस.बी. सिदनाल : महोदय ···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उनका दूसरा पूरक प्रश्न पूछने दें। सदन को व्यवधान नहीं डालना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रश्न सूची में उनका दूसरा नाम था। इसलिए, आप उन्हें दूसरा पूरक पूछने की अनुमति नहीं दे सकते।

श्री एस.बी. सिदनाल : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह परियोजना पहले ही शुरू कर ली जा रही है ···(व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिदनाल एक मिनट रुकिए। यहां प्रक्रिया संबंधी प्रश्न आता है। इस प्रश्न में आपका नाम भी है आपने भी इसमें हस्ताक्षर किए हैं। आप पहले भी एक प्रश्न पूछ चुके हैं। माननीय वरिष्ठ नेता कहते हैं कि आपको दूसरा पूरक पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री एस.बी. सिदनाल : महोदय, जब कुछ गलत हुआ तो मैंने कभी आपत्ति नहीं की। यह मेरे राज्य से भी जुड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है कि आप बहुत मेल-मिलाप से रहने वाले हैं। मैं आपको दूसरा मौका दूंगा।

डा. श्रीमती के.एस. सौन्दम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि बम्बई हाई से उत्तर भारत आ रही गैस की तुलना में दक्षिण भारत में आ रही गैस का प्रतिशत क्या है ?

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, इस समय दक्षिण भारत में कोई पाईपलाइन नहीं है। जिस गैस का इस्तेमाल दक्षिण भारत में हो रहा है वह कृष्णा-गोदावरी (के.जी. घाटी) और राना-घाटी में उत्पादित होती है। लेकिन यह तो दक्षिण भारत की कुल मांग की एक अंश मात्र है। उनकी मांग अवश्य पूरी होगी लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि जब दक्षिण ग्रिड वास्तव में बन जाएगी। यह तब होगा जब ओमान से गैस का आना आरंभ हो जाएगा। यह सही स्थिति है।

श्री राम कापसे : महोदय, प्रस्ताव में गैस पश्चिमी समुद्र तट और ओमान से प्राप्त फालतू गैस के इस्तेमाल का विचार है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि वे कौन से राज्य हैं जिन्हें इस परियोजना से लाभ प्राप्त होने वाला है और दक्षिण भारत के राज्यों की राज्यवार मांग की मात्रा का ब्यौरा दें।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : महोदय, राज्यवार प्रौद्योगिकी और आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन

किया जाएगा। चर्चा की जानी है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी का सम्बन्ध है तो मैं उन्हें अभी इसी समय यह जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं उन्हें बता कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, वह सम्पूर्ण केरल से जुड़े प्रश्न पूछेंगे।

प्रो. पी.जे. कुरियन : महोदय, इसे केरल तक ही सीमित नहीं रखें। यह दक्षिण भारत की दृष्टि से ही नहीं बल्कि पूरे भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है।

महोदय, सर्वप्रथम, मैं माननीय मंत्रीजी का सुस्पष्ट आश्वासन देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि दक्षिण गैस ग्रिड वर्ष 1998 तक वास्तव में तैयार हो जाएगा। लेकिन, मैं उनसे दो और तीन विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं।

पहले, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिण गैस ग्रिड के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

दूसरा आपने कहा कि परियोजना वर्ष 1298 में चालू हो जाएगी। आपका कब तक परियोजना के निर्माण को आरंभ करने का विचार है ?

और तीसरा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह पाइप लाइन कोचीन तक जाएगी। यदि नहीं, तो वर्तमान योजना के अनुसार यह गैस पाइप लाइन कहां तक पहुंचेगी ?

मैं इन तीन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

कैप्टन सतीश कुमार शर्मा : जैसा कि आज मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि दक्षिण गैस ग्रिड सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जा चुका है। ओमान के साथ बातचीत जारी है। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ है। मैं नहीं समझता कि अगर हम घरेलू खपत घरेलू उपलब्धता पश्चिमी समुद्र तट तथा एल.एन.जी. इत्यादि के योगदान पर ही निर्भर करते रहे तो वर्ष 2007 से 2010 से पहले दक्षिण गैस ग्रिड का सपना साकार हो पाएगा।

ओमान गैस परियोजना के समझौता ज्ञापन वाला चरण पूरा कर लेने के बाद और व्यवहार्यता अध्ययन हो जाने के उपरांत, अभी ओमान के साथ बातचीत जारी है। यह गैस मूल्य सूत्र की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था में है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि राज्यवार प्रौद्योगिकी व आर्थिक विचारों को देखते हुए सभी दक्षिण भारत के राज्यों के साथ चर्चा शुरू होगी बाकी हम जान सकें कि इन राज्यों की क्या आवश्यकताएं हैं, दक्षिणी गैस पाईप लाइनों का आकार क्या होगा, कितनी मात्रा में गैस इसमें से गुजरेगी, ये सभी प्रौद्योगिकी-आर्थिक चर्चा के विषय हैं, जिस पर राज्यवार विचार करना है। यह सही स्थिति है।

[हिन्दी]

विकास बोर्ड

***126. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में विकास बोर्डों की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी.एम. सईद) : (क) और (ख) अनुच्छेद 371 (2) के अन्तर्गत विकास बोर्डों के गठन की व्यवस्था केवल महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों पर लागू होती है। इस बारे में (i) महाराष्ट्र सरकार से विदर्भ मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए विकास बोर्डों की स्थापना के लिए और (ii) गुजरात सरकार से कच्छ के लिए विकास बोर्ड की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है।

तथापि गुजरात सरकार का अनुरोध विचाराधीन है। चूंकि इसमें अनेक कानूनी, संवैधानिक और राजनीतिक जटिलताएं अंतर्ग्रस्त हैं, अतः इस मामले में निर्णय लेने के लिए निश्चित समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : मैं महाराष्ट्र के संबंध में चिरप्रतीक्षित निर्णय लेने के लिए प्रधान मंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद करती हूं। इस संबंध में सरकार का क्या विचार है ? क्या इन बोर्डों का गठन संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 371 (2) के अधीन यथारूप में किया जायेगा अथवा विधानमंडल की उपयुक्त भूमिका निभाने के लिए इसमें संशोधन किया जायेगा ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : ऐसा अनुच्छेद 371 (2) के अनुसार किया गया है।

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील : सरकार कितना समय लेगी ? शीघ्र निर्णय कब तक लिय जाने की संभावना है ? इन बोर्डों के वित्तीय, प्रशासनिक और अन्य कृत्यों तथा शक्तियों का स्वरूप क्या होगा ?

माननीय गृह मंत्री स्पष्ट और उन्मुक्त चर्चा के बाद निर्णय लेने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए, क्या वे इन बोर्डों के संबंध में किसी ठोस निर्णय पर पहुंचने से पहले राज्य सरकार और संसद सदस्यों के साथ इस पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलायेंगे ?

श्री राम नाईक : यह निर्णय कब लिया गया है ?

श्री एस.बी. चव्हाण : किसी प्रकार की गलतफहमी प्रतीत हो रही है। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय तीन दिन पहले लिया था। मैं समझता हूं कि पहला प्रश्न, जैसा कि इसका उत्तर दिया गया था और जैसा उत्तर आपको मिला है, आप उस मुद्दे पर मुझे खींचना चाहते हैं। इस मामले में केवल यह बात छूट गई है कि अब राष्ट्रपति आदेश जारी करने होंगे और उसके बाद राज्य सरकारों के परामर्श से राज्यपाल सभी ब्यौरों को तैयार करेंगे .

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रपोजल आपके पास भेजे थे, उसके

साथ-साथ कोंकण के लिये भी एक अलग बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भेजा था। क्या आपने उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ? अगर नहीं लिया है तो उसका कारण क्या है ?

[अनुवाद]

श्री एस.बी. चव्हाण : महोदय, यह सच है कि महाराष्ट्र की सरकार ने कोंकण क्षेत्र के लिए इसी प्रकार का बोर्ड बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसके लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। यहां तक कि महाराष्ट्र की सरकार इस संबंध में भी काफी इच्छुक थी कि संविधान में संशोधन करने की प्रतीक्षा करने के बजाय, इस बोर्ड का तत्काल गठन किया जाना चाहिए। यही कारण है कि शेष महाराष्ट्र में कोंकण भी शामिल है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सवाल यह था कि कोंकण के बारे में आप करने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसका स्पेसिफिक उत्तर दीजिए न ?

[अनुवाद]

श्री एस.बी. चव्हाण : यह एक ऐसा मामला है, जिसके लिए स्वयं महाराष्ट्र की सरकार ने दबाव नहीं डाला है। यदि महाराष्ट्र सरकार का यह कहना था कि इस अवस्था में भी वे कोंकण क्षेत्र के लिए एक पृथक बोर्ड चाहते हैं, तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या किये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे विचार से, संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। हमें यह देखना होगा कि क्या हमारे पास वह बहुमत है अथवा नहीं।

श्री राम कापसे : हम इसका समर्थन करेंगे।

श्री एस.बी. चव्हाण : ठीक है। मुझे इस पर सोचने दीजिए।

श्री अनंतराव देशमुख : महोदय, इससे पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा संघ सरकार को प्रस्ताव भेजे जाते थे, मैंने अपनी बात को सही करते हुए कहा था, लेकिन संघ सरकार ने इन प्रस्तावों को वापस कर दिया था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए पिछले प्रस्ताव से वर्तमान प्रस्ताव किस प्रकार भिन्न है।

श्री एस.बी. चव्हाण : चूंकि आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे दुख है कि अब मुझे सचाई बतानी पड़ेगी। मैं लगातार यही कहता रहा हूं और अनुच्छेद 371 (2) में कहा गया है कि यदि इस अनुच्छेद के अंतर्गत बोर्डों का गठन किया जाता है तो प्रतिनिधि सरकार और विधानमंडल दोनों अपने अधिकार खो बैठेंगे।

इस संबंध में विचारों में मतभेद था कि क्या वे अपने अधिकार गवायेंगे या नहीं। मुझे महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि 'यद्यपि हमें इस तथ्य की जानकारी है कि सभी शक्तियों, जिनका निर्वाचित सरकार प्रयोग करती है, से हमें वंचित रखा गया है, लेकिन तब भी हम बोर्ड का गठन चाहते हैं।'

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, यह जो विकास बोर्ड का मामला है, इसलिए होता है कि चूंकि देश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जहां विकास तेज गति से नहीं हो पाया है इसलिए विकास बोर्ड के गठन की मांग हो रही है। मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं, मैं आग्रह करूंगा गृह मंत्री जी से, वह यह सकते हैं कि टैक्नीकली यह इस प्रश्न में नहीं आता है लेकिन वह इसका जवाब जरूर दें। विकास की दृष्टि से छोटे राज्यों की मांग भी इस देश में चल रही है और उसमें जो महाराष्ट्र का मामला है, विदर्भ में छोटे राज्य की स्थापना की मांग का समर्थन तमाम पोलिटिकल पार्टीज के लोगों ने किया है तो क्या सरकार विदर्भ को अलग छोटे राज्य का दर्जा देने पर भी विचार कर रही है ? मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि क्या सरकार ···(व्यवधान)··· मैं पार्टी पोलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता हूं। गृह मंत्री जी रात में सपना देखते हैं और सबेरे झारखण्ड राज्य की मांग के समर्थन में बात करते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के सामने छोटे राज्यों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई धारणा है और यदि है तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, जो रिकंस्ट्रक्शन आफ दि स्टेट होता है, उसके सम्बन्ध में कोई प्लानिंग कर रही है ?

श्री एस.बी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, इस बात का मुझे अफसोस है कि झारखण्ड के मामले में पासवान जी इतने उद्वेलित क्यों होते हैं कि रात को मैं सपना देखता हूं और सुबह उनको कुछ बोलने का आश्वासन देता हूं। इनके मन में जो मैं समझ सका हूं, वह यह है कि झारखण्ड के बारे में आपके दिल में क्या भावना है, उसका अंदाजा मुझे लग गया है।

वह बात आज के इस प्रश्न से नहीं उठेगी। लेकिन यह विदर्भ, महाराष्ट्र और गुजरात की बात है, विदर्भ राज्य की मांग उस वक्त की जा रही थी इसलिए आर्टीकल 371 (2), यह खास तौर पर उस चीज को सेटिसफाई करने के लिए प्रोविजन किया गया है। इसलिए उसका संबंध छोटे राज्यों से बिल्कुल नहीं है। आप मेहरबानी करके इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिये और झारखंड के लिए अगर आप अलग राज्य की मांग करते हैं तो इसको देख लिया जाएगा।

[अनुवाद]

डा. बी.जी. जावाली : मंत्री जी के उत्तर में दी गई स्वीकृत सूची में, मुझे कर्नाटक सरकार का नाम नहीं मिला है, यहां तक कि कर्नाटक में विकास बोर्ड है। ···**(व्यवधान)**··· कर्नाटक के उत्तरी भाग में हैदराबाद-कर्नाटक विकास बोर्ड नामक एक बोर्ड है। यह पिछले चार वर्षों से कार्य कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से बोर्ड की वैधता के संबंध में जानना चाहता हूं कि क्या इसे स्वीकृति मिल गई है अथवा यह अवैध रूप से कार्य कर रहा है अथवा इसका दर्जा क्या है।

श्री एस.बी. चव्हाण : पूर्ववर्ती हैदराबाद, जो कर्नाटक का भाग था, में स्थापित किये गये बोर्ड के संबंध में, मैं कुछ नहीं जानता। अनुच्छेद 371 (2) में उस क्षेत्र में इस प्रकार के किसी बोर्ड पर विचार नहीं किया गया है। मुझे यह पता लगाना होगा कि किस धारा के अंतर्गत यह बोर्ड कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी

से पूछना चाहती हूं आपने माना है कि गुजरात में कच्छ में विकास बोर्ड की स्थापना करने के लिए स्वीकृति हेतु आपका यहां यह प्रपोजल आया हुआ है। ...(व्यवधान)... क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इन दिनों में बहुत सारी मात्रा में वहां हैरोइन, चरस जैसी नशीले ड्रग्स आ रहे हैं। ...(व्यवधान)... मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहती हूं कि यह जो कच्छ का विकास बोर्ड स्वीकृति के लिए आया है उसका समयबद्ध क्या प्रोग्राम है कि यह जल्दी से जल्दी हो जाये। श्री एस.बी. चव्हाण। इससे हैरोइन वगैरह का ताल्लुक नहीं हैं ...(व्यवधान)...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपने विदर्भ के बोर्ड को स्वीकार कर लिया, मराठवाड़ा का कर लिया, क्योंकि वह महाराष्ट्र से संबंधित था, लेकिन गुजरात के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है?

[अनुवाद]

श्री एस.बी. चव्हाण : विपक्ष के माननीय नेता को भी इस तथ्य की अवश्य जानकारी होगी कि वर्ष 1976 में कच्छ के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। लेकिन अगले वर्ष ही गुजरात सरकार के अनुरोध पर इसे समाप्त कर दिया गया। अब यह मांग फिर की गई है जो मुझे एक सप्ताह पहले ही प्राप्त हुई है। अतः हमें प्रश्न के सभी पहलुओं की उचित रूप से जांच करनी होगी और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक मेरा महाराष्ट्र और गुजरात के साथ संबंध है, किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता जायेगा। मैं उनको आश्वासन दे सकता हूं कि मैं सबसे पहले यही कार्य देखूंगा कि कच्छ में भी इस प्रकार का बोर्ड बनाया जाये।

श्री श्रीकांत जेना : उड़ीसा के पिछड़ेपन को देखते हुये, उड़ीसा राज्य की विधान सभा ने कांग्रेस के शासन के दौरान दो बार और जनता शासन के दौरान एक बार यह संकल्प पारित किया है कि उड़ीसा को एक विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाला राज्य समझा जाना चाहिए। हालांकि इस पर भारत सरकार के स्तर पर विचार नहीं किया गया था, तथापि कालाहांडी, कोरापुर और फुलबनी - इन तीनों जिलों के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि एक विशेष विकास बोर्ड होना चाहिए। क्या मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह बात जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार ने कालाहांडी, फुलबनी और कोरापुर जिलों के लोगों के लिए विशेष विकास बोर्ड की स्थापना करने हेतु गृह मंत्रालय से कभी संपर्क किया है ?

श्री मृत्युंजय नायक : पिछड़ा राज्य और अधिक पिछड़ने जा रहा है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र, फुलबनी लगातार, चिरकालिक और प्राकृतिक आपदाओं और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं से पीड़ित है। इसी कारण श्री जेना ने यह विशेष प्रश्न उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का विशिष्ट और स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वे मेरे क्षेत्र में विशेष विकास बोर्डों की स्थापना करेंगे।

डा. कृपासिन्धु भोई : संविधान के अनुच्छेद 371 (2) के अंतर्गत, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष दर्जा विकास बोर्ड को दिया गया था। उससे उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे पश्चिमी उड़ीसा विकास बोर्ड की स्थापना पर विचार करने जा रहे हैं अथवा नहीं। माननीय सदस्य, श्री जेना अपने मुख्य मंत्री, श्री बीजू पटनायक की भांति पश्चिमी उड़ीसा को विभाजित करना चाहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 के परन्तुक के अनुसार, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को विशेष

दर्जा दिया गया है। इस संदर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इन दो राज्यों में विशेष विकास बोर्डों की स्थापना करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 (2) में संशोधन करेंगे।

श्री एस.बी. चव्हाण : मामले पूर्णतः स्पष्ट हैं। यदि माननीय सदस्य संविधान के अनुच्छेद 371 (2) को पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आयेगा कि यह केवल दो राज्यों तक सीमित है और वह भी विशिष्ट और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण। उनके राज्य में कुछ क्षेत्रों को जो पिछड़े हुये हैं, इस अनुच्छेद 371 के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। यही कारण है कि इस संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

तेल हेतु खुदाई

*124. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तेल हेतु खुदाई के लिए कितने अप्रवासी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अनुमति मांगी है,

(ख) गत एक वर्ष के दौरान जिन कम्पनियों को अनुमति दी गई है उनका ब्यौरा क्या है और इसके लिए कौन-कौन सी प्रमुख शर्तें रखी गई हैं, और

(ग) ये कम्पनियां कब तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर देंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अनिवासी भारतीयों तथा 30 विदेशी कंम्पनियों के समूहों ने बोली के चौथे, पांचवें और छठे दौर में तेल तथा गैस अन्वेषण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

(ख) वर्ष 1993 के दौरान निम्नांकित कम्पनियों के साथ निविदाएं हस्ताक्षर की गई हैं

कम्पनी/परिसंघ का नाम	ब्लाक का नाम
हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी तथा मफतलाल इंडस्ट्रीज, दोनों भारत की।	पानहिता-गोदावरी (गोंडवान) तटवा बेसिन जी एन-ओएन-90/3
यू.एस.ए. की मैसर्स अलबियन इंटरनेशनल रिसोर्सेस इंक, आस्ट्रेलिया की कोपलेक्स, रिसोर्सेस लि. यू.एस.ए. की मैगवेटओवरसीज एक्सप्लोरेशन क. तथा हिन्दुस्तान की हिन्दुस्तान आयल एक्स-प्लोरेशन कंपनी से मिलकर बना परिसंघ।	कृष्णा गोदावरी अपतट बेसिन में केजी-ओ एस-90/1

संविदाएं एक संविदा अवधि समेत उत्पादन भागीदारी संविदाओं के आधार पर होंगी जिसमें कच्चे तेल तथा संबद्ध गैस के मामले में यह अवधि 25 वर्ष तक की होगी। कम्पनियों का अधिलाभ तथा सांविधिक करों की अदायगी करने की छूट है। इन संविदाओं के अधीन उत्पादित तेल के संबंध में मनाही करने के लिए भारत सरकार के पास उन कंपनियों से प्रथम अधिकार प्राप्त होगा, जिन्हें उनके तेल हिस्से के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। उद्यम की अन्वेषण अथवा विकास अवस्था में तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन/आयल इंडिया लि. की भागीदारी के लिए प्रावधान किया गया है तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन/आयल इंडिया लि. उद्यम में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक की भागीदारी कर सकती है। वाणिज्यिक तौर पर दोहन करने योग्य प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

(ग) यह कम्पनियां ब्लाकों का भूकम्पीय सर्वेक्षण पहले ही आरंभ कर चुकी हैं। कच्चे तेल/गैस उत्पादन की शुरुआत इन कारणों में हाइड्रोकार्बनों की खोज के साबित होने पर निर्भर करेगी।

धनराशि जुटाना

*125. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की प्रमुख तेलशोधक तथा विपणन कम्पनियों को पूंजी बाजार से धनराशि जुटाने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में इंडियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. और भारत कारपोरेशन लि. से भी अपने-अपने प्रस्ताव भेजने को कहा है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक तेल कम्पनी को कितनी धनराशि जुटाने की अनुमति दी गई है; और

(च) इस धनराशि का उपयोग किन-किन परियोजनाओं हेतु किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने आई.बी.पी. को राइट्स आधार पर पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने की अनुमति दी थी। कम्पनी ने 1991-92 और 1992-93 के दौरान 88.08 करोड़ रुपए वसूल किये जो 31-12-92 तक इश्यू के 99.73 प्रतिशत होता है।

सरकार ने हाल ही में मद्रास रिफाइनरीज लि. (एम.आर.एल.) को उनके अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्वीटी शेयरों के माध्यम से पूंजी बाजार से 525.00 करोड़ रुपए तक उगाहने की अनुमति दी है।

सरकार ने आई.ओ.सी. को भी अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में 200 मिलियन अमरीकी डालर तक विदेशी ऋण उगाहने के लिए अनुमति दी है।

(ग) से (घ) तेल कम्पनियां अपनी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए आवश्यकतानुसार पूंजी बाजार से संसाधन जुटा सकती हैं तथा वे आवश्यक अनुमोदनों के लिए सरकार से संपर्क करेंगी।

आई.एस.आई. की गतिविधियां

*127. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :
श्री बी. देवराजन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों के किसी भाग से इन्टर सर्विसिज इन्टेलिजेंस (आई.एस.आई.) की गतिविधियों के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में तमिलनाडु में भी एल.टी.टी.ई. आतंकवादियों के बड़ी संख्या में प्रवेश की सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। 12 मार्च, 1993 को बम्बई में हुए बम विस्फोटों और 5/6 दिसम्बर, 1993, को रेलगाड़ियों में हुए बम विस्फोटों के कुछ अभियुक्तों से की गई पूछताछ से पता चला है कि दक्षिणी राज्यों में विध्वंसकारी गतिविधियों में पाकिस्तानी आई.एस.आई. का हाथ है।

(ग) और (घ) अभी हाल ही में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) सरकार को स्थिति की जानकारी है तथा इस बारे में सरकार सभी आवश्यक उपाय कर रही है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाना, केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करना, संवेदनशील क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों को तैनात करना, गश्त गहन करना, सीमा पर बाड़ लगाना तथा भारत पाक सीमा पर संवेदनशील पटिट्यों पर फ्लड लाईट लगाना शामिल है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

*128. श्री चेतन पी.एस. चौहान :
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रतिवर्ष कोयला खानों में कंपनीवार कितनी दुर्घटनाएं हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग हताहत हुए :

(ग) प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया ; और

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोल इंडिया लि. की ग्रुप की खानों में पिछले 2 वर्षों के दौरान हुई घातक तथा गंभीर दुर्घटनाओं और इनके परिणामस्वरूप हुई मृत्यु और आई गंभीर चोटों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

कंपनी	घातक दुर्घटनाएं				गंभीर दुर्घटनाएं			
	दुर्घटनाओं की संख्या		मृतकों की संख्या		दुर्घटनाओं की संख्या		गंभीर चोटों संख्या	
	1993*	1992	1993*	1992	1993*	1992	1993*	1992
ई.को.लि.	19	30	19	33	100	107	103	113
भा.को.को.लि.	30	40	30	48	125	123	125	158
से.को.लि.	13	23	14	24	20	28	26	30
ना.को.लि.	4	4	5	4	4	3	4	3
वे.को.लि.	17	16	17	22	81	130	90	131
सा.ई.को.लि.	22	13	24	14	52	47	58	51
म.को. लि.	5	3	5	3	21	5	21	6
ना.ई.को.	1	1	9	1	1	-	1	-
को.इं.लि.	111	130	123	149	404	443	428	492

* वर्ष 1993 के आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) मृत्यु की दुर्घटनाओं के मामले में 10,000/- की अनुग्रह की राशि और अन्तेष्टि व्यय की कोयला कंपनियों द्वारा तत्काल अदायगी कर दी जाती है। इसके अलावा कामगार मुआवजा अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत स्वीकार्य मुऔवजे की राशि मृतक व्यक्ति के निकट संबंधी को अदायगी किए जाने के लिए कामगार मुआवजा आयुक्त के पास जमा कर दी जाती है। को.इं.लि.

की सहायक कंपनियों द्वारा वर्ष 1992 और वर्ष 1993 के दौरान क्रमशः 85, 16, 163 रु. और 67,79,152 रु. की कुल राशि की अदायगी की गई है।

(घ) राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद से मुख्य रूप में बल कोल इंडिया लि. की खानों की सुरक्षा पर रहा है। खानों में उत्खनन कार्य खान अधिनियम, 1952 और कोयला खान विनियमन, 1957 के उपबन्धों के अधीन किया जाता है। प्रत्येक कोयला कंपनी में यह आन्तरिक सुरक्षा संगठन विद्यमान है, जिसका उत्तरदायित्व सुरक्षा नीति का निष्पादन और नियम तथा विनियमों का क्रियान्वयन किया जाना और खानों में सुरक्षा संबंधी मानदंडों पर निगरानी रखना है। खानों को तथा इनके क्रियाकलापों को सुरक्षित बनाए जाने के लिए नई प्रौद्योगिकी के अलावा, आधुनिकतम उपकरणों, जिसमें खान पर्यावरण, स्वयं को बचाए जाने वाले उपकरण, गैस का पता लगाने वाले उपकरणों, आदि के निरंतर पर्यवेक्षण पर निगरानी रखना और इसमें सुरक्षा उपकरण जैसे सुरक्षा हैलमेट, कैप-लैम्प और प्रत्येक कामगार को उपलब्ध किए गए जूते शामिल हैं। समग्र रूप में सुरक्षा की स्थिति पर को.इं.लि. के सुरक्षा बोर्ड द्वारा तथा कोयला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थाई समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

तेल की बचत

*129. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे देश में तेल का वार्षिक उत्पादन कितना होता है;

(ख) क्या देश में तेल का उत्पादन इसकी मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है,

(ग) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के तेल का आयात किया गया;

(घ) उक्त अवधि में तेल की खपत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ङ) क्या सरकार ने तेल की बचत के लिए कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) चालू वर्ष के लिए कच्चे तेल उत्पादन का लक्ष्य 27.17 मि. टन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात निम्नवत रहा है :

मात्राः मि. टन
मूल्यः करोड़ रुपये

वर्ष/अवधि	कच्चा तेल		पेट्रोलियम उत्पाद	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1990-91	20.70	6118	8.66	4660
1991-92	23.99	7820	9.45	5218
1992-93*	29.25	10686	11.28	6360

*अस्थायी।

(घ) गत 3 वर्षों के दौरान उपभोग में निम्नवत सीमा तक की वृद्धि हुई थी :

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि
1990-91	1.7
1991-92	3.5
1992-93	3.9

(ङ) से (च) सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग के संरक्षण हेतु कई उपाय आरंभ किए हैं। इनके अन्तर्गत परिवहन में ईंधन-क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्रियाकलापों को अपनाना, स्नेहकों का उन्नयन, अकुशल बायलरों तथा भट्ठियों को बदलना, औद्योगिक क्षेत्र में ईंधन कुशल उपस्कर तथा क्रियाकलापों की प्रोन्नति, कृषि क्षेत्र में पम्प सेटों का सुधार, ईंधन कुशल घरेलू क्षेत्र में मिट्टी के तेल और एल.पी.जी. स्टोवों का विकास और प्रोत्साहन, बहु-प्रचार माध्यमों द्वारा जनजागरण अभियान चलाना तथा तेल प्रयोक्ताओं के विविध लक्ष्य ग्रुपों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देना सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

कोयला भंडार

*130. डा. कृपासिंधु भोई : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुल कोयले के भंडार का आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के कोयला भंडारों से पूरा कोयला निकाला जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कोयला भंडारों के पूर्ण दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार 1-1-1994 की स्थिति के अनुसार देश में कोयले के (1200 मीटर की गहराई तक) 196.89 बिलियन टन कोयले के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) कोल इंडिया लि. की बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा स्थित विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा कोयले के भंडारों का उत्खनन किया जाता है, जोकि इन कोयला क्षेत्रों पर कोयले की मांग होने पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

अपरिष्कृत पेट्रोलियम

*131. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपरिष्कृत पेट्रोलियम के मूल्य का रुख क्या रहा;

(ख) वर्ष 1993 के दौरान अच्छी किस्म के अपरिष्कृत पेट्रोलियम का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य कितना था,

(ग) नवीनतम आकलन के अनुसार 1993-94 के दौरान अपरिष्कृत पेट्रोलियम की कुल कितनी मात्रा आयात की जायेगी और इस पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी, और

(घ) 1991-92, 1992-93 के दौरान आयात किये गये तेल का प्रति यूनिट मूल्य कितना दिया गया और 1993-94 के दौरान कितना दिये जाने का अनुमान है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1993 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मर्करक्रूडस के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

(ख) जहां 1993 के दौरान डब्ल्यू.टी.आई. की कीमतें मार्च के दौरान सर्वाधिक अर्थात् 20.61 अमेरिकी डालर प्रति बैरल थी, निम्नतम कीमतें अर्थात् 12.83 अमेरीकी डालर प्रति बैरल दिसम्बर के दौरान दुबई का मर्करक्रूड द्वारा दर्ज की गई।

(ग) 1993-94 के दौरान आयात करने के लिए प्रस्तावित कच्चे तेल की कुल मात्रा लगभग 30.79 एम.एम.टी. है। जिसका अनुमानित मूल्य 3.39 बिलियन अमेरीकी डालर है।

(घ) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान आयात किए गए क्रूड के लिए भुगतान किया गया औसतन इकाई मूल्य निम्नानुसार है :

	(आंकड़े अमेरीकी डालर प्रति बैरल में)
1991-92	17.07
1992-93	17.88
1993-94 (अप्रैल, 1993-जनवरी, 1994)	14.92

सिंचाई सुविधाएं

*132. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता के अनुपात में उनकी सिंचाई सुविधाओं का कितना उपयोग किया जाता है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई सुविधाओं के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी आयी तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी कमी आने का अनुमान है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंचाई सुविधाओं के उपयोग में वृद्धि करने के लिए क्या नीति अपनाई है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वर्ष 1992-93 के अंत तक वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता की तुलना में उपयोग की गई सिंचाई क्षमता का प्रतिशत लगभग 85.7 (प्रत्याशित) है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान सृजित क्षमता के उपयोग के प्रतिशत में छठीं योजना के अंत में 85.1 प्रतिशत के स्तर से कोई कमी नहीं आई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के लक्ष्यों के अनुसार सृजित क्षमता के उपयोग के प्रतिशत में 85.7 प्रतिशत के वर्तमान प्रत्याशित स्तर से 85.3 प्रतिशत तक की कमी आने की संभावना है।

(ग) क्षमता का सृजन और उसका उपयोग एक लगातार प्रक्रिया है। सिंचाई का आरंभ तथा इसके पूर्ण उपयोग के बीच कुछ वर्षों के अंतर को टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि खेत चैनलों के निर्माण और सिंचित खेती के लिए भूमि को तैयार करने में किसानों को समय लगता है। साथ ही वर्षापोषित कृषि से सिंचित कृषि में जाने से कृषि तकनीकों में भारी परिवर्तन हो जाता है, जिनमें निपुण होने में किसानों को समय लगता है।

(घ) इस अंतर को कम करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1974-75 से कार्यान्वित किया जा रहा है। आठवीं योजना नीति में ये शामिल हैं :

500 हेक्टेयर तथा ऊपर के समीपस्थ ब्लाक बनाने के लिए इस कार्यक्रम का 500 हेक्टेयर

से ऊपर की बड़ी लघु योजनाओं या ऐसी योजनाओं के समूह तक विस्तार करना, राष्ट्रीय जल प्रबंध परियोजना को जारी रखना तथा पुरानी योजनाओं की वास्तविक क्षमता का पुनर्मूल्यांकन तथा वार्षिक कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा करना।

परिचय-पत्र

***133. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री काशीराम राणा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घुसपैठ-प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में परिचय-पत्र जारी करने के कार्य में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने 1993-94 के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की है;

(ग) क्या सितम्बर, 1991 में त्रिपुरा की बंगलादेश से लगी सीमा के क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों को परिचय पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या यह निर्णय क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) परिचय-पत्र जारी करने का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम, उठाये गये हैं?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, गुजरात और पंजाब राज्य सरकारें, जहां पहचान-पत्रों की योजना कार्यान्वयन के लिए शुरू की गयी है, मूल कार्य पूरा करने में लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के अलावा इन राज्यों ने, पहचान-पत्रों को तैयार करने और उनका वितरण करने के लिए कम्प्यूटराइज्ड लेसर आई-कार्ड प्रिन्टिंग सिस्टम (सी.एल.आई.पी.एस.) मशीनें प्राप्त कर ली हैं। राजस्थान और गुजरात सरकारों ने पाइलट योजना के अन्तर्गत क्रमशः 2,85,000 और 68,000 पहचान-पत्र वितरित कर दिए हैं।

(ख) इस योजना के लिए वर्ष 1993-94 में 5.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

(ग) से (ङ) जी हां, श्रीमान्। त्रिपुरा राज्य सरकार ने, पहचान पत्र तैयार करने और उनका वितरण करने के लिए तीन सी.एल.आई.पी.एस. मशीनें, बेस पेपर, कोड बुक, इत्यादि प्राप्त कर लिए हैं। फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित कर दिया गया है और आवेदन पत्रों के प्रपत्र मुद्रित किए जा रहे हैं।

(च) योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों को सौंपी गयी है। योजना का गहन प्रबोधन किया जाता है और केन्द्र सरकार द्वारा नियमित रूप से इसकी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

कोयला क्षेत्र

*134. श्री तारा सिंह :
श्री ताराचंद खण्डेलवाल :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का खुले बाजार में कोयले के मूल्यों को प्रभावित किए बिना कोयले के मूल्यों को विनियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार कोयला क्षेत्र के विकास के लिए भारी राशि का ऋण लेने हेतु विश्व बैंक से बातचीत कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कोयले के मूल्य विनियंत्रित करने तथा विश्व बैंक से ऋण मिलने से 1994-95 के दौरान देश में कोयले के उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि करने में सहायता मिलेगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने कोककर कोयले तथा अकोककर कोयले के कुछ ग्रेडों की कीमतों को विनियंत्रित करने की सिफारिश की है। यह बात महसूस की गई है कि खुले बाजार में इन किस्मों के कोयले की कीमतें उनकी नियंत्रित कीमतों की तुलना में ऊंची हैं। किन्तु खुले बाजार की कीमतों में तथा नियंत्रित कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। इन किस्मों के कोयले की कीमतों को विनियंत्रित किए जाने से कोयला कंपनियां इन्हें खुले बाजार की कीमतों पर बेच सकेंगी।

(ख) जी, हां।

(ग) यह असंभावनीय है कि 1994-95 में कोयले के उत्पादन में सुधार किए जाने के मामले में, इन दो स्वतंत्र उपायों का कोई प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

धुला हुआ कोयला

*135. श्री नीतीश कुमार :
श्री गुमानमल लोढ़ा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुले हुए कोयले की मांग इसके उत्पादन से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो देश में धुले हुए कोयले का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार को देश में कोयला-धोवनशालाएं स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में कोयला धोवनशालाओं की स्थापना में विलंब के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) देश में वर्ष 1992-93 के दौरान धुले कोककर कोयले का उत्पादन 12.16 मिलियन टन हुआ।

(ग) से (ड) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) द्वारा कोयला वाशरियों को निजी निवेशों के अंतर्गत स्थापित किए जाने के संबंध में आमंत्रित किए गए पेशकशों के प्रत्युत्तर में 42 पेशकश प्राप्त हुए हैं। कोल इंडिया लि. तथा सम्बद्ध पार्टियों के बीच हुए विचार-विमर्श और को.इं.लि. द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 21 पेशकश पूर्व-अर्हकता के रूप में थी। कोल इंडिया लि. ने "विनिर्मित-स्व-प्रचालित" व्यवस्था के अंतर्गत चार स्थलों पर कोयला वाशरियों का निर्माण शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, चार वाशरियां कोल इंडिया लि. द्वारा दो कोककर कोयले के लिए और दो अ-कोककर कोयले के लिए निर्मित की जा रही हैं।

बूढ़े व्यक्तियों के स्वास्थ्य की देखभाल

*136. **श्री रवि राय :**
श्री मोहन रावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश में बूढ़े लोगों के स्वास्थ्य को पूरी तरह से देखभाल करने के लिए एक पांच-सूत्री कार्य-योजना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा फरवरी, 1993 में "पब्लिक हेल्थ इम्पलीकेशन्स ऑफ एजिंग इन इंडिया" पर आयोजित कार्यशाला को सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ बूढ़े लोगों की परिचर्या के लिए समुदाय आधारित माडलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और विकास की बात शामिल है।

बूढ़े लोग सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

सरदार सरोवर परियोजना

*137. **श्री राम नाईक :**
डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या **जल संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रमानुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या परियोजना कार्य को पुनरीक्षा हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित "पांच सदस्यीय दल" ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) बांध का निर्माण तथा नहर शीर्ष विद्युत घर और मुख्य नहर तथा इसकी वितरणीयों का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। तथापि, ओवरसीज इकोनॉमिक कोआपरेशन फंड से सहायता के बन्द हो जाने के कारण जापान से टरबो जेनरेटर सेटों को प्राप्त करने में आयी कठिनाइयों की वजह से नदी तल विद्युत घर का निर्माण कार्य पीछे चल रहा है।

(ग) से (घ) जी, नहीं। दल ने 15 अप्रैल, 1994 तक सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समय बढ़ाने की मांग की है। सरकार इससे सहमत हो गयी है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

*138. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से सहायता प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कितनी सहायता प्राप्त की जाएगी;

(घ) क्या इस समझौते में भारत की ओर से कोई वित्तीय वचनबद्धता की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सरकार को यू.एस. एड से निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सहायता मिल रही है :

1. **स्वास्थ्य संबंधी प्राइवेट स्वैच्छिक संगठनों की योजना**

   समूचे देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट स्वैच्छिक संगठनों की स्वास्थ्य योजना का चरण-II शुरू करने के लिए 31-8-1987 को यू.एस.एड के साथ एक समझौता हुआ था। यू.एस.एड ने 100 लाख अमरीकी डालर को वचनबद्धता दी है। भारत सरकार को परियोजना प्रबंध के लिए कर्मचारियों के संबंध में 5 लाख अमरीकी डालर का अंशदान देना है।

2. जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों की सर्वेक्षण अनुसंधान क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

परियोजना की कुल लागत 33 लाख अमरीकी डालर है। परियोजना का उद्देश्य जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों सर्वेक्षण अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। भारत सरकार की ओर से जनसंख्या विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, बम्बई समन्वयक एजेंसी है।

3. जनसंख्या अनुरूपण परियोजना

इस परियोजना की लागत 400,000 अमरीकी डालर है। यह परियोजना परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान तथा जनसंख्या विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, बम्बई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

4. उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन सेवा परियोजना में नव-परिवर्तन

यह परियोजना उत्तर प्रदेश में 2250 लाख अमरीकी डालर की परियोजना लागत से क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, 1000 लाख अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा मूल्य की वस्तुएं, सेवाएं तथा प्रशिक्षण भी उपलब्ध किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य 10 वर्षों के अंत तक सकल प्रजनन दर को घटा कर 4 करना तथा दम्पति सुरक्षा दर को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है। समूची परियोजना अवधि के दौरान भारत सरकार का अंशदान 4000 लाख अमरीकी डालर के बराबर है।

[अनुवाद]

कृत्रिम रक्त

*139. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में कृत्रिम रक्त उपयोग में लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का आपातकाल के दौरान कृत्रिम रक्त को उपयोग में लाने की अनुमति कब तक देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृत्रिम रक्त को उपयोग में लाने के बारे में प्रयोग किया जा रहा है।

पेट्रोल, डीजल तथा मिटटी का तेल

*140. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की इस समय राज्यवार, कितनी मात्रा में सप्लाई की जा रही है;

(ख) वर्ष 1990-91 1991-92 और 1992-93 के दौरान इन वस्तुओं की मांग तथा सप्लाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) अप्रैल, 1993 से दिसम्बर, 1993 के दौरान पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की राज्यवार आपूर्ति की मात्रा संलग्न विवरण-1 में दर्शाई गई है।

(ख) देश में पेट्रोल और डीजल की मांग को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई पेट्रोल और डीजल की मात्रा संलग्न विवरण- II तथा III में दी गई है। मिट्टी का तेल एक आबंटित उत्पाद है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मिट्टी के तेल का आबंटन व निर्गम संलग्न विवरण IV,V तथा VI में दिया गया है।

(ग) से (ङ) पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इनकी मांग पूर्णतया पूरी की जा रही है।

राज्य सरकारों से समय-समय पर मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। वर्तमान वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यों को अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

विवरण—I

अप्रैल, 1993 से सितम्बर, 1993 तक राज्यवार खपत

राज्य/संघ राज्य	पेट्रोल सभी श्रेणियां	मिट्टी का तेल	
	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	178.80	439.41	1605.97
	37.23	189.96	249.51
बिहार	115.88	449.50	1070.86
गोवा	19.80	20.56	95.86
गुजरात	228.69	578.99	1281.02
जम्मू और कश्मीर	31.38	80.71	133.06

1	2	3	4
केरल	115.88	201.33	695.54
मध्य प्रदेश	129.00	294.31	1074.72
तमिलनाडु	194.92	498.76	1645.56
महाराष्ट्र	431.26	1125.06	2139.02
कर्नाटक	187.51	337.89	995.54
उड़ीसा	43.46	125.48	386.05
पंजाब	178.37	240.71	1138,45
राजस्थान	105.48	203.61	1167.708
उत्तर प्रदेश	264.75	714.40	2443.43
पश्चिम बंगाल	108.81	578.93	938.70
हरियाणा	91.01	115.33	807.98
हिमाचल प्रदेश	19.56	26.96	102.74
मणिपुर	6.51	15.76	14.53
मेघालय	11.22	12.12	49.55
नागालैंड	7.30	7.93	14.85
सिक्किम	2.24	4.51	4.58
त्रिपुरा	4.00	15.75	21.32
अंडमान और निकोबार	1.50	3.05	30.46
अरुणाचल प्रदेश	8.47	9.37	36.59
चंडीगढ़	27.75	116.99	33.18
दिल्ली	279.06	174.75	603.06
दादरा और नागर हवेली	11.70	2.28	12.47
दमन और दीव	11.48	3.51	3.89

1	2	3	4
लक्षद्वीप		0.19	2.22
मिजोरम	4.23	5.00	11.47
पांडिचेरी	6.73	11.03	73.26

विवरण—II
पेट्रोल की राज्यवार खपत

(आंकड़े टी.एम.टी. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	216.54	219.97	225.19
असम	56.74	53.22	52.66
बिहार	140.46	135.70	154.58
गोवा	22.32	23.67	24.87
गुजरात	276.75	283.32	276.07
जम्मू और कश्मीर	28.59	30.07	36.13
केरल	148.01	144.40	143.57
मध्य प्रदेश	165.32	168.71	164.16
तमिलनाडु	237.73	241.41	244.42
महाराष्ट्र	581.31	575.78	557.27
कर्नाटक	218.90	220.86	232.14
उड़ीसा	53.96	54.90	56.43
पंजाब	212.19	206.96	218.84
राजस्थान	126.67	130.29	135.53

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	337.30	344.59	339.61
पश्चिम बंगाल	149.61	143.54	142.24
हरियाणा	106.40	112.30	116.30
हिमाचल प्रदेश	19.97	21.76	23.18
अरुणाचल प्रदेश	7.39	8.97	10.31
मणिपुर	10.51	10.21	9.21
मेघालय	14.16	14.58	14.77
मिजोरम	6.13	5.52	5.16
नागालैंड	12.05	11.33	111.04
सिक्किम	3.16	3.08	2.88
त्रिपुरा	6.48	5.95	5.98
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार	1.98	3.21	2.19
चंडीगढ़	26.10	29.09	33.18
दिल्ली	344.05	355.79	363.38
दादरा और नागर हवेली	1.48	1.67	1.95
दमन और दीव	1.27	1.47	1.59
लक्षद्वीप	—	—	—
पांडिचेरी	9.09	8.83	8.68
संपूर्ण भारत जोड़	3542.58	3570.14	3613.47

उपर्युक्त आंकड़े वाई-2 विवरण के अनुसार हैं।

विवरण—III

डीजल की राज्यवार खपत

(आंकड़े टी.एम.टी. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1719.45	1874.69	2108.60
असम	334.20	334.40	337.48
बिहार	1237.29	1258.45	1530.28
गोवा	105.97	117.49	126.06
गुजरात	1308.72	1057.82	1558.01
जम्मू और कश्मीर	126.65	150.93	166.54
केरल	690.20	745.23	803.08
मध्य प्रदेश	1228.67	1343.77	1384.01
तमिलनाडु	2005.84	2097.27	2144.46
महाराष्ट्र	2615.10	2690.31	2808.76
कर्नाटक	1052.71	1147.96	1275.29
उड़ीसा	425.79	470.86	504.37
पंजाब	1196.88	1258.24	1314.50
राजस्थान	1171.37	1332.77	1487.35
उत्तर प्रदेश	2650.77	2978.70	3186.79
पश्चिम बंगाल	1253.01	1320.81	1423.62
हरियाणा	797.00	852.43	945.39
हिमाचल प्रदेश	102.84	114.72	121.85
अरुणाचल प्रदेश	36.25	39.16	43.45

1	2	3	4
मणिपुर	21.03	25.11	22.73
मेघालय	64.89	69.53	74.58
मिजोरम	16.81	13.60	14.58
नागालैंड	19.20	19.76	21.76
सिक्किम	3.88	5.28	6.27
त्रिपुरा	28.69	30.01	30.94
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान और निकोबार	38.67	34.43	37.29
चंडीगढ़	31.97	36.58	40.20
दिल्ली	732.31	746.60	810.19
दादरा और नागर हवेली	8.27	9.32	13.15
दमन और दीव	4.31	4.33	4.76
लक्षद्वीप	3.81	3.96	3.71
पांडिचेरी	73.01	79.68	94.52
संपूर्ण भारत जोड़	21125.55	22664.60	24439.22

उपर्युक्त आंकड़े वाई-2 विवरण के अनुसार हैं।

विवरण—IV

1992-93 के दौरान निर्गमों की तुलना में मिट्टी तेल का आबंटन

राज्य के तेल का आबंटन	1992-93 के दौरान मिट्टी दौरान खपत	1992-93 के
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा	151020	151099

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	36588	35044
जम्मू और कश्मीर	68992	65238
पंजाब	319304	315673
राजस्थान	265136	259903
उत्तर प्रदेश	914410	912650
चंडीगढ़	20928	20017
दिल्ली	238540	228757
पूर्वी क्षेत्र		
असम	246696	248560
बिहार	469313	468506
मणिपुर	20664	20534
मेघालय	15196	15384
नागालैंड	10285	10725
उड़ीसा	155472	155740
सिक्किम	7404	7542
त्रिपुरा	21174	21111
पश्चिम बंगाल	733757	733114
अरुणाचल प्रदेश	9300	9425
मिजोरम	6277	6003
अंडमान निकोबार	4132	3737
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात	782480	783226
महाराष्ट्र	1482364	1493691

1	2	3
गोवा	27132	26385
दमन और दीव	2944	2829
दादरा और नागर हवेली	3108	3067
मध्य प्रदेश	302066	380072
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	585480	582287
कर्नाटक	451100	457376
केरल	265008	264806
तमिलनाडु	655344	656110
पांडिचेरी	14580	14223
लक्षद्वीप	876	0
संपूर्ण भारत जोड़	8367070	8352834

विवरण-V

1991-92 के दौरान मिट्टी तेल का आबंटन

राज्य	1991-92 के दौरान मिट्टी के तेल का आबंटन	1991-92 के दौरान खपत
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा	150777	150343
हिमाचल प्रदेश	35095	35179
जम्मू और कश्मीर	66567	65720
पंजाब	318794	316820
राजस्थान	264758	260795

1	2	3
उत्तर प्रदेश	905891	909970
चंडीगढ़	20113	191188
दिल्ली	238171	230830
पूर्वी क्षेत्र		
असम	239339	240945
बिहार	468617	467679
मणिपुर	19442	19614
मेघालय	15172	15177
नागालैंड	9724	9761
उड़ीसा	151344	154533
सिक्किम	5938	6414
त्रिपुरा	19264	19387
पश्चिम बंगाल	716611	718103
अरुणाचल प्रदेश	8890	8893
मिजोरम	5744	6179
अंडमान और निकोबार	3568	3557
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात	780927	783078
महाराष्ट्र	1480045	1478644
गोवा	26494	26701
दमन और दीव	2938	2831
दादरा और नागर हवेली	3008	3020
मध्य प्रदेश	380502	374199

1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	563921	564934
कर्नाटक	430195	440009
केरल	257223	254675
तमिलनाडु	640000	637247
पांडिचेरी	13638	13578
लक्षद्वीप	873	192
संपूर्ण भारत जोड़	8243583	8238111

विवरण-VI

1990-91 के दौरान निर्गमों की तुलना में मिट्टी तेल का आबंटन

राज्य	1990-91 के दौरान मिट्टी के तेल का आबंटन	1990-91 के दौरान खपत
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा	152631	152430
हिमाचल प्रदेश	36654	34188
जम्मू और कश्मीर	67611	81104
पंजाब	324769	327956
राजस्थान	268636	272596
उत्तर प्रदेश	912026	917031
चंडीगढ़	20920	24423
दिल्ली	240106	232217

1	2	3
पूर्वी क्षेत्र		
असम	247987	258927
बिहार	469753	468521
मणिपुर	20760	20503
मेघालय	15391	15706
नागालैंड	10205	10217
उड़ीसा	155951	156508
सिक्किम	10120	5439
त्रिपुरा	20793	20827
पश्चिम बंगाल	740675	751567
अरुणाचल प्रदेश	10876	11299
मिजोरम	7198	9483.
अंडमान और निकोबार	2539	3975
पश्चिम क्षेत्र		
गुजरात	781245	777263
महाराष्ट्र	1485776	1494044
गोआ	27209	30682
दीव/दमन/दादरा और नागर हवेली	6057	104.34
मध्य प्रदेश	382609	379707
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	586215	575505
कर्नाटक	444582	439519
केरल	265075	261515

1	2	3
तमिलनाडु	656305	656128
पांडिचेरी	14581	14662
लक्षद्वीप	875	351
संपूर्ण भारत जोड़	8386130	8414727

भारत-म्यांमार सीमा

1301. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-म्यांमार सीमा पर स्तम्भ सं. 64,65 तथा 67 को म्यांमार के कुछ लोगों ने हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लोगों ने भारत की लगभग 6 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भी कब्जा कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार उपरोक्त भूमि को उनके कब्जे से वापस लेने और भविष्य में ऐस;घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है;

(ङ) क्या इन मामलों पर म्यांमार की सरकार के साथ चर्चा की गयी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में म्यांमार की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एस. सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

"यूनिसेफ" की सहायता से चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम

1302. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "यूनिसेफ" की सहायता से कार्यान्वित किए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या उपलब्धियां रहीं; और

(ग) इस संबंध में आठवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित शिशु जीवन रक्षा तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे कुष्ठ मलेरिया तथा काला बाजार नियंत्रण कार्यक्रम को यूनिसेफ द्वारा सहायता दी जाती है।

(ख) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) आठवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य शिशु मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्मों पर 70 तक कम करना है तथा वेक्सीन उपचार किए जाने वाले रोगों के लिए शतप्रतिशत कवरेज देना है।

विवरण

लाभार्थियों के मामले में रखे गए लक्ष्य तथा कवरेज

(आंकड़े दस लाख में)

वर्ष	शिशुओं की संख्या	लाभार्थी गर्भवती महिलाओं के लक्ष्य	सूचित कार्यनिष्पादन				
			डी.पी.टी. 3	ओ.पी.वी. 3	बी.सी.जी.	एम.एस.	टी. 2 एल.टी
1990-91	22.3	25.3	22.5	22.7	23.0	20.3	20.1
1991-92	23.3	26.1	21.2	21.3	21.7	19.9	20.3
1992-93	24.3	27.0	21.9	22.1	23.4	20.8	21.4

टिप्पण : 1992-93 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

थैलासीमिया का उपचार

1303. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थैलासीमिया के कारणों और उपचार के संबंध में कोई अध्ययन अथवा अनुसंधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई जागरूकता अभियान चलाया गया है अथवा चलाने का विचार है;

(घ) क्या थैलासीमिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शामिल किया जा रहा है और सभी राज्यों तथा प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा इसे प्राथमिकता के रूप में लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका मुकाबला किस प्रकार करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) इस अनुसंधान के परिणाम का यह निष्कर्ष निकला है कि यह ग्लोबिन चेन्स (होमोग्लोबिन के प्रोटीन संघटक) के कम होने अथवा उसके न होने के कारण होता है। इसके अतिरिक्त बा-थैलासीमिया गंभीर प्रकार का रक्ताल्पता है। इससे नैदानिक उपचार में भी सुधार हुआ है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो को, रक्त से संबंधित समस्याओं सहित विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का कार्य भी सौंपा जाता है।

(घ) और (ङ) यद्यपि थैलासीमिया को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है लेकिन अन्य रोगों और स्वास्थ्य समस्याओं के साथ इसका उपचार किया जाता है।

सरसों का मिलावटी तेल

1304. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरसों के मिलावटी तेल तथा अन्य मिलावटी खाद्य तेलों से कैंसर रोग हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरसों के मिलावटी तैल तथा अन्य मिलावटी तेलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं/किये जायेंगे;

(घ) दिल्ली में थोक बाजारों, निर्माताओं तथा सुपर बाजार/केन्द्रीय भंडार से स्रोत पर से ही कितने नमूने उठाये गये;

(ङ) गत वर्ष के दौरान कितने नमूनों में मिलावट पायी गयी; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) यह इस बात पर निर्भर करता है कि अशुद्धता अथवा अपमिश्रक किस प्रकार का है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और फुटकर विक्रेताओं से नियमित रूप से खाद्य तेलों के नमूने लेने के लिए बार-बार कहा गया है।

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में विभिन्न खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं से सरसों के तेल और अन्य खाद्य तेलों के 149 नमूने लिए गए।

(ङ) एक नमूना अपमिश्रित पाया गया।

(च) अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया गया है।

तेल की खोज संबंधी कार्य

1305. **डा. सुधीर राय :**
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा अपरिष्कृत तेल और गैस की खोज संबंधी कार्यों में तेजी से गिरावट आयी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान ड्रिलिंग मीटरेज तथा खोदे गए कुओं की संख्या के संदर्भ में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड का कार्यनिष्पादन निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तेल और प्राकृतिक गैस की खोज संबंधी कार्यों में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस कारपोरेशन/आयल इंडिया लि. ने 1.217 मिलियन मीटर के मीटरेज लक्ष्य के प्रति वास्तविक रूप में 1.221 मिलियन मीटर खुदाई की है। इसी प्रकार 456 कूपों के लक्ष्य के प्रति निष्पादन 481 कूपों से संबंधित रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम

1306. **डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को वांछित सफलता मिली है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ग) स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सरकार की भावी योजना क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) स्वास्थ्य कार्यक्रमों में काफी सफलता मिली है जो कि शिशु मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर में कमी तथा जीवन प्रत्याशा

में वृद्धि होने से स्पष्ट है। आठवीं योजना में ग्रामीण स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और संचारी और असंचारी रोगों के नियंत्रण के लिए व्यापक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम शामिल हैं।

नेफ्था जारी करना

1307. **श्री राम कापसे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल विकल्प "पेटरेक्स" के निर्माण हेतु 200,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष नेफ्था देने के संबंध में जुलाई, 1992 से दिसम्बर, 1992 के अन्त तक विभिन्न कंपनियों से कितने अभयावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) मैसर्स शेषा मार्केटिंग, बम्बई द्वारा विपणन किए जा रहे "पैट्रेक्स" के विनिर्माण के लिए नेफ्था के आबंटन के लिए 1992 में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस उत्पाद का परीक्षण किया जा चुका था। चूंकि किए गए परीक्षणों से उक्त पार्टी द्वारा किए गए दावे खरे नहीं उतरे, इसलिए नेफ्था के आबंटन के लिए उस आवेदन को स्वीकृति नहीं दी गई।

जल का कृत्रिम पुनःपूरण

1308. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्न जल स्तर वाले क्षेत्रों में जल के कृत्रिम पुनःपूरण हेतु स्वीकृति और वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने असमोली प्रखंड (जिला-मुरादाबाद) नकुड गंगोह प्रखंड (जिला-सहारनपुर), फतेहपुर सीकरी (जिला-आगरा), बिसोली प्रखंड (जिला-बदायूं) और चिरगांव प्रखंड (जिला-झांसी) में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण पर अन्वेषणात्मक प्रायोगिक अध्ययन करने के लिए अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता के वास्ते सरकार को लिखा है। प्रायोगिक अध्ययनों का अनुमानित लागत 50 लाख रुपए है।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाएं

1309. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को चंकी नाला, अमरजा और लोअर मुल्ला माड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) कर्नाटक की चुल्की नाला, अमरजा और लोअर मुल्लामारी सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें क्रमशः 4047 हेक्टेयर, 8903 हेक्टेयर और 11340 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, को क्रमशः 379.76 लाख रुपए, 570.00 लाख रुपए और 836.60 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर फरवरी, 1977, मार्च, 1978 तथा जनवरी, 1979 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दंगों से प्रभावित बच्चे

1310. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान बेघर और अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा हेतु कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) एक राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, साम्प्रदायिक दंगों में प्रभावित बच्चों की सहायता देना है। प्रतिष्ठान ने साम्प्रदायिक दंगों में प्रभावित हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए एक योजना तैयार की है, जिसमें उनके रख-रखाव, शिक्षा और प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। ऐसा कोई भी बच्चा जो दिनांक 24-7-1991 के बाद हुई साम्प्रदायिक हिंसा के कारण बेसहारा हुआ हो, इस योजना के तहत सहायता का पात्र है। "क" और "ख" श्रेणी के शहरों में सहायता की दर 425 रु. प्रतिमाह प्रति बच्चा तथा अन्य स्थानों में यह दर 375 रुपया प्रतिमाह बच्चा है। प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक राहत प्रदान की जाती है, तथा विशेष मामलों में 21 वर्ष की आयु तक इसके अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य रख-रखाव, और मनोरंजन शामिल हैं। सामान्य शिक्षा के अलावा व्यवसायिक शिक्षा, दस्तकारी, प्रशिक्षण, इत्यादि के लिए भी सहायता दी जा सकती है। इसका उद्देश्य है कि 18 वर्ष की आयु तक एक बच्चा कुछ कौशल प्राप्त कर लेता है, जिससे वह अपनी आजीविका अर्जित कर सकता है।

(ग) अब तक, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्यों में 762 बच्चों को सहायता दी गई है। 19,91,850 रुपया की राशि जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से जारी की गई है।

[अनुवाद]

कोयला कम्पनी के लिए मानव अनुसंधान विकास

1311. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक कोयला कम्पनी के लिए मानव अनुसंधान विकास पर कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के अन्तर्गत श्रमिकों और निरीक्षकों को दिये गए प्रशिक्षण का मूल्यांकन करने हेतु प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा प्रतिवर्ष किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास (मा.सं.वि.) पर कार्य योजना प्रत्येक कम्पनी के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षित किये जाने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करते हुए प्रत्येक वर्ष कोल इंडिया लि. द्वारा तैयार की जाती है।

(ग) और (घ) प्रत्येक कोयला कम्पनी के महाप्रबंधक (मा.सं.वि.) के रूप से अपनी कम्पनी में कार्यरत, कामगारों तथा पर्यक्षकों के प्रशिक्षण की नियमित रूप में समीक्षा करते हैं। मानव संसाधन विकास के लिए नीतियां, रणनीतियां तथा कार्य योजना का कोयला कम्पनियों के महाप्रबंधक (मानव संसाधन विकास) के साथ हुई समीक्षात्मक बैठकों की को.इं.लि. के मुख्यालय की बैठकों में समीक्षा की जाती है। प्रत्येक कम्पनी की भावी कार्य योजना के आधार पर इनकी पुनरीक्षा की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान 26,259 अधिकारी, 19429 पर्यवेक्षक तथा 59766 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

कोलेस्ट्रोल रहित मारगरीन

1312. **डा. आर. मल्लू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में विभिन्न ब्रांड नामों से बेची जाने वाली कई प्रकार की मारगरीन मक्खन तथा पनीर की तुलना में कोलेस्ट्रोल रहित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय डेरी संघ ने यह दावा किया है कि प्रति 100 मारगरीन में 65 ग्राम मिलीग्राम कोलेस्ट्रोल होता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सही स्थिति क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) वनस्पति तेलों से तैयार किया गया मारगरीन कोलेस्ट्रोल रहित माना जाता है जबकि मक्खन और पनीर में कोलेस्ट्रोल होता है।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अन्तर्गत मारगरीन के लिए वनस्पति तेल तैयार करने में पशुओं की चर्बी मिलाने की अनुमति नहीं है। भारतीय डेरी संघ ने उत्पाद को विनिर्दिष्ट नहीं किया है और इसलिए कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

(ङ) सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अन्तर्गत निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार मारगरीन सहित सभी खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच कर रही है।

फाइलेरिया नियंत्रण

1314. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में फाइलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है; और

(ख) सरकार ने केरल में इस बीमारी पर नियत्रण पाने और चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) वर्ष 1992 के दौरान, केरल में जांचे गए 1.01 लाख रोगियों में से 1300 रोगी फाइलेरिया से संक्रमित पाए गए।

(ख) लार्वा-रोधी और जैव-पर्यावरणिक उपायों के माध्यम से मच्छर के प्रजनन पर नियंत्रण करने और रोग का पता लगाने तथा उपचार करने हेतु नियंत्रण एककों और क्लीनिकों की स्थापना करने सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

पुलिसकर्मी

1315. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी की तीव्र आलोचना की है :

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं :

(ग) ऐसे प्रत्येक मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली के पुलिस कार्मिकों की आलोचना किए जाने के बारे में उन्हें हाल ही में कोई निर्देश/आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि 24-1-1994 को न्यायालय के अहाते में एक नजरबंदी को पीटने और लात मारने से संबंधित एक घटना में केन्द्रीय जांच ब्यूरो और उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं। न्यायालय की अवमानना करने के लिए 6 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक को फटकार सुनायी है

और उन्हें सावधान किया है कि वे न्यायालयों के मामलों में उचित व्यवहार अपनाएं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो के दो निरीक्षकों को, जिन्हें नजरबंदी को उपस्थित करने का कार्य सौंपा गया था दोषी करार दिया गया और उन पर प्रत्येक पर 1000 रुपया का जुर्माना किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक हैड कांस्टेबल और दो कांस्टेबलों को दोषी करार दिया गया और उन्हें एक महीने साधारण जेल और प्रत्येक को 1000 रुपया जुर्माना देने की सजा भी दी गयी।

(घ) यह दोहराने के लिए राज्य सरकारों को यह निर्देश और मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गये हैं कि भर्ती करते समय उनकी उपयुक्त स्क्रीनिंग की जाय और रंगरूटों को न्यायालायों की महत्ता के प्रति सुग्राही बनाने के लिए उन्हें बाद में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए।

[हिन्दी]

कोयले की बिक्री

1316. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि. के विभिन्न एककों द्वारा एल.एस.एस. योजना के अंतर्गत 15 फरवरी, 1994 तक औद्योगिक समूहों और अलग-अलग एककों को बेचने के लिए अनुबंधित कोयले की श्रेणीवार और खानवार मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) 15 फरवरी, 1994 तक सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा कितनी है और अभी कितना कोयला सप्लाई किया जाना है; और

(ग) 15 फरवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार शुद्ध कोयले की श्रेणीवार और खानवार वर्तमान भंडार कितना है ?

कोयला मंत्रालय के मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) 15 फरवरी, 1994 तक एल.एस.एस. उदारीकृत बिक्री योजना के अंतर्गत कंपनी-वार तथा कोलियरी/स्रोतवार बुक किए गए आर्डर, आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा तथा शेष आपूर्ति की जाने वाली मात्रा तथा कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन कोलियरी/स्रोतों में पड़े स्टाक के संबंध में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(हजार टन में)

कोलियरी/स्रोत	बुक की गई मात्रा	कोयले का ग्रेड	आपूर्ति की गई मात्रा	आपूर्ति की जाने वाली शेष मात्रा	अद्यतन स्टाक की स्थिति
1	2	3	4	5	6
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.)					
1. बंकरटोला	24.50	सी	24.50	शून्य	10.00

1	2	3	4	5	6
2. जोरेकुरी/पलासथली	97.50	बी	91.50	शून्य	17.00
3. गंगारामचक	63.70	सी	63.70	शून्य	57.00
4. चित्रा	104.00	ए/बी/सी	1040.00	शून्य	507.00
5. राजमहल*	195.00	डी	195.00	शून्य	3093.00
6. सिमलोंग	60.00	ई	60.00	शून्य	103.00
7. दालुरबंद ओ.का.** (पुराना स्टाक)	42.00	एफ/जी	42.00	शून्य	–

* कुल स्टाक में से 1375.00 जीरो कीमत स्टाक
** वर्ष 1992 में एल.एस.एस. से वापस ले लिया गया

भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.)

1	2	3	4	5	6
1. दमोदा एस.एस.वाई.	175.00	डब्लू-3	163.40	12.40	8.52
2. मुरईडीह एस.एस.वाई.	53.90	डब्लू-3/4	47.50	3.60	494.78
3. जमुनिया एस.एस.वाई.	43.90	-वही-	41.20	2.10	171.50
4. बेनीडीह एस.एस.वाई.	69.50	डब्लू-3	62.70	6.30	109.93
5. अकाशकिनारी एस.एस.वाई.	90.00	डब्लू-4/डी	85.00	3.80	34.10
6. कटरास एस.एस.वाई.	793.00	डब्लू-4	779.40	20.40	15.43
7. सेतूलमारी एस.एस.वाई.	193.80	डब्लू-4	196.10	-	-
8. ईस्ट बसुरिया एस.एस.वाई.	314.30	सी	307.20	5.60	3.36
9. अलकाडीह एस.एस.वाई.	676.00	डब्लू-3/सी/डी/ई	679.00	-	157.43
10. बेरा सी.एच.पी. एस.एस.वाई.	6.10	डब्लू-2	1.00	-	-
11. रामकृष्ण एस.एस.वाई.	510.10	सी.	513.70	4.60	112.06
12. ऐना कोलियरी (एल.एल.वी.)	292.60	डब्लू-3	266.90	22.80	841.74
13. अलकुसा कोलियरी (एल.एल.वी.)	0.80	डब्लू-3	-	-	175.00
14. कुसटोरे कोलियरी (एल.एल.वी.)	47.50	डब्लू-3	47.30	0.20	261.03

1	2	3	4	5	6
15. दामागोरिया कोलियरी (एस.एल.वी.)	194.20	सी/डी	193.90	0.10	876.86
16. मूनीडीह रिजेक्ट	98.01	जी	96.10	4.70	887.53
17. धनसर एस.एस.वाई.	29.10	डब्लू-3	26.20	2.80	-
18. गाविंदपुर ब्लाक-4 एस.एस.वाई.	527.30	डब्लू-4	508.10	38.70	76.47
19. जोगीडीह कोलियरी	21.00	डब्लू-4/ई	16.80	-	-
20. पश्चिमी मूनीडीह एस.एस.वाई.	99.70	डब्लू-4	96.30	3.40	-
21. नार्थ तिसरा कोलियरी	271.30	डी	240.40	30.90	191.89
22. कुया एस.एस.वाई.	64.80	सी/डी	58.10	6.80	156.00
23. नुदखुरकी कोलियरी	3.00	डब्लू-3/4	-	-	6.71
24. बरोरा बाशरी रिजेक्ट्स	3.60	जी	3.60	-	307.76
25. जमूनिया ओ.का.प.	10.60	डब्लू-3/4	-	-	-
26. नुदखुरकी एसएसवाई	22.60	-वही-	27.20	0.60	-
महानदी कोलफील्ड्स लि. (म.को.लि.)					
1. लिंगाराज	143.00	एफ	141.00	2.00	157.00 (1-2-94 की स्थिति के अनु.)
2. साउथ बालंडा	121.00	सी/डी	126.00	-	135.00 (-वही-)
3. अनंता/हदियादुआ एस.एस.वाई.	1083.00	एफ	1039.70	43.30	154.00 (-वही-)
4. जगन्नाथ	4.00	एफ	4.00	-	155.00 (-वही-)
5. तलचर	16.00	ए	15.70	0.30	94.00 (-वही-)

1	2	3	4	5	6
6. देउलबेरा	23.00	ए	23.00	-	52.00 (1-2-94 के अनुसार)
7. ओरिएंट	18.00	बी/सी	18.00	-	37.00 (-वही-)
8. एच.आर.सा./ एच.बी.-1	29.20	डी	29.20	-	59.00 (-वही-)
9. बेलपहाड़	250.00	एफ	250.00	-	652.00 (-वही-)
10. लिलारी	83.00	एफ	82.00	1.00	205.00 (-वही-)
11. कलिंगा	6.00	एफ	4.00	2.00	336.00 (-वही-)
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (सा.ई.को.लि.)					
1. दमनारा/बारौद	24.25	डी	24.04	0.21	63.30 (-वही-)
2. कटकोना	5.83	डी	5.63	0.20	8.70 (-वही-)
3. उमरिया	52.01	सी/डी	41.23	10.78	37.20 (-वही-)
4. दीपिका	82.20	ई/एफ	76.96	5.24	824.00 (-वही-)
5. धनपुरी	356.42	डी	329.58	26.84	43.30 (-वही-)
6. शारदा	31.58	ई	31.58	-	31.30 (-वही-)
7. डोला	148.61	डी	142.67	5.94	109.20 (-वही-)
8. गेवरा	189.35	ई/एफ	16960	19.75	1189.00 (-वही-)
9. भद्रा	10.00	बी	8.07	1.93	12.70 (-वही-)

1	2	3	4	5	6
10. विश्रामपुर ओका	104.36	बी/सी	75.47	28.89	86.10 (-वही-)
11. कुरसिया	12.01	बी/सी	9.58	2.43	49.00 (-वही-)
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.)					
1. अरगदा	61.00	सी	53.37	-	23.00
2. गिरीडीह	311.92	डी	280.30	27.91	307.00
3. लपंगा	175.00	बी	146.61	13.92	152.00
4. अमलोह/धोरी/ सेल धोरी	489.11	डब्लू-3	383.20	102.72	997.00
5. पिपरवार	164.90	ई	58.08	95.35	174.00
6. कारोकारगली	307.85	ई	239.74	38.47	54.00
7. कारो स्पे. प्रोजेक्ट	174.00	डी	177.18	-	34.00
8. राजहरा	63.59	डी	49.83	14.67	44.00
9. उपभो. बिक्री केन्द्र बेहरा	66.23	डब्लू-3	53.37	15.52	-
10. उपभोक्ता बिक्री केन्द्र, बेल्येरवा	4.17	ई	2.49	0.67	-
11. चुरी	8.82	बी	8.39	0.43	81.00
12. गिडी-सी	10.30	बी	18.30	-	51.00
13. जारगडीह	248.51	डब्लू-3	146.85	101.66	225.00
14. कुजु/पुंडी/सुगिया	99.76	बी	64.73	35.03	648.00
15. तपिन साउथ	49.50	डब्लू-3	25.00	24.50	46.00
16. सिरका	76.13	बी	72.37	3.76	307.00
17. उरीमरी	187.05	बी	104.05	83.00	571.00
18. रेलीगोरा	277.65	बी	144.28	133.37	335.00
19. भुरकुंडा हथीदारी	21.00	ए/बी	13.82	7.13	131.00

1	2	3	4	5	6
20. भुरकुंडा संगम	54.00	ए	38.40	15.60	-
21. झारखंड	43.76	डब्लू-2	42.36	1.39	41.00
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ना.को.लि.)					
1. तिरप/नामः जयपुरी/तिमांग	238.00	16% 17% राख	236.00	2.00	679.00 (1-2-94 के अनुसार)
2. दानकुनी कोयला परिसर	144.62	कोल फाइन	142.58	1.83	13.77
	16.61	कोक फाइन	16.62	0.23	10.78
	75.46	को.इं.लि. कोक	76.36	1.57	49.57

टिप्पणियां :

1. 15-2-1994 तक स्टाक की स्थिति जब तक अन्यथा दर्शायी न जाए।

2. कुछ मामलों में बुक की गई मात्रा सही रूप से प्रेषण तथा शेष के साथ मेल नहीं खायेगी क्योंकि प्रत्येक आर्डर लदे हुए ट्रकों की संख्या के अनुरूप होगा तथा यथा प्रक्रिया के अनुसार, जब कभी भी शेष मात्रा लदे हुए ट्रक से कम होती है तब आर्डर को एर्क पूरा लदा ट्रक देकर पूरा किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्रेषण मात्रा बुक की गई मात्रा से अधिक हो सकती है। किन्तु, वास्तविक प्रेषण की गई मात्रा के लिए पूरा पैसा लिया जाता है।

3. एल.एस.एस. के अंतर्गत बुक किया गया समस्त कोयले में छोटे व्यापारी थोक बिक्री व्यापारी तथा एल.एस.एस. योजना का अन्य श्रेणियों की बुकिंग भी शामिल है।

4. प्रयोग किए गए शब्द संक्षेप-एलएसएस (उदारीकृत बिक्री योजना) एसएसवाई (सैटेलाइट स्टाकयार्ड), ओकाप (ओपेन्नकास्ट परियोजना), ओ.का. (ओपेनकास्ट), एसएलवी (स्पेशल लो वोलाटाइल)

[अनवाद]

भारतीय तेल निगम और अमरीकी कम्पनी का संयुक्त उद्यम

1317. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम और अमरीका की मोबिल पेट्रोलियम कम्पनी ने हाल ही में लुब्रिकेन्टों के लिए मिश्रण तैयार करने तथा वितरण करने हेतु एक संयुक्त उद्यम लगाने के लिए समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त उद्यम कम्पनी का भारत में किसी स्थान पर मिश्रण संयंत्र (ब्लैंडिंग प्लांट) स्थापित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उनके स्थान, उस पर सन्निहित व्यय, उसकी क्षमता, मिश्रण तैयार करने की प्रौद्योगिकी, संयंत्र को पूरा करने की अवधि, विपणन का तरीका आदि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संयुक्त उद्यम के नये उत्पाद का कब तक विपणन किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) मोबिल ब्रान्ड स्नेहकों के निर्माण व विपणन के लिए भारत में एक संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना हेतु इंडियन आयल कारपोरेशन लि. और मोबिल इंटरनेशनल पेट्रोलियम इंक, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है। बंबई, मद्रास और कलकत्ता में आई.ओ.सी. के विद्यमान मिश्रण संयंत्रों में स्नेहकों के मिश्रण के अतिरिक्त संयुक्त उद्यम कम्पनी अत्याधुनिक प्रौद्यिगिकी का प्रयोग करते हुए 47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर असोती, हरियाणा में 10 1,50,000 मी. टन क्षमता वाले मिश्रण संयंत्र की स्थापना करेगी। 1996 के मध्य तक संयंत्र के आरम्भ हो जाने की सम्भावना है।

मई, 1994 तक संयुक्त उद्यम उत्पाद के विपणन किये जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

घटिया शिशु आहार

1318. **श्री देवी बक्स सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिशु आहार और पेय पदार्थों की नियमित रूप से गुणवत्ता जांच करती है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान बाजार में घटिया शिशु आहार बेचे जाने की कितने मामलों का पता चला है; और

(ग) दोषी पायी गई कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकारानंद) : (क) राज्य खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा शिशु आहारों और पेय पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जाती है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को धन

1319. **श्री भीम सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान अमृत धारा योजना, जीवन धारा और लघु सिंचाई योजना शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश को कितनी राशि का नियतन किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को पर्याप्त धनराशि प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) वर्ष 1991-92, 1992-93 के दौरान अमृत धारा, जीवन धारा, और लघुसिंचाई योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को आबंटित की गई निधियां क्रमशः 59.56 करोड़ रुपए, 67.31 करोड़ रुपए तथा 93.59 करोड़ रुपए थी।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

1320. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या जल संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान नर्मदा घाटी में विवादित सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में हो रहे उल्लंघनों पर नियंत्रण पाने में विफलता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी पेनल द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में प्रेस की रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरदार सरोवर परियोजना के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं। संबंधित राज्य सरकारों ने परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को उससे भी अधिक उदार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पैकेज प्रस्तुत किए हैं, ताकि उनके जीवन स्तर और जीवन कोटि में सुधार किया जा सके। आदिवासियों को पुनः बसाना सार्वजनिक उद्देश्य और राष्ट्र के आर्थिक विकास के हित में पूर्णतया न्यायोचित है। विकास में मानव के मूल अधिकारों की पूर्ति करने के वास्ते जल संसाधन विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसलिए सरदार सरोवर परियोजना में मानव अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। पुलिस ज्यादतियों और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को बल पूर्वक निकालने का आरोप लगाकर भारत तथा विदेशों दोनों में लोगों को गुमराह करने के प्रयास किए गए थे। अब तक हुई अनेक घटनाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के बीच गलत धारणाओं को दूर करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशन के माध्यम से वास्तविक स्थिति का व्यापक प्रचार किया गया है।

तमिलनाडु में "पालना योजना" के अन्तर्गत हुई मौतें

1321. **श्री के. राममूर्ति टिंडिवनाम : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु सरकार की "पालना योजना" के अन्तर्गत पल रहे कई बच्चों की मौत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बच्चों की मौत के कारणों का पता लगाया है ?

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है/की जायेगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां। तमिलनाडु सरकार ने परित्यक्त बालिकाओं के देखभाल के लिए सलेम जिले में बालिका शिशु मृत्यु की कुप्रथा को हटाने के लिए एक अभियान चलाया है। इस योजना के अंतर्गत सेलेम जिले में सरकार अस्पतालों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तमिलनाडु समेकित पोषाहार परियोजना तथा मध्याह्न भोजन केन्द्रों को पालने प्रदान किए गए हैं। अब तक (4-2-1994) 86 शिशु प्राप्त किए गए हैं। राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि प्राप्त 86 शिशुओं में से 17 की मृत्यु जन्म के समय कम वजन तथा अन्य संक्रमणों और प्रसव कुप्रथा के कारण हुई है।

(ख) और (ग) जी, हां। राज्य सरकार ने पालने में छोड़े गए शिशुओं की मृत्यु के निम्नलिखित कारणों का पता लगाया है :

(1) एम्बलीकल कार्ड संक्रमण।

(2) जन्म के समय कम वजन तथा खून की कमी।

पालने में छोड़े गए शिशुओं की मृत्यु सामान्य तौर पर एम्बलीकरण संक्रमण के कारण हुए थे। ऐसे बच्चे भी देखे गए हैं जिनको वमन तथा पतले हस्त होते हैं जिनपर किसी एन्टी-बायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता। वे दूध अथवा दूध से बने किसी पदार्थ को हजम करने में भी असमर्थ होते हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) ऐसे बच्चों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं एवं प्रशिक्षित आयाओं द्वारा ऐसे बच्चों की अत्यधिक देखभाल की जाती है।

(2) इस योजना में यह देखने के लिए कि बच्चों की देखभाल करने वाले स्टाफ द्वारा कोई लापरवाही न हो, इसकी प्रभावी मॉनीटरिंग की जा रही है।

(3) आपातकालीन मामलों में चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल जांच करता है।

(4) राज्य सरकार ने बालिकाओं की सुरक्षा, उन्हें राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की है।

(5) इस योजना में शामिल की गई बालिकाओं को, अंतः देशीय उत्तकग्रहण में स्थापन करने के लिए विख्यात गैर-सरकारी संगठनों को सौंप दिया जाता है।

(6) राज्य सरकार ने बालिका मृत्यु के विरुद्ध पूरे पैमाने पर एक अभियान भी शुरू किया है।

[हिन्दी]

1322. **श्री बलराज पासी :**
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को भेजे जाने वाले कोयले के वैगनों से रास्ते में ही कोयला चोरी कर लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) कोयला कंपनियों द्वारा कोलियरी से रेल तक निःशुल्क (एफ.ओ.आर.) के आधार पर कोयले की आपूर्ति की जाती है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को भेजे जाने वाले कोयले की रास्ते में चोरी होने के संबंध में कोयला कंपनियों के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। रेलवे मंत्रालय, जिससे परामर्श किया गया था, ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को भेजे जाने वाले कोयले की चोरी होने के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल के पास कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

किन्तु कोयले के लदान के समय तोल के संबंध में कोयला कंपनियों ने सुदृढ़ व्यवस्था की है। कोयला कंपनियों द्वारा वे-ब्रिजों की अधिकतम उपयोगिता तथा उपलब्ध वे-ब्रिजों की उपयोगिता एव उपयोग की सुनिश्चित करने का कोयला कंपनियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि रेल से भेजे जाने वाला अधिकांश कोयला केवल तोल के पश्चात ही भेजा जा सके। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सहित कोयला उपभोक्ता लदान/तोल स्थल पर कोयले के लदान तथा तोल की जांच किए जाने के लिए अपने प्रतिनिधि तैनात कर सकते है।

भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण

1323. **श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को म्यांमार (बर्मा) में रह रहे भारतीय मूल के उन व्यक्तियों से भारतीय नागरिकता के पंजीकरण हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिन्हें वहां की नागरिकता नहीं मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) म्यांमार में, भारतीय नागरिकता के लिए, भारतीय मूल के व्यक्तियों के पंजीकरण के बारे में अभी तक सरकार के ध्यान में कोई अभ्यावेदन नहीं लाया गया है।

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस व्यवस्था

1325. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाहर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सुबह के समय पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम

1326. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों की अनुपलब्धता, अपर्याप्त प्रसव सुविधाओं और चिकित्सकों/चिकित्सा अधिकारियों की कमी के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों में सुधार के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जनांकिकीय दृष्टि से कमजोर 90 जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधा कमियों के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला कि कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पानी की सप्लाई, बिजली, निगरानी पंलगों, प्रसव कक्षों तथा आपरेशन थिएटरों और कर्मचारियों की कमी थी।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। वित्तीय संसाधन पर्याप्त न होना, आधारभूत ढांचा पर्याप्त न होना तथा कर्मचारियों क्रे अनुपस्थिति इसके कुछ कारण हैं।

(घ) (1) राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे दवाइयों की समय पर सप्लाई तथा चिकित्सा तथा परा-चिकित्सा कर्मचारियों के रिक्त पद भरना सुनिश्चित करें।

(2) सामाजिक सुरक्षा नेट योजना के अंतर्गत मातृ परिचर्या सुविधाओं में सुधार लाने के लिए जनांकिकीय दृष्टि से कमजोर 90 जिलों में से प्रत्येक जिले के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 10 लाख रुपये की दर से राशि उपलब्ध की गई है। योजना के अंतर्गत इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं :

(क) ·र्णरूप से सुसज्जित आपरेशन थियेटर;

(ख) एक निगरानी वार्ड जिसमें छह पलंगों की व्यवस्था हो;

(ग) दो स्टाफ क्वार्टर, एक महिला स्वास्थ्य विजीटर के लिए तथा दूसरा सहायका नर्स मिडवाइफ के लिए;

(घ) 30,000 की आबादी वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए एक एम्बुलैंस यदि उनके पास पहले से उपलब्ध नहीं है;

(ङ) पानी की लगातार सप्लाई के लिए एक वाटर पम्प;

(च) आपरेशनों के लिए संवेदनाहरण, सर्जिकल बैंडेजिज, एंटी बायोटिक्स, आदि की व्यवस्था (एक लाख रुपये केवल पहले वर्ष के लिए)

(छ) बिजली की निर्बाध सप्लाई के लिए एक जनरेटर,

(ज) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, जन्म में अंतराल रखने के तरीकों को अपनाने तथा विशिष्ट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र विशेष सूचना शिक्षा और संचार क्रियाकलाप।

[हिन्दी]

गुजरात को स्टीम कोयला

1327. **श्री छीतू भाई गामीत** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उद्योगों के लिए कितनी मात्रा में स्टीम कोयले का आबंटन किया गया है और 1993-94 के दौरान राज्य में कोयले की कुल कितनी मांग है;

(ख) क्या गुजरात में उद्योगों के लिए मांगे गये स्टीम कोयले की आपूर्ति उसी अवधि के दौरान कर दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं इस संबंध में क्या कदम उठाए जाएंगे ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) कोयले की आवश्यकताओं के मूल्यांकन राज्यवार नहीं किया जाता है। इसका पूरे देश के संबंध में मूल्यांकन उद्योग क्षेत्रवार किया जाता है। गुजरात के औद्योगिक उपभोक्ताओं को अधिकांशतः स्टीम कोयले संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रायोजकता के आधार पर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लि. तथा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से रेल द्वारा आपूर्ति की जाती है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से गुजरात के उद्योगों को स्टीम कोयले का आबंटन अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 की अवधि के दौरान 1.6 लाख टन

किया गया जिसमें से 1.3 लाख टन (अनन्तिम) वास्तविक रूप में प्रेषित किया गया था। इसी प्रकार अप्रैल, 1993 से फरवरी 94 की अवधि के दौरान गुजरात के उद्योगों से प्राप्त साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰ को प्राप्त 9.32 लाख टन के कार्यक्रम के एवज में इस कम्पनी से 6.27 लाख टन (अनन्तिम) का प्रेषण किया गया।

कोल इंडिया लि॰ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आपूर्ति अधिक मात्रा में की जा सकती थी किन्तु उपभोक्ताओं द्वारा रेल के कार्यक्रम को रद्द/निलम्बित किए जाने के कारण ऐसा नहीं हुआ।

रसोई गैस कनेक्शन

1328. **श्री बृशिण पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संसद सदस्य की सिफारिश पर दिए जाने वाले कनेक्शनों के मामलों में भी सम्बद्ध गैस एजेंसियो से गैस चूल्हा खरीदे बिना रसोई गैस कनेक्शन नहीं दिया जाता है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी गैस एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सरकार ने ऐसी रिपोर्टों को देखा है। तथापि क्रेता किसी भी श्रोत से हाट प्लेट खरीदने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते इस पर आई॰एस॰आई॰ निशान हो। डिस्ट्रीब्यूटरों को इस बात के स्थायी निर्देश हैं कि वे उनसे हाट प्लेट खरीदने के लिए दबाव न दें तथा उनसे यह अपेक्षित है कि वे अपने शो-रूम में इस आशय का एक नोटिस लगाएं कि ग्राहक के लिए कनेक्शन जारी करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से हाट प्लेट खरीदना अनिवार्य नहीं है। विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ उन डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है जो ऐसे कदाचार में लिप्त होते है।

झारखंड स्वायत्तशासी परिषद

1329. **श्री शिबू सोरेन :**
श्री साईमन मारान्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या झारखण्ड स्वायत्तशासी परिषद के गठन के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ध) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰एम॰ सईद) : (क) से (ध) झारखण्ड समस्या का अनौपचारिक रूप से सौहार्द पूर्ण हल ढूंढने के लिए केन्द्र सरकार ने लगातार प्रयत्न किए। विधेयक

में कुछेक संशोधनों को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार को राजी करने में असफल रहने पर, केन्द्र सरकार अब, संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के औपचारिक आदेशों के लिए झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद विधेयक 1991 पर कार्रवाई कर रही है।

[अनुवाद]

1330. **श्री के॰जी॰ शिवप्पा**
श्री वी॰ कृष्णा राव :
श्री एच॰डी॰ देवगौडा :
श्री के॰एच॰ मुनियप्पा :

क्या **जल संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय सरकार ने अपर भद्र परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि का आबटन किया है;

(ख) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर अब तक कितना व्यय किया गया

(ग) इसे कब तक पूरा किया जाएगा; और

(घ) इस परियोजना के कुल कितने भूमि क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰के॰ थुंगन) : (क) से (घ) अपर भाद्रा परियोजना तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है। इस परियोजना की योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है।

1331. **श्री राम देव राम**
श्री महेश कनोडिया :
श्री काशीराम राणा :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) राज्यवार कितने लोगों को नजरबन्द और गिरफ्तार किया गया;

(ग) राज्यवार कितने लोगों को विशेष अदालत द्वारा बरी किया गया और जमानत छोड़ा गया;

(घ) क्या सरकार का विचार आतंकवाद से कड़ाई से निपटने के लिए टाडा में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) दर्ज किए गए मामलों, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, दोष मुक्त और जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों के बारे में एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1991			
		दर्ज किए गए मामलों की संख्या (भाग—क)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या (भाग—ख)	दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या (भाग—ग)	जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	766	1750	76	1242
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	1
3.	असम	1511	3919	शून्य	2072
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	215	1514	735	1635
7.	हरियाणा	333	356	120	375
8.	हिमाचल प्रदेश	7	12	4	11
9.	जम्मू व कश्मीर	5645*	उ.न.	3*	387
10.	कर्नाटक	1	1	शून्य	शून्य
11.	महाराष्ट्र	109	191	37	24
12.	मध्य प्रदेश	16	45	शून्य	13
13.	मिजोरम	18	25	शून्य	शून्य
14.	पंजाब	2927	2636	1829	1113

1	2	3	4	5	6
15.	राजस्थान	44	97	2	3
16.	तमिलनाडु	23	113	शून्य	शून्य
17.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	185	277	8	6
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	मणिपुर	172	278	2	103

*ये आंकड़े वर्ष 1991-92 के हैं।

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1992			
		दर्ज किए गए मामलों की संख्या (भाग—क)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या (भाग—ख)	दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या (भाग—ग)	जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	578	1457	97	898
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	50	2	28
3.	असम	406	937	शून्य	1812
4.	बिहार	35	93	शून्य	75
5.	गोवा	5	4	शून्य	4
6.	गुजरात	502	2051	768	1272
7.	हरियाणा	260	343	90	263
8.	हिमाचल प्रदेश	9	12	शून्य	6
9.	जम्मू व कश्मीर	5645*	उ.न.	3*	387*
10.	कर्नाटक	18	86	शून्य	4
11.	महाराष्ट्र	175	617	63	161

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	13	56	शून्य	6
13.	मिजोरम	1	3	शून्य	6
14.	पंजाब	951	1202	1165	4607
15.	राजस्थान	24	61	19	46
16.	तमिलनाडु	3	9	शून्य	33
17.	त्रिपुरा	16	47	शून्य	2
18.	उत्तर प्रदेश	272	315	9	142
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	मणिपुर	80	153	शून्य	49

*ये आंकड़े 1991-92 के हैं।

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष 1993			
		दर्ज किए गए मामलों की संख्या (भाग—क)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या (भाग—ख)	दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या (भाग—ग)	जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश**	241	420	25	199
2.	अरुणाचल प्रदेश***	शून्य	शून्य	शून्य	1
3.	असम•	394	903	शून्य	600
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात•	217	2902	1295	4037
7.	हरियाणा	109	121	23	93
8.	हिमाचल प्रदेश	12	9	शून्य	4

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू एवं कश्मीर***	650	84	शून्य	65
10.	कर्नाटक•	17	169	शून्य	28
11.	महाराष्ट्र***	55	634	8	81
12.	मध्य प्रदेश•	17	49	28	5
13.	मिजोरम•	1	1	शून्य	3
14.	पंजाब**	725	540	391	99
15.	राजस्थान•	10	15	शून्य	1
16.	तमिलनाडु•	9	60	शून्य	1
17.	त्रिपुरा•	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश•	100	153	2	54
19.	पश्चिम बंगाल•	1	6	शून्य	6*
20.	मणिपुर•	91	166	शून्य	62

•9/93 तक के आंकड़े

**6/93 तक के आंकड़े

***3/93 तक के आंकड़े

*छोड़ दिए गए।

वर्ष 1994 के लिए वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह सूचना 31-3-1994 को समाप्त होने वाली तिमाही रिपोर्टों के तहत संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त होगी।

कोयले का उत्पादन

1332. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री गुमान मल लोढा :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पश्चात कोयला उत्पादन में तिगुनी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1971-72 और 1992-93 में क्रमशः कोयला उत्पादन कितना था;

(ग) क्या इस अवधि में इस उद्योग में पूंजी निवेश में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो 1971-72 और 1992-93 में क्रमशः इस उद्योग में कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ङ) क्या देश में कोयले की उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ इसके उपभोक्ता मूल्य में भी वृद्धि हुई है;

(च) यदि हां, तो 1971-72 और 1992-93 में क्रमशः विभिन्न श्रेणी के कोयलों का मूल्य क्या था; और

(छ) 1992-93 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से कितना लाभ अर्जित किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) देश में कोयले का उत्पादन में वर्ष 1971-72 के 72.42 मिलियन टन से वर्ष 1992-93 में 238.26 मिलियन टन तक की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) और सिंगरेना कोलियरीज कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) में दोनों में वर्ष 1971-72 तक 240.44 करोड़ रु. और 1992-93 तक 16559.10 करोड़ रु. का कुल पूंजी निवेश किया गया है।

(ङ) और (च) वर्ष 1973-74 और 1992-93 में कोयले की औसत पिटहैड कीमतों के संबंध में उपलब्ध हुई सूचना को नीचे दर्शाया गया है :

(रु./टन)

निम्न तारीख से	निम्न के द्वारा उत्पादित किया गया कोयला	
	एस.सी.सी.एल.	अन्य
1-4-74	50.50	47.50
	एस.सी.सी.एल.	को.इं.लि.
17-2-93	434.00	364.00

दिनांक 17-2-1993 से कोयले की विभिन्न किस्मों की कीमतें दिनांक 16-2-1993 के भारत के असाधारण राजपत्र संख्या का.आ. 109 (ई) के अंतर्गत अधिसूचित की गई थी। इस अधिसूचना की 10 प्रतियां लोक सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(छ) कोल इंडिया लि. ने वर्ष 1992-93 के दौरान 291.27 करोड़ रु. की राशि का लाभ कमाया है।

भारतीय तेल निगम द्वारा धन वापस दिया जाना

1333. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के दिल्ली कार्यालय को गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली से जाली अन्तरण वाउचरों के आधार पर जोनवार कुल कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ख) क्या सरकार का विचार आवेदकों को धन वापस देने का है, क्योंकि इन सिलिंडरों को पहले ही वापस ले लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन को दिल्ली से नकली अन्तरण वाउचरों के आधार पर 28,000 रुपए की धन राशि प्राप्त हुई है। क्षेत्रवार विवरण निम्नवत् है :

क्षेत्र	रुपये
नई दिल्ली	14500
पुरानी दिल्ली	11000
जमुना पार	2500
कुल	28000

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नीतितः ऐसे मामलों में रसोई गैस की आपूर्तियां तत्काल बंद कर दी जाती हैं, उपस्कर को ले लिया जाता है, प्रतिभूति जब्त कर ली जाती हैं तथा पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने संबंधी आगे की कार्यवाही की जाती है।

जम्मू और कश्मीर में अपहरण की घटनाएं

1334. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में जनवरी, 1993 के दौरान आतंकवादियों ने कितने व्यक्तियों का अपहरण किया;

(ख) कितने व्यक्तियों को छुड़ाया गया है;

(ग) इस संबंध में कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, जनवरी, 1993 के दौरान जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा 18 व्यक्तियों का अपहरण किया गया। इनमें से 4 व्यक्तियों को उग्रवादियों द्वारा छोड़ दिया गया था।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई उग्रवादी गिरफ्तार नहीं किया गया। तथापि, जनवरी 1993 के महीने के दौरान, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा 300 से अधिक उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 200 से अधिक उग्रवादी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के कारण टाडा के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए।

[अनुवाद]

केरल में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र/रसोई गैस की एजेंसियां

1335. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :**
प्रो. के.वी. थामस :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से केरल के सभी जिला मुख्यालयों में पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस की एजेंसियों की स्वीकृति देने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से जिला मुख्यालयों सहित केरल राज्य में विभिन्न स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए केरल सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

विभिन्न स्थानों पर नई खुदरा बिक्री के डीलरशिप और एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उद्योगों के मानदण्डों के आधार पर खोली जाती हैं, बशर्ते कि उत्पाद उपलब्ध हों। तदनुसार उक्त राज्य सरकार के अनुरोध पर निर्णय सभी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यथासमय लिया जाएगा। डीलरों का चयन सभी पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने के उपरांत तेल चयन बोर्ड द्वारा किया जाता है।

खाने की नई गर्भनिरोधक गोलियां

1336. **श्री अनन्तराव देशमुख :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बढ़ती जनसंख्या के संकट से उबरने के लिए नई किस्म की खाने की गर्भनिरोधक गोलियों का प्रयोग शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा देश में विकसित किए गए एक नए मुख सेव्य गर्भ निरोधक का भारत में विपणन किया जा रहा है। यह एक खाई जाने वाली गोली है, जिसे पहले तीन महीनों में सप्ताह में दो बार और उसके बाद सप्ताह में केवल एक बार लेना होता है।

रसोई गैस सिलेण्डरों का मूल्य

1337. **श्री सी. श्रीनिवासन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाला आयात शुल्क 85 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र घरेलू उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले रसोई गैस सिलेण्डरों के मूल्य में कमी करेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) किसी प्रतियोगितापूर्ण बाजार में निजी क्षेत्र द्वारा ली जा रही कीमत में कम किये गये शुल्क को हिसाब में लिया जाएगा।

सांप्रदायिक दंगे

1338. **श्री बीर सिंह महतो :**
श्री नीतीश कुमार :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री राम विलास पासवान :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री राम कापसे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 के दौरान देश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है और ये घटनायें किन-किन स्थानों पर हुई;

(ख) सांप्रदायिक हिंसा और पुलिस फायरिंग में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) इस हिंसा में क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हुई चल और अचल संपत्ति का अनुमानित मूल्य कितना है;

(घ) धार्मिक महत्व के कितने स्थान नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हुए;

(ङ) कितने मामलों में मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रह राशि दी गई और राज्यवार कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(च) दंगा प्रभावित व्यक्तियों की सहायतार्थ और उनके पुनर्वास पर राज्यवार कुल कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च की गई;

(छ) ऐसे व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है, जिन्हें इस संबंध में गिरफ्तार किया गया, छोड़ा गया, जिनके विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया गया अथवा जिन्हें जमानत पर छोड़ा गया; और

(ज) राज्यवार कितने मामले दर्ज किये गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ज) "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है, जैसाकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि-I में दर्शाया गया है। अपेक्षित सूचना केन्द्र सरकार के पास तुरन्त उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह सूचना राज्यों से एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

विदेशी नागरिक

1339. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :
श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों की अवधि में अब तक प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीयतावार कितने विदेशी नागरिकों ने भारत की, यात्रा की जिनके पास वैद्य यात्रा कागजात थे;

(ख) उनमें से राष्ट्रीयवार कितने व्यक्ति वापस लौट गये और कितने अभी भी रुके हुए हैं।

(ग) समय से अधिक ठहरे हुए ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे मामलों पर रोक लगाने और ऐसे लोगों को वापिस भेजने के संबंध में क्या कदंम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) चूंकि अधिकांश विदेशी नागरिक बहुद्‌देशीय प्रवेश वीजा के आधार पर भारत में प्रवेश करते हैं तथा वे अपने वीजा की वैद्यता अवधि के दौरान भारत में अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जितनी बार चाहें आ-जा सकते हैं, अतः किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान भारत में प्रवेश करने वाले विदेशियों में से अपने देश को लौट गए विदेशियों से संबंधित आंकड़े बताना संभव नहीं है।

(घ) सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे भारत में वैद्य यात्रा दस्तावेजों के बिना, समय अवधि से अधिक समय तक ठहरने वाले नागरिकों का पता लगाएं और उन्हें स्वदेश लौटाएं।

विवरण

वर्ष 1991 के दौरान राष्ट्रीयतावार आगन्तुकों के ब्यौरे

राष्ट्रीयता	योग
1	2
अफगानिस्तान	25341
अल्बेनिया	7
अल्जीरिया	473
अंगोला	126
एंटेल्स	31
अरजेंटिना	1158
आस्ट्रेलिया	26002
आस्ट्रीया	8444
बहमई	42
बहरीन	4612
बंगलादेश	273108
बारवडोस	177
बेल्जियम	8413
बेलीज	68
भूटान	2722
बोलीविया	91
बोट्सवाना	86
ब्राजील	2394
ब्रिटिश ओवरसीज सी.आई.टी	8
ब्रिटिश सोलमन आइलैण्ड	20
ब्रूनेई	166
बुल्गारिया	816

1	2
बुर्कीनेल	1
बुरुन्डी	7
बाइलोरसिया	2
कम्बोडिया	326
कनाडा	39390
केपवर्डे	5
सेन्ट्रल अफ्रीकन रिप.	486
घाड	19
चिली	374
चीन	3816
चीन (ताइवान)	711
कोलम्बिया	333
कोमोरोश	96
कांगो	7
कोस्टारिका	34
क्यूबा	80
साइप्रस	157
चैकोस्लोवाकिया	1182
दहोमी	544
डेमोक्रेटिक यमन्	48
डेनमार्क	5907
डोमिनिकन रिपब्लिक	45
इक्वेडोर	44
इजिप्ट	1455
अल सलवाडोर	74

1	2
ईक्वाटोरियल	14
इरीट्रीयन	3
इथोपिया	3299
फिजी	1194
फिनलैण्ड	4682
फ्रांस	57735
गैबोन	5
जाम्बिया	136
जर्मनी	58008
घाना	439
ग्रीस	2327
ग्रेनाडा	2032
ग्वाडेलोंपे	4
ग्वाटेमाला	75
गिनी	98
गिनी विसाऊ	24
गुयाना	93
हैती	11
होन्डरस	75
हांगकाग	316
हंगरी	1729
आईलैण्ड	3496
इन्डोनिशिया	4168
इरान	17635
इराक	609

1	2
आयरलैण्ड	2659
इस्राइल	6800
इटली	36138
इवोरी कास्ट	28
जमाइका	115
जापान	43966
जोर्डन	2339
केन्या	10727
किंगडम आफ टोगा	46
किरिबैटी	9
कोरिया (उत्तरी) डी.पी.आर.	1632
कोरिया (दक्षिण)	6187
कुवैत	3363
लाओस	57
लेबनान	884
लेसोथो	1686
लाइबेरिया	46
लीबिया	134
लक्सजंगबर्ग	188
मकाओ	109
मेडागास्कर (मालागासी)	165
मालावी	120
मलेशिया	31461
मालदीव	11188
माली	41

1	2
माल्टा	193
मार्टिनक्वे	67
मारिटानिया	412
मारिशस	4935
म्यांमार (बर्मा)	1099
मैक्सिको	1233
मंगोलिया	84
मोरोक्को	584
मोजाम्बिक	261
नाउरु	3
नेपाल	27524
नीदरलैण्ड्स (डच)	21798
न्यू हेबराइड्स	2
न्यूजीलैण्ड्स	5981
निकारागुआ	107
नाइजर	931
नाइजीरिया	2065
न्यू आइसलैण्ड्स	49
नार्वे	3191
ओमान	11157
अदर्स	18233
पाकिस्तान	182940
पेलिस्टेनियन	50
पनामा	277
पपुआ न्यू गिनी	243

1	2
परागुवे	294
पेरु	121
फिलीपिन्स	6106
पोलैण्ड	6071
पोर्तगाल	4185
कतार	2929
रियूनियन	3
रोडेशिया (जिम्बाबवे)	305
रोमानिया	1423
रसिया	31775
रुवान्डा	18
साओटोम एण्ड प्रिंसिप	129
साऊदी अरेबिया	18958
सेनेगल	189
सियोहेल्स	226
सीरिया ल्योन	36
सिंगापुर	22946
सोमालिया	1378
दक्षिण अफ्रीका	7220
स्पेन	15312
श्रीलंका (सिलोन)	73371
सेट लूसिया	5
स्टेट लेस	1607
सूडान	5071
सूरीनाम	1485
स्वाजीलैण्ड	60

1	2
स्वीडन	9222
स्विट्जरलैण्ड	18399
सीरिया	2238
तंजानिया	5339
थाइलैण्ड	10107
तिब्बत	19
टोगो (टोंगा)	60
ट्रिनिडाड एण्ड टोबेगो	503
ट्यूनिसिया	810
टर्की	1150
टूवालू	106
यू.एस.ए.	120399
यूगांडा	603
यूनाइटेड रिप. आफ कैमरून	101
यूनाइटेड अरब इमीरात	18980
यूनाइटेड किंगडम	200036
उरुग्वे	163
वेटिकन	7
वेनेजुएला	546
वियतनाम	1534
वेस्टर्न बाम्डा	29
यमन	9699
यूगोस्लाविया	1524
जाइरे	120
जाम्बिया	3165
योग	1616244

वर्ष 1992 के दौरान राष्ट्रीयतावार आगन्तुकों के ब्यौरे

राष्ट्रीयता	योग
1	2
अफगानिस्तान	33288
अलबेनिया	58
अल्जीरिया	723
अंगोला	292
अंटिगुवा	1
अंटिलीस	21
अर्जेन्टाइना	1806
आस्ट्रेलिया	28917
आस्ट्रीया	10545
बहमास	86
बहरीन	5736
बंगलादेश	252430
बारबडोस	142
बेल्जियम	10984
बेलिजी	136
भूटान	2376
बोलीबीया	24
बोट्सवाना	143
ब्राजील	2944
ब्रिटिश सोलोमन आइलैण्ड	29
ब्रूनेई	280
बुलगारिया	553

1	2
बुर्कीनेल	2
बुरुन्डी	7
बाइलोरसिया	2
कम्बोडिया	55
कनाडा	47229
कैप वर्डे	9
सेन्ट्रल अफ्रीकन रिप.	17
चाड	6
चिली	533
चीन	6122
चीन (ताइवान)	2062
चीन (स्टेटलैस)	23
कोलम्बिया	384
कोमोरोस	272
कांगो	5
कोस्टा रिका	83
क्रोएशिया	85
क्यूंबा	90
साइप्रस	368
चैकोस्लोवाकिया	1546
दहोमी	11
डेमोक्रेटिक यमन	3
डेनमार्क	6966
डोमिनिकन रिप.	54
इक्वाडोर	39
इंजिप्ट	1992

1	2
अल सलवाडोर	69
इक्वाटोरियल	13
इथोपिया	5318
फिजी	1345
फिनलैण्ड	9071
फ्रांस	68209
गेबन	8
जाम्बिया	81
जर्मनी	76873
घाना	446
ग्रीस	3798
ग्रेनेडा	618
ग्वाडेलोंपे	1
ग्वाटेमाला	59
गिनी	134
गिनी बिसाऊ	13
गुयाना	151
हैती	14
होन्डूरस	28
हांगकांग	394
हंगरी	1196
आइसलैण्ड	41
इन्डोनेसिया	4892
ईरान	18428
इराक	808

1	2
आयरलैण्ड	3538
इजरायल	9406
इटली	45929
इवोरी कोस्ट	200
जमाइका	180
जापान	61214
जार्डन	3009
कजाकिस्तान	1
केन्या	15916
किंगडम आफ टोंगा	5
किरीबटी	17
कोरिया उत्तरी (डी.पी.आर.)	1454
कोरिया (दक्षिण)	7247
कुवैत	3169
लाओस	21
लेबनान	1219
लेसोथो	80
लाइबीरिया	21
लीबिया	96
लीथोरिया	2
लिथुआनिया	4
लक्जेमबर्ग	386
मकाओ	84
मेडागास्कर (मलागासी)	113
मालवी	196

3,

1	2
मलेशिया	37953
मालदीव	12870
माली	39
माल्टा	250
मार्टिनीक	74
मारितानिया	375
मारिशस	8442
म्यांमार (बर्मा)	1264
मैक्सिको	1449
मंगोलिया	84
मोरोक्को	662
मोजाम्बिक	314
नाउरु	1
नेपाल	30754
नीदरलैंड्स (डच)	30058
न्यू हेब्रिडेस	2
न्यूजीलैण्ड	6390
निकारागुआ	9
नाइजर	857
नाइजीरिया	1869
न्यू आइलैंड	5
नार्वे	3875
ओमान	11315
अदर्स	9245
पाकिस्तान	190495

1	2
फिलीस्तीनी	26
पनामा	317
पपुआ न्यू गिनी	195
पारागुए	33
पेरु	164
फिलीपिन्स	8155
पोलैंड	5090
पुर्तगाल	6423
कतार	2823
रियूनियन	6
रोडेशिया (जिम्बाबवे)	283
रोमीनिया	1216
रूस	39698
रवान्डा	35
साओ टोम और प्रिंसिपे	229
सऊदी अरब	21261
सेनेगल	66
सैयोहेलिस	231
सिएरा लियोन	75
सिंगापुर	29374
सोमालिया	587
द० अफ्रीका	11242
स्पेन	26105
श्रीलंका (सीलोन)	75558
सेंट लुशिया	2

1	2
स्टेटलैस	1609
सूडान	3286
सूरीनाम	415
स्वाजीलैंड	2251
स्वीडन	12877
स्विट्जरलैंड	21138
सीरिया	2534
तंजानिया	6201
थाईलैंड	12867
तिब्बत	54
टोगो (टोंगा)	75
त्रिनिदाद और टोवागो	696
टयूनिसिया	684
टर्की	1860
तुवालू	179
यू.एस.ए.	151285
उगांडा	939
उक्रेन	154
केमरून संघीय गणतंत्र	103
संयुक्त अरब अमीरात	20292
यूनाईटेड किंगडम	244446
अपर वोल्टा	5
उरुग्वे	147
उज्बेकिस्तान	1
वेटिकन	14

1	2
वेनेजुएला	609
वियतनाम	629
प. सामोआ	20
यमन	13014
यूगोस्लाविया	964
जायरे	129
जाम्बिया	2881
योग	1845157

वर्ष 1993 के दौरान राष्ट्रीयतावार आगन्तुकों के ब्यौरे

राष्ट्रीयता	योग
1	2
अफगानिस्तान	12746
अल्बानिया	36
अल्जीरिया	654
अंगोला	160
एंटिलीस	40
अर्जेन्टीना	1597
अर्मिनिया	3
आस्ट्रेलिया	28753
आस्ट्रीया	10664
बहामास	149
बहरीन	3807
बंगलादेश	297378
बारबाडोस	246

1	2
बेल्जियम	10136
बेलिजी	60
भूटान	2169
वोलीविया	60
वोट्सवाना	128
ब्राजील	2530
ब्रिटिश सोलोमन आइलैंड	13
ब्रूनेई	249
बल्गारिया	1341
बर्कीनेल	100
बुरुन्डी	29
बाइलोरसिया	1
कम्बोडिया	45
कनाडा	49614
कैपवर्डे	10
सैन्ट्रल अफ्रीकन गणतंत्र	17
चाड	8
चिली	541
चीन	6136
चीन (ताइवान)	2530
कोलम्बिया	408
कोमोरोस	344
कांगो	12
कोस्टारिका	128
क्रोएशिया	160
क्यूबा	34
साइप्रस	189

1	2
चैकोस्लोवाकिया	1334
दहोमी	35
डेमोक्रेटिक यमन	1
डेनमार्क	7126
डोमीनीकन गणतंत्र	64
इक्वाडोर	86
इजिप्ट	1737
एल सालवाडोर	30
इक्वेटोरियल	5
इथयोपिया	3248
फिजी	1261
फिनलैंड	9104
फ्रांस	60460
गेबन	4
जाम्बिया	68
जार्जिया	32
जर्मनी	74239
घाना	356
ग्रीस	4579
ग्रेनाडा	432
ग्वाडेलोंपे	3
ग्वाटेमाला	99
गुयाना	107
गिनी विसाऊ	10
गुयाना	88
हैती	9

1	2
होन्डुरस	114
हांगकांग	399
हंगरी	1074
आइसलैंड	57
इन्डोनेशिया	4955
ईरान	13822
इराक	575
आयरलैंड	4056
इजराइल	8667
इटली	35154
आयवरी कोस्ट	26
जमैका	151
जापान	44218
जोर्डन	2263
केन्या	11796
टोंगा किंगडम	20
किरिबाटी	7
उत्तरी कोरिया (डी.पी.आर.)	841
साऊथ कोरिया	8101
कुवैत	1930
लाऊस	14
लातीविया	26
लेबनान	955
लिसोथो	96
लाइबेरिया	46

1	2
लीबिया	97
लिथोरिया	8
लिथुआनिया	17
लक्सेमबर्ग	219
मकाओ	24
मेडागास्कर (मलागासी)	69
मलावी	180
मलेशिया	32950
मालदीव	12301
माली	33
माल्टा	220
मार्तिनीक	50
मारितानिया	408
मारिशस	7630
म्यानमार (बर्मा)	1155
मैक्सिको	2015
मंगोलिया	102
मोरक्को	791
मोजाम्बिक	273
नामिबिया	4
नाउरु	11
नेपाल	29393
नीदरलैंड्स (डच)	26984
न्यू हैराइड्रा	2
न्यूजीलैंड	6628

1	2
निकारागुआ	15
नाइजर	561
नाइजीरिया	1964
न्यू आयलैंड्स	1
नार्वे	3577
ओमान	8171
अन्य	8116
पाकिस्तान	32276
फिलिस्तीन	15
पनामा	335
पापुआ न्यू गिनी	156
परागुए	30
पेरु	164
फिलीपींस	7666
पोलैण्ड	3967
पुर्तगाल	4982
कतर	1924
रियूनियन	6
रोडेशिया (जिम्बाबवे)	385
रोमानिया	538
रूस	48790
रवान्डा	23
साओ टोम एण्ड प्रिंसपे	180
सऊदी अरब	13511
सेनेगल	55

1	2
सीसिल्स	282
सिएरा लिओन	37
सिंगापुर	31697
सोमालिया	388
दक्षिण अफ्रीका	11300
स्पेन	17712
श्रीलंका (सीलोन)	73943
सेन्ट लूसिया	3
स्टेटलैस	1299
सूडान	2079
सूरीनाम	210
स्वाजीलैंड	191
स्वीडन	13696
स्विट्जरलैंड	22642
सीरिया	1873
तंजानिया	6227
थाईलैंड	12987
तिब्बत	42
टोगो (टोंगा)	25
त्रिनिदाद तथा टोबेगो	392
ट्यूनिशिया	472
तुर्की	1315
तुवाल	212
यू.एस.ए.	165463
यूगान्डा	874

1	2
उक्राईन	797
केमरुन संघीय गणतंत्र	6
संयुक्त अरब अमीरात	15026
यूनाइटेड किंगडम	241028
उरुग्वे	150
उज्बेकिस्तान	13
वेटिकन	17
वेनेजुएला	610
वियतनाम	542
पश्चिमी समोआ	8
यमन	12023
युगोस्लाविया	475
जायरे	59
जाम्बिया	2522
योग	1634714

जनवरी-94 के महीने में विदेशियों का आगमन-राष्ट्रीयतावार

राष्ट्र का नाम	आगमन
1	2
अफगानिस्तान	66
अल्वानिया	0
अल्जीरिया	33
अंगोला	4
एन्टीगुआ	0

1	2
एन्टीलीज	1
अर्जेंटीना	153
अर्मेनिया	0
आस्ट्रेलिया	1733
आस्ट्रिया	612
अजरबेजान	0
बाहमा	0
बहरीन	280
बंगलादेश	7103
बारबडोस	4
बेल्जियम	436
बेलीज	2
भूटान	34
बोलीविया	0
बोट्सवाना	9
ब्राजील	211
ब्रिटिश ओवरसीज सी.आई.टी.	9
ब्रिटिश प्रोटेक्टेड	0
ब्रिटिश सोलोमन दीप	0
ब्रिटिश सबजेक्ट एंड कोलो.	0
ब्रूनेई	4
बुलगारिया	42
ब्रुरकिनेल	0
बुरुन्डी	0
बायलोरसिया	0

1	2
कंबोडिया	0
कनाडा	1977
केप वर्डी	2
सैंट्रल अफ्रीकन रिप.	2
चाड	0
चिली	27
चीन	184
चीन (ताइवान)	111
चीन (स्टेटलैस)	0
चाइना तुर्क	0
कोलम्बिया	23
कोमोरोस	2
कांगो	1
कोस्टा रीका	11
क्रोएशिया	0
क्यूबा	2
साइप्रस	10
चेकोस्लोवाकिया	55
दहोमी	1
डेमोक्रेटिक यमन	0
डेनमार्क	425
डोमीनिकन रिपब्लिक	2
इक्वेडोर	12
मिश्र	151
अल सल्वाडोर	2

1	2
इक्वेटोरियल	0
ऐरीट्रियन	0
ऐस्टोनिया	0
इथोपिया	209
फिजी	112
फिनलैंड	192
फ्रांस	3307
गेबन	1
जाम्बिया	0
जार्जिया	0
जर्मनी	4728
घाना	20
ग्रीस	126
ग्रेनाडा	23
ग्वाडेलोनपे	0
ग्वाटेमाला	4
गिनी	2
गिनी-बिसाऊ	0
गुआना	21
हैती	0
होण्डुरस	1
हांगकांग	17
हंगरी	45
आईसलैंड	3
इण्डोनेशिया	271

1	2
ईरान	1172
इराक	27
आयरलैण्ड	202
इज़रायल	1113
इटली	2549
आयवरी कोस्ट	2
जमैका	15
जापान	2513
जार्डन	125
कजाकिस्तान	0
केन्या	887
किंगडम आफ टोंगा	0
किरी बाती	0
उत्तरी कोरिया (डी.पी.आर.)	0
दक्षिण कोरिया	1477
किरगिज़िया	0
कुवैत	257
लाओस	10
लाटविया	0
लेबनान	53
लेसोथो	17
लीबेरिया	4
लीबिया	7
लिथोरियान	0
लिथुआनिया	0

1	2
लक्सेमबर्ग	10
मकाओ	2
मेडागास्कर (मालागासी)	7
मलावी	16
मलेशिया	2679
मालदीव	111
माली	4
माल्टा	10
मार्तीनीक	3
मारीतानिया	24
मारीशस	666
म्यांमार (बर्मा)	27
मैक्सिको	48
मोलदावीया	0
मंगोलिया	0
मोरक्को	14
मोजाम्बिक	54
नामीबिया	0
नामीबीयन	0
नाऊरू	0
नेपाल	354
नीदरलैंड (डच)	1675
न्यू हैबराईड्स	0
न्यूजीलैंड	429
निकारागुआ	0

1	2
नाईजर	24
नाईजेरिया	182
न्यू आइलैंड	0
नार्वे	227
ओमान	775
अन्य	516
पख्तून	0
पाकिस्तान	1011
पेलेस्टीनियन	0
पनामा	23
पापुआ न्यू गिनी	0
पारागुवे	1
पेरू	21
फिलीपाईन्स	313
पोलैंड	182
पुर्तगाल	481
क्तार	177
रियूनियन	0
रोडेसिया (जिम्बाबवे)	18
रोमानिया	75
रूस	140
रवान्डा	1
सैंन्ट मेरिन	0
साओ टोम और प्रिन्सिपे	0
सऊदी अरब	1723

1	2
सेनेगल	1
सिसलिस	43
सिएरा लियोन	4
सिंगापुर	2263
सोमालिया	21
द. अफ्रीका	1789
स्पेन	444
श्रीलंका (सीलोन)	5541
सेंट लूसिया	0
स्टेटलैस	1
स्टेटलैस (वियतनाम)	0
स्टेटलैस ऑफ तन्जानिया	0
स्टेटलैस ऑफ यू.के.	0
स्टेटलैस श्रीलंका	0
स्टेटलैस (मलेशिया)	0
स्टेटलैस (यू.एस.ए.)	0
सूडान	161
सूरीनाम	3
स्वाजीलैंड	0
स्वीडन	471
स्विट्जरलैंड	1253
सीरिया	118
तजाकिस्तान	0
तनजानिया	614
थाईलैंड	864

1	2
तिब्बत	0
टोगो (टोंगा)	1
त्रिनिनाड और टोबेगो	20
ट्यूनीशिया	7
तुर्की	56
तुर्कमेनिस्तान	0
तुवालू	0
यू.एस.ए.	9486
युगान्डा	36
उकराईन	5
यूनियन रिपब्लिक केमरून	0
यूनाईटेड अरब अमीरात	1439
यूनाईटेड किंगडम	15992
अपर वोल्टा	0
उरुग्वे	4
उजबेकिस्तान	0
वेटिकन	0
वेनेजुएला	16
वियतनाम	21
पश्चिम समोआ	0
दक्षिणी यमन	0
यमन	1473
युगोस्लाविया	22

1	2
जायरे	7
जाम्बिया	156
अफगानिस्तान स्टेटलैस	0
योग	87603

[अनुवाद]

असम में डीजल तथा मिट्टी के तेल की मांग

1340. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान असम में डीजल तथा मिट्टी के तेल की कुल कितनी मांग थी और कितनी मात्रा में उनकी पूर्ति की गई;

(ख) पूर्ति कम करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मांग को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) असम की संपूर्ण बाजार पूरी करने के लिए डीजल की आपूर्तियां कर दी गई हैं। 1992-93 और 1993-94 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान असम को आपूर्ति की गई डीजल की मात्रा निम्नानुसार है :

1992-93	337.48 टी.एम.टी.
1993-94 (अप्रैल-दिसंबर)	249.51 टी.एम.टी. (अनन्तिम)

मिट्टी का तेल आबंटित उत्पाद है और आबंटन के अनुसार ही निर्गम किए जाते हैं। 1992-93 और 1993-94 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान असम के लिए आबंटन और निर्गम निम्नानुसार हैं :

(आंकड़े मी.टन में)

वर्ष	आबंटन	विनिर्गमन	अतिरिक्त विनिर्गमन
1992-93	246696	248560	1864
1993-94	186442	187023	581

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

1341. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन प्रतिभावान और कुशाग्र बुद्धि विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति देती है जो गरीब परिवारों में हैं तथा गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करते हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी तथा गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और होस्टल सुविधायें देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार कब तक कार्यवाही करेगी ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए पात्र छात्रों को प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की नेशनल टेलेन्ट सर्च स्कीम के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्(एन.सी.ई.आर.टी.) 750 छात्रवृत्तियां प्रदान करती है जिसमें प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीद्वारों को दी जाने वाली 70 छावृत्तियां भी शामिल हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बालकों के लिए छात्रवृत्ति की एक अन्य योजना के तहत प्रत्येक वर्ष 43000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में छात्रवृत्तियों का वितरण समुदाय विकास खण्डों के आधार पर किया जाता है। छात्रवृत्तियों का समुदाय विकास खण्डवार विवरण निम्न प्रकार है :

	छात्रवृत्तियों की संख्या
(1) सामान्य श्रेणी- प्रत्येक समुदाय विकास खण्ड के लिए 4 छात्रवृत्तियां (4X5000 सी.डी.बी.)	20,000
(2) अनुसूचित श्रमिकों के बच्चों के लिए छात्र- वृत्तियां प्रत्येक समुदाय विकास खण्ड के लिए 2 छात्रवृत्तियां (2X5000 सी.डी.बी.)	10,000

(3)	अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां प्रत्येक समुदाय विकास खण्ड के लिए 2 छात्र-वृत्तियां और उस प्रत्येक समुदाय विकास खण्ड के लिए एक और छात्रवृत्ति जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20% या उससे ज्यादा है।	11,500
(4)	अनुसूचित जन जाति के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां-जनजाति समुदाय विकास खण्ड के लिए 3 छात्रवृत्तियां(3X500)	1,500

(घ) से (च) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत छात्रवृत्तियां मान्यता प्राप्त संस्थानों में मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए उन माता-पिताओं/संरक्षकों के केवल दो बच्चों को प्रदान की जाती हैं जिनकी प्रतिमाह आय 2000 रुपये से ज्यादा नहीं है और कि छात्र स्वयं पूर्णकालिक रोज़गार में नहीं है। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत छात्रवृत्तियां उन लोगों के बच्चों को भी प्रदान की जाती हैं जो अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हैं अर्थात् शुष्क शौचालयों, टेनर्स, फ्लेयर्स के सफाई कर्मचारियों के परिवारों के बच्चों और उन स्वीपरों के बच्चों को जो परम्परागत रूप से मैला उठाने के कार्य में लगे हैं ताकि वे बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थाओं, मैट्रिक पूर्व पाठ्यक्रम जारी रख सकें। इस योजना के तहत आयु सीमा 25 फरवरी, 1994 से समाप्त कर दी गई है और कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा में पढ़ रहे ऐसे सभी बच्चे छात्रवृत्तियां पाने के लिए पात्र होंगे। परन्तु वह बच्चा इस योजना के तहत छात्रवृत्ति पाने के लिए पात्र नहीं होगा जो 1-4-1993 के बाद पैदा हुआ है। अतः इस योजना के तहत केवल दो बच्चे ही पात्र होंगे। इस योजना में एक ही माता-पिता के वे दो बच्चे भी शामिल किए जाएंगे जो कक्षा 9 और 10 में पढ़ते हैं।

जहां तक होस्टल सुविधाओं का संबंध है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राज्य सरकारों को कोचिंग केन्द्रीय सहायता और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता होस्टलों के निर्माण के लिए उपलब्ध करायी जाती है। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे वर्तमान होस्टलों का विस्तार करने हेतु राज्य सरकारों को कोचिंग के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100 प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है। तथापि सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में पढ़ रहे सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को होस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गर्भाशय में ग्रीवा का कैंसर

1342. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भाशय में ग्रीवा का कैंसर दूसरा सबसे गंभीर मृत्युकर रोग है और 3 से 5 प्रतिशत वयस्क महिलाओं की मौतें इसी प्रकार के कैंसर से होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस रोग की पहले ही पहचान करने और इसका निवारण करने के लिए देश की महिलाओं को शिक्षित करने की कोई योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि और अधिक जोर अब राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन कैंसर के निवारण और इसका शुरू में पता लगाने पर दिया जा रहा है। तदनुसार और बहुत सारी नई योजनाएं, कार्यक्रम के अधीन आरम्भ की गयी हैं। स्वास्थ्य शिक्षा इन योजनाओं का एक प्रमुख घटक है।

बम विस्फोट

1343. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1993 में तीन राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और दो अन्य रेलगाड़ियों में हुए बम विस्फोटों की कोई जांच करायी गयी है।

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) 5-6 दिसम्बर, 1993 के बीच की रात को तीन राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में हुए बम विस्फोटों सहित रेलगाड़ियों में हुए बम विस्फोटों से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

(ख) से (घ) 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि फरार अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

स्कैन मशीनें

1344. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमेंस से आयातित पूरे शरीर का स्कैन करने वाली मशीन डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में बेकार पड़ी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) लगभग 4.42 करोड़ रुपये मूल्य की मशीन सीमन्स द्वारा 52 पैकेटों में सप्लाई की गई है जिनमें से केवल एक पैकेट बाहर पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा होने के कारण इसे स्थापित करने के स्थान तक अन्दर नहीं लाया जा सकता। तथापि इसे मानसून पैकेजिंग तथा तिरपाल द्वारा पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। निर्धारित समय के अनुसार इसकी स्थापना का कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

भारत-बांग्लादेश सीमा

1345. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री राजेश कुमार :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री रामदेव राम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दक्षिण त्रिपुरा में मुहुरी चारलैण्ड के मुद्दे पर सीमा सुरक्षा बल और उनके बांग्लादेशी प्रतिपक्ष बी.डी.आर. के बीच गोलीबारी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत चार महीनों के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा पर गोलीबारी की कितनी घटनाएं हुईं और

(घ) ऐसे गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) भारतीय किसानों को चार भूमि पर खेती करने से रोकने के लिए बांग्लादेश राईफल ने 26 नवम्बर, 1993 से 15 जनवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान 10 बार गोलियां चलायी। इसमें से अधिकांश घटनाओं में सीमा सुरक्षा बल ने गोलीबारी का जवाब गोली से दिया।

(घ) बांग्लादेश राईफल के महानिदेशक द्वारा जनवरी, 1994 में की गयी भारत यात्रा के दौरान इस मामले को प्रभावी ढंग से उनके साथ उठाया गया था। भारत-बांग्लादेश लैंड बाऊन्डरी एग्रीमेंट 1974 के उपबंधों के अनुसार, भारत और बांग्लादेश दोनों ही सीमा के निर्धारण के कार्य को तेज करने पर सहमत हो गए हैं। लम्बित पड़े मामलों पर गहराई से विचार करने और उन्हें हल करने के लिए व्यावहारिक उपाय सुझाने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त कार्य-दल गठित किया गया है।

[अनुवाद]

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

1346. **श्री नुरुल इस्लाम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल और गैस की खोज के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम सहित सार्वजनिक, निजी तथा विदेशी निवेश में अलग-अलग किये गये धन के निवेश और अनुमानित उत्पादन लक्ष्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) तेल और गैस खोज कार्यक्रम के लिए अब तक घोषित अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी प्रकार के तेल के कुओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नीलामी और नीतिगत संशोधनों हेतु यदि कोई समयबद्ध कार्यक्रम है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ओ.एन.जी. लि. और आयल इंडिया लि. के तेल और गैस के अन्वेषण के वित्त पोषण हेतु कार्यक्रम निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए में)

	सर्वेक्षण	वेधन
ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड	732.31	11308.31
ओ.आई.एल.	176.00	674.97

चूंकि कार्य संबंधी कार्यक्रम के बारे में बिना किसी न्यूनतम व्यय वचनबद्धता के वचन दिया जाता है इसलिए अन्वेषण के निजी निवेश की मात्रा के बारे में बताना संभव नहीं है।

योजनावधि के दौरान वर्षवार तेल का उत्पादन निम्नानुसार होगा :

वर्ष	मि.मी. टन
1992-93	26.95
1993-94	27.17
1994-95	32.51
1995-96	38.37
1996-97	44.45

(ख) 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ओ.एन.जी.सी. लि. को इसकी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वचनबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सहायता नीचे दी गई है :

	करोड़ रुपए
अन्तर्राष्ट्रीय ऋण	325 64
आपूर्तिकर्त्ता/क्रेता की साख	2774.88
भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋण को पुनः ऋण पर देना	464.00
	6760.42

ओ.आई.एल. के संबंध में उनके तेल और गैस के अन्वेषण के विकास तथा उत्पादन संबंधी कार्यों के लिए विश्व बैंक ने 1987 में 140 मिलियन अमरीकी डालर के लिए वचन दिया है।

(ग) जहां तक खोजे गए क्षेत्रों तथा फिलहाल प्रस्तावित अन्वेषण ब्लाकों का संबंध है, अक्तूबर, 1993 में 8 मध्यम आकार के और 33 छोटे आकार के क्षेत्रों को भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को प्रस्तावित किया गया है। [illegible] को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 1994 है।

जनवरी, 1994 में बोली के सातवें दौर में 45 ब्लाकों को तेल और गैस के अन्वेषण के लिए प्रस्तावित किया गया है। बोलियों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 1994 है।

तेल क्षेत्रों के विकास में भी भाग लेने वाली निजी कम्पनियों को अनेक प्रोत्साहन भी पहले से ही प्रस्तावित हैं। 50 प्रतिशत ही निगम कर में रियायती दर कम्पनी के हिस्से के लिए तेल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमत का भुगतान और अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत सिद्धान्तों पर उत्पादित गैस का मूल्य निर्धारण तथा सीमा शुल्क से मुक्ति इनमें शामिल हैं।

तीस्ता बांध परियोजना

1347. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या जल जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में तीस्ता बांध परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई थी तथा इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ग) इससे कुल कितनी भूमि की सिंचाई होगी; और

(घ) परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) तीस्ता बराज परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 695 करोड़ रुपए है।

(ख) इस परियोजना के लिए आठवीं योजना आवंटन 310 करोड़ रुपए है। इसमें अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 150 करोड़ रुपए शामिल हैं बशर्ते कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार

शेष निधियां उपलब्ध कराये। इस परियोजना पर 9/93 तक लगभग 417 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय होने की प्रत्याशा है।

(ग) इस परियोजना में 5.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वार्षिक सिंचाई प्रदान करने की परिकल्पना है।

(घ) इस परियोजना के आठवीं योजना में पूरा करने का कार्यक्रम है।

श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट

1348. **श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश का श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कैनाल प्रोजेक्ट स्वीकृति हेतु केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) श्री सेलम बायां तट नहर की परियोजना रिपोर्ट जिसमें 480 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नालगौंडा जिला में 1.21 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना है, केंद्रीय जल आयोग में फरवरी, 1985 में प्राप्त हुई थी। कृष्णा जल विवाद अधिकरण ने इस परियोजना के लिए कोई जल आवंटित नहीं किया है। राज्य सरकार से इस परियोजना के लिए दीर्घावधिक आधार पर स्पष्टतः जल की उपलब्धता स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे कृष्णा बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त करें अथवा इस परियोजना के लिए जल की अपेक्षित मात्रा बचाने हेतु बेसिन में वर्तमान योजनाओं के आधुनिकीकरण के सुप्रमाणित परियोजना प्रलेख तैयार करें तथा उसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करें।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालन करती है तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से अपेक्षित निर्बाधन प्राप्त करती है।

तेल की पाइप लाइन

1349. **श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम का कोच्ची से तमिलनाडु तक तेल की पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी लागत आएगी तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, (बी.पी.सी.एल.) ने एम.एस., एस.के.ओ., एच.एस.डी. इत्यादि जैसे प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन करने के लिए कोचीन (केरल) से कारुर (तमिलनाडु) तक 322 कि.मीं. लम्बी पाइप लाइन बिछाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मार्च, 1993 की कीमतों के आधार पर परियोजना की अनुमानित लागत 493.8 करोड़ रुपए है। सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से 36 माह बाद परियोजना का चालू होना प्रत्याशित है।

[हिन्दी]

गुजरात के कोयले का आबंटन

1350. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की अतिरिक्त कोटे की सप्लाई का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस अवधि के दौरान इस राज्य को वर्षवार जितनी मात्रा में अतिरिक्त कोयले की सप्लाई की गई ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयले के अतिरिक्त नियतन के लिए जब कभी भी आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो प्रत्येक मामले की गुणावगुण आधार पर जांच की जाती है। कोल इंडिया लिमिटेड (को.इ.लि.) वर्तमान में गुजरात राज्य की लगभग सम्पूर्ण मांग को, साफ्ट कोक/हार्ड कोक को छोड़कर, पूरा करने की स्थिति में है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को किए गए कोयले के प्रेषण को नीचे दर्शाया गया है;

(मिलियन टन में)

वर्ष	कोल इंडिया लिमिटेड के स्रोतों से गुजरात राज्य को किया गया कोयला का प्रेषण
1990-91	14.86
1991-92	15.18
1992-93	15.32

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र का विकास

1351. **श्री चन्द्रजीत यादव :**
श्री श्रीकांत जेना :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय और दो विदेशी कंपनियों की कंसोर्टियम देश में एक तेल क्षेत्र का विकास करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अन्तर्ग्रस्त निवेश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तेल क्षेत्र के विकास में कितना समय लगेगा और इससे अनुमानतः कितने वार्षिक उत्पादन की अपेक्षा है;

(ग) कंसोर्टियम के कार्य करने की शर्तें क्या हैं; और

(घ) तेल क्षेत्र में स्वदेशी भागीदारी की अपेक्षा विदेशी भागीदारी को प्रोत्साहन देना किस तरह लाभदायक माना जाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आज तक किसी ऐसी संविदाओं पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में तेल क्षेत्र में विदेशी रुचि को प्रोत्साहित करने के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) तेल/गैस क्षेत्रों के विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना तथा इस प्रकार बचे सरकार के स्रोत का अन्य क्षेत्रों में उपयोग करना।

(2) वसूली योग्य भंडारों के दोहन की गति को तीव्र करना।

(3) अन्वेषण विकास और उत्पादन के क्षेत्र में अद्यतन, प्रौद्योगिकी का लाभ लेना।

(4) भारत सरकार या इसकी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा इसके लिए आधारभूत सुविधाओं का सृजन किए बगैर सुदूर स्थानों में अवस्थित क्षेत्रों से उत्पादन आरंभ करना।

(5) देश में अन्वेषण की गति को तेज करना।

बिहार में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना

1352. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ने अपने बाइसवें प्रतिवेदन में बिहार में एकीकृत जनजातीय विकास पिरयोजना के कार्यकरण की आलोचना की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें कमियों को दूर करने तथा स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) कल्याण मंत्री ने अपने अ.शा. पत्र सं. 14011/9/92 दिनांक 31-5-1993 के तहत विशेष केंद्रीय सहायता निधियों की निर्मुक्ति में विलम्ब के मामले में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बिहार के मुख्य मंत्री को लिखा है। इस मंत्रालय ने पत्र सं. 16015/6/91 टी.डी.ए. दिनांक 11-10-1993 के तहत अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए बेहतर निष्पादन हेतु आई.टी.डी.पी. के लिए परियोजना स्तरीय समन्वय समिति की प्रभावोत्पादकता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी बिहार सरकार को लिखा है।

कल्याण मंत्री ने पत्र संख्या 12024/1/93-टी.डी.सी. दिनांक 24-8-1993 के तहत बिहार सहित सभी संबंधित राज्य सरकारों को आदिवासी क्षेत्रों में एकल रेखा प्रशासन लागू करने के लिए भी लिखा है। इसमें आगे इस मंत्रालय ने पत्र सं. 16015/6/91-टी.डी.ए. दिनांक 11-5-1993 के तहत बिहार में आई.टी.डी.पी. के कार्यकरण पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण पर संसदीय समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार को लिखा है।

[हिन्दी]

बिहार को रिंग्स की आपूर्ति

1353. **श्री राजेश कुमार** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में आयल इंडिया लि. और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने-अपने स्तर पर तथा अपनी क्षमता से किन-किन स्थानों पर तेल तथा प्राकृतिक गैस के भण्डारों की खोज की है;

(ख) क्या इस कार्य हेतु पर्याप्त संख्या में रिंगों की आपूर्ति की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित रिंगों को कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) अब तक कूपों का वेधन पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण में गनौली, कदमा, गंडक और रक्सौल में, दरभंगा में मधुबनी में तथा एक कूप का वेधन पूर्णिया जिले में किया गया है। इनमें कोई वाणिज्यिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। रिंगों का लगाया जाना वर्ष की वेधन योजना पर निर्भर करता है। बिहार में आठवीं योजनावधि के दौरान सर्वेक्षण जारी रखे जाएंगे तथा इसलिए आगे वेधन कार्य और इसके परिणामस्वरूप रिंगों का लगाया जाना इन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

भारत-बांग्लादेश सीमा पर फ्लड लाइट लगाने की व्यवस्था

1354. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** :

श्री सुब्रत मुखर्जी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-बांग्लादेश सीमा पर फ्लड लाइट लगाने की व्यवस्था करने का है :

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य-अवधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

गर्भ निरोधक टीके का आयात

1355. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गर्भनिरोधक टीके का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन देशों से इस टीके का आयात किया जाएगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोयले पर रायल्टी

1336. **श्री विलास मुत्तेवार** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोयले पर रायल्टी की दर को संशोधित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अध्ययन समूह का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जायेगी ?

कोयला/मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) कोयले पर रायल्टी की दरों में संशोधन करने के लिए सरकार ने दिनांक 20-1-94 को एक अध्ययन दल का गठन किया है। इस दल के अध्यक्ष अपर सचिव (कोयला) और इसके तीन अन्य सरकारी सदस्य होंगे।

(ग) इस दल द्वारा अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल 1994 को प्रस्तुत कर देने की संभावना है।

राज्य स्तर की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता

1357. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन निगमों द्वारा इस धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगमों को अंश पूंजी के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गये है।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा उपयोग के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गये हैं।

विवरण-I

(रु. लाख में)

क्र.सं.	रा./सं. रा. क्षेत्र का नाम	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1221.73	682.68	489.00
2.	असम	21.13	171.02	22.09
3.	बिहार	31.43	76.89	86.25
4.	गुजरात	60.18	56.69	100.07
5.	हरियाणा	53.56	57.65	106.54
6.	हि. प्रदेश	25.48	34.30	46.63
7.	जम्मू और कश्मीर	55.66	82.08	57.65
8.	कर्नाटक	44.88	99.00	197.80
9.	केरल	37.97	115.18	88.87
10.	मध्य प्रदेश	167.02	89.24	24.00
11.	महाराष्ट्र	69.90	51.83	81.92
12.	उड़ीसा	31.03	23.41	31.22

1	2	3	4	5
13.	पंजाब	118.47	163.20	252.96
14.	राजस्थान	46.92	35.22	19.22
15.	तमिलनाडु	236.09	97.99	122.44
16.	त्रिपुरा	43.40	24.00	10.60
17.	प. बंगाल	458.39	384.00	288.93
18.	उत्तर प्रदेश	368.18	356.38	211.93
19.	चंडीगढ़	6.00	26.68	4.80
20.	दिल्ली	49.04	90.25	48.04
21.	पांडिचेरी	21.54	28.22	—
	कुल जोड़	3218.00	2746.05	2200.07

विवरण—II

क्र.सं.	रा./सं. रा. क्षेत्र का नाम	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1221.73	682.62	489.00
2.	असम	21.13	29.00	*
3	बिहार	81.43	9.43	30.13
4.	गुजरात	60.18	56.69	100.07
5.	हरियाणा	53.56	57.65	106.54
6.	हि. प्रदेश	25.48	34.30	46.63
7.	जम्मू और कश्मीर	55.66	77.20	*
8.	कर्नाटक	44.88	99.00	107.80
9.	म. प्रदेश	167.02	89.24	24.00
10.	केरल	37.97	115.18	88.87

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र	69.90	51.83	81.92
12.	उड़ीसा	31.03	23.41	31.22
13.	पंजाब	118.47	108.44	*
14.	राजस्थान	46.92	25.70	7.68
15.	तमिलनाडु	236.09	97.99	122.44
16.	त्रिपुरा	43.40	24.00	10.60
17.	प. बंगाल	458.39	384.00	288.93
18.	उत्तर प्रदेश	368.18	347.89	*
19.	चंडीगढ़	6.00	26.68	4.80
20.	दिल्ली	49.04	90.25	48.04
21.	पांडिचेरी	21.54	28.22	-

* उपयोग नहीं किया गया।

महिलाओं पर अत्याचार

1358. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्री प्रेम चंद राम :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में देश में महिलाओं पर अत्याचारों की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) गत छः महीनों के दौरान राज्यवार और संघ-राज्य क्षेत्रवार दहेज से हुई मौतों, बलात्कार अपहरण तथा छेड़छाड़ की घटनाओं सहित महिलाओं पर हुए अत्याचार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है.?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ग) जुलाई, 1993 से दिसम्बर,

1993 तक महिलाओं पर ज्यादतियों के मामलों की संख्या के बारे में उपलब्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार तथा श्रेणीवार डाटा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (घ) महिलाओं पर होने वाली ज्यादतियों के अपराधों सहित अपराधों को दर्ज करना, उनका अन्वेषण करना, पता लगाना और उनका निवारण राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, भारत सरकार ने ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। "दहेज निषेध अधिनियम (1961)" में वर्ष 1984 तथा 1986 में संशोधन किए गए, जिससे कि इसे अधिक सख्त बनाया जा सके। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता (1973) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) में संशोधन किए गए हैं, जिससे कि न कि दहेज संबंधी मौतों के मामलों से बल्कि विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता के मामलों के साथ भी प्रभावकारी ढंग से निपटा जा सके। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी समय-समय पर निर्देश/मार्ग दर्शन दिए गए हैं कि वे महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों से संबंधित कानूनों को प्रभावकारी ढंग से लागू करें। इसके अलावा, संचार माध्यमों का प्रयोग महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा है। "जागरुकता-जागरण" शिविर लगाए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए.) और महिला साक्षरता कार्यक्रमों सहित, महिलाओं के विकास संबंधी कार्यक्रम के रूप कुछ अन्य कदम भी महिलाओं के स्तर में सुधार के लिए उठाए जा रहे हैं।

विवरण

1993 के उत्तरार्द्ध (जुलाई से दिसम्बर) के दौरान दहेज संबंधी मौतों, बलात्कार, उत्पीड़न एवं महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं,

(राज्य एवं संघशासित क्षेत्रवार)

क्र. सं.	राज्य/संघ	दहेज संबंधी मौतें						
		जुलाई	अग.	सित.	अक्तू.	नव.	दिस.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	45	38	44	64	65	293
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	उ.न.	उ.न.	0
3.	असम	2	2	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	4
4.	बिहार	42	36	25	43	उ.न.	उ.न.	146
5.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	—
7.	हरियाणा	12	16	18	उ.न.	उ.न.	उ.न.	46
8.	हिमाचल प्रदेश	7	0	2	0	1	उ.न.	10
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	16	उ.न.	16
10.	कर्नाटक	33	34	13	16	21	10	127
11.	केरल	1	0	0	2	0	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	मध्य प्रदेश	44	12	35	41	उ.न.	उ.न.	132
13	महाराष्ट्र	48	69	83	60	65	66	391
14	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
15	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	उ.न.	0
18.	उड़ीसा	24	43	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	67
19.	पंजाब	21	16	10	19	5	15	86
20.	राजस्थान	36	57	उ.न.	उ.न.	उ.न.	15	108
21.	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
22	तमिलनाडु	14	5	5	3	4	6	37
23	त्रिपुरा	0	1	0	0	1	0	2
24	उत्तर प्रदेश	217	183	224	175	84	उ.न.	883
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	
कुल राज्य		538	519	453	403	261	178	2352

संघशासित क्षेत्र							
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
27. चंडीगढ़	0	1	0	0	1	0	2
28. दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	उ.न.	0	0
29. दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	उ.न.	0
30. दिल्ली	10	5	9	10	11	6	51
31. लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0
32. पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
योग- संघशासित क्षेत्र	10	6	9	10	12	6	53
योग- समस्त भारत	548	525	462	413	273	184	2405

1993 के उत्तरार्द्ध (जुलाई से दिसम्बर) के दौरान दहेज संबंधी मौतों, बलात्कार, उत्पीड़न एवं महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं

(राज्य एवं संघशासित क्षेत्रवार)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	बलात्कार						
		जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	योग
1	2	10	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	78	70	74	74	51	65	412
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	3	1	उ.न.	उ.न.	8
3.	असम	45	41	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	86
4.	बिहार	64	68	63	64	उ.न.	उ.न.	259
5.	गोवा	1	1	0	0	1	2	5
6.	गुजरात	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न	–
7.	हरियाणा	17	16	21	उ.न.	उ.न.	उ.न.	54
8.	हिमाचल प्रदेश	10	3	8	9	7	उ.न.	37
9.	जम्मू और कश्मीर	14	14	32	7	5	उ.न.	72
10.	कर्नाटक	18	24	19	20	19	17	117
11.	केरल	13	16	21	0	0	20	70

12. मध्य प्रदेश	230	195	248	241	उ.न.	उ.न.	914
13. महाराष्ट्र	89	99	109	92	85	86	560
14. मणिपुर	0	1	0	1	2	0	4
15. मेघालय	2	2	1	1	0	3	9
16. मिजोरम	2	2	6	4	1	1	16
17. नागालैंड	0	0	0	0	0	उ.न.	0
18. उड़ीसा	28	36	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	64
19. पंजाब	14	8	8	7	6	6	49
20. राजस्थान	78	97	उ.न.	उ.न.	उ.न.	54	229
21. सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	--
22. तमिलनाडु	16	21	16	14	11	14	92
23. त्रिपुरा	5	6	12	3	4	5	35
24. उत्तर प्रदेश	140	191	177	183	124	उ.न.	815
25. पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	—
कुल–राज्य	867	912	818	721	316	273	3907

1	2	10	11	12	13	14	15	16
	संघशासित क्षेत्र							
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	1	0	0	1	2
27.	चंडीगढ़	1	0	0	1	0	0	2
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	उ.न.	0	0
29.	दमन एवं दीव	0	0	1	0	0	उ.न.	1
30.	दिल्ली	16	11	29	15	11	13	95
31.	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	1	1
	योग–संघशासित क्षेत्र	17	11	31	16	11	15	101
	योग–समस्त भारत	884	923	849	737	327	288	4008

1993 के उत्तरार्द्ध (जुलाई से दिसम्बर) के दौरान दहेज संबंधी मौतों, बलात्कार, उत्पीड़न एवं महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं

(राज्य एवं संघशासित क्षेत्रवार)

क्र.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	अपहरण एवं व्यपहरण (महिला व बालिका)						
सं.		जुलाई	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	योग
1	2	17	18	19	20	21	22	23
1.	आन्ध्र प्रदेश	50	38	53	36	46	48	271
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	2	0	उ.न.	उ.न.	2
3.	असम	38	57	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	95
4.	बिहार	39	42	19	27	उ.न	उ.न.	127
5.	गोवा	3	4	1	2	1	1	12
6.	गुजरात	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	–
7.	हरियाणा	18	30	13	उ.न.	उ.न.	उ.न.	61
8.	हिमाचल प्रदेश	14	17	19	11	13	उ.न.	74
9.	जम्मू और कश्मीर	32	33	32	34	9	उ.न.	140
10.	कर्नाटक	19	26	38	16	[illegible]	12	136

1	2	17	18	19	20	21	22	23
11.	केरल	6	38	5	44	50	2	145
12.	मध्य प्रदेश	71	79	84	84	उ.न.	उ.न.	318
13.	महाराष्ट्र	74	57	46	79	79	75	410
14.	मणिपुर	11	3	4	4	7	5	34
15	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	उ.न.	0
18.	उड़ीसा	15	96	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	111
19.	पंजाब	17	11	14	5	6	11	64
20.	राजस्थान	196	215	उ.न.	उ.न.	उ.न.	131	542
21.	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	—
22.	तमिलनाडु	26	21	24	16	21	40	148
23.	त्रिपुरा	3	5	3	5	5	5	26
24.	उत्तर प्रदेश	212	247	172	199	136	उ.न.	966
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	--
	कुल राज्य	844	1019	529	562	398	330	3682

26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	0	0	0	0	2
27. चंडीगढ़	2	2	3	2	3	3	15
28. दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	उ.न.	0	0
29. दमन एवं दीव	0	0	1	0	0	उ.न.	1
30. दिल्ली	46	57	65	45	56	42	311
31. लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0
32. पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0
योग - संघशासित क्षेत्र	49	60	69	47	59	45	329
योग - समस्त भारत	893	1079	598	609	457	375	4011

1993 के उत्तरार्द्ध (जुलाई से दिसम्बर) के दौरान दहेज संबंधी मौतों, बलात्कार, उत्पीड़न एवं महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं

(राज्य एवं संघशासित क्षेत्रवार)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	उत्पीड़न						
		जु.	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	योग
1	2	24	25	26	27	28	29	30
1.	आन्ध्र प्रदेश	136	155	178	148	143	154	914
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	2	0	उ.न.	उ.न.	6
3.	असम	13	11	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	24
4.	बिहार	18	15	11	8	उ.न.	उ.न.	52
5.	गोवा	1	5	3	4	2	2	17
6.	गुजरात	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	—
7.	हरियाणा	24	31	28	उ.न.	उ.न.	उ.न.	83
8.	हिमाचल प्रदेश	33	29	24	28	12	उ.न.	126
9.	जम्मू और कश्मीर	16	30	28	15	0	उ.न.	89
10.	कर्नाटक	58	73	85	86	76	74	452
11.	केरल	57	0	39	20	12	40	168
12.	मध्य प्रदेश	516	577	643	547	उ.न.	उ.न.	2283

13.	महाराष्ट्र	237	232	266	320	238	239	1532
14	मणिपुर	6	2	0	1	4	2	15
15	मेघालय	2	1	0	3	3	1	10
16.	मिजोरम	1	3	1	4	6	4	19
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	उ.न.	0
18.	उड़ीसा	71	0	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	71
19.	पंजाब	2	5	0	0	3	0	10
20.	राजस्थान	138	150	उ.न.	उ.न.	उ.न.	65	353
21	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	–
22.	तमिलनाडु	37	54	41	47	37	37	253
23.	त्रिपुरा	14	8	10	13	7	8	60
24.	उत्तर प्रदेश	208	280	265	216	154	उ.न.	1123
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	–
	योग—राज्य	1590	1663	1624	1460	697	626	7660

1	2	24	25	26	27	28	29	30
	संघ शासित क्षेत्र							
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2	2	3	4	3	16
27.	चण्डीगढ	1	2	2	1	2	0	8
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	उ.न.	0	0
29.	दमण एवं दीव	0	0	0	0	0	उ.न.	0
30.	दिल्ली	33	25	22	20	10	15	125
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	2	1	0	1	2	0	6
	योग—संघशासित क्षेत्र	38	30	26	25	18	18	155
	योग—समस्त भारत	1628	1693	1650	1485	715	644	7815

नोट : 1. ये आंकड़े मासिल अपराध सांख्यिकी पर आधारित हैं और इन्हें अन्तिम माना जाए।

2. उ.न. का तात्पर्य "उपलब्ध नहीं" से है।

1993 के उत्तरार्द्ध (जुलाई से दिसम्बर) के दौरान दहेज संबंधी मौतों, बलात्कार, उत्पीड़न एवं महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं
(राज्य एवं संघशासित क्षेत्रवार)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	महिलाओं से छेड़छाड़						
		जु.	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	योग
1	2	31	32	33	34	35	36	37
1.	आन्ध्र प्रदेश	78	508	136	206	668	448	2044
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	उ.न.	उ.न.	0
3.	असम	0	0	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0
4.	बिहार	0	0	0	1	उ.न.	उ.न.	1
5.	गोवा	0	3	6	2	1	0	12
6.	गुजरात	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0	—
7.	हरियाणा	45	37	56	उ.न.	उ.न.	उ.न.	138
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	4	1	उ.न.	7
9.	जम्मू और कश्मीर	14	19	29	16	15	उ.न.	93
10.	कर्नाटक	17	2	17	25	20	33	114
11.	केरल	2	0	0	15	4	0	21
12.	मध्य प्रदेश	31	48	75	59	उ.न.	उ.न.	213

1	2	31	32	33	34	35	36	37
13.	महाराष्ट्र	41	28	39	33	439	128	708
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	उ.न.	0
18.	उड़ीसा	15	22	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	37
19.	पंजाब	0	1	1	0	0	0	2
20.	राजस्थान	0	2	उ.न.	उ.न.	उ.न.	3	5
21.	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	—
22.	तमिलनाडु	70	80	63	85	62	104	464
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	253	290	253	290	146	उ.न.	1232
25.	पश्चिम बंगाल	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	...
	योग (राज्य)	566	1040	677	736	1356	716	5091

संघ शासित क्षेत्र							
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	0	1	0	0	2
27. चण्डीगढ	1	5	3	1	1	0	11
28. दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0	उ.न.	0	0
29. दमण एवं दीव	0	0	0	0	0	उ.न.	0
30. दिल्ली	189	223	173	199	131	143	1058
31. लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
32. पांडिचेरी	67	43	33	35	26	37	241
योग–संघशासित क्षेत्र	257	272	209	236	158	180	1312
योग–समस्त भारत	823	1312	886	972	1514	896	6403

नोट : 1. ये आंकड़े मासिल अपराध सांख्यिकी पर आधारित हैं और इन्हें अन्तिम माना जाए।
2. उ.न. का तात्पर्य "उपलब्ध नहीं" से है।

एल.पी.जी. की मांग और पूर्ति

1359. **डा. विश्वनाथन कैनिथी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी कम्पनियों को भागीदारी की अनुमति देने के पश्चात् एल.पी.जी. की उपलब्धता, मांग और वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इस समय आठवीं योजना के अन्त तक भागीदारी का प्रतिशत और भागीदारी का अनुमानित प्रतिशत क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के विद्यमान ग्राहकों की 3057 टी.एम.टी. की अनुमानित मांग के प्रति वर्ष 1993-94 के दौरान एल.पी.जी. की देशी उपलब्धता के 2690 टी.एम.टी. होने का अनुमान है। इस कमी को सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा आयातों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। समानांतर विपणन प्रणाली के अंतर्गत निजी कम्पनियां सरकारी तेल कम्पनियों के पास उपलब्ध एल.पी.जी. का बंटवारा नहीं करती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वितरण अधिकार वापस लेना

1360. **श्री सोमजी भाई डामोर :**
श्री प्रेम चंद राम :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान कितनी रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्रों से वितरण अधिकार वापस किये गये; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 1992-93 और 1993-94 (अप्रैल से दिसम्बर, 1993) की अवधि के दौरान बड़े कदाचारों/अनियमितताओं, डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के उल्लंघन, त्याग पत्र और साझेदारी विवादों आदि के कारण 23 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा 25 पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों को समाप्त कर दिया गया।

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय जल विवाद

1361. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**
श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में अंतर्राज्यीय जल विवादों के लंबित होने के संबंध में छपे समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विवादों को हल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे;

(ग) क्या सरकार इन विवादों को हल करने के लिए एक समान और सतत तंत्र बनाने तथा प्रक्रिया अपनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ङ) अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के अधिनिर्णय के लिए सरकार ने पहले ही अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 बना लिया है। इसके अलावा, अन्तर्राज्यीय जल संसाधन मुद्दों पर एक स्थायी समिति केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में अप्रैल, 1990 में गठित की गयी थी। इस समिति में सदस्य राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद से लिए गए हैं।

(च) अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत रावी और व्यास के अधिशेष जल के बंटवारे तथा कावेरी जल के मामले क्रमशः अप्रैल, 1986 और जून, 1990 में अधिकरणों को भेजे गये हैं। रावी और व्यास जल अधिकरण ने जनवरी, 1987 में अपनी रिपोर्ट दी है तथा भारत सरकार और भागीदारी राज्यों ने अधिकरण की रिपोर्ट पर उससे स्पष्टीकरण/मार्गनिर्देश मांगने के वास्ते अधिनियम में की गई परिकल्पना के अनुसार और संदर्भ भेजा है। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने 25-6-91 को एक आदेश पारित किया, जिसमें तमिलनाडु एवं पाण्डिचेरी को अन्तरिम राहत प्रदान करने के लिए कहा गया है। केन्द्रीय सरकार ने 10-12-91 को अधिकरण का आदेश राजपत्र में अधिसूचित कर दिया, जिससे यह विवाद के पक्षों पर अंतिम और बाध्य हो गया।

हाल ही में वार्षिक उपलब्धता के औसत के आधार पर ओखला तक यमुना जल के आबंटन पर जल संसाधन में अन्तर्राज्यीय मुद्दों पर स्थायी समिति के तत्वाधान में 24-12-1993 को सह बेसिन राज्यों द्वारा विचार किया गया था। संबंधित प्रत्येक राज्य को आवंटित की जाने वाली जल की मात्रा पर आम सहमति हो गयी है। तथापि, इसके क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम पर कोई सहमति नहीं हुई है।

दिल्ली-पुलिस

1362. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित करने के उद्देश्य से, उसको निम्नलिखित शस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं :

क्र. सं.	शस्त्र का नाम	उपलब्ध भंडार	चालू वित्तीय वर्ष 93-94 के दौरान प्राप्त किए जा रहे शस्त्र
1.	303 राइफलों के स्थान पर सैल्फ-लोड़िंग 7.62 राइफल	2400	2550
2.	कार्बाइन मशीन 9 मि.मि. एस.ए.एफ.	3386	2480
3.	ए.के.-47	300	-
4.	9 मि.मि. पिस्तौल	1245	800

ऊपरी कृष्णा परियोजना

1363. **श्री एच.डी. देवगौड़ा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने ऊपरी कृष्णा परियोजना के लिए सहायता स्थगित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कुल कितनी राशि स्वीकृत की थी; और

(घ) विश्व बैंक द्वारा अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) अपर कृष्णा सोपान II सिंचाई परियोजना के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन कार्यक्रम के तुलनात्मक धीमे क्रियान्वयन के कारण नवम्बर, 1992 में विश्व बैंक सहायता स्थगित करनी पडी। तथापि, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पहलू के लिए निर्धारित बेंच मार्कों के पूरा हो जाने की संतुष्टि के बाद अब 12-2-1994 को इसका निलम्बन अन्ततः हटा लिया गया है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक ने अपर कृष्णा सोपान II सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1989 में 325 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का वचन दिया है। तथापि, वर्तमान, 247.5 मिलियन अमेरिकी डालर की विश्व बैंक सहायता की तुलना में 31-12-1993 तक 77.425 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि संवितरित की गई है।

दिल्ली में अपहरण और हत्या के मामले

1364. **श्री जीवन शर्मा :**
डा. कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत बारह महीनों में दिल्ली में प्रतिमाह अपहरण और हत्या की कितनी घटनाएं घटीं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनके तुलनात्मक आकड़े क्या हैं;

(ग) कितने मामलों का पता लगाया गया;

(घ) शेष मामलों के प्रकाश में न आने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अपराध की दर में हो रही वृद्धि को देखते हुए दिल्ली में और अधिक थानों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) पिछले 12 महीनों के दौरान (माहवार) अर्थात् 1 फरवरी, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान और पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि अर्थात् फरवरी, 90 से जनवरी, 91, फरवरी, 91 से जनवरी, 92 और फरवरी, 92 से जनवरी, 93 के दौरान सूचित किए गए और सुलझा लिए गए अपहरण और हत्या के मामलों की सख्या सलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) मामलों को "पता न चला" के रूप में फाईल करने के मुख्य कारण हैं :

– पर्याप्त सुरागों/साक्ष्यों की कमी,

– शवों की शिनाख्त न हो पाना, और

– मामले की जांच पड़ताल के दौरान अपराधियों की मृत्यु हो जाना।

(ङ) से (च) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

		अपहरण		हत्या	
माह	वर्ष	सूचित किए गए मामले	सुलझा लिए गए मामले	सूचित किए गए मामले	सुलझा लिए गए मामले
1	2	3	4	5	6
फरवरी	1990	16	4	21	11
	1991	13	7	36	23
	1992	16	3	38	31
	1993	11	7	34	27
मार्च	1990	25	4	29	20
	1991	17	6	41	31
	1992	12	1	56	41
	1993	11	5	44	32
अप्रैल	1990	14	3	34	23
	1991	16	1	53	40
	1992	12	1	37	27
	1993	19	8	40	33
मई	1990	18	8	36	26
	1991	8	3	46	35
	1992	25	10	54	47
	1993	13	10	51	38

जून	1990	19	3	32	26
	1991	24	9	55	48
	1992	29	6	55	45
	1993	14	7	31	24
जुलाई	1990	17	7	37	30
	1991	15	6	43	35
	1992	25	11	44	39
	1993	14	5	35	30
अगस्त	1990	14	5	30	23
	1991	21	4	43	35
	1992	20	9	50	41
	1993	16	5	47	39
सितम्बर	1990	19	10	42	31
	1991	34	14	48	37
	1992	24	8	44	32
	1993	17	7	46	32
अक्तूबर	1990	17	6	31	19
	1991	9	4	51	37
	1992	17	3	44	40
	1993	19	6	54	32

1	2	3	4	5	6
नवम्बर	1990	13	4	38	27
	1991	15	4	36	26
	1992	17	3	40	30
	1993	8	-	38	25
दिसम्बर	1990	19	7	36	22
	1991	14	7	26	15
	1992	8	2	27	18
	1993	13	4	31	20
जनवरी	1991	11	5	30	22
	1992	18	8	37	27
	1993	16	5	35	28
	1994	17	5	36	21

[हिन्दी]

बिहार की सिंचाई परियोजना

1365. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन के अभाव के कारण बिहार के उत्तर कोयल जलाशय, महमूदगंज बैराज, औरंगा जलाशय और कोमार जलाशय पर काम रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए अब तक कुल कितनी धनराशि दी है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

बिहार की सिंचाई परियोजनाओं पर परिव्यय और व्यय की ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	3/93 तक हुआ व्यय	8वीं योजना परिव्यय	1993-94 का वार्षिक योजना परिव्यय	1993-94 के दौरान प्रत्याशित व्यय
1.	उत्तरी कोयल जलाशय (महमूदगंज बराज सहित)	475.00	360.03	132.18	22.00	11.315
2.	औरंगा जलाशय	297.81	15.778	20.00	5.00	1.124
3.	कोनार दिक्परिवर्तन	252.97	75.111	30.26	-	2.648

टिप्पणी : वर्तमान नीति के अनुसार, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निरूपण, क्रियान्वयन और वित्त पोषण स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र एकमुक्त अनुदान और ऋण देता है, जो किसी क्षेत्र से सम्बद्ध नहीं होता है।

तेल का उत्पादन

1366. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1993 तक खोज किए गए उन तेल क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां कच्चे तेल के उत्पादन की संभावना है;

(ख) क्या इन तेल क्षेत्रों में तेल निकालने का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में मांग को पूरा करने के लिए 1992-93 के दौरान पेट्रोल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का कितना आयात किया गया;

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में तेल की खोज और इसके उत्पादन हेतु कितना आबंटन किया गया है; और

(च) देश में तेल उत्पादन की गति मंद होने के क्या कारण हैं और देश में तेल कम्पनियों को कितना वार्षिक औसत लाभ हुआ ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) 1993 तक किये गये अन्वेषण प्रयासों से क्रूड उत्पादन की क्षमता वाले करीब 175 तटवर्ती और अपतटीय क्षेत्र स्थापित हुए है।

(ख) और (ग) पर्यावरणीय बाधाओं के कारण ओ एन जी सी पूर्वी क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान सही ढंग से प्रचालन करने में समर्थ नहीं रहा है। अन्य स्थानों पर प्रचालन आम तौर पर सामान्य रहे हैं।

(घ) 1992-93 में 29.25 मिमि. टन* कच्चा तेल तथा 11.28 मिमि. टन* पी ओ एल उत्पाद का आयात किया गया था।

(ङ) इस क्षेत्र के लिए अनुमोदित आठवीं योजना परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये है।

(च) इसके कारणों में बम्बई हाई में उपचारी उपाय, श्रोत संबंधी कठिनाइयों के कारण परियोजनाओं में विलम्ब तथा उत्तर पूर्व में पर्यावरणीय घटक शामिल हैं। 1992-93 के दौरान ओ एन जी सी और आयल इंडिया लि. द्वारा अर्जित लाभ क्रमशः 788.20 करोड़ रुपए तथा 37.78 करोड़ रुपए था।

*अनन्तिम

ल्यूकोडर्मा का उपचार

1367. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ल्यूकोडर्मा के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रोग के उपचार हेतु अनुसंधान कार्य शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) हालांकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे पता चलता हो कि पिछले तीन वर्षों के दौरान ल्यूकोडर्मा के मामलों में वृद्धि हुई है, तथापि काफी अधिक संख्या में रोगी क्लिनिकों में आते हैं क्योंकि इस समस्या के बारे में जागरूकता काफी अधिक है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसधान परिषद इस विषय पर अनुसंधान करने हेतु ल्यूकोडर्मा के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों को सहयोग देती आ रही है।

विदेशी पर्यटकों को ठगना

1368. **डा. महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गत छह माह के दौरान विदेशी पर्यटकों को ठगने और लूटने के कुछ मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया हैं कि पिछले 6 महीनों के दौरान अर्थात् 1 अगस्त, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक विदेशियों को धोखा देने और उन्हें लूट लिए जाने की चार घटनाएं दिल्ली में सूचित की गई थीं। थाना नबी करीम, करोल बाग, आई.जी.आई. एयरपोर्ट और पहाड़गंज में क्रमशः चार आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में तीन आदमी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

(घ) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं– गश्त गहन करना, चुनिंदा स्थानों पर पिकेट तैनात करना, होटलों और गेस्ट हाउसों की जांच करना, विभिन्न पिकेटों पर उन तिपहिया चालकों के नाम और पंजीकरण संख्या को नोट करना जो सवारियां ले जाते हैं, पर्यटकों को सूचना और मार्गदर्शन देना, आदि।

[अनुवाद]

राज-भाषा कार्यान्वयन समिति

1369. **श्री ललित उरांव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) 1993 के दौरान उक्त समिति की बैठक किन-किन तिथियों को आयोजित की गई थी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार गृह मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में संयुक्त सचिव (प्रशासन) अध्यक्षों के रूप में और विभिन्न डिवीजनों के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

(ग) तिमाही बैठकें होती हैं। 1993 के दौरान 12-2-1993, 21-4-1993, 24-9-1993 और 31-12-1993 को बैठकें आयोजित की गई।

[हिन्दी]

गुजरात में घुसपैठ

1370. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिकों ने गुजरात में घुसपैठ की है और वे वहां रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है और वे किन-किन क्षेत्रों में बस गए हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) पाक राष्ट्रिकों द्वारा गुजरात में अवैध रूप से घुसपैठ करने और वहां बस जाने की समस्या कोई बहुत बड़ी नहीं है। तथापि, घुसपैठियों का पता लगाने और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने के लिए राज्य सरकारों के पास स्थायी निर्देश हैं।

[अनुवाद]

तेल की खोज

1371. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट तथा कम्पनियों द्वारा तेल की खोज के लिए अपने बजट में की जा रही कटौती को देखते हुए सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों के तेल की खोज के क्षेत्र में पूंजी निवेश आकृष्ट बनाने करने हेतु अपने पैकेज को और अधिक आकर्षक बनाने का है;

(ख) क्या सरकार ऐसे अनेक उपाय कर रही है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इस क्षेत्र में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तेल की खोज के लिए किन-किन अन्य पैकेजों पर विचार किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) तेल एवं गैस के अन्वेषण और तेल क्षेत्रों के विकास में सक्रिय निजी कंपनियों को पहले ही कई प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें 50 प्रतिशत निगम कर की रियायती दर, कम्पनियों के तेल वाले हिस्से हेतु अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर उत्पादित गैस का मूल्य निर्धारण और सीमा शुल्क में छूट शामिल है।

इसके अतिरिक्त देश के तुलनात्मक रूप से अल्प-अन्वेषित बेसिनों में भूकम्पीय आंकड़ों को उन्नयितच करने के प्रयास जारी हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों का इनके प्रति आकर्षण बढ़ाया जा सके। कम्पनियों के साथ जनसंपर्क करने तथा उन्हें सरकार ही नवीनतम पहल से अवगत कराने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में एक प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है।

मंगलौर में तेलशोधक परियोजना

1372. **श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में स्थापित की जाने वाली तेलशोधक परियोजना खटाई में पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस परियोजना का कार्य अविलम्ब पूरा करने के लिए क्या प्रयास किये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) भारत सरकार ने जून, 1990 की कीमतों के आधार पर 1160 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा सह प्रोत्साहक मैसर्स इंडियन रेयन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मदद संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम.आर.पी.एल.) द्वारा एक 3 मि.मि.ट.प्र. वर्ष की मंगलौर परियोजना को स्थापित करने के लिए 11-4-1991 को अनुमोदन किया था।

31-1-1994 तक वहन किया गया कुल व्यय 479 करोड़ रुपए है। परियोजना का संशोधित लागत अनुमान सरकार के विचाराधीन है। परियोजना की क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही संतोषजनक है।

कावेरी जल विवाद

1373. **श्री वी. धनंजय कुमार** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कावेरी जल विवाद पर एक पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति का गठन सभी संबंधित पक्षों की सहमति से किया गया है;

(ग) कावेरी जल ट्रिब्यूनल के आदेशों के क्रियान्वयन में कितनी सफलता मिली है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर मेत्तूर जलाशय के प्रति प्रवाह के साथ-साथ मेत्तूर जलाशय के प्रवाहों पर केन्द्रीय जल आयोग के बिल्ली गुडलु जल वैज्ञानिक केन्द्र पर कावेरी नदी में प्रवाहों का आकलन और समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जनवरी, 1994 में विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की गयी है। इस समिति में विशेषज्ञ, केन्द्रीय जल आयोग और सभी कावेरी बेसिन राज्यों से लिए गये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) 25 जून, 1991 के अधिकरण के आदेश को, सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के बाद 10 दिसम्बर, 1991 को राजपत्र में पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है। इस आदेश के प्रकाशित हो जाने से यह बेसिन राज्यों के लिए प्रभावी और बाध्यकारी हो गया है तथा उनके द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाना है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

1374. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कितने औषधालय हैं;

(ख) इन औषाधालयों पर गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या सरकार का विचार इस राज्य के उन जिलों में जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय नहीं हैं, खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) बिहार में आठ औषधालय, एक होम्योपैथिक औषधालय और एक पॉलीक्लीनिक कार्य कर रहे हैं।

(ख) पिछले वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि इस प्रकार है :

वर्ष	राशि (रुपये लाख में)
1990-91	116.69
1991-92	148.97
1992-93	174.31

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला व्यापारी

1375. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में इस समय कोयले के कितने थोक व्यापारी हैं,

(ख) इनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के और अधिक थोक कोयला व्यापारियों की नियुक्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) कोल इंडिया लि. द्वारा राजस्थान गुजरात तथा महाराष्ट्र में नियुक्त किए गए कोयले के थोक बिक्री व्यापारियों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है

राज्य	थोक बिक्री व्यापारियों की संख्या
राजस्थान	12
गुजरात	शून्य
महाराष्ट्र	शून्य

(ख) से (घ) कोल इंडिया लि. के पास उपरोक्त राज्यों में नियुक्त किए गए थोक बिक्री व्यापारियों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के व्यापारियों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि किसी भी विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए इस योजना के अन्तर्गत कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं की जाती है। किन्तु इस योजना को खुला रखा गया है जिसकी आवेदन पत्र प्राप्त करने की कोई अंतिम तारीख भी नहीं है। थोक बिक्री व्यापारियों की नियुक्ति करने की कोई निर्धारित संख्या भी नहीं है। वैसे भी सभी अनुसूचित जाति/जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के आवेदक जो कि योजना में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं, उपरोक्त योजना के अन्तर्गत थोक बिक्री व्यापारी नियुक्त किये जा सकते हैं।

तम्बाकू के विज्ञापन पर प्रतिबंध

1376. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेट के विज्ञापन पर लगाये गये प्रतिबंध की तरह ही अन्य प्रकार के तम्बाकू पर भी प्रतिबंध लगाये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार सिगरेट के अलावा अन्य चीजों में प्रयोग किये जाने वाले तम्बाकू के विज्ञापन पर किस प्रकार प्रतिबंध लगाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) इस मसय सिगरेट के विज्ञापनों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। एक व्यापक विधान बनाने का प्रस्ताव है जिसमें सभी तम्बाकू उत्पादों से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रावधान है।

बिहार प्लैटो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

1377. **श्री सूर्य नारायण सिंह** :
श्री विजय कुमार यादव :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने जानजातीय विकास के लि 400 करोड़ रुपये की बिहार प्लैटों डैव्लपमेंट प्रोजेक्ट (बी.पी.डी.पी.) नामक परियोजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि इस परियोजना का लाभ जनजातीय लोगों तक पहुंचे ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) विश्व बैंक ने बिहार के लिए 1993-94 से 1997-98 तक, पांच वर्षों की अवधि के लिए 389.52 करोड़ रुपए की कुल लागत से बिहार प्लैटो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बी.पी.डी.पी) नामक एक परियोजना प्रायोजित की है।

(ख) नौ जिलों से 67 (सरसठ) आदिवासी बाहुल्य समुदाय विकास ब्लाक इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। ये नौ जिले हैं : रांची, लोहरदंगा, गुमला, गढवा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज।

परियोजना का लक्ष्य बिहार सरकार की ग्रामीण आय बढ़ाने और सिंचाई के बुनियादी ढांचे में निवेशों द्वारा उपयोजना के पूर्व.बाहुल्य आदिवासियों क्षेत्रों के विकासशील पठारी क्षेत्रों में गरीब को कम करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में इसकी सहायता करना है ताकि कृषि संबंधी गतिविधियों में अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ग्रामीण सड़कों से वाणिज्य और आवागमन, पर्यावरण की सुरक्षा करने हेतु वाटर.शेड ट्रीटमेंट विकसित हो सके तथा पहले से पड़ी बंजर भूमि से आय बढ़ सके। क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु पेयजल की सुविधाएं प्रदान की जा सके।

भूमि का लगभग 27500 हेक्टेयर भाग सिंचाई के योग्य बनाया जाएगा/उन्नयन किया जाएगा, करीब 1200 कि.मी. की दूरी तक ग्रामीण सड़के बनाई जाएंगी या उनका उन्नयन किया जाएगा, वाटर शेड के लगभग 10,000 हेक्टेयर में सुधार किया जाएगा तथा लगभग 13000 पेयजल के हैन्ड पम्प लगाए जाएंगे।

पांच वर्षों के लिए संघटकवार अन्तरिम परिव्यय निम्नानुसार है :

(क) कृषि संबंधी विकास	20.47 करोड़ रुपये
(ख) पेयजल	42.21 करोड़ रुपए
(ग) लघु सिंचाई	130.21 करोड़ रुपये
(घ) ग्रामीण सड़कें	191.02 करोड़ रुपये
(ङ) परियोजना क्रियान्वयन	5.61 करोड़ रुपये
कुल	389.52 करोड़ रुपये

कुल अनुमानित परियोजना लागत है, जिसमें वास्तविक और मूल्य आकस्मिकताएं शामिल है।

उपरोक्त राशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

पहले वर्ष (1993-94)	62.93 करोड़ रुपए
दूसरे वर्ष (1994-95)	69.25 करोड़ रुपए
तीसरे वर्ष (199-.96)	90.36 करोड़ रुपए
चौथे वर्ष (1996-97)	93.50 करोड़ रुपए
पांचवे वर्ष (199-.98)	73.48 करोड़ रुपए
कुल	389.52 करोड़ रुपये

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के लाभ आदिवासी लोगों तक पहुंचते हैं, परियोजना करार में लोगों की भागीदारी को पहली शर्त के रूप में गया है। परियोजना में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लाभग्राहियों के बीच जागृति बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लाभ लक्षित लाभग्राहियों तक पहुंचे, निम्न स्तर पर ग्रामीण समितियां/प्रबन्ध समितियां औरे सहकारी समितियां गठित की जाएगी।

जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

1378. **श्री शांताराम पोतदुखे** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए गठित राष्ट्रीय स्तर की समितियों के नाम क्या है; और

(घ) सरकार ने 1993.94 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जल संसाधन क्षेत्र के समग्र कार्यक्रमों का एक अभिन्न अंग है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम में ये शामिल है, वैज्ञानिक/व्यावसायिक निकायों को अनुदान.सहायता देना, राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान.सहायता देना तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित/प्रयोजित करना।

(ग) जल संसाधन क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के समन्वय के लिए गठित राष्ट्रस्तरीय समितियां ये हैं : जलीय अनुसंधान पर भारतीय राष्ट्रीय समित, जल विज्ञान पर भारतीय राष्ट्रीय समिति, सिंचाई और जल निकास पर भारतीय राष्ट्रीय समिति, शिला यांत्रिकी और सुरंग प्रौद्योगिकी पर भारतीय राष्ट्रीय समिति तथा निर्माण सामग्री और संरचनाओं पर भारतीय राष्ट्रीय समिति। उक्त के अलावा, निम्नलिखित संगठनों के कुछ क्षेत्रों में जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास योजनाएं सुझाने का कार्य भी आबंटित किया गया है :

1. केन्द्रीय जल आयोग,
2. केन्द्रीय भूमि जल वोर्ड,
3. गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग,

इन समितियों तथा संगठनों द्वारा सूझाई गई अनुसंधान योजनाओं के वित्त पोषण हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है।

(घ) वर्ष 1993.94 के दौरान जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए 6.67 करोड़ रुपए आवंटित किए गये है।

सुवर्ण रेखा बहुप्रयोजनीय परियोजना

1379. **श्री रामकृपाल यादव :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुवर्ण रेखा बहुप्रयोजनीय परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई है;

(ख) इस परियोजना से कितने परिवार प्रभावित हुए है;

(ग) अब तक कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है; और

(घ) शेष परिवारों का कब तक पुनर्वास कर दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) विश्व बैंक ने सुवर्ण रेखा बहु.परियोजनीय परियोजना फेज.I के लिए

127 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता दी है। ऋण का पूरी तरह से वितरण कर दिया गया था तथा अगस्त, 1989 में इसे समाप्त कर दिया गया था।

(ख) प्रभावित हुए परिवारों की कुल संख्या 13027 आंकी गई थी। दिसम्बर, 1990 में बिहार सरकार द्वारा तैयार की गई संशोधित उदार पुनर्वास नीति के अनुसार, यह अनुमान है कि परिवारों की संख्या में पर्याप्त परिवर्तन हो सकता है।

(ग) विवरण संलग्न है।

(घ) पुनर्वास कार्य का पूरा होना निधियों की उपलब्धता और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के सहयोग पर निर्भर करता है।

विवरण

सुवर्ण रेखा बहु.प्रयोजनी परियोजना के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की स्थिति

इस कार्य योजना के अनुसार यह योजना चांडिल जलाशय क्षेत्र में कुल 116 गांवों 32 गांव पूर्ण रूप से जलमग्न होंगे तथा 84 गांव आंशिक रूप से जलमग्न होंगे को प्रभावित करेगी। इनकी कुल आबादी 37,956 है जिनमें 10218 परिवार शामिल हैं। जलमग्नता के 4 फेजों में होने का कार्यक्रम है। कार्य योजना के फेज.I में 18 गांवों जिनमें 4563 परिवार शामिल हैं, का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन शामिल हैं। दूसरे फेज में 20 गांव हैं तथा तीसरे फेज के 14 गांव हैं। शेष गांव कार्य योजना के चौथे फेज में शामिल होंगे।

परियोजना प्राधिकारी चांडिल बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित कुल 22 पुनर्स्थापन स्थलों में से 11 स्थलों, जहां विस्थापितों के प्रथम फैज को बताया जाना है, में अवसंरचनाओं को पुरा करने पर ध्यान दे रहे हैं। इन 11 स्थलों में आवासीय कालोनियां स्थापित की जा रही है। इन कालोनियों में सड़कों, खुले कुओं, नलकूपों, स्कूलों, पंचायत भवनों और स्वास्थ्य केन्द्रों, तालाबों, मंदिरों, सामुदायिक केन्द्रों, सहकारी भवनों आदि के निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। अधिकांश भूंखडों की पहले ही हदबंदी करके उन्हें आवंटित कर दिया गया है और निर्माण का कार्य शुरू हो गया है।

प्रथम फेज से परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के संबंध में दिसम्बर, 1993 में राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई प्रगति निम्नवत् है :

(1) 224 विवादग्रस्त मामलों को छोड़कर 4339 परियोजना प्रभावित परिवारों को पहले ही कृषि भूमि तथा गृह संरचना की हानि एवं स्थानांतरण प्रभारों के लिए मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

(2) सभी परिवारों को विकास पुस्तिकाएं वितरित कर दी गई हैं।

(3) गृह निर्माण के लिए 1642 प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं।

(4) 2161 परिवारों को गृह निर्माण के लिए अनुदान दिया गया है।

(5) 983 परियोजना प्रभावित परिवारों को उनकी पसंद के स्थानों पर बसने के लिए भुगतान कर दिया गया है।

इस परियोजना से इचा जलाशय क्षेत्र में कुल 87 गांव (26 पूर्ण रूप से तथा 61 आंशिक रूप से) प्रभावित होंगे। इन गांवों की कुल आबादी 14287 है तथा उनमें 3207 परिवार है।

इचा बांध के मामले में विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए 10 पुनर्वास स्थलों का चयन किया गया है और इस प्रयोजन के लिए 381.93 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। 9 स्थलों का कब्जा ले लिया गया है।

अब तक निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजे के रूप में चांडिल बांध क्षेत्र में 86 गांवों में 60.15 करोड़ रुपए तथा इचा बांध क्षेत्र में 26 गांवों में 16.16 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

[अनुवाद]

भूमिगत जल

1380. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1994 में संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल के विकास के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यशाला में की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है; और

(ङ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) क्रान्तिक और अर्द्ध.क्रान्तिक क्षेत्रों में भूजल के विकास पर जनवरी, 1994 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 5 विषयों पर विचार.विमर्श किया गया अर्थात् (i) भूजल संसाधनों का स्तर (ii) भूजल के मूल्यांकन की पद्धति (iii) भूजल विकास और प्रबंध (iv) सामाजिक.आर्थिक मुद्दे तथा भूजल विनियमन और (v) भूजल विकास के लिए वित्त पोषण जल की दरें।

(ग) कार्यशाला के दौरान दिए गए मुख्य सुझाव कार्यशाला में अपनाई गई सिफारिशों में लक्षित होते हैं, जो इनसे संबंधित हैं (i) क्रान्तिक क्षेत्रों में प्रबंध साधन के रूप में निरूपण तकनीकों के प्रयोग की आवश्यकता, (ii) अब से जल स्तर उतार.चढ़ाव पर आधारित संसाधनों का मूल्यांकन, (iii) जल गुणवत्ता का प्रबोधन, (iv) जल प्रयोग क्षमता प्रणाली की आवश्यकता (v) भूजल विधान (vi) भूजल संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन तथा सुरक्षा करना आदि।

(घ) जी, हां। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा सिफारिशों की जांच की गई है।

(ङ) कार्यशाला में की गई सिफारिशों को बोर्ड द्वारा उपयुक्त कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी नौकरियों में आरक्षण

1381. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संबंध में कोई विधेयक लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधेयक कब तक लाया जाएगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) यह विचाराधीन है।

गंगा बेसिन में तेल की खोज

1382. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयल इंडिया लिमिटेड को उत्तर प्रदेश में गंगा क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज का कार्य करने का लाइसेंस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस कब दिया गया था, खोज के कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) आयल इंडिया लि. को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंसों 8-3-1991 को जारी किया गया था। उन्होंने पी.ई.एल. क्षेत्र में भूकम्पीय डाटा वाले लगभग 2550 जी.एल. के और उच्च विभेदन वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण (एच.आर.ए.आर.) डाटा वाले 21171 लाईन कि.मी. का अधिग्रहण किया है।

कच्चे तेल का उत्पादन

1383. **श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान असम क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एवं आयल इंडिया लि. में कच्चे तेल के उत्पादन में काफी कमी आई है;

(ख) उक्त अवधि में हुई गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में वर्तमान उत्पादन कितना हुआ; और

(च) उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग)

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन)
1991-92	5.030 - वास्तविक
1992-93	5.045 - वास्तविक
1993-94	5.130 - अनुमानित

(घ) क्षेत्र में कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए किए जा रहे प्रयासों में अतिरिक्त रिगों का लगाना, बढ़िया प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृत्रिम लिफ्ट पर कूपों की संख्या बढ़ाना, जल अन्तःक्षेपण स्तरों में बढ़ोत्तरी, सुरक्षा प्रबन्ध, अन्वेषण प्रयास इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

भूमि सुधार कार्यक्रम

1384. **श्री सुधीर सावंत :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने क्षारीय भूमि के सुधार हेतु फेज.1 ई.ई.सी. कार्यक्रम संबंधी अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के फेज.II याजना को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फेज.1 योजना को कार्यान्वित न किए जाने के कारण राज्य में अनेक क्षेत्र समुद्री जल से नष्ट होते जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि नालियों में गाद नमा होने के कारण समुद्री पानी से भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो गई है;

(छ) क्या क्षारीय, भूमि सुधार कार्यक्रम में गाद निकालना भी शामिल किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय को सहायता प्राप्त खार भूमि पुनरूद्धार परियोजना फेज.I पूरी हो गई है। मन्त्रालय में प्राप्त हुई रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय और यूरोपीय आर्थिक समुदाय भेजा गया है। यह पाया गया कि इस परियोजना को गुणवत्ता संबंधी उपलब्धि पर कुछ और सूचना शामिल किए जाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना सम्पूर्ण रिपोर्ट पुनः तैयार की जानी हैं।

(ग) और (घ) खार भूमि पुनरूद्धार परियोजना के फेज.II के संबंध में, मंत्रालय में प्राप्त हुआ महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव 13,000 हेक्टेयर भूमि का पुनरूद्धार करने के लिए 35 करोड़ रुपए का है। फेज.II यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता के लिए करने में है। इसकी स्वीकृति खार भूमि पुनर्रूद्धार परियोजना फेज.I की सम्पूरण रिपोर्ट के विश्लेषण से निकले परिणामों पर निर्भर करती है।

(ङ) खार भूमि पुनरूद्धार परियोजना का फेज.I पहले ही निष्पादित किया जा चुंका है तथा परिकल्पना के अनुसार 16,000 हेक्टेयर खार भूमि का पूर्ण रूप से पुनरूद्धार कर दिया गया है।

(च) से (ज) ज्वारीय जल नियंत्रित करने के लिए दरारों, तटों की पुश्तों को बांधकर आने वाले खारे जल से भूमि के जल आप्लावन को रोकना अधिक प्रभावी उपाय है। चूंकि यह कुल मिलाकर एक भिन्न कार्यकलाप है, इसलिए यह खार भूमि पुनरूद्वार परियोजना का भाग नहीं बनता है। राज्य सरकार को इस कार्य के लिए अलग से एक कार्यक्रम तैयार करना है।

अवैध हथियार

1385. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में देश में अवैध हथियारों की तस्करी में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ङ) इस आशय की कोई रिपोर्ट नहीं है, जिनसे यह पता चलता हो कि देश में अभी हाल में अवैध शस्त्रों की तस्करी में वृद्धि हुई हो। बम्बई में हुए बम.विस्फोटों की घटनाओं और उसके बाद यह पता चलने पर कि देश में पर्याप्त मात्रा में शस्त्र, गोला.बारूद और विस्फोटक तस्करी करके लाए गए हैं, तस्करी की गतिविधियों की प्रभावी रूप से रोकथाम करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने राज्य सरकारों से पहले से अधिक चौकसी रखने, विशेष रूप से समुद्री तट के साथ.साथ, की सभी कार्यवाहियों में समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति

करने को कहा है। नौ सेना, तटरक्षक और सीमा शुल्क विभाग को महा समुद्र और तटवर्ती क्षेत्र में गहन गश्त लगाने के लिए समुचित अनुदेश जारी किए गए है। इन प्रयासों के परिणामों का नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है।

बोडो समझौता

1386. **श्री चित्त बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोड़ो समझौते को पूर्णतः कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ख) बोड़ो समझौते को लागू करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। अन्य बातों के साथ.साथ, इसमें बोड़ो लैण्ड स्वायत्तशासी परिषद अधिनियम, 1993 को अधिनियमित करना, अन्तरिम बोड़ो लैण्ड कार्यकारी परिषद का गठन करना, असम सरकार द्वारा बी.ए.सी. की सीमा का परिसीमन करना, शामिल है।

समझौते को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारें अत्यधिक ध्यान दे रही हैं।

थैलासीमिया केन्द्र

1387. **श्री उदयसिंह गायकवाड** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अस्थि.मज्जा प्रत्यारोपण सुविधायुक्त क्षेत्रीय थैलासीमिया केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो किन.किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र खोले जाएंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों के प्रवर्धन को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (ङ) अस्थि.मज्जा प्रत्यारोपण सुविधायुक्त क्षेत्रीय थैलासीमिया केन्द्र खोलने का कोई विचार नहीं है। वैसे, भारतीय आयुविज्ञानप अनुसंधानं परिषद ने थैलासेमिक मेजर वाले रोगियों में अस्थि-मज्जा प्रत्यारोपण के लिए 1-1-94 से क्रिश्चियन मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बेल्लूर में कए उन्नत केन्द्र की मंजूरी इस उद्देश्य से दी है कि इसे एक राष्ट्रीय रेफरल केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सके।

गुजरात को तेल और गैस का आबंटन

1388. **श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में स्थित तेल और प्राकृतिक गैस की प्रत्येक परियोजना से मात्रा तथा मूल्य दोनों रूप में वर्षवार कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात को मात्रा तथा मूल्य दोनों रूम में कितना तेल तथा प्राकृतिक गैस आबंटित किया गया;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस की नई परियोजना शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नानुसार था :

	कच्चा तेल (मिलियन मी.टन)	प्राकृतिक (मि.घन मीटर)
1990-91	6.357	1697.078
1991-92	6.034	1897.710
1992-93	5.807	1945.908

पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात से ओ.एन.जी.सी. द्वारा विक्री किए गए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का मूल्य क्रमशः लगभग 4450 करोड़ रुपए और 685 करोड़ रुपए था।

(ख) किसी भी राज्य को कच्चे तेल का आबंटन नहीं किया जाता। 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के वर्षों के दौरान गुजरात में ओ एन जी सी द्वारा बिक्री की गई प्राकृतिक गैस की मात्रा क्रमशः 2838 मिलियन घन मीटर, 3471 मिलियन घन मीटर और 4237 मिलियन घन मीटर थी। बिक्री की गई गैस का कुल मूल्य लगभग 1947 करोड़ रुपये था।

(ग) और (घ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. ने गंधार में 1239 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक गैस संसाधन परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

महत्वपूर्ण उपकरण

1389. **श्री के. प्रधानी :**

श्री गुरुदास कामत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अनेक सरकारी अस्पतालों में महत्वपूर्ण उपकरण कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन सरकारी अस्पतालों में रोगियों को अपना जीवन खतरे में महसूस होता है; और

(घ) सरकार द्वारा इन उपकरणों को कार्य योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ह्रदय रोग विभाग में एक इमेज इन्टेन्सिफायर, जिसकी एक्स.रे पिक्चर ट्यूब बदले जाने की आवश्यकता है तथा जो आयातित की जा रही है, को छोड़कर दिल्ली स्थित सभी केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में महत्वपूर्ण उपकरण कार्य कर रहे हैं। जब कभी ह्रदय रोग के रोगियों के लिए आवश्यक होता है, एक्स.रे विभाग का इमेज इन्टेन्सिफायर उपयोग किया जाता है ताकि रोगियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

[हिन्दी]

इजरायल से पेट्रोलियम उत्पाद

1390. **डा. लाल बहादुर रावल :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इजराइल न कम दरों पर भारत को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तों सहित ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आयल रिफाइनरीज लि., इजरायल निविदाओं के प्रति बोलियों हेतु इंडियन आयल कारपोरेशन की उत्पाद आयात डाक सूची में पंजीकृत है। हाल ही में यह कम्पनी प्रयुक्त प्रतिस्पर्द्धात्मक बोलियों के आधार पर कुछ गैस.आयल कार्गों पाने में सफल रही है। आयल रिफाइनरीज लि., इजरायल के साथ कुल 160 टीएमटी गैस तेल मात्रा पर निविदा में समझौता हुआ है।

सिंचाई परियोजनाएं

1391. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री छेदी पासवान :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में बिहार की सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने के लिए विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी संगठनों से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से सिंचाई योजनाओं के लिए अनुदान में वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) चालू सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : विश्व बैंक ने बिहार में बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निधियां प्रदान की हैं। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना जिसमें अनेक राज्य शामिल हैं, के अन्तर्गत बिहार भी एक भागीदार राज्य है।

वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान बिहार में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी निधियां निम्नवत् है :

(राशि मिलियन अमेरिकी डालर)

	1990-91	1991-92	1992-93
विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं			
(क) बिहार सार्वजनिक नलकूप परियो.	3.256	0.989	4.370
(ख) राष्ट्रीय जल प्रबध परियोजना	11.582	11.863	28.214

(ख) और (ग) विश्व बैंक सहायता को रद्द की गयी राशि लौटाने के अनुरोध को छोड़कर बिहार सरकार से अनुदान बढ़ाने के लिए कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि इसके बहुत धीमे क्रियान्वयन और वितरण के कारण बैंक द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। इसे पुनः शुरू करना व्यवहार्य नहीं है जैसा कि वित्त मत्रायल द्वारा विचार किया गया है।

(घ) 31-12-1993 तक चालू वित्त वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना के मामले में विश्व बैंक सहायता का उपयोग 15.423 मिलियन अमेरिकी डालर किया गया था, बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना के अन्तर्गत कोई वितरण नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

कश्मीर की यात्रा करने की अनुमति

1392. **प्रो. एम. कामसन :**
श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति के एक सर्वेक्षण दल को कश्मीर की यात्रा करने की अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यह हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए उसे जम्मू और कश्मीर राज्य में जाने दिया जाए और एक सर्वेक्षण दल-को वहां की यात्रा करने की अनुमति दी जाए, ताकि वह अपने प्रस्ताव तैयार कर सके। पिछले एक साल से अधिक समय से आई.सी.आर.सी. के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बार विचार.विमर्श करने के बाद सरकार, ऊपर बताए गए उद्देश्य के लिए आई.सी.आर.सी. के एक दल को जम्मू और कश्मीर की यात्रा करने की अनुमति देने पर सहमत हो गयी है। रूपरेखाएं तैयार की जा रही है। यात्रा अभी की जानी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

1393. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस चरण में है; और

(ग) इसका गठन कब तक हो जायेगा ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयोग का गठन सरकार के विचारधीन है।

एल.पी.जी. बाट्लिंग संयंत्र

1394. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस भरने के संयंत्रों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) कर्नाटक में 1993.94 के दौरान (दिसम्बर, 1993 तक) रसोई गैस भरने के कितने संयंत्र लगाए गए; और

(ग) 1994.95 के दौरान कर्नाटक में रसोई गैस भरने के कितने संयंत्र और लगाये जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान बेलगाम में एक भरण संयंत्र के चालू हो जाने की संभावना है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मौजूदा भरण संयंत्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	4
2.	असम	4
3.	बिहार	2
4.	गोआ	1
5.	गुजरात	5
6.	हरियाणा	5
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	जम्मू और कश्मीर	2
9.	कर्नाटक	5
10.	केरल	4
11.	मध्य प्रदेश	4
12.	महाराष्ट्र	12
13.	उड़ीसा	3
14.	पंजाब	3
15.	राजस्थान	4
16.	तमिलनाडु	4
17.	उत्तर प्रदेश	11
18.	पश्चिम बंगाल	4
19.	दिल्ली	1
20.	पांडिचेरी	1
		80

फार्मसिस्टों के संबंध में सिफारिशों का लागू किया जाना

1395. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धति के फार्मासिस्टों के संबंध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की पुनरीक्षा

1396. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम की पुनरीक्षा हेतु हाल ही में राज्यों के सचिवों/स्वास्थ्य मंत्रीयों की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ;

(ग) इस बैठक में क्या.क्या निर्णय लिये गये; और

(घ) इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं उठाए जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) जी, हां। 17 बड़े राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की गई और 1994-95 के लिए उपलब्धि के संभावित स्तरों की अन्तिम रूप दिया गया। इस कार्यक्रम को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम को कार्यान्वित करने, वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, प्रशिक्षण, गैर.सरकारी संगठनों की भागीदारी, सूचना, शिक्षा और संचार आदि पर भी चर्चा की गई।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोयले का आवंटन

1397. **श्री राम निहोर राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्दन कोलफील्ड्स लि. में गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष कोयले का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) इस कोयले की प्रति टन वार्षिक उत्पादन लागत क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस उत्पादन में से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों गैर.सरकारी क्षेत्र को प्रति वर्ष कोयले का कुल कितनी मात्रा में निपतन किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कोयले की चोरी का पता लगाये गये मामलों का ब्यौरा क्या है और प्रतिवर्ष कितने मूल्य का कोयला चोरी हो जाता है;

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (ना.को.लि.) में किए गए कोयले के उत्पादन के तथा कोयला उत्पादन की लागत के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

वर्ष	कोयला उत्पादन (मिलियन टन में)	उत्पादन की लागत (रु. प्रति टन)
1990-91	27.88	159.58
1991-92	30.89	202.93
1993-94	30.70	240.57

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा निजी क्षेत्रों को किया गया कोयले का प्रेषण नीचे दिया गया है :

वर्ष	निम्न को किया गया कोयला-प्रेषण	
	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	निजी क्षेत्र
1990-91	24.57	2.76
1991-92	26.79	3.58
1993-94	26.65	3.65

(घ) और (ङ) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार चालू वर्ष 1993-94 के दौरान लगभग 52,000 रुपये की कीमत के 100 टन कोयले की चोरी होने के केवल एक मामले का पता लगा है। यह मामला पुलिस के जांचाधीन है। गत तीन वर्षों के दौरान चोरी होने के संबंध में कोई अन्य मामला नहीं पकड़ा गया है।

[अनुवाद]

आंत्रशोथ और हैजा

1398. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान आंत्रशोथ और हैजे के कारण अनेक जानें गई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कितनी मौतों की जानकारी मिली है; और

(ग) भविष्य में इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस रोग को फैलने से रोकने के लिए आम तौर पर उठाए जाने वाले उपचारी कदम इस प्रकार है :

(i) निगरानी का सुदृढ़ीकरण;

(ii) सुरक्षित पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित करना;

(iii) मानव मल मूत्र, कूड़े आदि का सुरक्षित तरीके से निपटान सुनिश्चित करना;

(iv) ओ.आर.टी., खाद्य स्वछता को बढ़ावा देना;

(v) गहन स्वास्थ्य शिक्षा का कार्यकलापों आदि के जरिए सुरक्षित स्वास्थ्य पद्धतियों को अपनाना।

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन

1399. **श्री राम नाईक : क्या संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 और 18 जनवरी, 1994 को बंगलौर में अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का अयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्मेलन द्वारा एक सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार किया गया;

(ग) यदि हां, तो सचेतक सम्मेलन ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) उन सिफारिशों को लागू करने हेतू क्या कदम उठाए गए है/उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ग्यारहवां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन 17 और 18 जनवरी, 1994 को बंगलौर में आयोजित किया गया।

(ख) से (घ) सचेतक सम्मेलन ने विधान-मण्डलों के सुचारु कार्यचालन और संसदीय कृत्यकारियों को सुविधाओं के सम्बन्ध में सर्वसम्मत सिफारिशें की हैं। इस सिफारिशों का केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और विधान-मण्डलों द्वारा कार्यान्वयन अपेक्षित है। इनकों सम्बन्धित प्राधिकारियों को भिजवा दिया गया है। सिफारिशों का विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्यारहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन
द्वारा की गई सिफारिशें

(1) मुख्य सचेतकों/सचेतकों की पद-स्थिति, कार्य और सुविधाएं

(क) संसद और राज्य सांविधिक मान्यता प्रदान करके विधान.मण्डल परिसर में सचिवालयिक साहयता और टेलीफोन सुविधा तथा कार्यालय स्थान आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(सचिवालयिक सहायता का अभिप्राय है एक आशुलिपिक वर्ग "ख" और एक चपरासी)

(ख) सम्मेलन पुनः दोहराता है कि सराकरी मुख्य सचेतक, संसदीय कार्य मंत्री होना चाहिए और सरकारी उप मुख्य सचेतक को कम से कम उप मंत्री को पद स्थिति दी जानी चाहिए।

(2) राज्यों/संघ राज्य में, जहां संसदीय कार्य विभाग नहीं है, विभाग का स्थापित किया जाना।

(क) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां अभी तक संसदीय कार्य विभाग नही हैं, वहां एक स्वतंत्र विभाग स्थापित किया जाना चाहिए।

(ख) जिन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने केवल संसदीय कार्य को शाखा/प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्णग स्वतंत्र कार्य विभाग में बदलने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

(3) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में युवा संसद का प्रारम्भ किया जाना

(क) जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने युवा संसद प्रतियोगिता योजना को अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रारम्भ नहीं किया है, उनकी केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली के विद्यालयों में अपनाये गए नमूने पर इस योजना को प्रारम्भ करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

(ख) केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय को, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस योजना को प्रारम्भ करने/कार्यान्वित करने के लिए साहित्य सामग्री, प्रशिक्षण और 25,000 रुपये प्रति वर्ष तक को वित्तीय सहायता प्रदान करके सभी प्रोत्साहन प्रदान करने चाहिए।

(ग) युवा संसद योजना को कालेज और विश्वविद्यालयों में भी प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सम्मेलन सिफारिश करता है कि संसदीय संस्कृति के विकास के लिए कालेज और विश्वविद्यालयों में संसदीय मामलों पर शिक्षा देने के लिए इसे एक विषय के रूप में लागू करना चाहिए।

(4) संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं और सरकार के बीच आवधिक परामर्श

(क) केन्द्र में महत्वपूर्ण मामलों में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ अकसर की जाने वाली बैठकों की स्थापित परम्परा का सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए।

(ख) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संसदीय कार्य मंत्री अथवा सरकारी मुख्य सचेतक, यथास्थिति को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों विधान मण्डल के समक्ष आने वाली कार्य की मदों से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर सभी दलों/ग्रुपों के सचेतकों की बैठकें आयोजित करनी चाहिए। कम से कम प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने से पहले एक बैठक आयोजित करनी चाहिए।

(ग) कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में मान्यता प्राप्त दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों को विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसकी जांच की जानी चाहिए और यदि यह प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत संभव नहीं हो तो एक वर्ष में कम से कम 5 विशेष बैठकें आयोजित की जानी चाहिए जिसमें सदन के नेता, विपक्ष के नेता और मान्यता प्राप्त दलों के नेता अध्यक्ष और मुख्य सचेतकों को आमंत्रित किया जाए।

(5) अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए निगरानी-दल (मानीटरिंग-ग्रुप) का गठन

सम्मेलन पुनः सिफारिश करता है कि सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों की जांच और समीक्षा हेतु और सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक और विधायी उपायों का सुझाव देने के लिए केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्र और राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य सचेतकों/सचेतकों का एक निगरानी-दल (मानीटरिंग.ग्रुप) गठित किया जाए। सम्मेलन केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री को इस उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत करता है।

निगरानी दल की सदस्य संख्या 11 से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसमें सम्मेलन की तीनों समितियों "क", "ख" और "ग" के चेयरमैन सम्मिलित होने चाहिए।

निगरानी दल के प्रतिवेदन पर अगले सम्मेलन में विचार किया जाए।

(6) संसदीय कार्य मंत्रालय में अनुसंधान प्रकोष्ठ का सुदृढ़ किया जाना

(क) सम्मेलन यह नोट करता है कि केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय में वर्ष 1967 में केवल दो अनुसंधान सहायकों से स्थापित अनुसंधान-प्रकोष्ठ में उसकी स्थापना से अब तक उसके गठन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसंधान प्रकोष्ठ को सुदृढ़ और पुनर्गठित किया जाना चाहिए ताकि वह केन्द्र तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर तकनीकी जानकारी और आवश्यक परामर्श/मार्ग.दर्शन प्रदान कर सके।

(ख) ऐसे ही अनुसंधान प्रकोष्ठ राज्यों के संसदीय कार्य विभागों में स्थापित किए जाने चाहिए और प्रकोष्ठ को गुणात्मक कार्य के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराई जाए। इन प्रकोष्ठों को अद्यतन आधुनिक सुविधाओं जैसे कि कंप्यूटर इत्यादि से सुसज्जित किया जाए।

(7) सदन में गणपूर्ति (कोरम) का बनाये रखना

सदन में गणपूर्ति रखने का कार्य सभी दलों के सचेतकों को सौंपा जाना चाहिए। इस कार्य के लिए संसद और विधान मण्डल में मान्यता प्राप्त दलों/ग्रुपों के सचेतकों को कार्य की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(8) विधान-मण्डलों का बुलाया जाना, अवधि और बैठकें-सरकार की भूमिका

विधान-मण्डलों को बुलाये जाने और अवधि को सरकार के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए। राज्य विधान-मण्डलों के 75 कार्य दिवस के सामान्यतया तीन सत्र बुलाये जाने चाहिए ताकि सदस्यों को उनके समक्ष लाये गये सभी मामलों पर भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सके।

(9) संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय

सम्मेलन यह नोट करते हुए कि केन्द्र में संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से सरकारी कार्य की आयोजना और समन्वय की पद्धति का परिणाम संसद में सरकारी कार्य का समय पर और सुचारु निष्पादन होता है, यह सिफारिश करता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस पद्धति को उपयुक्त रूप में अपना लेना चाहिए। इस कार्य के सफल निष्पादन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने अधिकारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय में भेजना चाहिए अथवा इस सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय के अधिकारियों को अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बुला सकते हैं।

(10) संसद सदस्यों/राज्यों के विधायकों और सरकार के बीच सम्बन्ध को विनियमित करने के लिए आचार संहिता।

(क) प्रशासन और संसद सदस्यों और राज्य विधायकों के बीच सरकारी संव्यवहार के संबंध में केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायात और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों, को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को पुनः दोहराया जाए। इस संबंध में जारी अनुदेशों को एक प्रति संसद सदस्यों और राज्य विधायकों को भी उपलब्ध कराई जाए।

(ख) सम्मेलन आगे सिफारिश भी करता है कि कुछ विधान सभाओं में हाल में हुई दुखद घटनाओं को देखते हुए, अध्यक्ष, लोक सभा से यह प्रार्थना की जाए कि वह पीठासीन अधिकारियों, मुख्य मंत्रियों/संसदीय कार्य मंत्रियों और संसद तथा

राज्य विधान मण्डलों में विभिन्न दलों/ग्रुपों के मुख्य सचेतकों से विचार विमर्श करके विधायकों के लिए भी एक उपयुक्त आचार संहिता बनाए।

(11) राज्यों में विपक्ष के नेताओं की पद-स्थिति और सुविधाएं

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेताओं को मंत्री स्तर के मंत्री के अनुरूप उपयुक्त वेतन, पद-स्थिति और अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

(12) उपस्थित पंजिका में हस्ताक्षर करने की शर्त पर दैनिक भत्ते का लिया जाना।

सम्मेलन यह नोट करते हुए कि लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा उपस्थिति के लिए रखी गयी पंजिका पर हस्ताक्षर किये जाने के बिना संसद सदस्य अपना दैनिक भत्ता पाने के हकदार नहीं होते हैं। यह सिफारिश करती है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों द्वारा दैनिक भत्ता लिये जाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भी इसी प्रकार के उपबन्धों को अपना लेना चाहिए।

(13) सचेतक सम्मेलन का किया जाना

पिछले सचेतक सम्मेलनों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सम्मेलन सिफारिश करता है कि सम्मेलन वर्ष में एक बार नियमित रूप से आयोजित किया जाए।

(14) परामर्शदात्री समितियों का गठन और कार्यपालन

इस सम्मेलन का यह मत है कि विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध परामर्शदात्री समितियों का संस्थान सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यों पर सरकार और संसद सदस्यों के बीच परामर्श का बहुत लाभप्रद कार्य करता है।

अतएव इस संस्थान को, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों द्वारा और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है :

(क) प्रत्येक परामर्शदात्री समिति को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, एक वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करने की पूर्व परम्परा को पुनः प्रारम्भ किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विधायकों को इन समितियों के कार्यसंचालन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर विधायकों को केन्द्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विधायकों को भी विचार-विमर्श का अवसर प्रदान होगा।

(ख) परामर्शदात्री समितियों द्वारा गठित उप समितियों/अध्ययन दलों के सदस्यों को उनको सौंपे गये विषयों से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों का दौरा करने को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए तथा ऐसे दौरों के लिए उनको यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता लेने का हक प्रदान किया जाना चाहिए।

(ग) केन्द्र की भांति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी परामर्शदात्री समितियां गठित की जानी चाहिए। यह समितियां अपनी बैठकें जिलों में, यथासंभव दूर-दराज के

में आयोजित करें, ताकि जनता से निम्न स्तर पर सम्पर्क की स्वस्थ परम्परा स्थापित की जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन समितियों की एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

(15) आश्वासनों का कार्यान्वयन

सम्मेलन दसवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन द्वारा की गयी सिफारिश पर पुनः बल प्रदान करता है और उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से, जिन्होंने अभी तक इस सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है, निवेदन करते हैं कि मंत्रियों द्वारा विधान मण्डलों में दिये गये आश्वासनों के दैनिक कार्यवाही में से निस्सारण और उन आश्वासनों के केन्द्र की भांति एक निश्चित समय सीमा में शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करने और उपयुक्त प्रक्रिया अपनाने के लिए शीघ्र कदम उठाऐ जाएं।

(16) संसदीय/स्थायी समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन में केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की भूमिका

केन्द्र में स्थापित संसदीय कार्य मंत्रालय कतिपय संसदीय समितियों की सिफारिशों पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने के लिए केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है। सम्मेलन ऐसा अनुभव करता है कि यह एक स्वस्थ परम्परा है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भी अपना लिया जाना चाहिए ताकि उनके सदन की, यथासंभव, अधिक से अधिक संसदीय समितियों की सिफारिशों को, कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके और जिसमें संसदीय कार्य विभाग समन्वय ऐजेन्सी की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे।

(17) सरकार द्वारा गठित समितियों/आयोगों/बोर्ड आदि पर संसद सदस्यों/राज्य विधायकों का नामांकन।

सम्मेलन दसवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिश को दोहराते हुए बल देता है कि केन्द्र की भांति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विधायकों को विभिन्न स्तरों पर अर्थात् राज्य, स्थानीय निकायों और अधिक से अधिक सरकारी निकायों में सहयोजित किया जाना चाहिए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सिफारिश करता है कि इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जायें।

(18) लोक सभा के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई और "शून्य काल" के दौरान उठाए गए अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

(क) उल्लेख करते हुए कि सदन के नियमों के अधीन उपलब्ध माध्यमों के द्वारा विचारों को व्यक्त करने के अतिरिक्त, सदस्यगण कभी-कभी पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों को सदन में उठाते हैं, सम्मेलन का यह मत है कि राज्यों में सरकारों को और संघ राज्य क्षेत्रों के

प्रशासनों को ऐसे मुद्दों पर भी अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए और उन मुद्दों पर की कार्रवाई से संबंधित सदस्यगण को एक समय सीमा के भीतर अवगत किया जाना चाहिए। केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने इस निमित्त एक तंत्र और प्रक्रिया बना ली है और नियम 377 (लोक सभा) के अधीन उठाए गए मामलों पर तथा विशेष उल्लेख (राज्य सभा) पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि ऐसे मामलों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने ऐसा ही किया है उन को भी तदनुरूप तंत्र और प्रक्रिया को अंगीकृत कर लेना चाहिए।

(ख) यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि "शून्य" काल को कम से कम अवधि का रखना चाहिए और सदस्यों को इस अवधि के दौरान उठाए गए मामलों के संबंध में बनाई गई किसी प्रणाली को पूर्ण सहयोग देना चाहिए।

(19) संसदीय कार्य में लगे अधिकारियों के लिए विधान मण्डल की प्रक्रिया में आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह अवगत किये जाने पर कि संसदीय प्रक्रिया और पद्धति में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, किफायतसारी की दृष्टि से आयोजित नहीं किये जा सके, सम्मेलन यह मत व्यक्त करता है कि केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्र और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित प्रक्रियाओं और पद्धतियों के बारे में ज्ञान और जानकारी के आदान-प्रदान में बहुत सहायक होते हैं तथा इससे प्रक्रियाओं में मानकीकरण और अधिकारियों का बेहतर कार्य-सम्पादन होना संभव होता है, एक वर्ष में कम से कम ऐसे दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्त मंत्रालय/कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से आवश्यक छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए। इन कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षकों को यथासंभव सांसदों/भूतपूर्व सांसदों विधायकों से लिया जाए।

(20) राज्य विधायकों को सहायता प्रदान करने के लिए कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना।

(क) सम्मेलन सिफारिश करता है कि संसदीय कार्य मंत्रालय में स्थापित सांसद कल्याण अनुभाग की भांति राज्य विधान मण्डलों/संघ राज्य क्षेत्रों में भी सदस्य कल्याण अनुभाग स्थापित किया जाए जो सदस्यों के कल्याण की देखभाल करे। वर्तमान में केन्द्र में सांसदों के दिल्ली में चिकित्सालय में भर्ती होने पर संसदीय कार्य मंत्री उनकी पूछ ताछ करते हैं। समस्त चिकित्सा सुविधा की जानकारी लेते हैं। यदि सदस्य को चिकित्सा हेतु विदेश जाना हो या विदेशों में अध्ययन दौरे पर जाना हो तो संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित मंत्रालय से समन्वय करके आवश्यक सहायता प्रदान करता है। सांसद प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह ठीक से व प्रभावी रूप में करें, यह कल्याण अनुभाग देखता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित कल्याण प्रकोष्ठ भी राज्य विधायकों के लिए इसी प्रकार के कार्य को करें।

(ख) सम्मेलन यह सिफारिश करता है कि संसद सदस्य की उसके स्थायी निवास स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में दिवंगत सदस्य के परिवार जन की इच्छानुसार अंतिम संस्कार के स्थल पर पार्थिव शरीर को यथासंभव हवाई जहाज द्वारा ले जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए तथा तत्संबंधी अंतग्रस्त व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों के लिए भी उपर्युक्त परिस्थितियों में इसी प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा की जानी चाहिए।

(21) राष्ट्रीय परियोजनाओं के अध्ययन दौरों सहित विधायकों के लिए अध्ययन कैम्प, विचार-गाष्ठियां।

(1) केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान संसद सदस्यों को विभिन्न कल्याण सेवाओ को नोट करते हुए यह सम्मेलन सिफारिश करता है कि संसद सदस्यों के विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों/राष्ट्रीय परियोजनाओं और अन्य संस्थानों के विषयों के संबंध में रुचि रखने वाले सदस्यों के दलों के दौरे समय-समय पर आयोजित किये जायें। इन अध्ययन-भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान सदस्यों को राजकीय अतिथि माना जाना चाहिए तथा उनको संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम के अधीन अनुमन्य भत्तों को लेने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

(2) सम्मेलन संसद सदस्यों और राज्य विधायकों के लिए कृषि, ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न विषयों में जानकारी और विशेषज्ञता के संवर्धन को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हुए यह सिफारिश करता है कि केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में इन विषयों में रुचि रखने वाले संसद सदस्यों/राज्य विधायकों के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं और विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए और इस निमित्त विषयों से संबंधित संगठनों/संस्थानों का सहयोग भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. सिलिंडरों की खरीद

1400. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम द्वारा खरीदे गए गैस सिलिंडरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एल.पी.जी. सिलिंडरो की खरीद के लिए निर्धारित किए गए मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या एल.पी.जी. सिलिंडरों की खरीद के संबंध में शिकायतें मिली हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्ष 1990-91 से 1992-93 के दौरान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. द्वारा खरीदे गए एल.पी.जी. सिलेंडरों की कुल संख्या 17.32 लाख हैं।

(ख) सिलिंडरों की खरीद वार्षिक पंजीयन योजना और अनुपयोगी सिलिंडरों के हटाए जाने वाली संख्या पर निर्भर करती है। सिलिंडर निर्माता इकाइयों को आबंटन पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके कार्यनिष्पादन और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के मामले को छोड़कर, तेल उद्योग तकनीकी समिति द्वारा उनको प्रदान किए गए विक्रेता दरजे पर आधारित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एकता

1401. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गई और इस सम्बन्ध में कितना खर्च हुआ;

(ख) इस कार्य में लगे स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी वित्तीय सहायता दी गई, और

(घ) इन संगठनों द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क)

वर्ष	कुल आबंटन (एन.आई.सी. योजना)	कुल व्यय
1990-91	10 लाख रुपए	4,30,110 रुपए
1992-92	10 लाख रुपए	4,26,140 रुपए
1992-93	10 लाख रुपए	1,90,000 रुपए

(ख) से (घ) वर्षवार एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1990-91 के ब्यौरे

क्र. सं.	भाग (ख)	भाग (ग)	भाग (घ)
1	2	3	4
1.	श्री सत्यदेव विद्यालय समिति, जयपुर	4,000 रु.	राष्ट्रीय एकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम

1	2	3	4
2.	श्री सईद ग्रुप आफ स्कूल्स, कलकत्ता	14,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर जन सभा और साहित्य प्रकाशन
3.	विवेकानन्द निधि, कलकत्ता	12,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर तीन संगोष्ठियां
4.	गांधी स्मारक निधि, चंडीगढ़	8,000 रु.	राष्ट्रीय दिवसों और उत्सवों का आयोजन और जन समाएं
5.	काउंसिल फार सोशियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली	20,000 रु.	राष्ट्रीय एकता, नृजातीय और जाति पर गोष्ठी
6.	मास वेलफेयर सोसायटी, कलकत्ता	7,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर शिविर, नाटक और 2 गोष्ठियां
7.	इंडियन फोकलोर सोसायटी, कलकत्ता	10,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर गोष्ठी
8.	गोल्डन जुबली सैलेब्रेसन्स, जामिया उर्दू अलीगढ़ सोविनियर कमेटी, नई दिल्ली	20,000 रु.	राष्ट्रीय एकता में उर्दू की भूमिका पर गोष्ठी
9.	फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, नई दिल्ली	45,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी, गोष्ठी और 2 सांस्कृतिक कार्यक्रम
10.	कलकत्ता अरबन सर्विस कंसारटियम, कलकत्ता	1,900 रु.	ईसा दिवस पर सामुदायिक उत्सवों का आयोजन
11.	सनातन समाजवाद संस्कृत संस्थान, भुवनेश्वर	6,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर सम्मेलन और संगोष्ठी
12.	विद्या सागर चाइल्ड एन्ड सोशियल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, पश्चिम बंगाल	14,500 रु.	संगोष्ठी, वाद-विवाद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
13.	यंग इंडिया, बम्बई	8,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर सामूहिक परिचर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी
14.	मिदनापुर इ[illegible]रनेशनल रूरल डेवलपमेंट काउंसिल, पश्चिम बंगाल	4,000 रु.	राष्ट्रीय एकता शिविर
15.	सेन्टर फार डेवलपमेंट इनिशियेटिव, नयी दिल्ली	20,000 रु.	राष्ट्रीय एकता में संचार माध्यमों की भूमिका पर संगोष्ठी
16.	उस्ताद हाफिज अली खान मेमोरियल सोसायटी, नयी दिल्ली	20,000 रु.	अयोध्या पर संगीत सम्मेलन

1	2	3	4
17.	लोकानोयोना, पश्चिम बंगाल	12,000 रु.	राष्ट्रीय एकता के लिए संगोष्ठी, सामूहिक परिचर्चा और विशाल रैली
18.	इंस्टीट्यूट फार नेशनल इंटीग्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, केरल	6,400 रु.	राष्ट्रीय एकता पर अन्तरक्षेत्रीय शिविर
19.	फोक्स (फोरम आफ कम्यूनिटीज यूनाईटेड इन सर्विस), कलकत्ता	4,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर शिविर
20.	कुझी वकली डवका पब्लिक लायब्रेरी एण्ड रीडिंग रूम, केरल	4,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर सांस्कृतिक कार्यक्रम
21.	केरल एसोशियेशन फोर सोशियल एण्ड वीमेन्स वेल्फेयर, केरल	10,000 रु. (संगठन ने 1,277 रु. वापिस कर दिए)	राष्ट्रीय एकता पर जिला स्तरीय संगोष्ठियां
22.	कलकत्ता उड़िसा सांस्कृतिक सम्मेलन, कलकत्ता	10,000 रु.	संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम
23.	बालूघाट सोशियल वेलफेयर एसोशियेसन, पश्चिम बंगाल	3,000 रु.	भारत के महान सपूतों के जन्म दिन मनाना और राष्ट्रीय एकता पर सांस्कृतिक कार्यक्रम
24.	नेशनल थियेटर आर्ट्स सोसायटी, पटियाला	12,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर सामूहिक परिचर्चा और कार्यक्रम
25.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली	20,000 रु.	पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेटों की कार्यशाला
26.	इंस्टीट्यूट आफ फीस रीसर्च एण्ड एक्शन, नई दिल्ली	20,000 रु.	पृथकतावादी ताकतों तथा भारत में राजनीति के अपराधीकरण पर संगोष्ठी
27.	ब्यूट रोड़ स्पोटिंग एसोशियेशन, मणिपुर	4,000 रु.	राष्ट्रीय एकता शिविर
28.	नेशनल को-ओपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली	8,000 रु.	राष्ट्रीय सद्भावना और आवास समितियों पर अध्ययन
29.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पटना	15,000 रु.	कानून और व्यवस्था की समस्याओं पर संगोष्ठी

1	2	3	4
30.	सओजात्या, कलकत्ता	7,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी, जन सभा और पोस्टर प्रतियोगिता
31.	पीपल्स सोसायटी आफ सोशियो इकोनोमिक डेवलपमेंट, लखनऊ	10,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर, संगोष्ठी, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम
32.	स्पोर्ट्स क्लब, कर्नाटक	5,187 रु.	नुक्कड़ नाटक तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह
33.	राधा बाल मंदिर, राजस्थान	5,000 रु.	गणतन्त्र दिवस और शहीदी दिवस
34.	सांस्कृतिक जागृति, पटना	23,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर, संगोष्ठी, चित्र कला प्रतियोगिता, नुक्कड़ बैठक तथा नाटक
35.	सेंटर फार डेवलपमेंट इनिशियोटिव, नई दिल्ली	38,400 रु.	राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम
		4,30,110 रु.	

वर्ष 1991-92 के ब्यौरे

क्रम सं.	भाग (ख)	भाग (ग)	भाग (घ)
1	2	3	4
1.	जागरण, नई दिल्ली	4,000 रु.	राष्ट्रीय एकता के लिए मूक अभिनय कार्यक्रम
2.	कौमी एकता ट्रस्ट, नई दिल्ली	20,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी
3.	आल इंडिया फ्रीडम फाईटर आर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली	20,000 रु.	राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना पर संगोष्ठी
4.	सन्त मेमोरियल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, हरियाणा	20,000 रु.	राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भावना पर संगोष्ठी
5.	सूफी कान्फ्रेंस, हैदराबाद	40,000 रु.	साम्प्रदायिक सद्भावना पर सम्मेलन।
6.	एशियन डेवलपमेन्ट रीसर्च इंस्टीट्यूट, पटना	20,000 रु.	बिहार के पुनरुद्धार और पुनर्जागरण की आवश्यकता पर संगोष्ठी

1	2	3	4
7.	महात्मा जी स्मारक ग्रंथशाला एण्ड वायनाशाला, केरल	4,000 रु.	स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाना
8.	कला विद्या मंदिर प्रबंध समिति, राजस्थान	3,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर कवि सम्मेलन
9.	परिवर्तन दीवान, उडीसा	6,400 रु.	साम्प्रदायिक सद्भावना पर 5 दिवसीय शिविर
10.	जागरण, नई दिल्ली	40,000 रु.	राष्ट्रीय एकता के लिए 10 मूक अभिनय नाटक
11.	हिमालयन रीसर्च एण्ड कल्चरल फाउंडेशन, नई दिल्ली	20,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी
12.	हरीपाद साहित्य मंदिर, पश्चिम बंगाल	10,000 रु. (संगठन द्वारा 386 रुपये वापिस कर दिए गये)	राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी और जन सभा
13.	आनन्द भवन, पश्चिम बंगाल	6,400 रु.	राष्ट्रीय एकता पर शिविर
14.	श्री सत्य देव समिति, जयपुर	13,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी
15.	नेशनल थियेटर आर्ट्स सोसायटी पटियाला	32,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर 8 सांस्कृतिक कार्यक्रम
16.	इंस्टीट्यूट फार नेशनल इंटीग्रेशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट, केरल	6,400 रु.	राष्ट्रीय एकता पर अन्तर्क्षेत्रीय शिविर
17.	फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, नई दिल्ली	46,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम
18.	यंग इंडियन्स, बम्बई	12,000 रु.	सामूहिक परिचर्चा आयोजित करना और राष्ट्रीय दिवसों को मनाना
19.	नेताजी पथचक्र, पश्चिम बंगाल	5,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर शिविर
20.	करीमपुर सोसियल वेलफेयर सोसायटी, पश्चिम बंगाल	10,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी, शिविर तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम
21.	सर्वेन्ट्स आफ द पीपल सोसायटी, अहमदाबाद	10,000 रु. (संगठन द्वारा 674 रुपये वापिस कर दिए गए)	राष्ट्रीय एकता पर शिविर और नुक्कड़ नाटक

1	2	3	4
22.	सुन्दरिका बारटिका, पश्चिम बंगाल	6,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर सांस्कृतिक कार्यक्रम
23.	राधा बाल मंदिर, राजस्थान	4,000 रु.	राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।
24.	ग्रामीण विकास केन्द्र, पश्चिम बंगाल	4,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर शिविर
25.	भाषा संगम, इलाहाबाद	15,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर अखिल भारतीय संगोष्ठी
26.	इराके क्लब, पश्चिम बंगाल	6,400 रु.	राष्ट्रीय एकता पर शिविर
27.	बयारसिंध सिबाजी संघ, पश्चिम बंगाल	6,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर शिविर
28.	राष्ट्रीय हरिजन स्कूल, उत्तर प्रदेश	16,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी, मुशायरा और प्रदर्शनी
29.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद पश्चिम बंगाल	12,000 रु.	राष्ट्रीय एकता पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और आवासीय शिविर
30.	बाल फकीर संघ प. बंगाल	5,600 रु.	राष्ट्रीय एकता पर संगोष्ठी
31.	इण्टिग्रेटड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसायटी, आन्ध्र प्रदेश	4,000 रु.	राष्ट्रीय एकता के लिए संगोष्ठी
		4,26,140 रु.	

वर्ष 1992-93 के लिए ब्यौरे

क्रम सं.	भाग (ख)	भाग (ग)	भाग (घ)
1	2	3	4
1.	पीपुल्स सोसायटी आफ सोशोइकानामिक डेवलपमेंट, उत्तर प्रदेश	10,000 रु.	राष्ट्रीय एकता के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन और संगोष्ठी
2.	श्री कृष्ण भारतीय लोक कला एवं संगीत महाविद्यालय शिवानी (मध्य प्रदेश)	16,000 रु.	राष्ट्रीय एकता के लिए शिविर/सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए

1	2	3	4
3.	राष्ट्रीय कश्मीर पंच, चिकोटपल्ली, हैदराबाद	28,000 रु.	राष्ट्रीय एकता के लिए संगोष्ठी आयोजित करने के लिए
4.	दुर्गानगर सोबुज संघ, पश्चिम बंगाल	16,000 रु.	राष्ट्रीय एकता हेतु शिविर/कार्यक्रम आयोजित करने के लिए
5.	हम हिन्दुस्तानी तंजीम, हैदराबाद	40,000 रु.	राष्ट्रीय एकता हेतु संगोष्ठी आयोजित करने के लिए
6.	सनातन समाजवादी संस्कृत	6,000 रु.	-तैदव-
7.	कल्याण परिषद, लखनऊ	28,000 रु.	-तदैव-
8.	फखरुद्दीन अली अहमद मैमोरियल कमेटी, नई दिल्ली	46,000 रु.	राष्ट्रीय एकता के लिए चार (दो सेमिनार और दो सांस्कृतिक कार्यक्रम)
	जोड़	1,90,000 रु.	

[हिन्दी]

रक्त-दान

1403. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के रक्त-बैंक में स्वैच्छिक रक्त दान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है;

(ख) क्या यह राशि अन्य सरकारी अस्पतालों के अन्य रक्त-बैंकों द्वारा दी जा रही राशि के समान है :

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस राशि को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) सफदरजंग अस्पताल या किसी अन्य सरकारी अस्पताल में किसी स्वैच्छिक रक्त दाता को प्रोत्साहन के रूप में कोई धनराशि नहीं दी जाती।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हथियारों और विस्फोटकों की जब्ती

1404. **श्री मोहन रावले** : क्या **गृह मंत्री** हथियारों और विस्फोटकों की जब्ती के बारे में 22 अप्रैल, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6377 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) अधिकतर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हो गई है और कुछेक राज्यों को अभी सूचना प्रस्तुत करनी है। जैसे ही यह सूचना प्राप्त होगी तत्काल सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दवाओं की कमी

1406. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में उपकरणों और दवाइयों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी को दूर करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकारानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण

1407. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) उसमें से उड़ीसा के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) क्या उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान उड़ीसा को अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए निर्धारित की गई 1623.27 करोड़ रुपए की कुल राशि में से, उड़ीसा के लिए आबंटन 42.05 करोड़ रुपए है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षय रोगी

1408. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने प्रतिशत पुरुष और स्त्री क्षय रोग से पीड़ित हैं;

(ख) महाराष्ट्र में क्षय रोग निवारण के लिए शुरु किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य में क्षय रोग की औषधि का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन औषधियों की प्रचुर मात्रा में आपूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) क्षय रोग की व्याप्तता-दर जनसंख्या का लगभग 1.5 प्रतिशत है जिसमें से लगभग एक तिहाई रोगी महिलाएं हैं।

(ख) 28 जिला क्षय रोग केन्द्र राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का समन्वय करते हैं, जो राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षय रोग नियंत्रण में 20 क्षय रोग क्लीनिक और 4 स्वैच्छिक संगठन भी कार्यरत हैं। स्पूटम पाजिटिव रोगियों के लिए प्राथमिक रुप से अल्पकालिक रसायन चिकित्सा पर आधारित एक प्रायोगिक परियोजना बम्बई शहर में चल रही है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र राज्य में औषधों की कमी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

रसोई गैस की कीमत

1410. **श्री के.सी. शिवप्पा** :
श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइट्रोजन उर्वरक उद्योगों के लिये रसोई गैस की कीमतों को अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्त्ताओं की कीमतों के स्तर तक लाने हेतु कम करने की मांग आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल शोधक कारखाने

1411. **डा. वसन्त पवार :**
श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री के. प्रधानी :

क्या **पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन का विचार पूर्वी क्षेत्र में दो तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों तेल शोधक कारखानों में कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है तथा इंडियन आयल कारपोरेशन इनके लिए किस प्रकार की धनराशि जुटायेगा;

(ग) क्या कोई पब्लिक इश्यू जारी करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इन तेल शोधक कारखानों में कोई विदेशी एजेंसी निवेश कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन को पूर्वी तट में 6 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की एक संयुक्त उद्यम रिफाइनरी स्थापित करने हेतु सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्राप्त है।

(ख) से (ग) आरंभिक अनुमानों के अनुसार इंडियन आयल कारपोरेशन की रिफाइनरी परियोजना की नई रिफाइनरी की लागत लगभग 3031 करोड़ रुपए जून 1992 को कीमतों के आधार पर के लिए प्रत्याशित हैं। इसके लिए इंडियन आयल कारपोरेशन आंशिक रूप से आन्तरिक संसाधनों तथा आंशिक रूप से बाह्य संसाधनों से निधि जुटाने की उम्मीद करता है। वाह्य संसाधन सार्वजनिक जमा मध्यावधिक वित्तीय सहायता तथा विदेशी उधार के माध्यम से जुटाये जाएंगे।

(घ) से (ङ) मैसर्स ओमान आयल कम्पनी बरमूडा, इंटरनेशनल पेट्रोलियम इनवेस्टमैंट कंपनी, आबूधाबी, कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन कुवैत, पेट्रोनास, मलेशिया जैसी कतिपय विदेशी कंपनियों द्वारा एक संयुक्त उद्यम पक्षकार के रूप में भागीदारी के लिए रूचि दर्शायी गयी थी।

एड्स की रोक-थाम

1412. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री एस.बी. सिदनाल :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों में भी तेजी से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रोग के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(घ) क्या सरकार ने एड्स और शिक्षा पर यूनेस्को के क्षेत्रीय योजना सम्मेलन में जारी रिपोर्ट की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों और सेवा सत्रों के कर्मचारियों से कतिपय रोगियों के बारे में अपुष्ट रिपोर्टें हैं, इसलिए इन क्षेत्रो में इसके तेजी से फैलने के बारे में कोई सांख्यिकीय सूचना नहीं है।

(ग) एच.आई.वी. संचरण के निवारण और नियन्त्रण की कार्यनीति में सुरक्षित यौन संपर्क के लिए जोखिम के आचरण वाले वर्गों में जागरूकता उत्पन्न करना; रक्त निरापदता को बढ़ावा देना और रक्त का युक्तिसंगत उपयोग, यौन संचारित रोगों का निवारण और नियन्त्रण, यौन संचारित रोगों/एच.आई.वी. के निवारण के लिए कंडोम के प्रयोग को बढ़ावा देना और एड्स के रोगियों का बेहतर नैदानिक उपचार करना शामिल है।

(घ) और (ङ) सरकार ने "यूनिवर्सिटी टॉक एड्स" कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों में एड्स के प्रति जागरूकता का प्रसार करने के लिए पहले ही कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शिक्षा विभाग, युवा कार्य और खेल विभाग के सहयोग से एक उपयुक्त कार्यनीति तैयार करने के लिए इस संगोष्ठी से निकले निष्कर्षों का अध्ययन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस

1413. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष आगरा, फिरोजाबाद, खुर्जा, गाजियाबाद और नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक गैस के आबंटन हेतु मांग रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह मांग कब से लंबित है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाएंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एच.बी.जे. पाइपलाइन से आवंटन अनुमानित उपलब्धता से अधिक है। अत: आगरा, फिरोजाबाद, खुर्जा, गाजियाबाद और नाएडा क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त आवंटन करना व्यवहार्य नहीं हो पाया है।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले

1414. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री बलराज पासी :
श्री राम नाईक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान प्रति माह जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों ने नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों पर कितने हमले किए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में आतंकवादियों द्वारा बलात्कार की कितनी घटनाएं हुईं; और

(ग) इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन महीनों, नामत: नवम्बर, 1993 से जनवरी, 1994 में प्रत्येक माह के दौरान आतंकवादियों द्वारा जम्मू व कश्मीर में सिविलियनों और सुरक्षा कार्मिकों पर किए गए हमलों की संख्या निम्न प्रकार है :

नवम्बर, 1993	-	195
दिसम्बर, 1993	-	352
जनवरी, 1994	-	261

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली में आतंकवादियों की गिरफ्तारी

1415. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्रीमती कृष्णचन्द कौर (दीपा) :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान दिल्ली में माहवार कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) उनके कब्जे से बरामद किए गए हथियारों, विस्फोटकों एवं अन्य सामान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) वर्ष, 1993 के दौरान, दिल्ली में 34 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। माहवार सूचना निम्न प्रकार है :

जनवरी, 1993	4
फरवरी, 1993	8
मार्च, 1993	2
अप्रैल, 1993	6
मई, 1993	8
जून, 1993	1
जुलाई, 1993	1
अगस्त, 1993	1
सितम्बर, 1993	-
अक्तूबर, 1993	2
नवम्बर, 1993	1
दिसम्बर, 1993	-
योग	34

(ख) उनके कब्जे से बरामद किए गए हथियारों, विस्फोटकों और अन्य सामग्री व . ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उनक खिलाफ, भा.द.सं./टाडा/शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत, आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1993 के दौरान दिल्ली में गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के ब्यौरे

	अभियुक्तों के नाम और पते	बरामदगी
	1	2
1.	सुखजीत सिंह उर्फ सुखी, पुत्र जुगराज सिंह निवासी गांव बिहला, थाना-बरनाला संगरूर (पंजाब)	एक आर.सी.डी., 8 कारतूसों के साथ 30 बोर की पिस्तौल, 1.07 लाख रुपये
2.	जसपाल सिंह उर्फ पाला पुत्र प्रीतम सिंह, निवासी 453, गांधी आर्य हाई स्कूल के नजदीक, बरनाला, पंजाब	-वही-
3.	परमजीत सिंह उर्फ ज्ञानी पुत्र जोगिन्दर सिंह, निवासी नारायण नगर, बरनाला, पंजाब	-वही-
4.	बलविन्दर सिंह पुत्र अजमेर, निवासी गांव चीमा, संगरूर (पंजाब)	-वही-
5.	दयाल सिंह पुत्र गुलजार सिंह, निवासी शिकार मुशियां थाना डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर, पंजाब	23 बिना चले कारतूसों सहित चीन निर्मित 7.62 बोर की एक पिस्तौल
6.	अजीत सिंह पुत्र पाल सिंह, निवासी शहरी, थाना कलानौर, गुरदासपुर	-वही-
7.	उमराव सिंह पुत्र महेन्दर, गांव अकालगढ़ थाना गढ़शंकर, जिला होशियारपुर (पंजाब)	2 चीनी स्टिक हथगोले और जाली पासपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ (जाली) दस्तावेज।
8.	हरभजन सिंह पुत्र बन्ता, गांव अम्मा, थाना/जिला होशियारपुर	-वही-
9.	अजीत सिंह पुत्र वीर सिंह, निवासी गांव याक पाटला, थाना/जिला होशियारपुर (पंजाब)	-वही-

1	2
10. मनोरंजन एस; पुत्र कुलतार एस, एफ-167, विष्णु गार्डन, नयी दिल्ली	2,820 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स.
11. गुरदीप एस, पुत्र तरलोक एस निवासी, डी-56/5, विष्णु गार्डन, नयी दिल्ली।	
12. कलविन्दर सिंह पुत्र भान एस 9/144, पुरानी आयुध फैक्टरी, मुराद नगर, उत्तर प्रदेश	एक देशी पिस्तौल
13. राकेश पुत्र बालूराम, गांव-तातारपुर, थाना हापुड़, उत्तर प्रदेश	–
14. कुलदीप सिंह कलसी पुत्र प्रीतम सिंह, 9/132 पुरानी आयुध फैक्टरी, मुराद नगर, उत्तर प्रदेश	–
15. फिरोज अहमद दार पुत्र मो. अकबर निवासी खुशालसर, जद्दोबल, श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर	एक स्टिक हथगोला, 2 डेटोनेटर और एक फ्यूजतार
16. हरविन्दर सिंह पुत्र राम सिंह टी-253/ई-3, बलजीत नगर, नयी दिल्ली	4.750 किलोग्राम आर.डी.एक्स., एक टाईगर, पैंसिल सैल तथा 2 कारतूसों सहित .32 बोर की पिस्तौल
17. कुलदीप सिंह पुत्र सुलकखण एस. टी-585/ई-3, बलजीत नगर	–
18. असविन्दर सिंह पुत्र संतोष सिंह डब्ल्यू. टी./93-बी, बलजीत नगर	–
19. रतीन्दर सिंह उर्फ रांझा पुत्र हरमहेन्दर सिंह निवासी ए-1/10, तलवंडी चौक, राजस्थान	–
20. सईद मुज्तबा हुसैन निजवी पुत्र सईद मो. अब्बास, निजवी, निवासी शरीफाबाद, पोस्ट आफिस-एच.एम.टी. जिला बड़गांव श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर	जम्मू व कश्मीर में आतंकवाद के समर्थन अभिशंसी दस्तावेज

1		2
21.	गुलाब नबी वार पुत्र अब्दुल गफार वार निवासी चंगोमुला तहसील हडवाड़ा, कुपवाड़ा जम्मू व कश्मीर	800 ग्राम आर.डी.एक्स. 4 डेटोनेटर, 1 रूसी दूरबीन
22	मीर अर्सद सलाम पुत्र अली मो. मीर निवासी मिड लैंड-राजबाग, श्रीनगर	-वही-
23.	मौक्म सिंह पुत्र दलीप सिंह, निवासी 16 चीमा पार्क, माडल टाऊन, लुधियाना (पंजाब)	2 राकेट, 2 विस्फोटक एक साईनाइड कैप्सूल और 1.1 लाख रुपये नकद
24	बुलजीत सिंह उर्फ बाली पुत्र दीदार सिंह, निवासी गांव बगरिया, जिला अमृतसर	1 एस.ए.एफ. और पांच कारतूस
25	गुरमीत सिंह उर्फ गुरदास पुरिया पुत्र हरबंद सिंह निवासी, गांव सोनल, थाना धारीवाल (पंजाब)	1 अंग्रेजी रिवाल्वर, 2.303 रायफलें, एक .315 बोर की रायफल, एक अमेरिकी एस.एल.आर,
26.	रजीत कौर उर्फ पिंकी पत्नी गुरमीत सिंह निवासी -तदैव-	एक कैमरा, दो छोटे टार्च, विस्फोटक सामग्री से भरे क्रमशः 1.800 कि.ग्रा. 1.750 कि.ग्रा., 2.150 कि.ग्रा., 1.850 कि.ग्रा. और 2.300 कि.ग्रा. वजन के पांच थैले
27.	जनरल सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी सी-23/ए, तिलक नगर	-वही-
28.	नरपीत कौर उर्फ बाबी पत्नी रोशन लाल बैरागी निवासी गांव-घारपाल थाना जंडियाला अमृतसर (पंजाब)	.303 बोर के 14 राउंड, .315 बोर के 5 राउंड तथा .12 बोर के 152 राउंड,
29.	अनिल गुजराल.	विस्फोटक में प्रयोग के लिए तार इत्यादि
30	के.एल.एफ. का एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है।	--

1	2
31. मेहराजुद्दीन मीर पुत्र गुलाम, कादिर निवासी नवा बाजार श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	–
32. आंशिक हुसैन कांथ पुत्र नसीर अहमद निवासी डडों बाग, खनुजर, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	–
33. नजीर अहमद पुत्र हाजी सुबहान, निवासी ऊदीपुरा थाना लंगेट, कुपवाड़ा, जम्मू व कश्मीर	–
34. मो. युसुफभट्ट पुत्र हैदर भट्ट निवासी आलपगोर बाजार, जद्दी बल, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	–

[अनुवाद]

बंगलादेशियों के लिए दस्तावेजों का प्रावधान

1416. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बंगलादेश सरकार से सीमा के निकट रहने वाले उसके नागरिकों को व्यापार अथवा अन्य उद्देश्यों से भारत आने के योग्य बनाने हेतु कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बंगला देश सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य अल्पसंख्यक पैनल/आयोग

1418. **प्रो. श्रीमती सावित्री लक्ष्मणन :**
श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक पैनल/आयोग बनाने का अनुदेश निर्गत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) नीति गत मामले के रूप में केन्द्र सरकार यह मानती है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जैसा ही राज्य अल्पसंख्यक आयोग/पैनल बनाने की आवश्यकता की राज्य सरकारें जांच करें और निर्णय लें। इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई औपचारिक अनुदेश जारी नहीं किया गया है।

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

1419. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन के अभाव के कारण उड़ीसा में चल रही सिंचाई परियोजनाएं रुक गई हैं,

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी राशि आवंटित की गई है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का नियतन किया गया है;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) उड़ीसा की निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उडीसा की निर्माणाधीन वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत वार्षिक योजना 1994–95	3/92 तक व्यय	आठवीं योजना परिव्यय	1992-93 के दौरान व्यय	1993-94 के दौरान प्रत्याशित व्यय	1994-95 के लिए परिव्यय (राज्य द्वारा प्रस्तावित)
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	वृहद् परियोजना						
1.	अपर इन्द्रवती परियोजना						
	(क) बांध (सिंचाई हिस्सा)	176.16	92.95	50.00	13.54	11.00	6.00
	(ख) सिंचाई	338.17	73.28	256.00	16.37	20.00	20.00
2.	अपर कोलाब सिंचाई	157.97	81.08	76.00	23.81	20.00	21.00
3.	सुर्बन रेखा सिंचाई	1013.68	179.92	795.00	22.96	25.00	21.00
4.	रैंगाली सिंचाई	1475.00	142.71	480.00	23.50	21.00	21.00
5.	महानदी चित्रोतपाला	93.07	6.84	87.00	6.69	7.00	8.00

	2	3	4	5	6	7	8
6.	पोट्टेरू (केन्द्रीय सेक्टर)	102.39	77.43	उपलब्ध नहीं	3.48	5.50	8.96
	(राज्य सेक्टर)	1.72					0.50
ख.	मध्यम परियोजनाएं						
1.	बदनाला	92.00	43.77	12.00	7.66	8.35	7.00
2.	हरिहर जोर	51.19	31.64	18.00	3.98	6.00	5.00
3.	हरमंगी	96.00	44.16	22.21	6.44	7.90	7.00
4.	अपर जोक	82.13	31.74	19.00	7.13	8.43	15.00
5.	बेगुआ चरण–II	39.46	10.48	18.00	4.05	4.00	4.00
6.	देव	52.22	1.43	50.00	1.71	2.50	2.00
7.	बागलती	42.65	2.71	22.00	1.33	2.00	1.50
8.	स्पुबदजोर	33.21	2.37	33.00	1.40	2.50	2.00
9.	सतीगुडा (केन्द्रीय सेक्टर परियोजना)	4.52 (शेष लागत)	1.84	उपलब्ध नहीं	0.90	0.50	0.75

आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के लिए पृथक निदेशालय स्थापित करना

1420. **श्री अनंतराव देशमुख :**
श्री तारा सिंह :
श्री राम नाईक :
श्री ताराचन्द खंडेलवाल :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद तथा होम्योपैथी के लिए पृथक निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये निदेशालय कब तक स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) प्रत्येक निदेशालय का मुख्यालय कहां स्थित होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के विकास के लिए इस संगठन को सुदृढ़ बनाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

1421. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस जैसे आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन उत्पादों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) देश में आवश्यक पेट्रोलियम उत्पादों का कोई अभाव नहीं है। पेट्रोल और डीजल की पूर्ण मांग को पूरा किया जा रहा है। वर्तमान ग्राहकों की पूर्ण मांग को पूरा करने हेतु एल.पी.जी. की भी आपूर्ति की जा रही है।

डीजल, एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल का घरेलू उत्पादन माग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए इन उत्पादों का आयात किया जा रहा है। घरेलू उत्पादन और आयातों को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। अब समानान्तर विपणनकर्त्ताओं को भी एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल का आयात करमे और विपणन करने की अनुमति दे दी गई है।

[अनुवाद]

तेल कुओं की खुदाई

1422. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अब तक कितने तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की गई है;

(ख) किन-किन स्थानों पर कुंओं की खुदाई तेजी से हो रही है,

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में कितनी रिगों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार असम में नए स्थानों पर कुंओं की खुदाई करने का है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) असम में अब तक 45 तेल और गैस की खोजें हुई हैं।

(ख) ओ.एन.जी.सी. लि. द्वारा ऊपरी असम के लकवा-लखमनी, गलेकी, रुद्र सागर, देमुलगांव चरली, सोनाराय और चंगमाई गांव, धनसीरी घाटी में बरहोला तथा खोराघाट और कक्षर क्षेत्र में पथारिया और भूबांदर में कूपों की खुदाई जारी है। ओ.आई.एल. द्वारा उपरी असम के दिकोम, कठालोनी, मोरान सालमारी, हपजान, माकुम, कथालगुडी और नाहरकटिया क्षेत्र में बेधन कार्यकलाप चल रहा है

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में फिलहाल 43 रिंग लगाए गए हैं।

(घ) जी, हां।

भेषजी शिक्षा विनियम

1423. **श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री **यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भेषजी शिक्षा अधिनियम, 1991 के कार्यान्वयन हेतु कोई ज्ञापन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (ग) जी, हां। भेषजी शिक्षा विनियम, 1991 के कार्यान्वयन करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा सुझाए गए संशोधनों की जांच की जा रही है।

डोडा, जम्मू और कश्मीर में स्कूलों और सरकारी भवनों का नष्ट किया जाना

1424. **श्री काशीराम राणा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू व कश्मीर के डोडा जिले में गत चार महीनों के दौरान आतंकवादियों ने कई स्कूल तथा सरकारी भवन नष्ट किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी वास्तविक संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अक्तूबर, 1993 से जनवरी, 1994 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर के डोडा जिले में उग्रवादियों द्वारा 17 सरकारी इमारतों तथा 25 स्कूलों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

सहायता प्राप्त पेट्रोलियम परियोजना

1425. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री राजेश कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रुस के राजनैतिक परिवर्तनों के कारण भारत में उक्त देश से सहायता प्राप्त पेट्रोलियम परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्तमान समय में देश में रुस द्वारा सहायता प्राप्त कोई पेट्रोलियम परियोजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की गैस

1426. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन को इस समय आपूर्ति की जा रही गैस में दोगुना वृद्धि करने का कोई विचार है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार को इसके विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अधिक गैस उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश को कितनी गैस दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सरकार को एच.बी.जे. पाइपलाइन की क्षमता 18.2 एम.एम.एस.सी.एम.डी. से बढ़ाकर 33.4 एम.एम.एस.सी.एम.डी. करने के लिए एक प्रस्ताव गैस अथारिटी आफ इंडिया से प्राप्त हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

असम से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के लिए आवेदन

1427. **श्री नुरुल इस्लाम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिये असम से सरकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित कितने आवेदन पत्र केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु अभी तक लंबित हैं;

(ख) असम के कितने आवेदनों को केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन मंजूर करने की सूचना देने पर भी पेंशन नहीं मिली है; और

(ग) दिवंगत स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशनभोगियों को विधवाओं के कितने आवेदन पत्र असम सरकार की स्वीकृति के बावजूद भी केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री-(श्री पी.एम. सईद) : (क) निर्धारित समय-सीमा अर्थात् 31-3-1982 तक असम से प्राप्त सभी आवदेन-पत्रों पर विचार कर लिया गया है और लिए गए निर्णयों से आवेदकों को सूचित कर दिया गया है। तथापि, अनेक पुनरीक्षा याचिकाएं एवं कुछ विलम्बित मामले प्राप्त होने जारी है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ख) किसी आवेदक को, पेंशन को स्वीकृति संबंधी सरकार के निर्णय के बारे में सूचित कर दिए जाने के बाद आवेदक तथा अन्य संबद्ध एजेंसियों को कुछ औपचारिकताएं, पेंशन जारी किए जाने से पहले पूरी करनी होती हैं। इस प्रकार के मामलों के ब्यौरे मंत्रालय के पस उपलब्ध नहीं है।

(ग) मई, 1992 से, विधवाओं को पेंशन के हस्तांतरण संबंधी एक सरलीकृत प्रक्रिया लागू की गई है जिसके द्वारा स्थानीय स्तर पर संवितरण अधिकारियों को पेंशन के हस्तांतरण के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। इसलिए, पहले से पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के पक्ष में पेंशन के हस्तांतरण के लिए आवेदन पत्रों को केन्द्र सरकार के पास नहीं भेजना होता है।

कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास

1428. **श्री तारा सिंह** :
श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुष्ठ रोगियों के पूनर्वास के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान कार्यक्रम की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी, हां। एक मार्गदर्शी पुनर्वास परियोजना तैयार की गई है, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख है :

(1) पुनर्रचनात्मक शल्य चिकित्सा सुविधाओं सहित अपंगता परिचार्या के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना।

(2) कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।

(3) पुनर्वास के जरूरतमंद लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(4) पुनर्वास के जरूरतमंद लोगों को एक बारगी प्रारम्भिक वित्तीय सहायता देना।

(5) गहन स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप।

(ग) और (घ) जी, हां। 1992-93 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं :

	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. रोगियों का पता लगाना	389600	547686
2. रोगियों का उपचार करना	389600	541078
3. उपचार उपरात रोगियों को छुट्टी देना	573900	1052823

बहु औषध उपचार के प्रभावशाली कार्यान्वयन से देश में रोगियों की संख्या 1981 में 4.0 मिलियन रोगियों से घटकर 1.0 मिलियन (दिसम्बर, 1993) हो गई है।

दक्षिण-पूर्व में विद्रोही गतिविधियां।

1429. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री एस.बी. सिदनाल :
श्री सुधीर राय :
कुमारी फ्रिडा तोपनो :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही गतिविधियां बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्होंने स्थिति की समीक्षा के लिए हाल ही में त्रिपुरा तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कोई कार्य-योजना बनाई गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने इन राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ और दिशा-निर्देश जारी किए है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) 1992 की तुलना में 1993 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोही गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई थी। कुकी-नागा संघर्ष के अलावा, मई, 1993 में मणिपुर में और अक्तूबर, 1993 में असम में हुई गड़बड़ियों से 1993 के दौरान विद्रोही गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई। तथापि, सुरक्षा बलों द्वारा विद्रोह-विरोधी अभियानों को सघन करने और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है।

(ग) और (घ) गृह मंत्री ने जनवरी, 1994 के दौरान मिजोरम और शिलांग का दौरा किया और मणिपुर के राज्यपाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने शिलांग में "पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रियों की समिति" और "पूर्वोत्तर परिषद" की बैंठकों में भी हिस्सा लिया। राज्य मंत्री (आंतरिक सुरक्षा) ने मणिपुर, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश और असम का दौरा फरवरी, 1994 के दौरान किया और मुख्यमंत्रियों के साथ सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। राज्य मंत्री (स्टेट्स) ने चकमा शरणार्थियों की स्वदेश वापसी के संबंध में 15 फरवरी, 1994 को त्रिपुरा का दौरा किया।

(ङ) से (ज) विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों को "सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम" के अधीन "विक्षुब्ध क्षेत्र" अधिसूचित कर दिया गया है और कुछ विद्रोही संगठनों को "प्रतिबंधित" संगठन घोषित कर दिया गया है।

अतिरिक्त अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती के अलावा मणिपुर में, विद्रोह-विरोधी अभियानों को समग्र कमान सेना को सौंप दी गई है। विद्रोह-विरोधी अभियानों के प्रभावकारी समन्वय और सूचना के विनिमय के लिए राज्य और जिला स्तर को सेमन्वय समितियां भी गठित की गई हैं। समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है।

द्वीपों का विकास

1430. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादर-नागर हवेली के निवासी 1964 में भारतीय संघ के साथ इस द्वीप के विलय होने के समय से लेकर अब तक पुरातन और आर्थिक रूप से पिछड़े बने रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस द्वीप के विकास हेतु वार्षिक बजट का कितना प्रतिशत धन रखा गया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस द्वीप के विकास के लिए क्या-क्या विभिन्न विकास कार्यक्रम आरंभ किये हैं;

(घ) इस अवधि के दौरान वास्तविक उपलब्धंता क्या रही;

(ङ) क्या सरकार ने इसके घटिया कार्य-निष्पादन के कारणों की पहचान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को पुनरीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) 1993-94 के लिए 63.93 करोड़ रुपए के कुल वार्षिक बजट में से योजनागत आकार 23.00 करोड़ रु. है और गैर-योजनागत 40.93 करोड रु. है। सम्पूर्ण योजनागत संसाधन और गैर-योजनागत बजट का एक काफी बडा हिस्सा, विकास संबंधी कार्यकलापों पर लगाए जाने के लिए है।

(ग) और (घ) हाथ में लिए गए विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में सड़के, बिजली, सिंचाई सुविधाए, जलापूर्ति, स्कूल और अस्पताल आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं मुहैया करना शामिल है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद किए गए विकास संबंधी बड़े कामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) सभी कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा संघ शासित क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर और साथ ही संबंधित मंत्रालयों तथा योजना आयोग द्वारा आवधिक रूप से की जाती है और इन्हें संतोषजनक पाया गया है।

स्वाधीनता के समय	31-1-1993 के अनुसार
1	2
(1) औद्योगिक इकाइयां	
शून्य	600
(2) उद्योगों के माध्यम से कुल रोजगार	
शून्य	10,470
(3) आई.टी.आई.	
शून्य	1
(4) बैंक कार्यालय	
शून्य	10

1	2
(5) सहकारी समितियां	
शून्य	144
(6) सड़कें	
66 कि.मी.	352.83 कि.मी.
(7) पंजीकृत वाहन	
शून्य	7294
(8) विद्युतीकरण गांव	
शून्य	67 (72 गांवों में से)
(9) धरातलीय पानी को रोकने वाले बांध	
शून्य	34
(10) सिंचाई परियोजनाएं (दमनगंगा बांध)	
शून्य	34
(11) खुले/गहरी खुदाई वाले कूपों का निर्माण	
शून्य	750
(12) स्कूलों की संख्या	
5	181
(13) साक्षरता की दर	
9.5%	40.7%
(14) अस्पताल	
एक	1
(15) पी.एच.सी.	
शून्य	5
(16) औषधालय	
3	5
(17) उप चिकित्सकीय केन्द्र	
2	34
(18) उचित दर दुकानें	
शून्य	65
(19) आंगनवाड़ी केन्द्र	
शून्य	125

एड्स नियंत्रण

1431. **श्री रवि राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश एड्स संक्रमण के प्रमुख केन्द्रों के रूप में कुछ राज्यों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में इस रोग को न फैलने देने के लिए क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार महाराष्ट्र (231) में एड्स के रोगियों की संख्या सबसे अधिक है, जिसके बाद तमिलनाडु (185), केरल (76), पजांब/चंडीगढ़ (47) और दिल्ली (46) आते हैं।

(ग) एड्स का सामना करने के लिए देश भर में सितंबर, 1992 में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है। एड्स का मुकाबला करने की कार्यनीतियों में जोखिमयुक्त आचरण वाले समूहों में सुरक्षित यौन संपर्क हेतु जागरूकता पैदा करना, रक्त निरापदता को बढ़ावा देना और रक्त का युक्तिसंगत प्रयोग करना; यौन संचारित रोगों की रोकथाम और उनका नियंत्रण करना; यौन संचारित रोगों/एच.आई.वी. के नियंत्रण हेतु कंडोम के प्रयोग तथा एड्स के रोगियों के बेहतर चिकित्सीय उपचार को बढ़ावा देना शामिल हैं।

स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा

1432. **श्री राजेश कुमार :**
श्री सुरेशानन्द स्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू के खतरे का समाना करने के लिए लोगों को स्वास्थ्य संबधी शिक्षा देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन हाल ही में नई योजनाएं शुरू की गई है, जिनमें कैंसर की रोकथम और उसका शुरू में पता लगाने पर जोर दिया जाता है। इन योजनाओं में तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में तंबाकू के उपभोग के दुष्प्रभावों के बारे में उल्लेख किया जाता है।

तेल की खोज के संबंध में विशेषज्ञों के पैनल

1433. **श्रीमती शीला गौतम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के संबंध में गठित विशेषज्ञों के पैनल के कच्चे तेल की खोज और उत्पादन को बढ़ाने तथा आयात और विदेशी व्यय को कम करने के संबंध में हाल ही में अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) कोई ऐसा (विशेषज्ञों का पैनल) नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हृदय-रोग

1434. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्पिरिन की आधी गोली के नित्य सेवन से दिल के दौरे से बचा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस औषधि के नियमित सेवन से कोई प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) विदेशों में किए गए अध्ययनों के आधार पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने सूचित किया है कि कम मात्रा (160 मि.ग्रा. प्रतिदिन) में एस्पिरिन का प्रयोग दूसरी बार होने वाले दिल के दौरे को रोकता है। इसका प्रयोग पहली बार होने वाले दिल के दौरे को कम करता है। वैसे, क्योंकि एस्पिरिन के चिरकारी उपयोग से रक्तस्राव का जोखिम भी होता है, इसलिए एस्पिरिन शुरू करने से पहले रक्तस्राव के विकारों को प्रवृत्ति का ध्यानपूर्वक पता लगाया जाना चाहिए।

बाढ़ नियंत्रण

1435. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1991-92 और 1992-93 के दौरान केंद्रीय सहायता की मांग करते हुए बाढ़ नियंत्रण के लिए और नदी किनारे सुदृढ़ बनाने और बाढ़ नियंत्रण हेतु नये किनारों का निर्माण करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान गोबकुंड कट (लागत

14.29 करोड़ रुपए) तथा बम्सधारा बाढ़ सुरक्षा योजना (3.02 करोड़ रुपए) नामक केवल दो योजनाएं जनवरी, 1992 में प्राप्त हुई थीं। उनकी जांच करने के बाद उनमें संसोधन करने के सुझाव दिए गए थे। राज्य सरकार से संशोधित योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

दिल्ली में पुलिस हिरासत में मौतें

1436. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**
श्री विजय कुमार यादव :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान दिल्ली में पुलिस हिरासत में कितनी मौतें हुइ;

(ख) क्या इसकी कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(घ) इसके लिए कितने पुलिसकर्मी दोषी पाए गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) दिल्ली में इन घटनाओं को रोकने हेतु क्या उपाय किए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) पिछले चार महीनों (अर्थात् अक्तूबर, 93 से जनवरी, 1994 तक) के दौरान पुलिस हिरासत में दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इन मौतों की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गयी। पुलिस स्टेशन कंझावाला में श्री ओम प्रकाश की मृत्यु से संबंधित प्रथम मामले में, एस.डी.एम. ने यह निर्णय दिया कि श्री ओम प्रकाश की मृत्यु सिर में चोट लगने के परिणामस्वरूप उत्पन्न बेहोशी के कारण हुई, जो सम्भवतः शराब पीकर स्कूटर चलाते हुए गिरने के कारण लगी। तथापि, मृतक को चिकित्सा उपचार देने में हुए विलम्ब सहित अनेक प्रक्रिया संबंधी खामियों के लिए 5 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

पुलिस स्टेशन पटेल नगर में श्री मदनलाल की हिरासत में हुई मृत्यु से संबंधित द्वितीय मामले में, एस.डी.एम. पटेल नगर ने निष्कर्ष दिया कि उन्हें इस मामले में धोखाधड़ी का संदेह है। चार पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया गया है और उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

(ङ) इस आशय के निर्देश दोहराए गए हैं कि हिरासत में व्यक्तियों के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाय और और अवपीड़क तरीकों का प्रयोग न किया जाय। जब किसी पुलिस अधिकारी को उत्पीड़क कार्यों में अन्तर्ग्रस्त पाया जाता है या हिरासत में हुई मृत्यु के लिए जिम्मेवार पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमों सहित सख्त कार्रवाई की जाती है।

जांच पड़ताल के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करने के बारे में पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए "भरती के समय और सेवाकालीन" प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

पूछताछ कक्षों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है, ताकि वे अधिक दृष्टिगोचर हो और रिपोर्टिंग कक्षो के नजदीक हों, जिससे इन निर्देशों के उल्लंघन के अवसर को कम किया जा सके।

गुजरात में भारतीय गैस प्राधिकरण की परियोजनाएं

1437. **श्री सोमजीभाई डामोर :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) गांधार स्थित गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. के गैस संसाधन काम्प्लेक्स की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार होने के तहत है। एन.टी.पी.सी., जनोर को 0.3 एम.एम.एस.सी.एम.डी. मात्रा की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन मार्च, 1994 में पूरी हो जाएगी। डबका तथा जी.टी.इ.सी. के प्रस्तावित विद्युत संयंत्र को जाने वाली दो अन्य पाइपलाइनों के संबंध में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों का कल्याण

1438. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सुनिश्चित करने हेतु कि इन योजनाओं का अल्पसंख्यकों को पूरा लाभ मिले, क्या कदम उठाए गये हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) भारत सरकार अल्पसंख्यका का कल्याण सुनिश्चित करने तथा उन्हें जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। इस संबंध में निर्देश सूचक संकेत, भारत सरकार द्वारा मई, 1993 में बनाये गये अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी 15-सूत्री कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका कार्यान्वयन पूरे देश में हो रहा है। कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न है।

फिलहाल, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 53 केंद्रों (20 विश्वविद्यालयों और 33 महाविद्यालयों) के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कमजोर वर्गों हेतु कोचिंग-योजना प्रचालित कर रहा है, ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार तैयार किये जा सकें।

(2) आर्थिक मानदंड पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए ख्याति प्राप्त व्यावसायिक कोचिंग संस्थानों के माध्यम से परीक्षा-पूर्ण कोचिंग योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य कमजोर वर्गों, जिनमें अल्पसंख्यक तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार शामिल है, को कोचिंग प्रदान करना/प्रशिक्षित करना हैं, ताकि उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबरी के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर पाने में समर्थ बनाया जा सके।

(3) परम्परागत संस्थाओं अर्थात् मदरसे/मक्तबों में विज्ञान, गणित, समाज अध्ययन तथा भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने हेतु मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना।

(4) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के निमित्त आधारभूत शैक्षणिक अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु गहन क्षेत्र कार्यक्रम संबंधी योजना। जहां तक प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के कल्याणर्थ योजनाओं के कार्यान्वयन का संबंध है, ब्यौरे, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के योजना/बजट प्रलेखों में उपलब्ध हैं। ये प्रलेख प्राप्य है।

(ख) अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी 15-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन को केंद्र, राज्य तथा जिला स्तरों पर मानीटर किया जाता है।

केंद्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी मामलों के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय समिति है। कल्याण मंत्रालय इस कार्यक्रम में कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने हेतु एक नोडल एजेंसी की भूमिका का निर्वाह करता है। यह मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा सम्बद्ध केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की मांग करता है। प्राप्त सूचना का संकलन, विश्लेषण तथा इसकी समीक्षा की जाती है और पायी गई त्रुटियों को उपचारी कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। राज्य स्तर पर, कार्यक्रम का मानिटर सामान्यतः मुख्य मंत्रियों/मुख्य सचिवों द्वारा किया जाता है।

जिला स्तर पर कार्यक्रम का मानीटर सामान्यतः जिला आयुक्तों/जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है।

विवरण

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम

1. साम्प्रदायिक दंगे

1. जिन क्षेत्रों का साम्प्रदायिक रूप से नाजुक और उपद्रव वाले क्षेत्रों के रूप में

पता लगाया गया है, वहां ऐसे जिला तथा पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाए, जो अत्यधिक कार्यकुशल, निष्पक्ष तथा धर्म-निरपेक्ष हैं। ऐसे क्षेत्रों में तथा अन्य कहीं भी साम्प्रदायिक तनाव रोकना, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक के प्रमुख कर्त्तव्य होने चाहिए। उनकी पदोन्नति का निर्धारण करने में इस संबंध में उनका कार्य निष्पादन ही एक महत्वपूर्ण तथ्य होना चाहिए।

2. इस संबंध में जिला तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अच्छे कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

3. उन सभी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, जो साम्प्रदायिक तनाव को भड़काएं अथवा हिंसा करने में शामिल हों।

4. साम्प्रदायिक अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों अथवा विशेष रूप से निर्धारित न्यायालयों की स्थापना की जाए, ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा दिलायी जा सके।

5. साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को तत्काल राहत दी जाए और उनके पुनर्वास के लिए फौरन तथा पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

6. ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास कायम करने, साम्प्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने में रेडियो और टेलीविजन द्वारा भी सहायता दी जानी चाहिए।

7. यह दुर्भाग्य की बात है कि कभी-कभी प्रेस के कुछ लोग भी जान बूझकर ऐसी रिपोर्ट तथा सामग्री का प्रकाशन करते हैं, जो झूठी, आपत्तिज़नक और उत्तेजनापूर्ण होती है, जिससे साम्प्रदायिक तनाव भड़क सकता है। ऐसी सामग्री के प्रकाशन के बचने का तरीका ढूंढने में सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशन तथा अन्य संबंधित अपना सहयोग देंगे।

2. राज्य और केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती

8. राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि पुलिस कर्मचारियों की भर्ती में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए चयन समिति के गठन में प्रतिनिधित्व पूर्ण होना चाहिए।

9. केन्द्रीय बलों में कार्मिकों की भर्ती में ऐसी ही कार्रवाई केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाए।

10. रेलवे, राष्ट्रकृत बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदायों की भर्ती करने पर विशेष ध्यान दें।

11. अनेक क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाती है। प्रायः अल्पसंख्यक समूह ऐसी परीक्षाओं में बराबरी के आधार पर शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने में असमर्थ रहे है। इन कठिनाइयों को दूर करने में उनकी सहायता करने

के लिए इन परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए इन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों में कोचिंग कक्षाएं शुरू करने को प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाएं।

12. इन अल्पसंख्यकों द्वारा, जो आज पिछड़े हुए हैं, तकनीकी कौशल प्राप्त कर लेने से देश के विकास में भी सहायता मिलेगी। इन समुदायों के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या में ऐसी संस्थाओं में दाखिला लेने में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) और पोलिटेक्निक खोलने के प्रबन्ध करने चाहिए।

3. अन्य उपाय

13. यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को 20-सूत्री कार्यक्रम को शामिल करते हुए विभिन्न विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभों से पर्याप्त लाभ मिले। ऐसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी रखने के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों में उन समुदायों के सदस्यों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करना चाहिए।

14. बताए गए सामान्य मुद्दों के अलावा ऐसी विभिन्न स्थानीय समस्याएं हैं, जो अल्पसंख्यकों के लिए अनावश्यक रूप से क्षोभकारी बन जाती है। उदाहरण के लिए वक्फ सम्पत्तियां और कब्रिस्तानों के अतिक्रमण से कुछ स्थानों पर विरोध और शिकायतें पैदा हुई हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए शीघ्रतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से समुचित उपाय किये जाने चाहिए।

15. अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि आशंकाओं को दूर किया जा सके और वास्तविक शिकायतों का निर्वारण किया जा सके। इसके लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष एकक खोला जा रहा है, जिससे अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों को निपटाया जा सकेगा।

रावा तेल क्षेत्र

1439. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के तटीय रावा तेल क्षेत्र में खोज कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय निविदा आमंत्रित करने की शर्तें क्या हैं तथा उन्हें कब आमंत्रित किया गया;

(ख) किन-किन देशों की निविदाएं निर्धारित तिथि के भीतर प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या निविदा प्राप्त करने के पश्चात् इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) राव्वा सहित मध्यम आकार के क्षेत्रों के विकास के लिए जिन प्रमुख शर्तों पर सार्वभौम निविदाएं आमंत्रित की गई थीं वे निम्नानुसार हैं :

(I) क्षेत्र का विकास एक ओर तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन और दूसरी ओर निजी कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाएगा। संयुक्त उद्यम निगमित अथवा अनिगमित हो सकता है। जहां संयुक्त उद्यम निगमित होगा वहां समाशंता में ओ.एन.जी.सी. का हिस्सा 49% होगा अनिगमित उद्यमों में ओ.एन.जी.सी. का हिस्सा 40% होगा।

(II) निम्नलिखित के लिए भी प्रावधान है :

(अ) हस्ताक्षर/उत्पादन बोनस के भुगतान के लिए;

(ब) रायल्टी, उपकर इत्यादि जैसे सांविधिक सदग्रहणों का अपना हिस्सा वहन करने वाली कम्पनियों के लिए;

(स) 50% (बिना अधिमार) को नियत दर से आयकर के उदग्रहण के लिए। इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव अगस्त, 1992 में आमंत्रित किए गए थे।

(ख) बोलियां भेजने वाली कम्पनियां निम्नलिखित देशों की थीं :

मलेशिया, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, दुबई और भारत।

(ग) से (ङ) प्राप्त हुए प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग

1440. **श्री मोहम्मद अली अशरफ आतमी :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने लोग है;

(ख) इनमें से कितने-कितने लोग शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनके विकास हेतु कोई समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) बिहार की कुल जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या तथा इनमें से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या निम्न प्रकार है :

(1991 की जनगणना के आंकड़े)

	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति	प्रतिशतता
कुल	8,63,74,465	1,25,71,700	14.55	66,16,914	7.66
ग्रामीण	7,50,21,453	1,14,37,136	15.25	61,53,659	8.20
शहरी	1,13,53,012	11,34,564	9.99	4,63,255	4.08

(ग) और (घ) सरकार ने अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना कार्यनीति तथा अनुसूचित जनजातियों के विकासार्थ आदिवासी उपयोजना नीति अपनायी है। विशेष संघटक योजना तथा आदिवासी उप योजना के तहत निधियों के आवंटन संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

योजनावधि के दौरान आदिवासी उपयोजना तथा विशेष संघटक योजना के बिहार संबंधी आंकड़ों के ब्यौरे।

(रुपये करोड़ में)

योजनावधि	राज्य योजना	आदिवासी उपयोजना	राज्य योजना के लिए आदिवासी उपयोजना की प्रतिशतता	विशेष संघटक योजना	राज्य योजना लिए विशेष संघटक योजना की प्रतिशतता
पांचवीं योजना	1187.17	150.87	12.71	-	-
छठी योजना	3225.00	532.12	16.50	270	8.37
सातवीं योजना	6208.26	1642.79	26.46	536	8.63
1990-91	1805.00	430.67	23.86	153	8.47
1991-92	1995.70	588.99	29.51	151	7.56
1992-93	1100.00	275.00	25.00	180	16.36
1993-94	1202.68	301.40	25.00	207	17.21
1994-95 (प्रस्तावित)	2310.00	597.02	25.85	366	15.84

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस को जलाना

1441. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी और कृष्णा बेसिन में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस जलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी मात्रा में गैस जलायी जा रही है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में जलायी जाने वाली गैस के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) फिलहाल के.जी. बेसिन में केवल 0.038 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस जलाई जा रही है। इसे विद्यमान ग्रिड से जोड़ने के लिए राव्वा (अपतट) क्षेत्र से एक पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम और इंडियन आयल के विस्तार की योजना

1442. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम और इंडियन आयल कारपोरेशन की कोई विस्तार योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) मैसर्स बी.पी.सी.एल. का मैसर्स ओमान आयल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में मध्य प्रदेश के सागर जिलान्तर्गत बीना में 6 मि.मि. टन प्रति वर्ष की क्षमता की एक ग्रास रूट रिफायनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त बी.पी.सी.एल. और आई.ओ.सी. सागर, सतना, रतलाम, रायपुर, मोरवानी, जगदलपुर, खांडवा और बिसरामपुर में अतिरिक्त डीपु/टैकेज स्थापित करने के अलावा भोपाल और मिटोनी में अपने एल.पी. जो भराई संयंत्रों की क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की उत्पादन लागत

1443. **डा. चिन्ता मोहन :**
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 दिसम्बर, 1993 के "फायनेशियल एक्सप्रेस" में "कास्ट आफ कोल प्रोडक्शन लोएस्ट इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में कोयले की उत्पादन लागत कितनी है;

(ग) क्या देश में गत कुछ वर्षों से कोयले के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या देश में गत कुछ वर्षों से कोयले की लागत में लगातार वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो कोयले के मूल्य में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्योग में कितनी अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया गया?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के निबल बिक्री कराने योग्य कच्चे कोयले की औसत उत्पादन लागत 334.31 रुपये प्रति टन थी जबकि सिंगरेनी कोलिवरीज कंपनी लि. के लिए कोयले की औसत लागत 491.98 रुपये प्रति टन थी।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) पिछले चार वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. एवं सिंगरेनी कोलिवरीज कंपनी लि. के कोयले की कीमतों में तीन बार वृद्धि की गई है क्या 27-12-1991, 17-2-1993 और 19-6-1993 को की गई। कर्मचारियों को वी.डी.ए. का भुगतान किए जाने तथा विभिन्न आगतों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण वह वृद्धि करनी पडी।

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. और सिंगरेनी कोलिवरीज कंपनी लि. में किए गए अतिरिक्त पूंजी निवेश को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	अतिरिक्त पूंजी निवेश (करोड़ रुपये में)
1990-91	1929.76
1991-92	1648.12
1992-93	2214.92

हृदय रोग

1444. **डा. महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शल्य चिकित्सा के मामले वाले हृदय रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हृदय शल्य चिकित्सा सुविधा सुगमता से तथा कम खर्च पर उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) हाल के वर्षों में हृदय शल्य-चिकित्सा की मांग में वृद्धि हुई है।

(ख) सुविधा पहुंचाने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

पानीपत में तेल शोधक कारखाना

1445. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1994 के "जनसत्ता" में पानीपत में तेल शोधक कारखाने में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाए जाने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों का कुल लागत मूल्य क्या है और किन देशों से इनका आयात किया गया; और

(ग) यह तेल शोधक कारखाना कब तक काम करना आरम्भ कर देगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) सरकार ने दिनांक 6-1-1994 को "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार को देखा है।

(ख) रिफाइनरी की अनुमोदित लागत अनुमानों के अनुरूप, प्रदूषण नियंत्रण उपायों के प्रति करीब 128 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश परिकल्पित है। देशी प्रौद्योगिकी/उपस्कर के साथ प्रमुख रूप से सुविधाओं की योजना बनाई गई। इसके अतिरिक्त फ्रांस और स.रा. अमेरिका की प्रौद्योगिकी से सीसा रहित पेट्रोल के उत्पादन की सुविधाएं भी परिकल्पित हैं।

(ग) पानीपत रिफाइनरी के सरकार के अनुमोदन की तिथि अर्थात 7-10-1992 से 54 माह की निर्धारित अवधि के भीतर यांत्रिक रूप से पूरा होने की उम्मीद है।

तेल योजनाएं/परियोजनाएं

1446. **श्री प्रेम चन्द राम** :
श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों की विभिन्न तेल योजनाएं और परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार ये कब-कब से लम्बित पड़ी हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनओं/परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास ऐसी कोई तेल योजना/परियोजना लम्बित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एड्स की चिकित्सा

1447. **श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एड्स की सफल चिकित्सा के लिये "कैलोफाइलम" (भारतीय प्रजाति) नामक एक पौधे का प्रयोग किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने एड्स के इलाज के लिये इस बहुमूल्य औषधि को प्राप्त करने के संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि कैलीफाइलम (भारतीय प्रजाति) का प्रयोग एड्स के सफल उपचार के लिए किया जा सकता है।

(ख) एड्स के उपचार हेतु इस पौधे से किसी प्रकार की औषधि निकालने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों को परिचय-पत्र

1448. **श्री मुश्ताज अंसारी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) स्वतंत्रता सेनानियों को गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, कितने परिचय-पत्र जारी किये गये;

(ख) क्या सरकार ने कुछ परिचय-पत्रों को अमान्य पाया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान पत्र जारी नहीं किए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल खोज हेतु नीलामी

1449. **श्री शरत पटनायक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी कंपनियों ने तेल और गैस की खोज हेतु नीलामी में भाग लिया।

(ख) क्या इस संबंध में विदेशी नीलामी दाताओं की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नीलामी में और अधिक विदेशी भागेदारी को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बोली के चौथे पांचवें और छठे दोरों में 30 विदेशी कंपनियों ने तेल एवं गैस के अन्वेषण हेतु बोली भेजी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में तेल एवम् गैस के अन्वेषण में सक्रिय निजी कंपनियों को पहले ही कई प्रोत्साहन प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें 50% निगम कर की रियायत दर, कंपनिंयों के तेल वाले हिस्से हेतु अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के आधार पर उत्पादित गैस का मूल्य-निर्धारण और सीमा शुल्क में छूट शामिल है। इसके अतिरिक्त देश के तुलनात्मक रूप से अल्प अन्वेषित बेसिनों में भूकम्पीय आंकड़ों को उन्नयित करने के प्रयास जारी हैं, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों को इनके प्रति आकर्षित किया जा सके। कंपनियों के साथ जन संपर्क करने तथा उन्हें सरकार को नवीनतम पहले से अवगत कराने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में एक प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है।

तम्बाकू के उपयोग पर प्रतिबन्ध

1450. **श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादों में प्रयुक्त होने वाले तम्बाकू, जिनका नियमित प्रचार माध्यमों में विज्ञापन नहीं दिया जाता है, के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई तरीका निकाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) तम्बाकू के उपयोग पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

1451. **श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश को पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बिहार में तेल की खोज के लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया है; और

(घ) सरकार इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर देगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने तेल परिशोधन क्षेत्र में निजी निवेश को अनुमति दे दी है। हाल की 53.25 एम.एम.टी.पी.ए. के परिशोधन क्षमता की तुलना में जारी किए गए जा चुके आशय पत्रों के अनुसार देश की कुल परिशोधन क्षमता सभी परियोजनाओं के कार्यान्वित होने के बाद लगभग 119 एम.एम.टी.पी.ए. होने की आशा है। यह क्षमता वर्ष 2001-2002 से लगभग 102 एम.एम.टी.पी.ए. को अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

(ग) और (घ) आठवीं योजना में ओ.एन.जी.सी. ने बिहार में 2 डी भूकम्पीय डाटा वाले 1230 एस.एल.के. का अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। बिहार के कुछ भागों में 17500 वर्ग कि.मी. के लिए अन्वेषण लाइसेंस हेतु आयल इंडिया लि. ने भी आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त अंशतः बिहार में पड़ने वाले पूर्णिया बेसिन में 3 ब्लॉकों का सातवें चक्र में प्रस्ताव किया गया है। बोलियों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख 30-6-1994 है।

बाम्बे हाई में गैस का जलाना

1452. **श्री छीतूभाई गामीत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन गैस क्षेत्रों का व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है;

(ख) बाम्बे हाई में गैस के जलने को रोकने के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं और इसके लिए किस तकनीक की आवश्यकता है;

(ग) गैस के जलने को रोकने हेतु निर्धारित समय 1995 से बढ़ाकर 1998 करने के क्या कारण हैं और इस समय कितनी गैस जलायी जा रही है; और

(घ) उक्त गैस जलाने के क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) बाम्बे हाई, बेसिन तथा कई एक छोटे क्षेत्र वाणिज्यिक उत्पादन में रत है।

(ख) से (घ) गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना चरणबद्ध रूप में जुलाई, 1996 तक पूरी हो जाएगी। पश्चिमी अपतट में दहन फिलहाल 2.19 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है, जिसमें 1.31 एम.एम.एस.सी.एम.डी. मात्रा का दहन अपरिहार्य तकनीकी दहन है।

यमुना नदी जल का बंटवारा

1453. **श्रीमती वसुंधरा राजे :**
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने यमुना जल का इससे लाभ पाने वाले राज्यों में उचित बंटवारा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितना-कितना पानी मिलेगा; और

(ग) इस मसले को कब तक सुलझा दिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यथोचित स्वीकार्य हल पर पहुंचने के लिए ओखला तक औसत वार्षिक उपलब्धता के आधार पर यमुना जल के वितरण के वास्ते सह-बेसिन राज्यों के बीच अनेक अंतर्राज्जीय बैठकें आयोजित की हैं।

(ख) और (ग) प्रत्येक राज्य को आवंटित की जाने वाली जल की मात्रा पर आम सहमति हो गई है। तथापि, इसके क्रियान्वयन के लिए समय सीमा पर कोई करार नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

कोयले की ढुलाई के लिए सड़कें

1454. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार सें मार्च, 1985 तथा मई, 1986 में मध्य प्रदेश के बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिलों की सड़कों को, जिनका उपयोग कोयले की ढुलाई के लिए किया जाता है, पक्का करने तथा चौड़ा करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (ग) मई, 1982 में मध्य प्रदेश सकरार द्वारा 202.99 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सड़क के चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उन्हें 1985 में अनुमानों को अद्यतन करने को कहा गया था। मई, 1986 में संशोधित अनुमान प्राप्त हुए। राज्य सरकार को यह सूचित कर दिया गया था कि राज्य में सड़कों का निर्माण किया जाना, राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है और राज्य सरकारें, अपने आन्तरिक संसाधनों के जरिये निधि जुटाए जाने के अलावा संबद्ध राज्यों में उत्पादित कोयले पर रायल्टी तथा अन्य कर लगाकर काफी राजस्व संग्रहण करती हैं। अतः इस तथ्य को देखते हुए उन्हें स्वयं ही सड़कों के निर्माण के लिए निधियों की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें कोयला क्षेत्र में स्थित सड़कें भी शामिल है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन

1455. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विकासशील देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन 2 फरवरी 1994 को दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन किन-किन देशों ने भाग लिया था;

(ग) सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा की गयी और क्या प्रमुख सिफारिशों की गई; और

(घ) क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जानी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक में भारत के अलावा बंगलादेश, बर्किना कैसो, ब्राजील, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, मैक्सिको, युगांड़ा, पाकिस्तान, फिलीपिन्स, थाइलैंड, तंजानिया तथा जांजीवार ने भाग लिया।

(ग) और (घ) सम्मेलन में चर्चा किए गए विषयों में ये शामिल थे : मातृ तथा नवजात शिशु परिचर्या, किशोरों तथा युवा लोगों का प्रजनक स्वास्थ्य, बेबी फ्रेंडली हास्पिटल अप्रोच, मुखीय पुनर्जलपूर्ति उपचार, गिनी कृमि उन्मूलन, जल तथा सफाई, सामुदायिक स्वास्थ्य तथा सामुदायिक भागीदारी। बैठक में सन् 2000 ईसवीं तक सभी के लिए शिक्षा विशेषतः महिलाओं की शिक्षा के लक्ष्यों को मंजूरी दी गई। सम्मेलन में प्रस्तावित लक्ष्य और सिफारिशे देश में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का एक भाग है।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम

1456. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 को और अधिक प्रभावी तथा कठोर बनाने के लिये उसमें संसोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रस्तावों पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जा रहा है और संशोधन विधेयक को शीघ्रतिशीघ्र संसद में पेश किया जाएगा।

दिल्ली में बम विस्फोट

1457. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री गया प्रसाद कोरी :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 और 1994 में अब तक दिल्ली में बम विस्फोट की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इन घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) प्रत्येक मामले में कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या इन घटनाओं की कोई जांच करायी गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(च) कितने मामले निपटा दिये गये हैं और कितने मामले लंबित हैं; और

(छ) शहर में अपराधियों और उनके संबंधों का पता लगाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) दिल्ली में वर्ष 1993 और 31 जनवरी, 94 तक की अवधि के दौरान बम विस्फोट की 9 घटनाएं घटीं।

(ख) इन घटनाओं में 12 व्यक्ति मारे गए तथा 67 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) 5, रायसीना रोड, नई दिल्ली में 11-9-93 को हुए बम-विस्फोट की घटना में मारे गए चार नागरिकों में से प्रत्येक के परिवार को अब तक 50,000 रु. की दर से अनुग्रह राहत का भुगतान किया जा चुका है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के मारे गए 3 कार्मिकों में से प्रत्येक के परिवार को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा एक लाख रुपये की दर से अनुग्रह राहत दी गई है। रायसीना रोड़ की घटना में हुई मृत्यु के दो अन्य मामलों में शहरी विकास और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने मृत कर्मचारियों के निकटतम संबंधी को अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए उनके मामलों को प्रोसेंस करें। घायल हुए 26 व्यक्तियों को 3,000 रु. प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रह राहत राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) से (च) दिल्ली ओर उत्तर प्रदेश में भा.द.सं./टी.ए.डी.ए./विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। न्यायालय में अभी तक कोई मामला दायर नहीं किया गया है।

(छ) विभिन्न आसूचना एजेंसियों के सहयोग से जांच दलों ने तलाशियां ली है, और छापे मारे हैं। रायसीना रोड़ पर हुए बम विस्फोट की घटना में लिप्त छह व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है।

मंत्री का दौरा

1458. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने स्थिति का मौके पर अध्ययन करने हेतु उस क्षेत्र का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

चकमा शरणार्थी

1459. **श्री गुरुदास कामत** :
श्री साईमन मरान्डी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मनोरंजन सुर :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने चकमा शरणार्थी वापस लौट चुके हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने शरणार्थियों को वापस भेजा जाएगा।

(ग) क्या बंगलादेश ने उन शरणार्थियों को वापसी हेतु समुचित व्यवस्था की है;

(घ) क्या बंगलादेश ने वापस भेजे जाने वाले 300 से अधिक शरणार्थियों की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) 15 फरवरी, 1994 से कुल 1854 जनजाति शरणार्थियों को त्रिपुरा से बंगलादेश वापस भेजा गया है। त्रिपुरा राज्य सरकार को सलाह दी गयी है कि वे शरणार्थियों के नेताओं और बंगलादेशी प्राधिकारियों के साथ विचार विर्मश करके उनके प्रत्यावर्तन के लिए और कार्यक्रम बनायें। बंगलादेश सरकार ने शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा के साथ वापस स्वीकार करने के लिए सार्वजनिक वायदा किया है।

(घ) से (च) जी नहीं, श्रीमान्। बंगलादेश के प्राधिकारी उन 62 परिवारों के संबंध में आगे और सत्यापन करने के लिए राजी हो गए हैं जिनके नाम, उनके पास उपलब्ध, पहले सत्यापित की गयी सूची में नहीं है।

इंजीनियर्स इंडिया लि. को विदेशों में मिले कार्य

1460. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्स इंडिया लि. को गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में मिले कार्यों तथा उसके संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके जरिए गत दो वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ग) क्या भारत तथा विदेशों में बड़ी परियोजनाएं शुरू करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा किन्ही जापानी इंजीनियरिंग कंपनियों विशेषतः तोयो इंजीनियरिंग के बीच संयुक्त उद्यमों का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उससे विश्वभर में कितना कारोबार हासिल होगा तथा कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी;

(ङ) तोयो इंजीनियरिंग के साथ गठजोड़ को अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा और वह कब से चालू होगा;

(च) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के संबंध में कुछ देशों में अपने इंजीनियरिंग कार्यालय खोले हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने विदेशों में निम्नानुसार कार्य प्राप्त किए थे :-

वर्ष	प्राप्त किए कार्यों की संख्या
1991-92	4
1992-93	8
1993-94	8
(अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 तक)	

ये कार्य इंजीनियरी सेवाओं, रिफाइनरियों के सुधार/अद्यतनीकरण, पाइपलाइनों, उर्वरक एवं पेट्रोकैमिकल परियोजनाओं इत्यादि के क्षेत्रों में थे।

ई.आई.एल. ने यू.के. में ए.एम.ई.सी. नामक एक कम्पनी बनाई है, मैसर्स ए.एम.ई.सी. इंजीनियरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड, (यू.के.) के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड।

(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	लाख रुपए
1991-92	2,996.26
1992-93	4,827.70
1993-94 (अप्रैल, 1993 से जनवरी, 1994 तक) अनन्तिम	5,270.00

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) जी, हां। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने आबूधावी और दोहा (कातार) में इंजीनियरिंग कार्यालय खोले हैं।

स्वास्थ्य का नागरिक चार्टर

1461. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए चार्टर प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे रोगियों को क्या लाभ मिलने की आशा है, और

(घ) इस चार्टर को कब तक घोषणा कर दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

कोयला खानों का विस्तार

1462. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोल इंडिया लि. और नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की विभिन्न सहायक इकाइयों के लिए तैयार किए गये खनन विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके निवेश और उत्पादन लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 में कोयले की 204.14 मि.टन वास्तविक उत्पादन की तुलना में योजना आयोग ने वर्ष 1996-97 (आठवीं योजना में अंतिम वर्ष तक) कोयले का 270.00 मि.टन कुल उत्पादन किए जाने की सिफारिश की है। इस संबंध में सहायक कंपनीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(मि. टन में उत्पादन)

कम्पनी	1991-92	1996-97
ई.सी.एल.	24.51	38.50
बी.सी.सी.एल.	27.01	32.00
सी.सी.एल.	31.20	45.50
एम.सी.एल.	30.89	39.00
वे.को.लि.	24.73	30.00
एस.ई.सी.एल.	64.85	45.50
एम.सी.एल.	—	38.50
एन.ई.सी.	0.95	1.00
कोल इंडिया लि. जोड़	204.14	270.00

विद्यमान खानों और पूरी हुई परियोजनाओं, चालू परियोजनाओं और नई परियोजनाओं से वर्ष 1996–97 संभावित उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है।

निम्नलिखित से अंशदान : (मि.टन में)

विद्यमान खानें और पूरी हुई परि.	चालू परियोजनाएं	नई परियोजनाएं	जोड़
121.03	121.13	27.84	270

वर्ष 1991-92 में लिग्नाइट के हुए 12.54 मि.टन के वास्तविक उत्पादन की तुलना में योजना आयोग ने वर्ष 1996-97 में नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की खानों के लिए 18 मि.टन लिग्नाइट उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

योजना आयोग द्वारा 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए को.इं.लि. और ने.लि. का (खनन) के लिए क्रमशः 8520 करोड़ रु. और 800 करोड़ रु. (1991-92 की कीमतों पर) पूंजी निवेश की सिफारिश की है। 8वीं योजना अवधि के लिए परिव्यय की राशि कंपनी वार निम्नलिखित रूप से आवंटित की गई है :-

(करोड़ रु. में)

कम्पनी	(वर्ष 1991-92 की कीमतों पर)
ई.सी.एल.	1910.00
बी.सी.सी.एल.	1000.00
सी.सी.एल.	1950.00
एन.सी.एल.	1200.00
वे.को.लि.	935.00
एस.ई.सी.एल.	675.00
एम.सी.एल.	700.00
एन.ई.सी.	50.00
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	42.00
डी.सी.सी.	8.00
को.ई.लि. (मुख्या.)	50.00
कुल को.ई.लि.	8520.00
एन.एल.सी. (माइनिंग)	800.00

किन्तु आठवीं योजना अवधि के दौरान वास्तविक आवंटन बाद की वार्षिक योजनाओं की अवधि के दौरान की गई समीक्षा पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक टूथपेस्ट और शैम्पू

1463. **श्री राम निहोर राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या नवीनतम अनुसंधान के अनुसार अधिक झाग पैदा करने वाले टूथपेस्ट और शैम्पू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन उत्पादों के प्रयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द) : (क) इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शैम्पुओं और टूथपेस्टों का निर्माण औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए लाइसेंस के अंतर्गत किया जाता है और निर्माताओं को इसके अंतर्गत निर्धारित किए गए मानकों का पालन करना पड़ता है।

[अनुवाद]

मलेरिया पर नियंत्रण

1464. **डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्यवार मलेरिया के कितने मामलों की सूचना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में मलेरिया से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ग) सरकार ने मलेरिया पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी॰ शंकरानंद) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) मलेरिया को नियंत्रिण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

1. वैक्टर रोधी उपाय

(क) रासायनिक उपाय

- डी.डी.टी./बी.एच.सी./मेलाथियीन जैसे उपयुक्त कीटनाशकों का छिड़काव
- देश के चुनिंदा क्षेत्रों में सिंथेटिक पाइरेथ्राइड्स से क्षेत्रीय परीक्षण
- शहरी क्षेत्रों में लार्वारोधी रसायनिकों का साप्ताहिक प्रयोग

(ख) जैवविज्ञानिक उपाय

- लार्वाभक्षी मछलियों को जहां आवश्यक हो, पालना
- प्रभावकारी लार्वारोधी उपायों के रूप में जैवनाशकों से परीक्षण

(ग) पर्यावरणिक उपाय

- मच्छर प्रजनन को प्रभावी रूप से रोकने के लिए पर्यावरणिक परिवर्तन तथा उपाय किए जा रहे हैं।

2. **परजीवी रोधी उपाय**

- रोगी का पता लगाना और उसका तत्काल उपचार
- क्लोरोक्वीन प्रतिरोधी की फाल्सीपेरम मलेरिया के उपचार के लिए नई मलेरिया रोधी औषधों पर अनुसंधान

विवरण

वर्ष 1992 और 1993 के दौरान देश में मलेरिया रोगियों तथा मौतों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	मलेरिया रोगियों की संख्या		मौतों की संख्या	
	1992	1993 (अनन्तिम)	1992	1993 (अनन्तिम)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	80305	78501	शून्य	5
अरुणाचल प्रदेश	191113	8522	शून्य	शून्य
असम	95168	86685	20	43
बिहार	65632	20834	21	2
गोवा	848	1958	शून्य	शून्य
गुजरात	348532	305031	20	13
हरियाणा	16662	21945	1	शून्य
हिमाचल प्रदेश	7251	4062	शून्य	शून्य
जम्मू और कश्मीर	1244	767	शून्य	शून्य
कर्नाटक	81057	121459	शून्य	शून्य
केरल	8255	7418	2	शून्य
मध्य प्रदेश	269930	107365	39	1
महाराष्ट्र	203812	249244	2	2
मणिपुर	2119	1699	9	9
मेघालय	11283	6795	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
मिजोरम	20592	8574	36	13
नागालैंड	2248	649	शून्य	शून्य
उड़ीसा	362390	247210	155	19
पंजाब	23225	15916	शून्य	शून्य
राजस्थान	121499	84588	55	12
सिक्किम	208	58	1	शून्य
तमिलनाडु	151633	135014	2	शून्य
त्रिपुरा	9350	3136	6	5
उत्तर प्रदेश	135242	100671	शून्य	शून्य
पश्चिम बंगाल	491130	34660	43	5
संघ राज्य क्षेत्र				
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1688	1693	1	2
चंडीगढ़	17559	9735	शून्य	शून्य
दादरा और नागर हवेली	6676	7003	शून्य	शून्य
दिल्ली	11241	8201	1	शून्य
लक्षद्वीप	1	शून्य	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	1034	909	शून्य	शून्य
अखिल भारत	2125826	1682747	422	131

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986

1465. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **कल्याण मंत्री** मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 के बारे में 26 अगस्त, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4615 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) दिनांक 26 अगस्त, 1993 को अतारांकित प्रश्न सं. 4615 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने हेतु, कल्याण मंत्रालय के पत्र में मांगी गई सूचना सताईस राज्य सरकारों/वक्फ बोर्डों ने भेजी हैं। इनमें से केवल राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने सूचित किया है कि इन राज्यों में वक्फ बोर्डों द्वारा मुस्लिम महिला (तलाकशुदा के अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में दो-दो महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार से विभिन्न वक्फ बोर्डों से सूचना एकत्र करने की सूचना प्राप्त हुई है। शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के वक्फ बोर्डों से "शून्य" सूचना प्राप्त हुई है।

[हिन्दी]

भेषज प्रयोगशालाएं

1466. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई औषधियों के विकास हेतु देश में भेषज प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए विभागीय समिति

1467. **श्री मोहन रावले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** 13 मई, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8508 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गठित विभागीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समिति ने क्या उपचारात्मक उपाय करने की सिफारिश की है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जांच समिति की राय है कि संभवतः एक कमरे में एक विद्युत कनेक्शन में हुए सार्ट सर्किट के कारण आग लगी।

(ग) और (घ) तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन ने आग लगने के प्रति सावधानियां बरतने तथा अग्नि शमन उपस्करों का नियमित निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों के प्रमुखों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिए हैं। सभी इमारतों तथा भंडारों की अग्नि शमन विषय तैयारी की समीक्षा की गई है। अर्हता प्राप्त अग्नि सेवा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए पहले भी की गई है।

कच्चे तेल के उत्पादन में कमी

1468. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में कच्चे तेल के उत्पादन में लगातार कमी आई है,

(ख) यदि हां, तो सरकार के व्यापक आर्थिक सुधारों की उपलब्धि का इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में वर्तमान गिरावट के कारण पी.ओ.एल. आयात पर होने वाले खर्च में कितनी बचत हुई है; और

(घ) देशी कच्चे तेल के उत्पादन की वृद्धि के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देशी क्रूड उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कई लघु एवं मध्यावधि उपाय किये जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलत हैं :-

(i) नए तेल क्षेत्रों का विकास

(ii) विद्यमान क्षेत्रों का विकास

(iii) जहां कही भी व्यवहार्य हो दूत उत्पादन प्रणालियों की स्थापना

(iv) जहां संभव हो नवीन प्रोद्योगिकी का उपयोग।

एच.आई.वी.(+) के मामले

1469. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में आज तक एच.आई.वी.(+) के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) महाराष्ट्र के किन-किन अस्पतालों में एड्स की जांच करने की सुविधा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा विदेशी सहायता से महाराष्ट्र में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) महाराष्ट्र राज्य से 31 जनवरी, 1994 तक 5482 एच.आई.वी. पॉजीटिव रोगियों की सूचना मिली है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इस समय महाराष्ट्र सहित देश में विश्व बैंक की सहायता से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एक गहन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक खतरे वाले समूहों और अन्य लोगों में जागरूकता पैदा करना, यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण करना, रक्त निरापदता और रक्त का युक्तिसंगत उपयोग करना और निगरानी के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, एच.आई.वी./एड्स का निदान और उपचार करना है।

विवरण

एच.आई.वी. परीक्षण सुविधा वाले निगरानी केन्द्र और आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र

निगरानी केन्द्र

1. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, सेठ जी.एस. मेडिकल कालेज, बम्बई
2. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, जे.जे. अस्पताल, बम्बई
3. सोयन अस्पताल, बम्बई
4. बी.वाई.एन. नायर अस्पताल, बम्बई
5. राजबारी अस्पताल, घांटकोपर, बम्बई
6. बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे
7. सूक्ष्म जीव विज्ञान, सरकारी मेडिकल कालेज, नागपुर
8. सिविल अस्पताल, कोल्हापुर
9. जिला अस्पताल, चन्द्रपुर
10. सहकारी मेडिकल कालेज, मिराज

आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र

1. रक्त बैंक, के.ई.एम. अस्पताल, बम्बई
2. रक्त बैंक, एल.टी.एम.जी. अस्पताल, बम्बई
3. रक्त बैंक, बी.वाई.एल. नायर अस्पताल, बम्बई

4. रक्त बैंक, हाफकिन संस्थान, बम्बई

5. रक्त बैंक, टाटा स्मारक अस्पताल, बम्बई

6. रक्त बैंक, रेडक्रास, बम्बई

7. रक्त बैंक, कूपर अस्पताल, बम्बई

8. रक्त बैंक, राजवाड़ी अस्पताल, बम्बई

9. रक्त बैंक, जे.जे. अस्पताल, बम्बई

10. रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, शोलापुर

11. रक्त बैंक, सरकारी अस्पताल, उल्हासनगर

12. रक्त बैंक, सासून अस्पताल, पुणे

13. रक्त बैंक, सरकारी मेडिकल कालेज, मिराज

14. रक्त बैंक, जिला अस्पताल, चन्द्रपुर

15. रक्त बैंक, मेडिकल कालेज, नागपुर

16. रक्त बैंक, जनरल अस्पताल, कोल्हापुर

17. रक्त बैंक, सशक्त सेना मेडिकल कालेज, पुणे

आई.एस.आई. द्वारा हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के प्रयास

1470. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री एस.बी. सिदनाल :
श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन्टर सर्विसेज इन्टेलिजेंस द्वारा भारत में हथियारों और विस्फोटकों, विशेषतः आर.डी.एक्स. विस्फोटकों की तस्करी करने के प्रयास करने की कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थिति से निपटने के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (च) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान आई.एस.आई. से संबंध रखने वाले तत्वों ने पश्चिमी घाट के रास्ते आर.डी.एक्स./विस्फोटक तस्करी करके भारत में लाने के प्रयास किये है। बम्बई में बम विस्फोट के मामलों की छानबीन से पता चला है कि पिछले वर्ष के शुरू में, देश के भीतर भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद और विस्फोटक तस्करी करके लाए गए थे। सरकार स्थिति के प्रति सचेत है और तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों ओर संबंधित केन्द्रीय एजेंसियों को पूर्णतः एकीकृत ढंग से चौकसी में बढ़ोत्तरी करने के लिए सतर्क कर दिया गया है। इस संबंध में लिए गए विभिन्न निर्णयों के कार्यान्वयन का नियमित प्रबोधन उच्चतमस्तर पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार को सभी संभव सहायता भी प्रदान की जा रही है।

जल संसाधनों का विकास

1471. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **जल संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संकटग्रस्त और आंशिक रूप से संकटाग्रस्त क्षेत्रों में जल संसाधन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार पता लगाए गए संकटग्रस्त और आंशिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) देश में "डार्क" और "ग्रे" ब्लाकों को "क्रांतिक" और अर्द्ध-क्रांतिक क्षेत्र, जहां भूजल विकास का स्तर क्रमशः 85% ओर 65% से अधिक है, के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। क्रांतिक (डार्क ब्लाक) तथा अर्द्ध क्रांतिक (ग्रे ब्लाक) क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। लघु सिंचाई कार्यक्रम, जिनका व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के अलावा राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से आयोजन, प्रतिपादन और क्रियान्वयन किया जाता है, के अंतर्गत भूजल विकास आता है।

विवरण

(जनवरी 1992 को)

क्र. सं.	राज्य	जिलों की संख्या	ब्लाकों/ तालुको/ जल विभाजकों की संख्या	ब्लाकों की संख्या डार्क	%	ग्रे	%	व्हाइट	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	22	309	28	9	25	8	256	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	48	–	–	–	–	49	100
3.	असम	13	134	–	–	–	–	134	100
4.	बिहार	39	588	–	–	55	9	533	91
5.	गोवा	3	12	–	–	–	–	12	100
6.	गुजरात	19	183 (तालुका)	18	10	14	7	151	83
7.	हरियाणा	12	98	24	25	20	20	54	55
8.	हिमाचल प्रदेश	12	69	–	–	–	–	69	100
9.	जम्मू और कश्मीर	14	123	–	–	–	–	123	100
10.	कर्नाटक	20	175	9	5	9	5	157	90
11.	केरल	14	151	–	–	–	–	151	100
12.	मध्य प्रदेश	45	459	3	–	14	3	442	97
13.	महाराष्ट्र	30	1481 (जल विभाजक)	34	2	57	4	1390	94
14.	मणिपुर	6	26	–	–	–	–	26	100
15.	मेघालय	5	29	–	–	–	–	29	100
16.	मिजोरम	3	20	–	–	–	–	20	100
17.	नागालैंड	7	21	–	–	–	–	2	100
18.	उड़ीसा	13	314	–	–	–	–	314	100
19.	पंजाब	12	118	69	58	21	18	28	24
20.	राजस्थान	27	236	63	27	29	12	144	61
21.	सिक्किम	4	4	–	–	–	–	4	100
22.	तमिलनाडु	20	378	43	11	76	20	259	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	त्रिपुरा	3	17	-	-	-	-	17	100
24.	उत्तर प्रदेश	37	895	17	2	77	9	801	89
25.	पश्चिम बंगाल	16	34	1	-	35	10	305	90
	राज्य क्षेत्र योग	424	सभी व्हाइट 5149						

ब्लाकों की संख्या

(गुजरात और महाराष्ट्र के अतिरिक्त) 4568	257	6	361	8	3950	86
तालुका की संख्या (गुजरात) 183	18	10	14	7	151	83
जल विभाजकों की सख्या (महाराष्ट्र) 1481	34	2	57	4	1390	94

गुजरात 183 (तालुका)/ 218(ब्लाक)

महाराष्ट्र 1481 (जल विभाजक)/366 (ब्लाक)

तेल क्षेत्रों का विकास

1472. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम जैसे छोटे और सीमान्त तेल और गैस क्षेत्रों के विकास हेतु कितनी निविदाए प्राप्त हुई हैं,

(ख) राज्य सरकार उपक्रमों से ऐसी कितनी निविदाएं प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या निविदाओं का मूल्यांकन करते समय ऐसे उपक्रमों को कोई प्राथमिकता दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) असम में छोटे एवं न्यूनतम तेल तथा गैस क्षेत्रों के विकास के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

धन का उपयोग

1473. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**
प्रो. एम. कामसन :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के लिए आवंटित धनराशि का दुरूपयोग अथवा इसका अन्य प्रयोजनों हेतु प्रयोग किये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध राज्यों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस धन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये है/उठाये जाने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ङ) तथ्यों की जांच के लिए यह मामला राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। राज्य सरकारों से तथ्य प्राप्त होने के बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संयंत्र

1474. **श्री काशीराम राणा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संयंत्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या कोई ऐसा संयंत्र गुजरात में कार्य कर रहा हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1992-93 और 1993-94 में अब तक न इन संयंत्रों में प्रत्येक के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुजरात राज्य में ऐसे कुछ और संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) देश में 13 रिफाइनरियां, 80 एल.पी.जी. भरण संयंत्र, 2 एल.पी.जी. वसूली संयंत्र और अनेक अन्वेषण और उत्पार्दन परियोजनाएं कार्य कर रही हैं।

(ख) गुजरात में एक रिफाइनरी, 5 एल.पी.जी. भरण संयंत्र और एक एल.पी.जी. वसूली संयत्र कार्य कर रहा है।

(ग) ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(i)

वर्ष	रिफाइनरी क्रूड थुपुट	एल.पी.जी. संयंत्रों का उत्पादन (हजार टन प्रतिवर्ष) (टी.एम.टी.पी.ए.)
1992-93	9.78 एम.एम.टी.पी.ए.	5.321
1993-94	7.86 एम.एम.टी.पी.ए.	34.552

(अप्रैल, 93-जनवरी'94)
(अनंतिम)

(ii) पांच एल.पी.जी. भरण संयंत्रों की कुल भरण क्षमता 228 टी.एम.टी.पी.ए. है।

(घ) और (ङ) जी, हां। गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा निम्नलिखित संयंत्रों/परियोजनाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव है :

(i) 110 टी.एम.टी.पी.ए. की कुल क्षमता के साथ अहमदाबाद में दी तथा भावनगर में एक भरण संयंत्र

(ii) 8 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस थूपुट के लिए गाधार में एक संयुक्त उद्यम गैस संसाधन परिसर

(iii) कांडला में एल.पी.जी. आयात सुविधाओं की स्थापना

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवादियों से जब्त किये गए हथियार

1475. **श्री तारा सिंह :**
श्री ताराचन्द खण्डेवाल :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मात्रा में कश्मीर और पंजाब के उग्रवादियों से जब्त किये गए हथियार विभिन्न मालखानों में पड़े हुए हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने सरकार से पकड़े गए इन हथियारों के उपयोग की अनुमति मांगी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (घ) पंजाब और जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए है। सीमा सुरक्षा बल ने प्रस्ताव किया है कि सीमा सुरक्षा बल सहित केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को सर्विस पैर्टन हथियार आबंटित किए जायें और गैर-सर्विस पैटर्न और ननि प्राहिबटिड और अग्नि-शस्त्र इन बल के कार्मिकों को मामूली कीमतों पर आबंटित किए जायें। जब्त किए गए हथियारो के निपटान क विषय में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

दिल्ली में बम अफवाह

1476. **श्री मनोरजंन भक्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जनवरी, 1994 को बम की अफवाह के कारण दिल्ली में पांच प्रमुख सरकारी संस्थाओं का कार्य लगभग दो घंटे तक बुरी तरह प्रभावित हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) गांव देवली, नई दिल्ली, के उमेश नामक एक निवासी द्वारा इस आशय की फोन द्वारा सूचना देने पर कि आकाशवाणी भवन, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग और संचार भवन में 20-1-94 को एक बम विस्फोट होगा, पुलिस और इन भवनों के सुरक्षा कर्मचारियों ने इन भवनों में तोड़-फोड़ विरोधी जांच की, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों का कार्यकरण प्रभावित हुआ। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि उमेश मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, जिसका सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह एक मजाकिया फोन था। इसमें कोई आतंकवादी संबंध नहीं पाया गया।

आंध्र प्रदेश में नलकूप लगाना

1478. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में नलकूप लगाने के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की है तथा अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में केंद्रीय सहायता से कितने नलकूप लगाए गए है; और

(ग) 1994-95 के दौरान कितने नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) सहायता का केंद्रीय प्रायोजित योजना के अतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा 1988 से 1991-92 तक आंध्र प्रदेश मे उथले नलकूप लगाने/खुदाई कुओं के लिए लघु और सीमांत किसानों को 21.52 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त, विशेष केंद्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार लघु व सीमांत किसानों को दी जाने वाली सहायता की केंद्रीय प्रायोजित योजना 1-4-1992 से राज्यों को अंतरित कर दी गई है और 1992-93 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को केंद्रीय सरकार द्वारा 4.52 करोड रुपए अंतरित किए गए हैं।

(ख) और (ग)1990-91 और 1991-92 के दौरान 18162 उथले नलकूपों और 19904 खुदाई कुओं का निर्माण किया गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यह योजना 1992-93 से राज्यों को अंतरित कर दी गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पुलिस अकादमी

1479. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में पुलिस अकादमी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते है।

[अनुवाद]

औषधीय वनस्पति

1480. **श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार ने देश के पश्चिमी घाटों और उत्तर-पूर्वी राज्यों के वनों में अनन्वेषित क्षेत्रों से नई औषधीय वनस्पति की खोज के क्या प्रयास किए हैं ?

स्वास्थ्य और परियार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी की अनुसंधान परिषदें उपलब्ध औषधीय पादपों का नियमित सर्वेक्षण करती हैं।

तम्बाकू का सेवन

1481 **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लागने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि देश के विभिन्न भागों में किस रूप में तम्बाकू का सेवन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस राज्य में सबसे अधिक लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं ?

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारतीय आयुविज्ञान

अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में तम्बाकू अनेक रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। यह सिगरेट, बीड़ी, शूटा, धुमटी, चिलम तथा हुक्का के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तम्बाकू खाना विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में आम बात है। तम्बाकू का इस्तेमाल मिश्री, स्नफ, गुडाकू, खैनी इत्यादि के रूप में भी किया जाता है।

(ग) अनुमान लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश में तम्बाकू का इस्तेमाल करने वाले लोग सबसे अधिक है।

कोकिंग कोल

1482. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोल इंडिया लिमिटेड तथा उसकी अनुषंगी कम्पनियों ने कम्पनी-वार कुल कितने कोकिंग कोल का उत्पादन किया और (ख) कोल इंडिया लि. द्वारा देश में इस्पात तथा अन्य उद्योगों का अपेक्षा के अनुसार कोकिंग कोल के स्तर को सुधारने हेतु क्या उपाय किए जा रहे है ?

कोयला मंत्रालय के मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. में कंपनी वार हुए कच्चे कोककर कोयले का उत्पादन नीचे दिया गया है :

(मिलियन टन)

कम्पनी	1990-91	1991-92	1992-93
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	1.49	0.54	0.63
भारत कोकिंग कोल लि.	22.36	22.58	22.82
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	16.59	17.14	16.61
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.74	0.69	0.70
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	0.11	0.10	0.11
कोल इंडिया लिमिटेड	41.29	41.15	40.87

(ख) कोककर कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने के लिए अन्य बातों के साथ निम्न कदम उठाये गए हैं :

(i) इस्पात संयंत्र को प्रेषण से पहले उच्च ग्रेड के मिश्रित कोयले को छोड़कर शेष कोककर कोयले को परिष्कृत किया जाता है।

(ii) स्वच्छ कोयले की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाए जाने के लिए विद्यमान वाशरियों में परिवर्तन किया जा रहा है।

सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को मरुस्थल भत्ता

1483. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान तैनात हैं;

(ख) क्या इस राज्य में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान मरुस्थल भत्ते तथा कुछ अन्य प्रोत्साहनों की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती की आवश्यकता समय-समय पर बदलती रहती है तथा उसी के अनुरूप सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को तैनात किया जाता है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियों पर छापे

1484. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नकली सिलिन्डरों की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए गैस एजेंसियो पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मारे गए ऐसे छापों का राज्यवार क्या है;

(ग) किन-किन एजेंसियों के पास नकली सिलिन्डर पकड़े गए और

(घ) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) नकली सिलेंडरों के परिचालन का पता लगाने के लिए एल.पी.जी. विपणन कंपनियों के फील्ड स्टाफ निरीक्षण करते हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सिलेंडर निर्माताओं से सिलेंडर लेने के बाद अज्ञात अनैतिक तत्व उन्हें नकली सिलेंडर प्रणाली में चला देते हैं। जब अनुमादित और लाइसेंस शुदा निर्माता नकली सिलेंडरों के निर्माण और आपूर्ति में लिप्त पाए जाते हैं, तो तेल उद्योग उनसे सिलेंडर लेने पर रोक लगा देता है तथा सांविधिक अनुमोदित समाप्त कर दिए जाते हैं। ऐसे निर्माताओं और नकली सिलेंडरों के प्रचालन में लिप्त लोगों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी की जाती है।

संदेहास्पद परिसरों में छापा मारा जाता है व अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। और नकली सिलेंडरों को जब्त किया जाता है। नकली सिलेंडरो के निर्माण/आपूर्ति में लिप्त होने के कारण वर्तमान समय में निम्नलिखित आठ सिलेंडर निर्माताओं से सिलेंडरों की खरीद रद्द कर दी गई है :

1. वी.जे. मेटल प्रोडक्टस प्रा., लि. आंध्र प्रदेश।
2. मुल्लर सिलेंडरस प्रा. लि., बेलगाम।
3. मुल्लर इजीनियर्स प्रा. लि., हलोल
4. एसोसिएटेड सिलेंडर्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि., जम्मू।
5. इंटरनेशनल सिलेंडर्स प्रा. लि., हिमाचल प्रदेश।
6. पंजाब गैस सिलेंडर्स लि., पंजाब।
7. तिरुपति सिलेंडर्स प्रा. लि., उत्तर प्रदेश
8. एवरेस्ट सिलेंडर्स प्रा. लि., उत्तर प्रदेश।

[अनुवाद]

कश्मीर में एड्स

1485. **श्री गुरुदास** कामत : **क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में तबाही मचाने वाले भाड़े के आतंकवादी अब घाटी में एड्स फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घातक रोग से निर्दोष महिलाओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : इस विषय पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

तेल आयात पर निवेश

1486. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से तेल क्षेत्र में निवेश करने संबधी प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल क्षेत्र में प्रस्तावित सयुक्त उद्यमोंका ब्यौरा क्या है और भारत में कहां-कहां स्थित हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) हाल ही में यू ए ई से कोई दृढ़ प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि यू ए ई मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम कं. (आई पी आई सी) ने भारत में डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम उद्योग में निवेश के लिए भागीदारी में रूचि दर्शायी है। पूर्वी भारत में 6 मि.मि.ट. प्रतिवर्ष की रिफाइनरी स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम साझेदार हेतु आई ओ सी फिलहाल भारतीय तथा यू ए ई के आई पी आई सी सहित विदेशी पार्टियों के साथ विचार विमर्श कर रहा है।

कैंसर का उपचार

1487. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान ने रासानिक चिकित्सा से होने वाले उत्सर्जन, अत्यधिक दर्दनाक तथा शारीरिक रूप से कमजोरी लाने वाली मतली तथा उल्टी उलटी को को रोकने के लिए एक औषध विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस दवा का और परीक्षण करने का है; और

(ग) सरकार का विचार इस औषधि का उत्पादन सस्ती लागत पर करने तथा इसे आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का है, ताकि इससे लाखों कैंसर के रोगियों का जीवन बचाया जा सके ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय भैषजिक कंपनियों ने यह औषध पहले ही तैयार कर ली है तथा उसका विपणन अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से सस्ते मूल्य पर करना शुरू कर दिया है।

[हिन्दी]

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के स्कूल शिक्षकों के लिए वेतन तथा भत्ते

1488. **श्री मुमताज अनुसारी** :
श्री शिबू सोरेन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री ब्रम्हानंद मंडल :
श्री हरिकिशोर सिंह :
श्री रामदेव राय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत कोकिंग कोल लि., धनबाद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिये वेतन तथा भत्ते के संबंध में कोई आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खदान मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए कोयला खदानों के वेतन समझौते में कोई प्रावधान किया गया है;

(घ) शिक्षा के लिए भारत कोकिंग कोल प्रबंधन को कितनी धनराशि का नियतन किया जा रहा है और इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है;

(ङ) भारत कोकिंग कोल में दामोदर घाटी नियम, रेलवे, इस्पात आदि के पेटर्न पर शिक्षा निति को लागू न किये जाने के क्या कारण है;

(च) क्या मजदूर संघ तथा भारत कोकिंग कोल के बीच शिक्षकों के वेतन तथा भत्तों के संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता 4 में निजी समिति द्वारा प्रबंधित स्कूलों के शिक्षकों को उच्चतर वेतनमान दिए जाने सहित विद्यमान आवर्ती अनुदानों में वृद्धि किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(घ) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में स्कूलों पर व्यय के लिए वर्ष 1993-94 के बजट में 1,84,24,000 रुपये का आवंटन किया गया है। इस निधि का उपयोग निम्न रूप में किया जाना है :

(1) निजी प्रबंधन की शैक्षणिक संस्थाओं को, शिक्षा पर द्विपक्षीय समिति की सिफारिशों के आधार पर, जिसमें केन्द्रय मजदूर संघ और प्रबंधन के प्रतिनिधि शामिल हैं, सहायता अनुदान की राशि दिये जाने के लिए।

(2) स्कूलों को सहायता अनुदान दिए जाने के लिए, जो कि कंपनी के साथ करार के अधीन कार्यरत हैं।

(ङ) भारत कोकिंग कोल लि. की सहायता अनुदान दिए जाने के अलावा कोई अलग से शैक्षणिक नीति नहीं है, जिसका कि उपर्युक्त भाग (घ) में उल्लेख किया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भूख और कूपोषण से मौतें

1489. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रतिवर्ष भूख और कुपोषण से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है;

(ख) यदि हां, तो देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भूख और कुपोषण के कारण अनुमानतः कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या देश में कई व्यक्तियों का मृत्यु गरीबी के कारण दवाएं न खरीद सकने के कारण हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवर्ष औसतन ऐसे कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) से (घ) मौतों के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है, जिससे सीधे यह पता चले कि भुखमरी, कुपोषण या दवाओं के अभाव के कारण ये मौतें हुई हैं।

महाराष्ट्र को कोयले का उत्पादन

1490. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बतााने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष महाराष्ट्र में कोयला खानों से कितना कोयला निकाला गया;

(ख) इस अवधि के दौरान इस राज्य को कितना कोयला आवंटित किया गया;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने कोयले अतिरिक्त कोटे की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गय है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) की खानों से किए गए कोयले के उत्खनन को तथा को.इं.लि. के स्रोतों से महाराष्ट्र को किए गए कोयले के पोषण/को नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

वर्ष	महाराष्ट्र में को.इं.लि. की खानों से किया गया कोयला का उत्खनन	को.इं.लि. के स्रोतों से महाराष्ट्र को को किया गया कोयले का प्रेषण
1990-91	16.85	20.84
1991-92	18.88	23.81
1992-93	19.68	24.09

(ग) और (घ) इस संबंध में जब कभी भी कोयले के अतिरिक्त नियतन के लिए आवेदन पत्र

प्राप्त होते हैं तो प्रत्येक मामले के गुणावत्ता आधार पर जांच की जाती है। को.इं.लि. वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य की साफ्ट कोक/हार्ड कोक को छोड़कर लगभग सम्पूर्ण मांग को पूरा करने का स्थिति में है।

गंगा जल बंटवारा

1491. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
डा. सुधीर राय :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह गंगा जल बंटवारे के मुद्दे को हल करने के लिए हाल ही में बंगलादेश गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी यात्रा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इस संबध में गत तीन महीनों के दौरान कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इस मुद्दे को शीघ्र हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रधानमंत्री स्तर पर मई, 1992 में हुए समझौते क अनुसरण में संयुक्त विशेषज्ञ समिति की दो बैठक हुई तथा उसने गंगा, तीस्ता और अन्य वृहत नदियों के प्रवाहों के बंटवारे के न्यायोचित दीर्घावधिक तथा व्यापक व्यवस्था के लिए कार्य करने पर गहराई से विचार-विमर्श किया।

राज्यों को कच्चे तेल पर रॉयल्टी

1492. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **पेट्रोलियम और गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल को रॉयल्टी की दर में अन्तिम बार संशोधन कब किया गया था और कितना;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को कच्चे तेल पर दी जाने वाली रॉयल्टी की दर में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क)

से (ग) सरकार ने 1-4-90 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिए कच्चे तेल हेतु 481 रुपए प्रति मीट्रिक/टन की रायल्टी की संशोधितदर उसी समय सरकार ने यह निर्णय लिया था कि अंतिम बार 6 फरवरी, 1993 को अधिसूचित की थी कच्चे तेल के मूल्य को समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और तदनुसार उस पर रायल्टी का भुगतान किया जाएगा। जब तक संशोधित मूल्य की औपचारिक रूप से कानूनन अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकारों को खाते द्वारा भुगतान किया जाएगा।

[हिन्दी]

आनुवंशिकी में आधुनिक उपकरण

1493. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आनुवंशिकी के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी का अविवेकपूर्ण उपयोग किया जा रहा है, जिसका महिलाओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानंद) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार, आधुनिक उपस्करों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से स्त्रियों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। बहरहाल, प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीकों का दुरूपयोग रोकने के लिए सितंबर, 1991 में प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) विधेयक, 1991 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

1494. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार से वृहद और मध्य सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति सम्बन्धी एक टिप्पण प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	मूल्यांकन की स्थिति
1.	तेलुगु गंगा परियोजना	अप्रैल,1988 में परामर्शदात्री समिति को प्रस्तुत की गयी और अन्तर्राज्यीय मुद्दों के हल न किए जाने के कारण इस पर विचार आस्थगित कर दिया गया। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों ने अन्तर्राज्यीय मुद्दों को स्वयं हल करने का कार्य अपने हाथ में लिया है।
2.	श्री सेलम बायां तट नहर योजना	राज्य को दीर्घावधिक आधार पर स्पष्टतः जल उपलब्धता स्थापित करनी है।
3.	भीमा लिफ्ट सिंचाई योजना	-वही-
4.	श्रीराम सागर परियोजना चरण-II	जल विज्ञान को अन्तिम रूप दिया गया है और राज्य द्वारा पहले सिंचाई पहलुओं को अन्तिम रूप दिया जाना है।
5.	गेल्रू नागरी सुजाला श्रावन्थी	राज्य को दीर्घावधिक आधार पर जल उपलब्धता स्थापित करनी है।
6.	प्रियदर्शिनी जराला परियोजना	परामर्शदात्री समिति द्वारा अप्रैल, 1988 में स्वीकार की गयी। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
7.	वम्सधारा परियोजना चरण-II	परामर्शदात्री समिति द्वारा दिसम्बर, 1991 में स्वीकार की गयी। पर्यावरण और वन दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय से तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन पहलुओं पर कल्याण मंत्रालय से राज्य द्वारा स्वीकृति प्राप्त करनी है।
8.	यलेरू जलाशय योजना	परामर्शदात्री समिति द्वारा 8/93 में इस शर्त पर स्वीकार्य पायी गयी कि पर्यावरण और वन दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय से, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पहलुओं के सम्बन्ध में कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये एवं औद्योगिक आपूर्ति के लिए जल के प्रभार सम्बन्धी मुद्दे को हल कर लिया जाये।

9.	पीलावरम परियोजना	जल विज्ञान को अन्तिम रूप दिया गया है और राज्य द्वारा प्रथमतः सिंचाई आयोजना को अन्तिम रूप दिया जाना है।
10.	इन्चमपल्ली बहुप्रयोजनी परियोजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। प्रथमतः पर्यावरणीय मुद्दों को हल करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया जाना है।
11.	चेलामालावाग परियोजना	परामर्शदात्री समिति द्वारा 8/93 में इस शर्त पर स्वीकार्य पायी गयी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन दृष्टि से तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापन पहलुओं के सम्बन्ध में स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायें। ये स्वीकृतियां हाल में प्राप्त हुई हैं और योजना आयोग को भेजी गयी है।
12.	बुग्गावंका जलाशय योजना	योजना आयोग द्वारा 7/93 में नि[illegible]श स्वीकृति दी गई।
13.	अपर कोलासनाला	योजना आयोग द्वारा फरवरी, 1993 में निवेश स्वीकृति दी गई।
14.	मादोलेरू जलाशय योजना	-वही-
15.	येराकालवा जलाशय योजना	-वही-
16.	झंजावथी जलाशय योजना	आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को उड़ीसा सरकार से उनके क्षेत्र की भूमि को जलमग्नता के लिए सहमति प्राप्त करनी है तथा कल्याण मंत्रालय को पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाएं प्रस्तुत की जानी हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

1495. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाओं पर काम धनराशि की कमी के कारण ठप्प पड़ गया है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अब तक इन परियोजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि दी है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं/विचार किया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं, लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा केन्द्र में नहीं रखा जाता है।

(घ) मार्च, 1993 में मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च, 1993 के अंत तक 60 करोड़ रुपए वर्ष 1993-94 के दौरान 265 करोड़ रुपए, वर्ष 1994-95 के दौरान 100 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1995-96 के दौरान 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने को अनुरोध किया, ताकि निर्माणाधीन वृहद, मध्यम और लघु योजनाओं से अतिरिक्त लाभ प्राप्त किए जा सके।

(ङ) इस मंत्रालय के लिए राज्य को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना संभव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को आठवीं योजना में शामिल करने हेतु योजना आयोग ने स्वीकार नहीं किया है।

विवरण

मध्य प्रदेश की निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

(करोड़ रुपए)

	योजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	3/92 तक व्यय	योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय	व्यय 1992-93 (वास्तविक)	व्यय 1993-94 प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5	6	7
वृहद परियोजना						
1.	हसदेव वांगो	692.88	381.96	120.00	38.53	36.00
2.	महानदी जलाशय	1223.45	275.98	107.78	32.37	29.19
3.	अपर वैन गंगा	176.53	120.79	29.59	6.40	9.00
4.	थानवार	24.40	19.45	5.04	0.70	0.30
5.	कोलार	157.40	126.36	31.29	12.54	10.00
6.	पैरी	33.54	19.52	13.84	1.00	1.00
7.	जोन्क	46.38	21.51	23.85	1.44	1.00
8.	कोडार	49.82	23.31	14.92	1.69	1.00
9.	सिंध फेज-I	56.43	30.75	6.87	2.68	4.00

1	2	3	4	5	6	7
10.	हालाली	24.71	18.67	2.44	0.80	0.50
11.	उर्मिल	13.50	9.99	10.57	1.58	1.00
12.	बाणसागर यूनिट-II मध्य प्रदेश का हिस्सा	740.05	261.85	91.77	14.70	35.00
	उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा				14.70	35.00
	बाणसागर यूनिट-II	529.00	91.52	60.00	9.16	10.00
13.	राजघाट यूनिट-I	133.50	71.68	40.00	7.00	8.00
14.	यूनिट-II	309.21	46.76	60.00	8.49	10.00
15.	बराईरपुर एल.बी.सी.	143.00	34.95	50.00	4.61	4.00
16.	बावनथाड़ी (महाराष्ट्र)	89.78	13.15	50.00	1.21	2.00
17	माही	129.70	28.30	74.00	5.67	4.00
18.	सिंध फेज-II	607.67	37.31	58.00	5.99	10.00
19.	माहन	103.14	22.28	30.00	2.96	3.95
20.	बारगी यूनिट-I एवं II	742.84	270.10	184.82	19.51	25.75
21.	मीन	90.00	32.27	25.00	10.22	11.55

22.	जोबाट	61.68	13.75	34.00	2.45	8.22
23	नर्मदा सागर	1574.30	89.93	200.00	35.11	25.93
24	बारगी डिवरसन	1640.00	7.42	42.0	2.75	3.65
25.	ओमकारेश्वर	5120.00	3.29	-	0.60	3.65
(ख) मध्यम परियोजनाएं						
1.	चदोरा	15.00	11.60	3.55	1.37	1.00
2.	बुंदेल	14.20	10.88	2.33	0.68	0.70
3.	मटियारी	60.16	40.16	4.49	3.74	3.00
4.	डिजेला देवाढा	50.12	35.01	9.29	4.06	3.00
5.	मटियामोती	20.00	15.82	1.31	0.58	1.00
6.	घरपानी	31.85	25.57	3.71	3.03	2.50
7.	पिएन्तीयनाला	13.73	10.09	2.49	0.62	1.00
8.	शिवनाथ डिवरसन	7.71	5.78	1.55	0.78	0.75
9.	बालार	10.90	8.65	1.70	0.29	0.40
10.	कालिया सोथ	55.63	46.79	5.02	1.41	0.64
11.	तिल्लार	36.46	30.76	2.03	1.61	0.75
12	चोरल	29.68	25.33	2.51	1.71	1.00

1	2	3	4	5	6	7
13.	धोलवाद	18.05	15.29	3.67	1.12	1.00
14.	कन्हर गांव	16.70	14.01	2.60	1.04	0.50
15.	बन्जर	7.74	5.99	1.20	0.16	0.30
16.	घुनघट्टा	44.22	31.17	5.75	2.5	2.50
17.	बांकी	13.33	11.90	5.35	0.33	1.00
18.	गोमुख	35.13	24.78	1.95	1.61	1.00
19.	दुधी	19.70	8.95	9.23	0.41	0.50
20.	बुधना	21.70	3.06	8.84	2.68	2.00
21.	बरनाई	15.40	6.95	8.55	1.11	1.50
22.	लाखूंदर	27.40	11.82	15.36	1.87	1.00
23.	रामपुर खुर्द	10.90	5.15	5.97	2.73	1.65
24.	बारछर	15.67	11.29	–	0.96	0.50
25.	बांदिया	12.20	3.32	5.90	0.32	0.30
26.	गेज	29.86	6.70	5.17	2.79	3.40
27.	मांड डिवरसन	46.59	12.30	27.72	2.53	2.50

28.	बिलास डिवरसन	6.30	0.41	5.8	–	0.05
29.	कोसारपदा	35.03	6.97	7.39	0.29	1.91
30.	कुनवारी लिफ्ट	3.80	0.25	3.22	0.02	0.10
31.	महुर	43.67	4.13	4.00	0.13	0.10
32.	बाह	52.40	2.86	8.00	0.16	0.20
33.	सागर	32.80	0.99	8.00	0.04	0.15

[अनुवाद]

तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज

1496. **डा. के.वी.आर. चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल और गैस की खोज की जा रही है और कब से यह कार्य चल रहा है;

(ख) प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इस कार्य में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आंध्र प्रदेश में अन्वेषण संबंधी कार्यकलाप वर्ष 1959 में शुरू हुआ। फिलहाल अन्वेषण कार्यकलाप काकिनाड़ा-एन्डामुरु नरसापुर-लंकापलम मोरी, परसालापुडी, मंडेपेटा, एस्कुट्टपलम एलमनचिल, गन्नावरम, कोट्टा-लंका, ताटीपाका और नंदलगाम में चल रहा है।

(ख) 30.6 मि.मि.ट. (तेल और तेल समतुल्य गैस) के स्तर तक वसूलीयोग्य भंडार स्थापित हुआ है।

(ग) और (घ) 3 डी भूकम्पीय, सिंथेटिक एपारचर राडार, एयर बोर्न गामा रे स्पेक्ट्रोमेट्री सहित अद्यतन उपलब्ध प्रोद्योगिकी का प्रयोग किया गया है।

[हिन्दी]

गैस टर्मिनल का खोला जाना

1497. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार खंडवा, खरगोन, इंदौरा, देवास एवं अन्य जिलों में गैस टर्मिनल खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये टर्मिनल कब तक खोल दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रसोई गैस बॉटलिंग संयंत्र

1498. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन से सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में रसोई गैस का कोई नया बॉटलिंग संयंत्र चालू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कहां स्थित हैं; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और इसकी प्रतिदिन सिलिन्डर भरने की औसत क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में पानी का हिस्सा

1499. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान को रावी, ब्यास, यमुना और माही नदी से उसके हिस्से का पानी मिल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा अंतर-राज्य जल विवाद को शीघ्र सुलझाने तथा राजस्थान को उसके हिस्से का पानी दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) राजस्थान रावी, ब्यास और माही नदियों से जल का अपना यथोचित हिस्सा प्राप्त कर रहा है। यमुना जल के संबंध में सहबेसिन राज्यों के बीच जल के बंटवारे पर कोई करार नहीं हुआ है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई अंतर्राज्यीय बैठकों में सह-बेसिन राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे पर चर्चा की जा रही है। औसत वार्षिक उपलब्धता के आधार पर ओखला तक यमुना जल के आवंटन पर अंतिम बार 24-12-93 की सह-बेसिन राज्यों द्वारा चर्चा की गई थी। यद्यपि प्रत्येक राज्य को आवंटित की जाने वाली जल की मात्रा पर आम सहमति हो गई है, फिर भी इसके क्रियान्वयन के लिए समय सीमा पर कोई करार नहीं हुआ है।

नर्सिंग होम

1500. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बड़ी संख्या में नर्सिंग होम खुल रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनवरी, 1992 से कितने नर्सिंग होम खोले गए हैं;

(घ) क्या ऐसे सभी नर्सिंग होमों ने सरकार ने स्वीकृति मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली में नर्सिंग होमों की सही संख्या का पता नहीं लगाया गया है। तथापि, 1991 में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर दिल्ली में 458 निर्सिंग होम थे।

(ग) और (च) दिल्ली सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

तेल क्षेत्र में निवेश

1501. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपए निवेश करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम उत्तर पूर्वी क्षेत्र मे विविध परियोजनाओं के अन्तर्गत लगभग 7000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव करते हैं। प्रस्तावित निवेशों के अन्तर्गत आने वाली प्रमुख परियोजनाएं निम्नवत हैं :

(1) असम में नुमालीगढ़ में 3 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करना।

(2) डिग्बोई रिफाइनरी का आधुनिकीकरण;

(3) डिग्बोई रिफाइनरी में केटेलिटिक रिफार्मर का संस्थापन;

(4) बोंगाई गांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमीकल्स लि. की विद्यमान शोधन क्षमता में 1.35 एम.एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर 2.35 एम.एम.टी.पी.ए. तक के लिए विस्तार।

(5) लकवा में एक रसोई संयंत्र की स्थापना।

(6) रसोई गैस संभरण संयंत्रों की स्थापना।

(7) सर्वेक्षण वेधन तथा अन्वेषी कार्य।

शिशु मृत्यु दर

1502. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औसत शिशु मृत्यु दर, राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी है; और

(ख) मृत्यु दर में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) विवरण-I तथा II संलग्न है।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ रोग प्रतिरक्षण, ओरल रिहाइड्रेशन थिरेपी, रक्ताल्पता और विटामिन "ए" की कमी से बचाव करके न्यूमोनिया का उपचार, आवश्यक नवजात शिशु परिचर्या, स्तन्यपान को बढ़ावा देकर और बच्चों के जन्म में अंतराल रखकर और प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर परिचर्या और आपाती प्रसूति परिचर्या प्रदान करके, के जरिये नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए योनजाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

विवरण-1

बड़े राज्य	नवजात शिशु मृत्यु दर (1992 अनन्तिम)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	71
असम	76
बिहार	72
गुजरात	67
हरियाणा	75
हिमाचाल प्रदेश	67
कर्नाटक	73
केरल	17
मध्य प्रदेश	104

1	2
महाराष्ट्र	59
उड़ीसा	114
पंजाब	56
राजस्थान	89
तमिलनाडु	58
उत्तर प्रदेश	98
पश्चिम बंगाल	64
भारत*	79

स्रोत : नमूना पंजीयन पद्धति

*जम्मू व कश्मीर शामिल नहीं हैं क्योंकि उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

नवजात शिशु मृत्यु दर को 3 वर्ष की मूविंग औसत

भारत, छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, 1990-92***

भारत/छोटे राज्य/सघ राज्य क्षेत्र	नवजात शिशु मृत्यु दर 1990-92*
1	2
भारत	80
छोटे राज्य	
अरुणाचल प्रदेश	64
गोवा	20
हिमाचल प्रदेश	70
जम्मू व कश्मीर**	60*
मणिपुर	24
मेघालय	58

1	2
नागालैंड	10
सिक्किम	46
त्रिपुरा	51
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	33
चंडीगढ़	16
दादरा व नगर हवेली	68
दमण दीव	57
दिल्ली	44
लक्षदीप	36
पांडिचेरी	30

स्रोत : नमूना पंजीयन पद्धति

* अनन्तिम

** छोटे राज्यों में 10 मिलियन से कम जनसंख्या वाले राज्य शामिल है।

*** ये आंकड़े 1988-90 की अवधि के है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

1503. **श्री प्रबीन डेका :**

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय कार्य कर रहे हैं; और

(ख) आठवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलने के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलूर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, मेरठ, नागपुर, पटना तथा पुणे में चल रहे हैं। इसके अलावा, भुवनेश्वर तथा रांची में केवल महालेखा परीक्षक के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए एक-एक औषधालय खोला गया है।

(ख) राज्यवार प्रावधान नहीं किया गया है। 8वीं योजना के दौरान राज्यों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए 15 करोड़ रुपये उपलब्ध किए गए हैं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

1504. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर कितना धन खर्च किया गया, और

(ख) इस संबंध में 1994-95 के दौरान कितना धन खर्च किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1994-95 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान 150.00 करोड़ रुपये

विवरण

मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान मातृ शिशु स्वास्थ्य पर खर्च की गई राशि तथा 1993-94 के लिए राज्यवार आवंटन की गई राशि

(लाख रुपये में)

राज्य	1990-91 के	1991-92 दौरान खर्च की गई राशि	1992-93	1993-94 के लिए आवंटन
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	478.99	586.54	593.33	922.09
2. अरुणाचल प्रदेश	24.37	22.49	22.32	34.69
3 असम	233.94	348.92	366.99	570.34
4 बिहार	707.08	910.90	721.10	1130.96
5 गोवा	10.39	18.04	15.85	24.63
6 गुजरात	311.22	464.33	485.44	754.42
7 हरियाणा	145.59	165.74	269.74	419.20
8. हिमाचल प्रदेश	55.88	78.12	122.45	190.30

1	2	3	4	5
7. हरियाणा	145.59	165.74	269.74	419.20
8. हिमाचल प्रदेश	55.88	78.12	122.45	190.30
9. जम्मू और कश्मीर	90.83	97.12	88.04	136.82
10. कर्नाटक	343.33	419.95	494.02	767.75
11. केरल	246.58	288.82	294.27	457.32
12. मध्य प्रदेश	608.24	704.75	886.23	1377.29
13. महाराष्ट्र	635.02	817.47	676.40	1051.19
14. मणिपुर	29.81	31.03	46.85	72.81
15. मेघालय	19.98	28.59	41.03	63.76
16. मिजोरम	18.26	19.88	24.69	38.37
17. नागालैंड	29.21	27.20	35.33	54.91
18. उड़ीसा	258.41	376.30	400.97	623.15
19. पंजाब	136.74	193.48	263.34	409.26
20. राजस्थान	482.90	499.83	608.14	945.11
21. सिक्किम	10.94	15.88	18.25	28.36
22. तमिलनाडु	399.96	437.31	573.45	891.20
23. त्रिपुरा	24.27	33.65	34.65	53.89
24. उत्तर प्रदेश	1123.69	1478.73	1599.55	2485.85
25. पश्चिम बंगाल	471.04	576.86	739.02	1148.51
26. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3.60	3.73	8.60	13.37
27. चण्डीगढ़	5.32	7.63	4.94	7.68
28. दादरा और नागर हवेली	3.29	3.44	1.56	2.42
29. दमन और दीव	2.17	2.77	1.81	2.81
30. दिल्ली	46.84	67.12	55.30	85.94

[हिन्दी]

मच्छर भगाने वाली टिकिया

1505. **श्री [illegible] कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रान्डों के मच्छर भगाने वाली टिकिया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; और

(ख) यदि हां, तो इन मच्छर भगाने वाली टिकिया की बिक्री पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के औद्योगिक विषाक्तता अनुसंधान केन्द्र ने इस बारे में किसी अध्ययन की सूचना नहीं दी है। इन प्रमुख अनुसंधान केन्द्रों के पास इस विषय में कोई आंकड़े आदि नहीं हैं।

[अनुवाद]

जनसंख्या पर कार्यशाला

1506. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र कोष ने भारतीय विद्या भवन (सरदार पटेल संचार तथा प्रबंधन महाविद्यालय) की जनसंख्या और संबंधित मामलों के संबंध में एक सप्ताह तक आयोजित कार्यशाला को सहायता दी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यशाला में की गई मुख्य सिफारिशें कौन-सी हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह कार्यशाला पत्रकारिता के 100 से अधिक छात्रों के लिए उन्हें जनसंख्या से संबंधित मुद्दों के बारे में सुग्राही बनाने के लिए आयोजित की गई। चूंकि यह जागरूकता पैदा करने वाला कार्यकलाप था, इसलिए कोई सिफारिशें नहीं की गई। परिवार कल्याण कार्यक्रम में सभी अभिगत निर्माताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

दवाओं की अनुपलब्धता

1507. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या औषधालय में सभी डाक्टर एक समय पर उपलब्ध नहीं रहते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन औषधालयों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) आमतौर पर केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध रहती हैं। कभी-कभी किसी खास दवा की कमी हो जाने पर उसे अधिकृत स्थानीय रसायनज्ञ से खरीदा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सामान्य रूप से डाक्टर अपने ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उपलब्ध रहते हैं।

(ङ) आकस्मिक निरीक्षण वरिष्ठ केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना अधिकारियों द्वारा किये जाते हैं ताकि औषधालयों में कामकाज सही ढंग से चलता रहे। इसके अतिरिक्त सेवाओं और आपूर्तियों में लगातार वृद्धि की जा रही है।

भूमि अधिग्रहण संबंधी समिति

1508. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला उद्योग द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले की जांच हेतु एक समिति नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : (क) से (घ) जी हां, दिनांक 30-11-93 को कोयला राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण एवं तत्संबद्ध मामले

के लिए ऐसी संस्थाओं में आरक्षित कराये जाने के लिए कुछ सीटों पर भी विचार करें और जहां आवश्यक हो, विद्यमान आधारभूत ढांचे को भी सुदृढ़ीकृत किये जाने पर विचार करें।

3. परियोजना पदाधिकारियों द्वारा स्थापित किये जाने वाले पुनर्वास स्थलों पर, जो कि उनके द्वारा भू-वंचित व्यक्तियों के लिए स्थापित किये जाएंगे, निम्नलिखित सुविधाएं न्यूनतम रूप में मुहैया की जाएंगी :

(1) स्कूल

(2) स्ट्रीट-लाइट के साथ सड़कें

(3) पक्की नालियां

(4) तालाब

(5) पेय-जलपूर्ति की आपूर्ति किए जाने के लिए कुएं और नलकूप खोदे जाएंगे

(6) सामुदायिक केन्द्र

(7) पूजा-स्थल

(8) डिस्पेंसरी

(9) पशुओं के लिए चारागाह

(10) खेल के मैदान।

4. भूमि के स्वामित्व को मान्यता देने की वर्तमान नीति सभी प्रयोजनों के लिए कोयला धारी क्षेत्र अधिनियम की धारा 4 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना की तारीख होगी और जिसमें मुआवजे की अदायगी और इसके बाद पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था का सख्ती से अनुपालन किया जाना शामिल है।

बांग्लादेशी आप्रवासी

1509. **श्री परसराम भारद्वाज :**
श्री बापू हरि चौरे :
श्री बी. देवराजन :
श्री माणिक राव होडल्या गावीत :
डा. कृपासिंधु भोई :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी आप्रवासियों को राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे आप्रवासियों के देश में बड़ी संख्या में आगमन के मामले को किसी न्यायिक प्राधिकरण को सौंपने का है;

(क) भारत में इस समय अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी आप्रवासियों को राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे आप्रवासियों के देश में बड़ी संख्या में आगमन के मामले को किसी न्यायिक प्राधिकरण को सौंपने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने बाग्लादेशियों के देश में ऐसे आगमन को रोकने के लिए कोई नई पहल की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बंगलादेश से आए घुसपैठियों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि वे चोरी छिपे आते हैं और जातीय और भाषायी समानताओं के कारण वे आसानी से स्थानीय जनता में घुल मिल जाते हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन 28 सितम्बर, 1992 को हुआ था। सम्मेलन में, सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर आम सहमति हुई। इसलिए इस समय किसी और सम्मेलन की जरूरत नहीं है;

(च) और (छ) ऐसे प्रवासियों की घूसपैठ को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा गश्त गहन करना, इसकी वाटर विंग को सुदृढ़ करना, सीमा-सड़कों के निर्माण के लिए त्वरित कार्यक्रम, विदेशियों की घूसपैठ की रोकथाम (पी.आई.एफ.)।

मोबाईल टास्क फोर्स (एम.टी.एफ.) योजनाऐं, सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को पहचान-पत्र जारी करना, इत्यादि उपाय सहित अनेक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे है।

दौरे पर प्रतिबंध

1510. **श्री रमेश चैन्नितला** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाचन आयोग के उन आदेशों को स्वीकार कर लिया है जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य मंत्रियों द्वारा मतदान हेतु अधिसूचित क्षेत्रों का दौरा किए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) क्या ये आदेश 31 जुलाई, 1970 और 11 नवंबर, 1989 को लोक सभा के सभा पटल पर रखी गई पिछली अधिसूचनाओं का स्थान लेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कमद उठाने का विचार है ?

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा, तीन बीधा को बंग्लादेश को सौंपे जाने के पश्चात् तीन बीघा के समीपवर्ती क्षेत्रों विशेषरूप से कुचली बाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए कितना धन स्वीकृत किया गया;

(ख) क्या इस धन का समुचित उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) तीन बीघा समझौते को मुख्य-मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या बंगलादेश सरकार ने समझौते की सभी शर्तों को पूरा कर लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) कुचलीबाड़ी क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा 3.14 करोड रु. की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गयी थी।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राशि का पर्याप्त उपयोग किया गया है।

(घ) समझौते में यह व्यवस्था है कि दक्षिणी बेरुबाड़ी यूनियन नं. 12 का दक्षिणार्ध और इसके आस-पास के अन्तःक्षेत्र जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.64 वर्गमील है, भारत के पास रहेगा और बदले में बंगलादेश के पास दाहाग्राम और अंगारपोटा अन्तःक्षेत्र रहेगा। दाहाग्राम को बंगलादेश के धनबारी मौजा (थान-वटग्राम) से जोडने के लिए भारत "तीन बीघा" के नजदीक 178 मीटर 85 मीटर क्षेत्र को स्थायी अधिकार पर पट्टे पर बंगलादेश को देगा।

(ङ) जी हां, श्रीमान्।

आतंकवादियों की घुसपैठ

1512. **श्री लोकनाथ चौधरी** :
श्री पंकल चौधरी :
श्री जनार्दन मिश्र :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों की भारत में घुसपैठ में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों के नए समूहों को सशस्त्र भारत में भेजने के कितने प्रयास किए गए;

(घ) क्या यह मामला हाल ही में पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा भारत में घुसपैठ करना जारी है तथा सरकार को स्थिति की जानकारी है तथा सरकार सभी एहतियाती और निवारणात्मक उपाय कर रही है।

(ग) सुरक्षा बलों ने 1-10-93 से 31-1-94 के दौरान कश्मीर की पाक अधिकृत कश्मीर और पंजाब से लगने वाली सीमाओं पर घुसपैठियों के 25 ग्रुपों को पकड़ा।

(घ) और (ङ) सरकार ने विभिन्न स्तरों और विभिन्न अवसरों पर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन और बढ़ावा देने को बंद करने का आग्रह किया है।

बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देना जारी हैं।

बंगलादेशी शिष्टमंडल की भारत यात्रा

1513. **श्री राम देव राम :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :
श्री कृपासिंधु भोई :
श्री बी. देवराजन :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री सैयद शाहबुद्दीन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगलादेश सीमांकन/चकमा शरणार्थियों को स्वदेश भेजने तथा अवैध अप्रवास आदि जैसे कुछ लम्बित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कोई बंगलादेशी शिष्टमंडल हाल ही में भारत की यात्रा पर आया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले है;

(ग) क्या यात्रा के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) बंगलादेश राइफल के महानिदेशक के नेतृत्व में बंगलादेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीमा संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए जनवरी 1994 में भारत का दौरा किया। बैठक में, अवैध बंगलादेशी आप्रवासियों को वापस खदेड़ने के लिए सितम्बर, 1991 में सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राइफल के बीच शुरू किए गए प्रबन्धों को पुनः चालू करने, अवैध आप्रवासियों की घुसपैठ, विद्रोहियों को सहायता, सीमा-पार से होने वाले अपराध सीमा का निर्धारण और मुहूरी चर क्षेत्र में तनाव जैसे कुछ मुद्दो

पर विचार-विमर्श किया गया। दोनों पक्ष, सीमा के निर्धारण के कार्य को तेज करने और तस्करी के उन्मूलन के लिए आपसी सहयोग में वृद्धि करने पर राजी हुए। बंगलादेश के प्राधिकारियों से, सीमा पर होने वाली प्रतिकूल गतिविधियों को समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

बिहार के लिए पैराफिन वैक्स का कोटा

1514. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के लिए पैराफिन वैक्स का वार्षिक कोटा कितना है;

(ख) बिहर में लघु उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ये उद्योग पैराफिन वैक्स की कमी के कारण संकट में हैं;

(घ) क्या बिहार सरकार ने पैराफिन वैक्स के कोटे को बढ़ाने की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार ने पैराफिन वैक्स की कितनी मात्रा की मांग की है; और

(च) सरकार ने कोटा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) वर्तमान में सरकार बिहार राज्य को प्रत्येक तिमाही के बाद 130 मी.टन पैराफीन वैक्स टाइप-I और -II तथा 300 मीट्रिक टन पैराफीन वैक्स टाइप -III का आवंटन कर रही है। पैराफीन वैक्स टाइप-III का तदर्थ आबंटन भी किया जाता है, बशर्ते उत्पाद अधिशेष मात्रा में उपलब्ध हो।

(ख) बिहार राज्य द्वारा 1990 में इंडियन आयल कारपोरेशन को दी गई सूचना के अनुसार बिहार में पैराफीन वैक्स की खपत करने वाले लगभग 200 छोटे पैमाने के उद्योग हैं।

(ग) से (च) पैराफीन वैक्स के आबंटन में वृद्धि करने हेतु बिहार सरकार सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

पैराफीन वैक्स एक कमी वाला उत्पाद है और राज्यों को किए जाने वाला आवंटन उत्पाद की उपलब्धता पर निर्भर होता है। वर्तमान समय में पैराफीन वैक्स की उपलब्धता बिहार सहित विभिन्न राज्यो/सघ राज्य क्षेत्रों की कुल आवश्यकता से बहुत कम है और इसलिए अधिक आवंटन नहीं किया जा सका।

पैराफीन वैक्स के आयात को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, ताकि प्रयोक्ताओ का यह आसानी से उपलब्ध हो सके।

12.00 मध्याह्न

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम असूचीबद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे समक्ष कुछ नाम हैं। राज्यों से सम्बन्धित कुछ मुद्दे हैं और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वर्षों पुराने हैं। प्रश्न काल के पश्चात् शीघ्र ही आम तौर पर सिर्फ हाल ही के और लोक महत्व के मामलों को उठाने की अनुमति दी जाती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं क्रमानुसार नाम पुकारूं अथवा आप कोई विशिष्ट मुद्दा उठाना चाहते हैं?

(व्यवधान)

12.01 म०प०

बोफोर्स मामले के सम्बन्ध में

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा सकता हूं? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी प्रक्रिया जो अपनायी जाती है वह सभी को स्वीकार्य होनी चाहिए।

अब मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को अनुमति देता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, बोफोर्स की जानकारी के सम्बन्ध में सरकार को वर्तमान स्थिति से सम्बन्धित एक वक्तव्य जारी करना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि वह इस मामले की प्रगति के सम्बन्ध के स्विस कोर्ट्स में जो कुछ हो रहा है। उसकी नित्यप्रति परिवीक्षा करेंगे और वे दस्तावेज और जानकारी हमें उपलब्ध करायी जायेंगी। सभा को इस स्थिति की जानकारी देनी चाहिए।

महोदय, यह मामला समाचार पत्रों में आ गया है। इस मामले को इस सभा में उठाया जा चुका है। परन्तु सरकार इस मामले में बिल्कुल चुप है। सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं है। कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। देश को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और सभी लोग इस बारे में उत्तेजित हैं। और जब इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है तो इस मामले को दैनिक मामला नहीं समझा जा सकता है। इस सम्बन्ध में समितियों के गठन की आवश्यकता है और सभा में अनेक चर्चायें की गई थीं। सम्पूर्ण देश इस मामले को जानना चाहता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि शीघ्र ही इस मामले में जवाब दे और वर्तमान स्थिति के बारे में, क्या कोई जानकारी सामने आई है, क्या कोई दस्तावेज प्राप्त हुआ है और वहां कौन-कौन से नाम आए हैं, एक बयान जारी करे। सरकार इस मामले में चुप्पी क्यों साध रही है? अतः उन्हें कोई बात गुप्त रखनी है। यदि उन्हें कुछ छिपाना नहीं है, तो उन्हें शीघ्र ही पूरी जानकारी देनी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि यह मामला वर्षों पुराना है। परन्तु चूंकि यह मामला वर्षों पुराना है, अतः सच्चाई को उजागार करने की प्रक्रिया में कानूनी अड़चनें उत्पन्न करने के लिए राजनीतिक प्रवंचना के टेढ़े मेढ़े मार्ग द्वारा हर संभव प्रयास किया गया है। अन्ततोगत्वा जेनेवा के कान्टोनल कोर्ट द्वारा दस्तावेज जारी किये गये हैं। और मैं इनसे सम्बन्धित कतिपय स्पष्टीकरण सरकार से चाहूंगा।

पहली बात तो यह है कि क्या जेनेवा का कान्टोनल कोर्ट लगभग आठ से नौ सप्ताह पूर्व ही इन दस्तावेजों को जारी करने के लिए तैयार था? और वह भारत सरकार से सिर्फ यह आश्वासन चाहता था कि इन दस्तावेजों को जारी करते समय कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। परन्तु भारत सरकार तुरन्त यह आश्वासन दिये जाने के बावजूद कि वह स्वयं नित्यप्रति आधार पर इस मामले की परिवीक्षा करेंगे, करीब-करीब ढाई महीने चुप रही।

दूसरी बात यह है कि जब यह आश्वासन दिया गया था तो दस्तावेजों का महत्व क्या था? हमें प्रेस द्वारा यह जानकारी मिली कि मार्च की पहली तारीख को इस देश को यह दस्तावेज प्राप्त होंगे। मार्च की पहली तारीख बीत चुकी है। क्या देश को ये दस्तावेज प्राप्त हो गये हैं अथवा अभी प्राप्त नहीं हुए है? यदि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्र को यह जानने का अधिकार है कि उन दस्तावेजों को क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया है। सरकार द्वारा किस प्रकार की लापरवाही बरती गयी है, जिससे और भी विलम्ब हो गया है?

तीसरी बात यह है कि यदि वे दस्तावेज उपलब्ध कराये गये हैं तो इस सदन में हमें यह मांग करने का अधिकार है कि जल्द से जल्द सरकार को प्राप्त किये गये दस्तावेजों तथा उनमें उल्लिखित सम्पूर्ण विवरणों सहित एक विस्तृत वक्तव्य जारी करना चाहिए। इसमें विलम्ब सहन से बाहर है और यदि वे दस्तावेज प्राप्त हो गये हैं तो हम यह आशा करते हैं कि अध्यक्ष पीठ द्वारा एक निर्देश जारी किया जायेगा कि सरकार आगामी सप्ताह के प्रारम्भ में ही सभी तथ्यों को लेकर सामने आए। यही निर्देश दिया जाना चाहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : कल।

श्री जसवन्त सिंह : मैं भ्रम में था। कल संसद का कार्य दिवस है। इसमें एक दिन भी विलम्ब क्यों हो? यदि यह सरकार उन दस्तावेजों को जारी करने तथा आज सभा समाप्त होने से पूर्व सभा के समक्ष उठाये गये इस मामले की विस्तुत जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, तो आप स्वयं विचार कर उन्हें कल तक का समय दे सकते हैं। फिर कल 12 बजे मध्याह्न, प्रश्न काल के पश्चात् निश्चित रूप से सरकार को पहला कार्य यह करना चाहिए कि वह इस मुद्दे की पूरी जानकारी दे। हम अध्यक्ष पीठे द्वारा इस असक्षम सरकार के लिए यही दिशा-निर्देश चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है और निश्चित तौर पर देश को यह मालूम था कि एक मार्च को देश को पता चल जाएगा और सारी चीज सरकार के पास

आ जाएगी, जबकि प्रधान मंत्री जी के पास सी॰बी॰आई॰ का विभाग भी है और मेरे दो काबिल मित्रों ने जो कहा है उन बातों के साथ मैं अपनी बात जोड़ना चाहता हूं। आप सरकार को आज ही कहें, यह कल की बात नहीं है, इसलिए उन्हें आज ही बताना चाहिए कि क्या उनको डाक्यूमेंट मिल गए हैं और यदि नहीं मिले हैं तो कब तक मिलने वाले हैं? यह बहुत गंभीर मामला है इसलिए इसको टालना नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इसके ऊपर जरूर रिस्पांड करना चाहिए कि इस मामले में क्या स्थिति है और जो नाम सी॰बी॰आई॰ को डिसक्लोज होने वाले थे तो वे कागज पहुंचे हैं या नहीं। सरकार को बयान देना चाहिए और इसको टालना नहीं चाहिए, बल्कि यह बताना चाहिए कि कागज कब तक आने वाले हैं? यह इतनी बड़ी बात है, जिसके ऊपर सरकार बदली है।...(व्यवधान) इसके बाद भी हिन्दुस्तान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। कौन लोग बोफोर्स में शरीक थे, उनके नाम हमें पता चल सकते हैं और आगे सार्वजनिक जीवन साफ हो सकता है। इसलिए आज ही सरकार को साफ करना चाहिए कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अन्य लोगों की बात का समर्थन करता हूं। यह मामला वर्षों से इस देश में लोगों के दिमाग में उठता रहा है और मैं नहीं समझाता हूं कि किसी भी सरकार के लिए यह उचित है कि वह तथ्यों की जानकारी दिये बगैर ही देश को अंधकार में रखे। जब यह बात कही गयी थी कि दस्तावेज जारी कर दिये जायेंगे तो सरकार का यह कर्त्तव्य था कि वह दस्तावेजों को प्राप्त करे और देश को उसकी जानकारी दे। पहले ही विलम्ब हो चुका है और मैं सोचता हूं कि और विलम्ब नहीं होना चाहिए। सरकार को अधिक भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए और इस सभा की प्रक्रिया को भी जारी रहने देना चाहिए। यदि सरकार कल तक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करती है जैसा कि जसवन्त सिंह जी ने मांग की है ...(व्यवधान) मांग सिर्फ यह है कि और विलम्ब किये बगैर जानकारी दी जानी चाहिए। जसवन्त सिंह जी ने एक दिन का समय दिया है। यदि सरकार सभा की प्रक्रिया को जारी रहने देना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए उचित होगा कि वह विपक्ष के साथ सहयोग करे और कल तक जानकारी प्रस्तुत करे, ताकि सभी का भ्रम दूर हो जाए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्षजी, जो मामला उठाया गया है वह बहुत गम्भीर है। आप उसे जीरो आवर में उठाये जाने वाले रूटीन मसलों की तरह न समझें। बोफोर्स का मामला इस देश को, इस संसद को उत्तेजित करता रहा है। स्विट्जरलैंड की कोर्ट में जो कुछ हुआ है, उसके बारे में सदन को पूरी तरह विश्वास में लेने की जरूरत है। हमारे मित्रों ने आपसे अनुरोध किया है आप सरकार को निर्देश दें कि कल तक यहां वक्तव्य आना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सरकार कहां है? संसदीय कार्य मंत्री जी कहां हैं? जवाब कौन देगा? महोदय, आप सरकार को उत्तर देने का निर्देश दें ...(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, देश में यह आम धारणा व्याप्त है कि सरकार सच्चाई छिपाना चाहती है जैसा कि बोफोर्स पर नियुक्त श्री शंकरानन्द समिति ने सफलतापूर्वक सच्चाई को छिपा लिया है।

हमारा और समस्त सदन का भी यह विचार है कि सरकार अभी भी सच्चाई को छिपाने के हक में है। उपलब्ध जानकारी यह है कि दस्तावेज भारत सरकार को सौंपे जायेंगे ···**(व्यवधान)** । महोदय, आप जानते हैं कि हम किस बारे में जानना चाहते हैं और इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को बतायें कि सच्चाई सदन के समक्ष रखी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी, क्या आपने इसे नोट कर लिया है? वे चाहते हैं कि बोफोर्स के संबंध में सदन में कल एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए ···

(व्यवधान)

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : महोदय, वे सदन की कार्यवाही को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वे बस आते हैं और चले जाते हैं। वे सदन की बैठक में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं ···**(व्यवधान)** ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, श्री नीतीश कुमार द्वारा इस प्रकार का अनुत्तरदायित्व पूर्ण वक्तव्य देना पूर्णतः अनुचित है। उनका ऐसा करना उचित नहीं है और इस प्रकार का वक्तव्य देना भी पूर्णतः गलत है। मेरे साथी श्री फैलोरी सदन में बैठे हुये थे और अभी-अभी सदन से बाहर गये हैं।

जहां तक बोफोर्स संबंधी वक्तव्य का संबंध है, जिसका अभी-अभी आपने उल्लेख किया है, मैं कहना चाहूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुये, जसवंत सिंह जी पहले से ही मुद्दे को उठा चुके हैं ···**(व्यवधान)** ।

श्री जसवंत सिंह : क्या माननीय मंत्री जी एक मिनट का समय देंगे? महोदय ये दो प्रश्न पूर्णतः असंबद्ध हैं। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव संबंधी वाद-विवाद पर प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर एक दूसरा मामला है। बोफोर्स दस्तावेजों के संबंध में समस्त विपक्षी दलों की ओर से की गई विशिष्ट मांग एक विशिष्ट मामला है। आप इसे प्रधानमंत्री का पूर्णतः अटपटा उत्तर नहीं मान सकते। यह हमें स्वीकार्य नहीं है।

हमारी सामान्य मांग, जिसे हम दोहराना चाहेंगे वह बोफोर्स मामले के संबंध में पूर्ण जानकारी देना है कि 'कैंटोनल कोर्ट' में क्या हुआ, दस्तावेज कहां है, सदन को इसकी पूरी जानकारी दें। ये जानकारी कल शून्य काल आरंभ होने से पहले अवश्य दे दी जानी चाहिए। हम यही अनुरोध कर रहे हैं और हमारा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को समान रूप से विशिष्ट निदेश दें, क्योंकि सरकार के ध्यान में लाने के लिए आपको एक बात को तीन या चार बार कहना पड़ेगा। इसी कारण मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप इसे उनके समक्ष दोहरायें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष जी, आप निर्देशित करें कि सरकार वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : इस मुद्दे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष जी, संसदीय कार्य राज्यमंत्री इस बात को ध्यान में रखें कि बोफोर्स के बारे में प्रधानमंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था। उसमें ही से यह बात उठी है और यह अपेक्षा थी कि 1 मार्च को कैंटोनल कोर्ट कागज़ात देगी, जिसकी सूचना अखबारों से नहीं निकले, लेकिन सरकार स्वयं आकर बताती कि अमुक तारीख को मिलने वाले हैं और आज इस मामले को उठाने का कारण यह है कि आज 3 मार्च हो गयी है और यही सोच रहे थे कि सरकार स्वयं बताती, परन्तु हम लोगों की तरफ से यह मांग हो रही है। इसलिये सरकार को यहां पर सदन में बताना चाहिये कि किस कारण से नहीं मिले हैं और कब तक मिल पायेंगे? क्या यह सरकार का दायित्व नहीं था कि पूर्व आश्वासन के बारे में बताती। यह सब को मालूम है कि इसी बोफोर्स मामले पर ही 1990 का चुनाव लड़ा गया और सरकार हार गयी। अतः सरकार को निर्देश दिया जाये कि कल इस विषय पर सदन को पूरी जानकारी दी जाये।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना : सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखी है?

श्री मुकुल वासनिक : हमने इस मुद्दे पर चुप्पी नहीं साधी हुई है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, आज आप अध्यक्ष की चेयर पर बैठे हुये हैं और इस बारे में दायित्व निभाने का काम आपका है। मेरा आपसे आग्रह है कि यदि सरकार इस मामले पर आनाकानी करती है तो आप सरकार को निर्देश करें कि इस बारे में पूरी जानकारी दे।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आज 1 मार्च बीत गया है, बोफोर्स के मामले को रफा-दफा कर दिया गया है या कुछ जांच-पड़ताल शेष है? हम लोग इस बात का जवाब सरकार के बयान के माध्यम से जानना चाहते हैं। अभी तक जनता में भी भ्रम बना हुआ है और सदन में भी भ्रम है। इसलिये सरकार की तरफ से एक बयान आना चाहिये।

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : उपाध्यक्ष जी, कल मैंने ज़ीरो आवर में अध्यक्ष की अनुमति लेकर इस सवाल को सदन में रखा था। उपाध्यक्ष जी, हमारे प्रधान मंत्री जी ने सदन एवं देशवासियों को यह आश्वासन दिया था कि इस मामले को खुद मानिटर करेंगे। मैं पार्लियामेंटरी मिनिस्टर से यह जानना

[श्री रवि राय]

चाहता हूं कि उनको इस बात की जानकारी है या नहीं? जैसा आडवाणी जी ने कहा कि 1990 का लोक सभा का चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा गया था और उसमें देशवासियों ने हाई लैवल के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कड़ी राय दी थी। उसके बाद बोफोर्स के सारे कागजात सी॰बी॰आई॰ को ट्रांसफर नहीं हुये हैं। अध्यक्ष जी, यह बुनियादी सवाल है। मैं कह रहा हूं कि यह केन्द्रीय सरकार भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गई है। इसके लिए इस सरकार को महसूस करना चाहिए और खास तौर पर यह मल्टी करोड़ स्कैण्डल है। इसलिए जैसे विरोधी दल की ओर से मांग की गयी है मैं, उसका समर्थन करता हूं कि कल सरकार इस बारे में बाकायदा सदन को और देशवासियों को विश्वास में ले कि इस स्कैण्डल के बारे में, जो कैण्टोनल कोर्ट का फैसला था, वह सी॰बी॰आई॰ को ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया। इस बारे में लोग महसूस करते हैं कि कोई षड्यंत्र है। हमको भी जानकारी मिली है कि इस में पूर्व आई॰ए॰एस॰ अधिकारियों और सेना अधिकारियों का भी नाम है। इस बारे में क्या हुआ? सरकार इस पर बयान दे। आज नहीं दे रहे हैं तो इस बारे में कल बयान दें।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल पधार चुके हैं, इसलिए बोफोर्स के कागज़ात के संबंध में सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इस बारे में शायद इनको जानकारी हो। कल भी रवि राय जी ने इस मामले को उठाया और आज भी उठाया है, लेकिन सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब तक इसको टालना चाहती है, यह बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। सदन की कार्यवाही को सही ढंग से चलाना है, तो सरकार को इस मामले पर पूरा ध्यान देना चाहिए नहीं तो कार्यवाही चलने में दिक्कत आएगी।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : ये सब बातें दोहराई हुई हैं। **(व्यवधान)** मैं किसी और मुद्दे की बात कर रहा हूं। (व्यवधान) आपने मुझे बुलाया है और मैं खड़ा हुआ हूं। आपका क्या कहना है? मैं किसी और मुद्दे की बात कर रहा हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : आप इस मामले को निपटा दीजिए। आप सरकार को निर्देश दीजिए कि वह कल बयान दे। हमें कल बयान चाहिये। ...**(व्यवधान)** ...

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : इस सवाल को आप इस तरह से टाल नहीं सकते हैं। ... **(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे कुछ जानकारी चाहते हैं।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : महोदय, सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है।

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं, नहीं।

[हिन्दी]

श्री विद्याचरण शुक्ल : आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जिस पर आपको संतोष न हो तो जैसा उपाध्यक्ष महोदय कहेंगे वैसी बात मैं आपके सामने रखूंगा। मैं यह कह रहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है। इसके बाद हम लोग बजट पर तीन दिन 12-13 घंटे बहस करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे।

श्री नीतीश कुमार : बजट से आप इसको क्यों जोड़ रहे हैं? बोफोर्स दलाली की रकम क्या बजट में ऐडजस्ट हो रही है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया सुनें। उसके बाद, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो लोग संसदीय प्रक्रिया जानते हैं वे इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर और बजट पर जो बहस होगी उस पर कुछ भी बोला जा सकता है। उसमें कोई बंधन नहीं है। माननीय सदस्यों को इस बात का पूरा अधिकार है कि बोफोर्स के बारे में वह जो उचित समझे, जो उनको उसमें सूचना चाहिए वह उस बहस के दौरान कहें और माननीय प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी-दोनों बहस का जवाब देंगे। उसका जवाब देते वक्त, जो भी आवश्यक सूचनाएं उन्हें सदन को देनी हैं, वे दे सकते हैं। इसलिये अलग से इस पर बोलने की कोई कोई आवश्यकता हम नहीं समझते हैं। इनको आप पूरा मौका बोलने का दीजिये और जो कुछ ये बोलेंगे, उसके बारे में उचित ब्यौरा इन लोगों को मिल जायेगा। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष जी, इस तरह बात नहीं चल सकती। धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर के वक्त जवाब देने से बात नहीं बनती है। यह सवाल अलग से उठा है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह ठीक है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और बजट भी आगे चर्चा के लिये आयेगा लेकिन इसके बावजूद संसद में समय-समय पर जो महत्वपूर्ण मामले उठते हैं, चेयर के द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि उन मामलों में सरकार बयान दे और स्वयं शुक्ला जी इस तरह के बयान दे चुके हैं। बोफोर्स एक अलग कैटेगरी में आता है। उसको राष्ट्रप्रति महोदय के अभिभाषण पर आये धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा या जनरल बजट पर होने वाली चर्चा में शामिल नहीं किया जा सकता। हम तो यहां बोल सकते हैं लेकिन सवाल यहां हमारे बोलने का नहीं है। जसवन्त सिंह जी ने भी बोला था, लेकिन तथ्यों को सरकार की तरफ से आना है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वे तथ्य आयेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम चाहते हैं कि कल वे सारे तथ्य अलग से सरकार सदन के सामने रखे और फिर उनके आधार पर हम चर्चा में जो कुछ टिप्पणी करना चाहें, उसका हम लाभ उठायेंगे लेकिन तथ्य हमारे सामने आने चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपाध्यक्ष जी, जो आपका निर्देश होगा, वह किया जायेगा। कृपा करके आप निर्देश दें। जो आप कहेंगे उसका हम पालन करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष जी, आपका निर्देश होना चाहिये कि सरकार अलग से वक्तव्य दे। सरकार को अलग से जानकारी देने का निर्देश आपकी तरफ से होना चाहिये।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : उपाध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह चर्चा जो उठी है, वह क्यों उठी है। वह इसलिये उठी है, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं में समाचार छपा हुआ है कि 1 तारीख को बोफोर्स के बारे में कागजात सरकार के पास आ जायेंगे। हमारी मांग है कि सरकार कल ही आकर सदन को जानकारी दें कि उसके पास कागज आ गये हैं या नहीं आये हैं। यदि आये हैं तो क्या कागज आये हैं, उनमें कौन अपराधी ठहराये गये हैं और उन पर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है। यदि कागज नहीं आये हैं तो उसके लिये भी, जैसा सदस्यों ने कहा कि क्यों विलम्ब हुआ है, यदि उसमें सरकार का दोष है तो वह भी बताये, ताकि जो चर्चा चल रही है, वह तभी सार्थक होगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि 1 तारीख की खबर हमें अखबारों से क्यों मिलनी चाहिये, संसदीय कार्य मंत्री जी से क्यों नहीं मिलनी चाहिये, विशेषकर इसलिये भी कि संसदीय कार्य मंत्री जी उनमें से हैं, जो 1989 में इसी आधार पर चुने गये थे कि बोफोर्स के मामले में सरकार दोषी है।

आप उनको निर्देश दीजिये कि सरकार इस मामले में सदन को जानकारी दे कि बोफोर्स के बारे में स्थिति क्या है।

[अनुवाद]

स्थिति क्या है? बस हम इतना ही चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमें स्मरण कराया कि राष्ट्रपति अभिभाषण से संबंधित चर्चा के दौरान, कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है। यह रोजमर्रा का मामला नहीं है। निस्संदेह यह रोजमर्रा का मामला बन गया है, इस सरकार में भ्रष्टाचार नित्यकर्म बन गया है। लेकिन यह एक बहुत अधिक गंभीर मुद्दा है। मैंने इस सदन में भारत के प्रधान मंत्री की वचनबद्धता का भी उल्लेख किया था, जब उन्होंने कहा था कि वे न केवल दैनिक आधार पर मामले की निगरानी करेंगे, अपितु वे सदन को भी विश्वास में लेंगे और सदन को इसकी जानकारी देते

रहेंगे। मैं प्रधान मंत्री की वचनबद्धता का उल्लेख करता हूं, जब हमें समाचार-पत्रों से बातें मालूम होंगी। यह सरकार 'मौनी बाबा' की तरह है, जो चुप रहेगी। जब समस्त विपक्ष इसका अनुरोध कर रहा है तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है और हमें राष्ट्रपति अभिभाषण की सीमा का स्मरण कराया जाता है। क्या सरकार को इस तरह की गंभीर स्थिति में इस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए? यह सरकार इसे रोजमर्रा के मामले पर रोजमर्रा को बिना सोचे-विचारे होने वाली प्रतिक्रिया के रूप में ले रही है। इसलिए, मेरी यह मांग है कि उन्हें तुरंत वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह : उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे केवल एक ही निवेदन है। मेरी समझ में नहीं आता कि आधा घंटा हो गया, सरकार तथ्यों को सदन में रखने से हिचक क्यों रही है, क्या वह छिपाना चाहती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : दुर्भाग्य यही है कि आप क्या कहना चाहते हैं, वह भी हमारी समझ में नहीं आता।

श्री जसवन्त सिंह : आधा घंटा हो गया, सरकार को तथ्य सामने लाकर रखने में क्या आपत्ति है। मंत्री जी खड़े हो जाते हैं, बीच में टोक रहे हैं। यह तो संसदीय कार्य नहीं हुआ। उनको कहना था कि हम तथ्यों को दोपहर को ला रहे हैं। फिर हम खड़े नहीं होते, आपको डायरैक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती।

[अनुवाद]

वे क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा क्या है, जो सरकार छिपाना चाहती है और क्यों इसे छिपाना चाहती है? वे इस मुद्दे पर चुनाव हार चुके हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : हम जानना चाहते हैं कि वे कितनी बार बोलना चाहते हैं। वे बार-बार एक ही बात दोहरा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण विपक्ष ने सिर्फ एक बात सरकार से कही है। इस मामले को प्रैज़ीडैन्ट्स ऐड्रेस के साथ जोड़ने को हम बुरा मानते हैं। सरकार स्पष्ट करे, यह मामला बिल्कुल अलग है। ... **(व्यवधान)** ... सरकार सिर्फ यह कहे कि कोर्ट में जो फैसला हुआ है और उसके चलते भारत सरकार के पास जो सूचना पहुंचनी है, उसकी क्या हालत है। यदि यह काम सरकार आज नहीं कर सकती तो फिर यह सदन नहीं चलेगा। ... **(व्यवधान)** ... आपको इसी समय

[श्री शरद यादव]

बताना होगा। आप इसे दबाना चाहते हैं। आप चिल्लाकर हमारी ज़बान बन्द नहीं कर सकते। ... (व्यवधान) ... उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को डायरैक्शन दीजिए कि ये बोफोर्स के मामले में कल वक्तव्य दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शून्य काल समाप्त हो गया। कृपया अब सभा पटल पर पत्र रखने दीजिए।

(व्यवधान)

12.34 म०प०

(इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

12.35 म०प०

(इस समय, श्री मोहम्मद अली असरफ फातमी और कुछ अन्य सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए।)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने कुछ जानकारी मांगी है। सरकार ने इसे धैर्य से सुना है और सरकार उचित समय उचित कार्रवाई करेगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को कह दीजिए कि जो तथ्य हैं, वे कल सदन के सामने रख दे। इस में कोई आपत्ति नहीं है। आप एक निर्देश सरकार को दे सकते हैं। सरकार को इसका पालन करना पड़ेगा ... (व्यवधान) सरकार स्वयं सदन को विश्वास में ले सकती है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ ने अपना विचार अभिव्यक्त किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ ने अपना विचार व्यक्त कर दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज्जफ्फरपुर) : अगर सरकार के पास कोई जानकारी है तो उसे वह दे और अगर सरकार के पास जानकारी नहीं है तो मेरी प्रार्थना है कि सरकार यहां आकर कहे कि उसके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो बर्ताव हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि इनके पास जानकारी आई है ...(व्यवधान) ...ऐसे नहीं छोड़ा जायेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ ने अपना विचार व्यक्त कर दिया है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार उचित समय पर उचित कारवाई करेगी। मैंने सरकार को निर्देश दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, आपने व्यवस्था दी है, और हम आपकी व्यवस्था का निष्ठापूर्वक अनुसरण करेंगे, (व्यवधान) जो भी व्यवस्था आपने दी है, हम उसका निष्ठापूर्वक अनुसरण करेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक चीज की एक सीमा होती है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, उनके अनुत्तरदायित्व की भी सीमा है। वे हमें बता सकते हैं कि क्या उन्हें इसकी जानकारी है या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, हम आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि प्रत्येक चीज की सीमा होती है। लेकिन, सरकार आज जो कुछ कर रही है उसमें वह हर सीमा को लांघ रही है। (व्यवधान) आखिरकार, विपक्ष चाहता क्या है? यदि सरकार को कोई जानकारी नहीं है और समाचार पत्रों में जो भी प्रकाशित हुआ है वह गलत है, तो पहले, उन्हें सभी कागज़ात दिए जाएंगे। इसलिए, वे आ सकते हैं और कल कह सकते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है और हम इसे स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई जानकारी है तो वे इसे छिपा क्यों रहे हैं। और सच्चाई यह है कि आप इस पर ज्यादा बोलना भी नहीं चाह रहे हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री उस रोज ही कह देते कि आज जो विपक्ष ने चिन्ता प्रकट की है, उसके बारे में कल सरकार बयान देगी, तो उसमें भी हमको संतोष हो सकता था, लेकिन कल आप बयान देंगे, इस पर यह आश्वासन भी आप नहीं देते तो उसका मतलब है कि आप कुछ छिपाना चाहते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बिल्कुल गलत बात है। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कभी यह बात नहीं कही, न ऐसी कोई इण्टेंशन है। आपने पूरे विपक्ष की बातें सुनीं, आपने हमारी भी बातें सुनीं और उसके बाद आपने यह रूलिंग दी कि सरकार के पास जो भी सूचना है, उसको लेकर एक उचित समय पर उसके बारे में सदन को उस पर ध्यान देना चाहिए, यह रूलिंग हमने मंजूर की है ··· **(व्यवधान)** ··· आपने जो निर्देश दिया, हम चाहते हैं कि उसका पालन हो, जो भी हमको सूचना देनी है, वह सूचना राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ···**(व्यवधान)** ···हमें न कोई चीज छिपाने की जरूरत है ···

श्री शरद यादव : यह लीपापोती नहीं चलेगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है। जो भी हमारे पास सूचना है, वह पूरी तरह से देश के सामने और सदन के सामने आयेगी और हम पूरी तरह से आपकी बात को एक्सैप्ट करेंगे। ···**(व्यवधान)** ···

श्री शरद यादव : हम उसकी निश्चित तिथि चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, शीर्ष स्तर पर केवल भ्रष्टाचार ही नहीं है, बल्कि बोफोर्स के मामले में तो अब लोगों की स्मृति भी क्षीण होती जा रही है; जैसा कि सोलंकी के मामले से विदित होता है। इसी प्रकार, वे लोग प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को भूल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह निगरानी रखेंगे और सभा को बोफोर्स संबंधी मामले की तमाम प्रगति की जानकारी देते रहेंगे। हम जो निवेदन कर रहे हैं वह यह है जब तक आप निदेश नहीं देते और जब तक सरकार वादा नहीं करती कि कल शून्य काल के बाद, वे उस जानकारी का रहस्योद्घाटन करेंगे, जो हाल की प्रगति से जुड़ी है, तब तक सभा की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि स्मृति क्षीण होना खतरनाक है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसका कोई अंत नहीं है। **(व्यवधान)** जैसा कि हमने माना है और जैसा कि हम अनुसरण कर रहे हैं 12.30 बजे तक बिना कार्य सूची की कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, यह ठीक नहीं है। जीरो आवर का मामला नहीं है। यह शब्द की इज्जत का मामला है। यह सदन की इज्जत का मामला है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी ने अपने मुद्दे स्पष्ट कर दिए हैं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : संसदीय कार्य मंत्री सभा को भ्रमित कर रहे हैं। **(व्यवधान)** कृपया सुनिए **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेना बोल रहे है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : कल जब इस मुद्दे को श्री रवि राय जी ने उठाया था, तो हम जानना चाहते थे कि सही स्थिति क्या है। क्या वे कागज़ात भारत सरकार के पास आ चुके हैं या नहीं ? कल हम सिर्फ यही जानना चाहते थे। **(व्यवधान)** लेकिन आज, संसदीय कार्यमंत्री ने स्थिति को स्पष्ट नहीं किया है कि कागजात भारत सरकार के पास आ गए हैं। **(व्यवधान)** भारत सरकार इसे छिपाने की कोशिश कर रही है। **(व्यवधान)** इस मुद्दे पर, आपको इस सभा में एक भूमिका अदा करनी है। **(व्यवधान)** सरकार प्रधान मंत्री के आश्वासन के बाद इस सभा से कुछ चीजों को छिपाने की कोशिश कर रही है। **(व्यवधान)** उन्हें बताने दीजिए कि उन्हें बोफोर्स मामले के संबंध में क्या प्राप्त हुआ है। **(व्यवधान)** आप अपना निदेश दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात काफी समय से सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप वास्तव में उत्तेजित हैं।

श्री रूपचन्द्र पाल (हुगली) : पूरा विपक्ष उत्तेजित है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार को आपको संतुष्ट करना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि वह इस सभा में आवश्यक जानकारी के साथ यथाशीघ्र आएंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : नहीं, महोदय।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : आप निदेश दीजिए।

[हिन्दी]

आप चकरा क्यों रहे हैं समझ में नहीं आता। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने 45 मिनट लिए हैं। **(व्यवधान)** कृपया सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के 45 मिनट गए हैं, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। यदि सरकार चाहती तो एक मिनट में यह मामला हल हो सकता था। ... **(व्यवधान)** ... अब यदि आपने डायरेक्शन नहीं दिया और सरकार ने जवाब नहीं दिया तो हाउस इस तरीके से ही चलेगा। ...**(व्यवधान)** ...कल के बाद हाउस दो दिन के लिए बंद हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कल के पहले गवर्नमेंट स्टेटमेंट देने को तैयार है या नहीं। आप डायरैक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ...**(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

आप सरकार को निदेश दीजिए, कि सरकार को कल तक बयान देना चाहिए। यहां घोषणा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.49 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और इसकी समनुषंगी अर्थात् तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लिमिटेड के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

कैप्टन सतीश शर्मा की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 22 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (3) के अंतर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1992-93 और इसकी समनुषंगी अर्थात् तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग विदेश लिमिटेड के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1992-93 और इसकी समनुषंगी

अर्थात् तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग विदेश लिमिटेड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 5441/94]

(3) (एक) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5442/94]

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत रसोई गैस (आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 1994, जो 6 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 6 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 5443/94]

12.50 म०प०

बोफोर्स मामले के सम्बन्ध में–जारी

[हिन्दी]

श्री राम कापसे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों में कई स्टेटमेंट सरकार ने दिए हैं। कु० ममता बनर्जी के कहने पर भी यहां पर सरकार द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, तो अब क्यों नहीं दिया जा सकता।

[अनुवाद]

हम इस वाद-विवाद की समाप्ति तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम शीघ्र ही या अधिक से अधिक कल अथवा परसों तक इसे चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया मुझे दूसरा मुद्दा उठाने दीजिए।

अनेक माननीय सदस्य : जी नहीं, महोदय। **(व्यवधान)**

12.52 म०प०

इस समय श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बहुत अधिक उत्तेजित हो गये हैं और सरकार ने भी अपना रवैया अपना लिया है। वे आवश्यक जानकारी के साथ सभा के समक्ष उपस्थित होंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने सरकार से अनुरोध किया है। सरकार भी जानती है कि यह महत्वपूर्ण मामला है। सरकार निश्चित रूप से आवश्यक जानकारी के साथ उपस्थित होगी। बारम्बार इसी बात पर जोर देना उचित नहीं है। अतः मैं सभी माननीय सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध करता हूं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता हूं कि यहां इतनी उत्तेजना क्यों है। सरकार को निश्चित रूप से इस मुद्दे पर कुछ कहने की स्थिति में होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्र शेखर जी बोले, बहुत अच्छा है, लेकिन पहले माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर तो चले जाएं।

12.53 म०प०

इस समय श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : महोदय सरकार को हमें यह बताने की स्थिति में होना चाहिए कि कोई जानकारी मिली है अथवा नहीं। यदि जानकारी मिली है तो कोई कारण नहीं है कि सरकार द्वारा वक्तव्य नहीं दिया जाए। वक्तव्य किसी भी क्षण जारी किया जा सकता है और मुझे कोई कारण नहीं नज़र आता है कि इस सभा में अप्रिय स्थिति उत्पन्न की जाए। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। अतः माननीय संसदीय मंत्री को खड़े होकर सभा को यह बताना चाहिए कि क्या सरकार को कोई जानकारी प्राप्त हुई। यदि सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है तो देश को, जनता को और इस सभा को

वह जानकारी देने में क्या कठिनाई है? मामला वहीं समाप्त हो जायेगा। यदि कोई जानकारी नहीं है तो उन्हें बताना चाहिए कि जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप इनको जरा डांटिए, आपके भी मिनिस्टर रहे हैं। ... **(व्यवधान)** ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, चन्द्रशेखर जी ने थोड़े से शब्दों में मामला बड़ी सफाई से रख दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या सरकार के पास कोई जानकारी आई है, आई है तो बता दें। यदि नहीं आई है तो कह दें कि नहीं आई है, यह बावेला मचाने की जरूरत क्यों पड़े। हां अगर आप कुछ छिपाना चाहते हैं, अगर दाल में कुछ काला है तो मामला अलग है। ... **(व्यवधान)** ...

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपाध्यक्ष जी, मैंने साफ-साफ कह दिया है और आपने इस बात को मंजूर भी किया है कि हम लोग कोई चीज छिपाना नहीं चाहते हैं। ... **(व्यवधान)** ...

उपाध्यक्ष जी का निर्देश है ... **(व्यवधान)** सरकार आपके निर्देश का पालन करेगी और उसी के अनुरूप कार्यवाही करने को तैयार है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : यह नहीं चलेगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

आपको जानकारी प्राप्त हुई है या नहीं? कहिए 'हां' या 'ना' **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विद्याचरण शुक्ल : सरकार कोई बात छुपाना नहीं चाहती और न छुपाने की आवश्यकता है। जब माननीय वाजपेयी जी या माननीय चन्द्रशेखर जी बोलते हैं तो आप बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। ... **(व्यवधान)** मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हम कोई बात छुपाना नहीं चाहते और न छुपाने की आवश्यकता है। हम लोगों का मामला बिल्कुल साफ है। आपके निर्देश के अनुसार इस माननीय सदन के सामने हरेक सूचना स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाएगी और सारा मामला सामने रख दिया जाएगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : उपाध्यक्ष जी, एक घंटे पहले पूछे सवाल का जवाब सरकार ने नहीं दिया है और श्री चन्द्रशेखर जी ने एक बात पूछी है कि आपके पास कागजात आए या नहीं ... **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : आडवाणी जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि उपाध्यक्ष जी की रूलिंग को आप मानिए ... **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपाध्यक्ष जी की कोई भी रूलिंग सर माथे पर है, लेकिन हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कागजात आए या नहीं ... **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष जी, सरकार आपकी आड़ में तथ्यों को सामने रखने से मुकर रही है। ... **(व्यवधान)** आप आड़ मत बनिये और वे हमको अंधेरे में रखने के लिए आपका प्रयोग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष आपके साथ अन्याय ... **(व्यवधान)** इसलिए आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत की संसद को देश से सम्बन्धित बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों की जानकारी प्राप्त करने का न्यूनतम अधिकार है। महोदय जब तक कि आपने विशेष रूप से श्री शुक्ल को अपना विनिर्णय नहीं दिया है किसी ने भी आपके विनिर्णय को नहीं सुना। आपका विनिर्णय क्या है? मुझे विश्वास है कि वह धीरे से आपको कुछ कह रहे हैं। और इस मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहे हैं। विनिर्णय क्या है? हम सिर्फ 'हां' या 'ना' सुनना चाहते हैं। यदि दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हैं तो 'हां' कहिए और हमें यह भी बताइये कि वे दस्तावेज क्या हैं। यदि दस्तावेज आपके पास नहीं हैं तो हमें कहिए कि आप जानकारी की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हम उनसे संक्षिप्त उत्तर चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : दोनों पक्षों की बात ध्यान पूर्वक सुनने के पश्चात् आप अपनी टिप्पणी कर सकते हैं और आपने अपना विनिर्णय दे दिया है। जिन व्यक्तियों ने अध्यक्ष पीठ की बात सुननी चाही, उन्होंने आपके विनिर्णय को स्पष्ट रूप से सुना है। यदि उन लोगों ने अध्यक्ष पीठ की बात नहीं सुनी अथवा सुनना नहीं चाहेंगे तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। आप हमें जैसा निर्देश देंगे हम वैसा ही करेंगे। हम आपके विनिर्णय का पालन करेंगे। अब मैं अनुरोध करता हूं कि हम कार्यसूची के अन्य विषयों को उठाएं ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि आपके पास जानकारी उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि आपके पास जानकारी उपलब्ध है तो आप सभा के समक्ष कब इसे प्रस्तुत करेंगे? यदि आपके पास जानकारी उपलब्ध नहीं है तो आप कह सकते हैं कि जानकारी उपलब्ध नहीं है। वे इन दो बातों को जानना चाहते हैं आप मामला स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, इन सभी बातों को देखने के पश्चात् आपने कहा है कि सरकार को उचित समय पर जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। यह आपका विनिर्णय है और हम आपके विनिर्णय का पालन करेंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.00 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.03 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.03 म०प० पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

बोफोर्स मामले के सम्बन्ध में–जारी

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भोजनावकाश में मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सम्पर्क किया और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुझे बताया कि दस्तावेज अभी भी जेनेवा के जांच करने वाले मैजिस्ट्रेट के पास हैं। जेनेवा में हमारे अधिवक्ता तथा हमारे दूतावास उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं और उनसे उस तारीख को बताने की मांग कर रहे हैं जब तक ये इन दस्तावेज और सम्बन्धित जानकारी भारत को दे दी जायेगी। अभी तक जांच करने वाले मजिस्ट्रेट ने वह तारीख नहीं बतायी है। यह स्थिति प्राधिकृत रूप से केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मुझे बताई है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : आप वह बात पहले ही कह देते।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब मैं सभा में आया तो मुझे यह जानकारी नहीं थी। अतः यह जानकारी प्राप्त करने हेतु मैंने भोजनावकाश का उपयोग किया।

श्री राम कापसे (ठाणे) : क्या जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् आप हमें बतायेंगे।

2.04 $\frac{1}{2}$ म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र–जारी

इस्पात मंत्रालय के वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

श्री संतोष मोहन देव की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं इस्पात मंत्रालय के वर्ष 1994-95 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5444/94]

2.05 म०प०

लोक लेखा समिति

बासठवां प्रतिवेदन

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं मेट्रो रेलवे, कलकता-परिष्कृत सिग्नल उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी लोक लेखा समिति के नौवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) पर की-गयी-कार्यवाही संबंधी बासठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.05 $\frac{1}{2}$ म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) प्राकृतिक रबड़ के लिए नया खरीद मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : भारत सरकार प्राकृतिक रबड़ के लिए समय-समय पर मूल्य निर्धारित करती रही है। सरकार द्वारा पिछला खरीद मूल्य जनवरी, 1993 में घोषित किया गया था। यह मूल्य 1991 में विद्यमान लागत को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 1992 में किये गये लागत अध्ययन पर आधारित था। इसलिए, सरकार ने सूचित किया था कि नया मूल्य यथा-समय निर्धारित किया जायेगा। यह इसलिए आवश्यक था, क्योंकि उर्वरक और श्रम आदि जैसे आदानों में असामान्य वृद्धि हुई थी। मजदूरी और उर्वरक कीमतों में यह असामान्य वृद्धि जनवरी, 1993 में घोषित खरीद मूल्य में प्रतिबिंबित नहीं की गई थी।

रबड़ का अधिकतम उत्पादन पहले आरम्भ हो चुका है यदि खरीद मूल्य की घोषणा तुरन्त कर दी जाती है, तो इससे रबड़ उत्पादकों को लाभ होगा। सामान्य प्रक्रिया यह रही है कि खरीद मूल्य की घोषणा फसल कटने के समय से पूर्व की जाए। इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह प्राकृतिक रबड़ के नये खरीद मूल्य की घोषणा शीघ्र करे।

आपकी अनुमति से मैं यहां एक वाक्य शामिल करना चाहता हूं। यह निवेदन करने के पश्चात, मुझे ज्ञात हुआ है कि सरकार ने प्राकृतिक रबड़ के लिए नये खरीद मूल्य की घोषणा कर दी है जो अपर्याप्त है। इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह प्राकृतिक रबड़ के समय खरीद मूल्य में शीघ्र और वृद्धि करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एक विशेष स्थिति में अनुमति दी है। इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाना चाहिए।

(दो) फाजिल्का-कोट कपुरा रेल सेक्शन पर और अधिक रेलगाड़ियां चलाये जाने की आवश्यकता

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : रेलवे ने फाजिल्का-कोट कपुरा सेक्शन को मीटर गेज

से बढ़ाकर बड़ी लाईन में परिवर्तित कर दिया है। भटिंडा से फाजिल्का तक केवल एक रेलगाड़ी चलायी गई है, जबकि 1992 तक दोनों ओर तीन रेल गाड़ियां चल रही थीं। इस लाईन को बदलने में रेलवे विभाग को 95 करोड़ रुपये वहन करना पड़ा, परन्तु नई रेलगाड़ियां चलाये बिना इसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसा करना रक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है, क्योंकि फाजिल्का एक सीमावर्ती कस्बा है और कपास तथा खाद्यानों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस मार्ग पर और अधिक रेलगाड़ियां चलायी जायें।

(तीन) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री राम कापसे (ठाणे) : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार से आग्रह करने वाले महाराष्ट्र विधान सभा के दोनों सदनों द्वारा पारित सर्वसम्मत संकल्पों के बावजूद यह मुद्दा काफी लम्बे समय से लम्बित है। हालांकि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा इम मामले पर अनेक बार चर्चा की जा चुकी है, अब ऐसा लगता है कि वे किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हैं। विवादित क्षेत्र के लोग इस विषय पर जनमत के इच्छुक हैं। इसलिए, आगे और समय बर्बाद किये बिना इन विवाद का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले का तुरन्त समाधान करने के लिए कदम उठाये।

(चार) दिल्ली-जोधपुर मेल को डेगाना जंक्शन और दिल्ली के बीच शीघ्र चलाये जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, 4893-4894 दिल्ली जोधपुर मेल को रोज परिवर्तन के कारण बंद कर उक्त मेल को मारवाड़ जंक्शन होते हुए दिल्ली भेजा जा रहा है। उक्त मेल के बंद होने से डेगाना, डीडवाना, लाडनूं, सुजानगढ़, छापर जैसे महत्वपूर्ण कस्बों का दिल्ली, कलकत्ता, बंबई आदि प्रमुख नगरों से यातायात संपर्क टूट गया है। वर्तमान में डेगाना, डींडवाना, लाडनूं, सुजानगढ़, छापर, रतनगढ़, सादुलपुर से गेज परिवर्तन विचाराधीन नहीं है। इस स्थिति में इस क्षेत्र की जनता को इतने लंबे समय तक उक्त सुविधा से वंचित रखा जाना उचित नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए और गाड़ी की आवश्यता को देखते हुए उक्त गाड़ी को डेगाना जंक्शन से दिल्ली के मध्य चालू करने की अविलंब व्यवस्था करने का कष्ट करें।

(पांच) इलाहाबाद में यमुना नदी के समीपवर्ती क्षेत्र को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की आवश्यकता

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अधीन सदन का ध्यान

[श्रीमती सरोज दुबे]

आकर्षित करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद में पर्यटन के विकास की काफी संभावनाएं हैं। यहां पर विख्यात धार्मिक तीर्थस्थल संगम है, जहां पर गंगा तथा यमुना नदियां आपस में मिलती हैं। प्रति वर्ष देश के कोने कोने से तथा विदेशों से बहुत से तीर्थयात्री तथा पर्यटक पवित्र संगम में स्नान करने व संगम का अवलोकन करने आते है, परन्तु पर्यटकों की दृष्टि से इतना उपयुक्त स्थान होने के बावजूद भी इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया है। यदि संगम के पास यमुना नदी के किनारे पर्यटन के विकास को ध्यान में रखते हुये सरकार कुछ विकास कार्य करे, तो जहां विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी साथ ही साथ यहां की गरीब जनता के रोजी-रोटी के साधनों में भी वृद्धि होगी।

अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि यमुना नदी के किनारे पर्यटकों के लिये विश्राम स्थल, जलपान गृह तथा पर्यटकों की रुचि को ध्यान में रखते हुये पर्यटक विकास के अन्य उपाय शीघ्र किये जायें।

(छः) छोटा नागपुर क्षेत्र के कुछ जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने और वहां राहत कार्यों के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अधीन सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार के छोटा नागपुर के हजारीबाग, चतरा, गिरीडीह, बोकारो, डालटेनगंज, गढ़वा आदि जिलों में भयंकर अकाल पड़ा है। लाखों की संख्या में रोजी-रोटी की खोज में बाहर जा रहे हैं। यह कम माह नवम्बर, 1993 से ही शुरू हो गया है। इसके पहले भी दो वर्ष लगातार अकाल पड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री जी 1993 में डालटेनगंज एवं चतरा जिलों में गये थे, जहां उन्होंने एक सौ करोड़ रुपये अतिरिक्त कोष अकाल से राहत के लिये दिये थे, लेकिन वह रकम भी नहीं गयी। इस वर्ष भी भुखमरी शुरू हो गयी है। लोगों के पास कोई भी रोजगार नहीं है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त जिलों को अकाल क्षेत्र घोषित कर बड़े पैमाने पर राहत का काम चलाने हेतु धन की व्यवस्था करे।

(सात) बिहार में सिंदरी स्थित फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेन्ट इंडिया लिमिटेड की इकाइयों को बन्द होने से बचाने की आवश्यकता

प्रो० रीता वर्मा (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र में स्थित सिंदरी के फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा प्रोजैक्ट एवं डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड की इकाइयों की परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। सरकार धीरे-धीरे सिंदरी एफ० सी० आई० के प्रोडक्टिव यूनिट्स बेच रही है। स्कूल और अस्पताल बंद किये जा रहे हैं। दूसरी ओर पी० डी० आई० एल० को पर्याप्त कार्यभार न होने के कारण बंद किया जा रहा है। जब आप उन्हें अच्छा काम करने पर भी काम ही नहीं देंगे तो वे क्या करें।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाईजर कार्पोरेशन इंडिया, सिंदरी को बचाने के हर सम्भव प्रयास किये जायें, उन्हें कार्यभार दिया जाये और जो कार्य ये इकाइयां कर सकती हैं उनके आर्डर्स विदेशी कम्पनियों को न दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेते हैं। अब श्री एच० डी० देवगौड़ा बोलेंगे।

2.14 म०प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव–जारी

श्री एच०डी० देवगौड़ा (हसन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, मैं केवल एक बात सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं, जिसके बारे में आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण के प्रथम पैरा में उल्लेख किया है :

> " ...हमें बहुमुखी विकास से जो प्रोत्साहन मिला है। वह न्यायोचित है। किंतु इन उद्देश्यों को प्राप्त करने से पूर्व एक लम्बा सफ़र तय करना होगा ..."

महोदय, पिछले तीन वर्षों अथवा ढाई वर्षों से मैं इस सदन को देख रहा हूं। सरकार द्वारा कुछ सुधारों को लागू किये जाने के पश्चात् वे यह प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि इस देश के प्रत्येक क्षेत्र में इनको अच्छी सफलता मिली है। मैं इस मुद्दे पर वाद-विवाद करना नहीं चाहता। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनमें उन्होंने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। परन्तु दुर्भाग्य से बड़े क्षेत्रों में समस्या को देखते हुए उपलब्धि पूरी तरह से नगण्य है। आर्थिक सुधार एक ऐसा मंत्र है, जिसे बार-बार दोहराया जा रहा है। वेंकटेश्वर मंदिर में प्रतिदिन प्रातः पांच बजे सुप्रभातम होती है। ठीक उसी प्रकार सत्ता पक्ष के हमारे मित्र हमेशा यह कहने का प्रयास करते हैं कि इन आर्थिक सुधारों ने इस देश में एक चमत्कार ला दिया है।

मैं अनेक विषयों पर बोलना चाहता हूं परन्तु समय काफी कम है। केवल एक से दो प्रतिशत व्यक्ति ही नई औद्योगिक नीति में इन मूलभूत परिवर्तनों अथवा नई आर्थिक नीति की प्रशंसा कर रहे हैं। अतः समालोचना केवल मीडिया से की जाती है, जिन पर कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का नियंत्रण है। वे लोग यह राय बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह राय देने वाले हैं। आज इस देश में वे लोग, जिन्हें संसद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिन्हें संसद के कार्यकरण के बारे में जानकारी नहीं है जिन्हें संरचनात्मक परिवर्तन या आर्थिक नीतियों में परिवर्तन या औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन या औद्योगिक नीतियों में परिवर्तनों के वास्तविक परिणामों में जिनकी कोई रुचि नहीं है, ऐसे लोग सार्वजनिक राय देने वाले हैं।

मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसे सरकार ने बेरोजगारी के क्षेत्र में, जो एक

[श्री एच० डी० देवगौड़ा]

जलवन्त समस्या है, कोई प्रगति की है? क्या हमने कोई ठोस परिणाम प्राप्त किये हैं? क्या इन समस्याओं जैसे बेरोजगारी की समस्या या पीने के पानी समस्या या आवास संबंधी समस्या या ग्रामीण क्षेत्रों में संचार संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किये गये हैं। पिछले 35 वर्षों से मैं राजनीति में सक्रिय रहा हूं। जब मैं गांवों में जाता हूं तो मैं गांवों का वही रूप देखता हूं जो 35 वर्ष पहले था, आज भी गांवों का वही हाल है। मुझे यह बात कहते हुए अफसोस है। इस सदन को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है और हम यहां जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिए हम इस देश के लोगों के लिए जबाबदेह हैं। मेरे सत्ता पक्ष के मित्र जो कहना चाहते हैं उन्हें समझने में मैं असमर्थ हूं, बहुमत के कारण जो कुछ हम कहते हैं, वह बिना किसी ठोस परिणाम के व्यर्थ होता है।

हर रोज लगभग 14 से 15 मिलियन लोग सड़कों पर, झुग्गी झोपड़ियों में ही पैदा होते हैं। और वहीं पर ही मर जाते हैं। किसी को उनकी चिन्ता नहीं है। इस वर्ष आवास संबंधी समस्या या पीने के पानी के संबंध में जो कुछ सरकार कर रही है उस बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। विभिन्न अन्य योजनाओं का राष्ट्रपति द्वारा उनके अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें मैं राष्ट्रपति की गलती नहीं मानता। यह केवल सरकार द्वारा तैयार किया गया या परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया एक नीति दस्तावेज है, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पढ़ा जाता है।

हमारे सत्ता पक्ष के मित्र हमेशा यह कहने का प्रयास करते रहे हैं कि आर्थिक सुधार या संरचनात्मक परिवर्तन अगले तीन वर्षों में आशाजनक परिणाम उत्पन्न करेंगे। दुर्भाग्यवश, हम तीन वर्ष पूरे कर चुके हैं। मेरे मित्र, भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री, ने इसी सदन में तीन वर्षों के स्थान पर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में 20 वर्षों की समय अवधि दी है कि इस प्रकार की गरीबी 20 वर्षों में समाप्त हो सकती है। लेकिन 20 वर्षों में देश विश्व में मुख्य अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है।

अतः मैं नहीं जानता कि क्या मैं यह सब देखने के लिए 20 वर्षों तक जीवित रह सकूंगा कि इस देश में इन संरचना परिवर्तनों या आर्थिक सुधारों या जो कुछ कार्य वे दिन रात करने का प्रयास करते हैं उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। आज की ज्वलन्त समस्या बेरोजगारी की समस्या है। मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि वह इस समय पर ध्यान नहीं देगी तो यह उसका भ्रम है, कि वह पंजाब, कश्मीर और असम में आतंकवादी समस्या को सुलझाने में समर्थ हो जायेगी। एक दिन ऐसा आयेगा जब प्रत्येक राज्य में आतंकवादी होंगे और सभी पढ़े-लिखे युवक आतंकवादी बन जायेंगे। मैं यह मुद्दा थोड़ा बाद में लूंगा।

महोदय, मैं एक या दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं, जो इस सदन के कार्य निष्पादन के बारे में, जवाबदेही के बारे में है जिसका हमारे राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख किया गया है। मैं क्षमा चाहता हूं जो कुछ मैंने पिछले सत्र में कहा था उसे दोहराना पड़ रहा है। मैं जवाबदेही के बारे में इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पृष्ठ 3 अनुच्छेद 9 में कहा है

"कार्यकारी को संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए" महोदय, हम लोगों के प्रति जवाबदेह है, जिन्होंने हमें यहां इस सदन में अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये कार्यकारी विभिन्न मुद्दों पर जवाबदेह है, क्या कार्यकारिणी ने इस सदन के महत्व पर ध्यान दिया है। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में, इस बात का उल्लेख किया गया है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वे सी॰बी॰आई॰ या बैंकिंग विभाग के हैं, संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष दस्तावेजों या दस्तावेजों की फोटोस्टेट प्रतिलिपियां को प्रस्तुत करने से पूर्व उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करना है। संयुक्त संसदीय समिति एक छोटी संसद है और मैं यह समझने में असमर्थ हूं। जब वे संयुक्त संसदीय समिति को कुछ दस्तावेज देने से इन्कार करते हैं तो यह इस सदन को इन्कार करने जैसी ही बात है इसका अभिप्राय है कि यह सदन अपना महत्व खो रहा है। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है। इस सदन को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति पर या देश के मुख्य न्यायाधीश पर या चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लगाने का अधिकार सदन को प्राप्त है। दुर्भाग्य से, कार्यकारिणी को अपने तरीकों में संशोधन करने के लिए कहना, इस सदन की वास्तविक क्षमता का सम्मान करने के लिए, इस सदन के महत्व को सम्मान करने के लिए कहना ठीक नहीं है मैं क्षमा चाहता हूं कि उन्होंने भयभीत करने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी की सरकार में बहुमत प्राप्त है। यह कब तक सहन किया जा सकता है? यह एक मुद्दा है जिसे मैं सत्ता पक्ष तथा सरकार से पूछना चाहता हूं। मैं किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं मैं क्षमा चाहता हूं जिस ढंग से हम स्वयं की ही निन्दा कर रहे हैं और हम दिन प्रतिदिन विश्वसनीयता खो रहे हैं। इसका हम सब पर प्रभाव पड़ेगा। सत्ता पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया है।

महोदय, आज सुबह, सदन का एक घंटे से अधिक का समय बोफोर्स मुद्दे पर लग गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। इस सदन में और भी अधिक बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई थी। संयुक्त संसदीय समिति को इस बात का पता लगाना था कि घोटाले के 6000 करोड़ रुपये कहां गए। लेकिन अन्ततः संयुक्त संसदीय समिति इस बात का पता लगाने में असमर्थ रही कि यह पैसा कहां गया। और इससे भी अधिक, इसी सदन में एक आरोप लगभग लगाया गया था कि एक मंत्री या उसके रिश्तेदारों ने कुछ राशि विदेशी बैंकों से चैक के माध्यम से प्राप्त की थी उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ किसी को भी इस देश में भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले 41 वर्षों से कोई सजा नहीं दी गई।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव का उत्तर देते समय कहा था कि वह लोकपाल विधेयक, जो सदन के समक्ष विचाराधीन है, को लाने के बारे में सोच रहे हैं। उस लोकपाल विधेयक का क्या हुआ? उन्होंने यह भी कहा था कि वह लोकपाल के क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं। मैं उनके भाषण से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं :

मैं उद्धृत करता हूं :

"पिछले एक वर्ष से सरकार हमारे देश में ओम्बड्समैन की संभावना के परीक्षण में

[श्री एच० डी० देवगौड़ा]

गम्भीर अध्ययन कार्य कर रही है। कार्मिक विभाग, सी० वी० सी० और कुछ प्रमुख मंत्रालयों के बीच सी० ई० ओ० और पी० एस० यू० को विधेयक के क्षेत्र में लाने के प्रश्न पर विस्तार से सलाह की गई थी।"

अतः इस बारे में, जो उन्होंने सदन में कहा था, एक भी शब्द नहीं कहा गया है और भ्रष्टाचार हटाने के लिए इस विधेयक को लाने के बारे में किसी भी मुद्दे का उल्लेख नहीं किया गया है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्या ऐसे नाजुक मामलों पर सोचने का कोई बिन्दु है। मैं इन सब बातों के लिए क्षमा चाहता हूं। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में या सरकार में इस प्रकार के भ्रष्टाचार संबंधी आरोप मिलेंगे। संसद जो एक सर्वोच्च मंच है वह ऐसे नाजुक मामलों के लिए कोई समाधान ढूढ़ नहीं पा रही है। इससे इस देश की ही राजनीति प्रक्रिया में अविश्वसनीयता आ रही है। हम लोगों को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे? अब समय आ गया है जब लोगों ने राजनीतिक पार्टियों और हमारी राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास खो दिया है। अतः मैं जबावदेही के बारे में केवल दो या तीन मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं।

मैं कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में कहता हूं। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है और मैं उद्धृत करता हूं :

"हमारे सार्वजनिक उद्यम अत्यधिक आन्तरिक संसाधन जुटा रहे हैं और हम राज-सहायता पर व्यय में कटौती कर रहे हैं।"

मैं नहीं जानता कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर राज सहायता हटाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं। सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ गये हैं। संबंधित मंत्री जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभारी हैं, यहां उपस्थित नहीं हैं। कर्नाटक में आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत एक किलो चावल का मूल्य 7.05 रुपये के लगभग है, जबकि पांच वर्ष पहले यह 2.00 रुपये किलो था, जब हम सरकार चला रहे थे। हाल ही में संसद सत्र से पहले सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए गये, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को लागू किया जाना था। दुर्भाग्य से, गरीब व्यक्ति को अधिक कीमत देनी पड़ती है। सरकार ने कीमतों में वृद्धि को रोकने का प्रयास किया है, क्योंकि हम कृषि के लिए उच्च लाभकारी मूल्य देना चाहते हैं।

कर्नाटक में मैंने एक पत्र लिखा और वास्तव में मैंने यह मामला सलाहकार समिति की बैठक में उठाया था। कर्नाटक में ज्वार 180 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा जाता था। तथापि कोई भी सरकारी तन्त्र किसानों की रक्षा के लिए आगे नहीं आया, जो किसान इतने कम मूल्य पर मजबूरी में इसे बेच रहे हैं। अतः मेरे विचार से, माननीय वित्त मंत्री पूर्णतया किसान विरोधी और गरीबों के विरोधी हैं। वह केवल कुछ औद्योगिक घरानों और कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे बड़े बिल्डर हैं। पहले वे वित्त सचिव, केंद्र सरकार के परामर्शदाता, रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं और अब वे वित्त मंत्री हैं। यहां तक कि वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा

विश्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। संभवतः वे एक ईमानदार व्यक्ति हों। लेकिन मुझे विश्वास है कि वे ग्रामीण जनता के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। उन्होंने ग्रामीण लोगों की ममस्याओं के हल के बारे में कभी चिंता नहीं की।

मैं उनके अपने भाषण से कुछ आंकड़े दे रहा हूं। वर्ष 1992-93 में कृषि के लिए 1050 करोड़ रुपये परिव्यय निर्धारित किया गया था, वर्ष 1993-94 में यह परिव्यय 1330 करोड़ रुपये था और वर्ष 1994-95 में यह 2005 करोड़ रुपये हैं।

उनके अनुसार, इसमें 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लागत में कितनी वृद्धि हुई है? मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आदानों की लागत क्या है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में–मैं जानता हूं कि यह मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत अभिभाषण है – कहा है कि :

> "सरकार कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। पर्याप्त और तर्कसंगत मूल्यों वाले निवेशों का समय पर प्रावधान करना . . . "

वे इस तरह की बात कैसे और किस साहस के साथ कर सकते हैं? इसी सदन ने अब विभिन्न स्थायी समितियों का गठन किया है। पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति ने यह रिपोर्ट दी है कि पोटाश उर्वरक के मूल्य में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि उसकी खपत में 36 प्रतिशत कमी आई है। समिति के प्रतिवेदन में यह बताया गया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि उन्होंने आदरणीय राष्ट्रपति जी को इस सदन के माध्यम से राष्ट्र को कुछ बताने के लिए बाध्य क्यों किया जो कि अवास्तविक है। मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है। मैं नहीं जानना कि वे इस सभा को प्रयोग द्वारा जनता को कब तक बेवकूफ बनाने का प्रयास करते रहेंगे।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि चौथी योजना में, योजना के अतिरिक्त कषि के लिए 12 प्रतिशत क्षेत्रीय आबंटन किया गया था। लेकिन, दुर्भाग्यवश हमारे प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव जी की अध्यक्षता में आठवीं योजना में यह 5.2 प्रतिशत हो गया है। इसमें कमी कैसे आई है? क्या वे इस असंगठित क्षेत्र अर्थात् कृषि पर ध्यान देने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं? मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है। मैं किसी की तरफदारी नहीं करता। मुझे पूरा विश्वास है कि यह कृषक वर्ग शक्तिहीन है। उनमें आपस में संगठित होने और अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ने की क्षमता नहीं है।

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र सिंचाई है। सिंचाई कृषि के प्रमुख आदानों अथवा संघटकों में से एक है। इस वर्ष इसमें 6 प्रतिशत की कमी की गई है। सिंचाई हेतु केंद्रीय आबंटन, जो वर्ष 1993-94 में 280 करोड़ रुपये था, इस वर्ष अर्थात् 1994-95 में घटकर 261 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् इसमें 6.79 प्रतिशत की कमी आई है।

महोदय जरा यह देखें कि उन्होंने किस प्रकार लाभ देने का प्रयास किया है। कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र और समाज के उच्च वर्गों के लिए उन्होंने कई छूटें

[श्री एच० डी० देवगौड़ा]

देने का प्रयास किया है, चाहे वह आयात शुल्क संबंधी छूट के रूप में हो अथवा किसी अन्य रूप में। इन सभी बातों पर मैं विस्तार से उस समय विचार करूंगा जब मैं बजट संबंधी सामान्य चर्चा में भाग लूंगा। महोदय, आप देखें कि उन्होंने देश को किस प्रकार मूर्ख बनाने का प्रयास किया है। मैं केवल एक उत्कृष्ट उदाहरण देना चाहूंगा। परसों माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया था। मैं वर्ष 1994-95 के लिए बजट के वसूली पक्ष से एक या दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। यह एक विडम्बना है कि संपदा शुल्क से मात्र 1 करोड़ रुपये की वसूली होती है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस संपदा शुल्क का भुगतान कौन करेगा। उन्होंने अपने बजट संबंधी दस्तावेज में इसे क्यों रखा है? संपदा शुल्क का भुगतान सम्मान अथवा धनी व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा। इसका भुगतान तब किया जाता है जब किसी धनी अथवा संपन्न व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसकी संपत्ति उसके बच्चों अथवा उसके माता-पिता को मिल जाती है। देश भर में यदि पूरे वर्ष में संपदा शुल्क से कुल आय एक करोड़ रुपये की होती है तो इसका अर्थ तो यही निकलता है कि या तो हमारा तंत्र संपदा शुल्क की वसूली में पूर्णतयः विफल है अथवा इसके कोई अन्य कारण होंगे। शंकरानंद जी, इस संपदा शुल्क का भुगतान कौन करेगा?

क्या इसका भुगतान बिड़ला, टाटा, अंबानी अथवा इस प्रकार के संपन्न लोगों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद नहीं किया जायेगा। मैं नहीं जानता कि उनकी कितनी सम्पत्ति है अथवा सम्पदा है? क्या आप यह स्पष्ट रूप से बतायेंगे? डा० मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका स्थान लेने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। तब भारत देश कैसे जीवित रहेगा? एक प्रश्न उठा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनके स्थान पर कौन होगा। देश ने उत्तर दे दिया है।

पूरे वर्ष में संपदा शुल्क के रूप में एक करोड़ की वसूली होती है। आप स्थापना प्रभार के रूप में कितना खर्च कर रहे हैं? क्या यह 50 करोड़ रुपये है या 60 करोड़ रुपये? कृपया स्पष्ट रूप से बतायें। इस प्रकार यह सरकार धनिक वर्ग को कर के माल से बचा रही है। यह सरकार द्वारा अकारण और जानबूझ कर प्रदान की गई सहायता है। यह एक स्पष्ट उदाहरण है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी एक किसान हैं। मैं आपके विचारों को जानता हूं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हम यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस सरकार का तंत्र किस प्रकार कार्य कर रहा है। राजेश पायलट जी, आप भी अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी, डा० बलराम जाखड़ की तरह पगड़ी पहनकर और किसानों के पास जाने और हित में उनकी सहायता करने का दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं मुझे खुशी है कि आप उनका काफी अधिक पक्ष ले रहे हैं। एक अन्य मुद्दा उपहार कर है।

आपको एक वर्ष में कितना राजस्व प्राप्त होता है–5 करोड़ रुपये? आप लोगों को मूर्ख क्यों बनाना चाहते हैं? आप स्पष्ट रूप से बतायें कि आप धनी वर्ग के साथ हैं, आप उद्योगपतियों के

साथ हैं, आप बड़े व्यापारियों, समृद्ध और धनी लोगों के पक्ष में हैं। हमें बतायें कि आप यह सब काम किसके लिए कर रहे हैं। आप इस पर कितना पैसा खर्च करेंगे? क्या यह एक मजाक नहीं है? क्या यह एक ढोंग नहीं है? मैं बड़े दुख के साथ आपसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं इस जनता के प्रतिनिधि के रूप में सदन में आपका सहयोगी बनूं? हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने अभिभाषण में कहा है कि :

> "हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत तौर पर और सामूहिक रूप से अपने-अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिए।"

इस सदन में मैं क्या कर्त्तव्य निभा सकता हूं? राष्ट्रपति जी ने मुझे यह कर्त्तव्य निभाने के लिए कहा है। क्या मुझे इस कर्त्तव्य को निभाना है? आपको अब कुछ बहुमत मिल गया है। सरकार अल्प संख्यक सरकार से भली भांति बहुमत वाली सरकार बन गई है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको पर्याप्त बहुमत मिल गया है। आपने जो कुछ भी कला अपनाई है, मैंने देखा है कि सत्ता पक्ष को बहुमत मिल गया है, सत्तारूढ़ दल बहुमत बन जाता है। उन्होंने अल्पसंख्यक दल को बहुमत प्राप्त दल बनाने के लिए इस कला का किस प्रकार से प्रयोग किया है, मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता।

इसके बाद अब मैं एक अन्य प्रमुख मुद्दे पर आऊंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वे प्रत्यक्ष करों संबंधी मामलों के निपटान के लिए राष्ट्रीय न्यायालय संबंधी विधेयक ला रहे हैं। उन्होंने दो वर्ष पहले ऐसा कहा था। उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वे उच्च न्यायालयों के कार्यभार को कम करने जा रहे थे। वहां मामले वर्षों से लंबित पड़े हैं और वे मामलों को निपटाने में असमर्थ हैं तथा बकाया करों की वसूली नहीं की जा सकी। उन्होंने टैरिफ करों के लिए भी राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित करने का आश्वासन दिया था। वे इसे क्रियान्वित करने में असमर्थ क्यों हैं? क्या वे केवल अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक के अपने अधिकारियों के आदेश का अनुपालन करने में व्यस्त हैं? उन्होंने इस सम्मान्य सदन में यह आश्वासन क्यों दिया था?

मैं नहीं जानता। उच्च न्यायालयों के समक्ष अनेक मामले लंबित पड़े हैं और जिससे पार्टियों को बहुत अधिक मानसिक कष्ट पहुंच रहा है और जो कुछ भी राशि बकाया है हम उसे वसूल करने में असमर्थ हैं। ये कुछेक उदाहरण हैं। मैं यह बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय किस प्रकार कार्य कर रहा है और मैं विभिन्न अन्य मुद्दों को स्पष्ट नहीं करना चाहता।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी की समस्या है। मैं एक सुसंगत पैरा पढ़ूंगा, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है :

> "सरकार ने निर्धनों विशेषकर ग्रामीण महिलाओं एवं शहरी युवाओं को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से तीन नई योजनायें बनाई हैं।"

ग्रामीण युवा वर्ग को बिल्कुल भुला दिया गया है। यह एक अलग मामला है।

[श्री एच० डी० देवगौड़ा]

मैं एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण पहलू पर आ रहा हूं। इन महत्वपूर्ण नई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, प्रधान मंत्री ने यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया है। पैरा 29 में यह बताया गया है :

"कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने और उनके सम्बन्ध में अपेक्षित निदेश और बल देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विशेष कक्ष स्थापित किया है। यह विशेष कक्ष कार्यान्वयन विभागों और क्षेत्रीय भ्रमण तथा स्वतंत्र मूल्यांकनों पर आधारित सूचना से फीड बैंक प्राप्त करेगा, ताकि कार्यक्रमों की सभी संभावित रुकावटों को दूर किया जा सके। इन तीन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सचिवों की विशेष समिति जिम्मेदार है।"

इसकी उपलब्धि क्या है। मैं मदन का ध्यान राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 27 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें यह बताया गया है कि :

"शिक्षित शहरी युवकों को लघु उद्यमों में सतत् रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से एक रोजगार योजना शुरू की गई है।"

"अब तक विभिन्न राज्यों में युवाओं से लगभग 1 लाख 95 हजार आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 41,275 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है और उन्हें सिफारिश करके बैंकों को भेज दिया गया है। उनमें से लगभग 2000 आवेदन पत्र मंजूर कर लिए गए हैं।"

प्रधान मंत्री कार्यालय इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। उस योजना के अन्तर्गत 1,95,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। परिणाम यह निकला कि केवल 2,000 आवेदन पत्र ही स्वीकृत हुए हैं।

प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। इसमें एक विशेष प्रकोष्ठ है। इसमें सचिवों की विशेष समिति है। क्या यह उनके मंत्रियों द्वारा की गई गलतियों पर लीपापोती करने के लिए सचिवों की विशेष समिति है? क्या वे पूरी तरह इसमें शामिल हैं? क्या सचिवों की समिति माननीय प्रधान मंत्री द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों की ओर ध्यान दिये बिना मंत्रियों पर लगाये गए आरोपों पर लीपापोती करने में अपना समय व्यतीत कर रही है? वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति इससे कुछ विपरीत है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या जनवरी, 1991 में 3,47,00,000 और जनवरी, 1992 के दौरान यह 3,65,00,000 हो गई तथा जनवरी, 1993 के दौरान यह 3,67,00,000 हो गई। इसमें प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है।

तथाकथित डंकल प्रस्ताव जिस पर हमारे सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा 15 दिसम्बर को हस्ताक्षर किये गये थे। हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री कहते हैं कि वे लोग, जिन्हें यह जानकारी नहीं है

कि डंकल प्रस्ताव क्या है, यह कह रहे हैं कि देश में घटना घटने जा रही है। अब आपने अत्यधिक ध्यान दिया है। विपक्ष के ये लोग अनावश्यक रूप से सरकार पर प्रहार करने का प्रयास क्यों करते हैं? **(व्यवधान)** यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सामान्यतः मैं बोलना नहीं चाहता। मेरी बोलने की आदत नहीं है। मैं अनावश्यक रूप से सदन का समय नष्ट नहीं करता।

अब यहां "डंकल प्रस्ताव से रोजगार के अवसरों पर प्रभाव पड़ेगा" समाचार प्रकाशित हुआ है। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने यह स्वीकार किया था कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर काफी कम हो जायेंगे। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा डंकल प्रस्ताव को स्वीकार करने का परिणाम था। क्या शंकरानन्द जी आप इसे सुन रहे हैं? आप भी एक मंत्री हैं। जनता ने हमें वोट दिये हैं। सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि उन्हें उनके स्वयं के निर्णय के अनुसार कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। आप इस देश को गिरवी रखना चाहते हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि ऐसा करना इतना आसान नहीं है। लोग आपको बाहर सड़कों पर खींच लायेंगे चाहे वहां कितनी भी पुलिस सुरक्षा क्यों न हो। आज हमारे कुछ संसद सदस्य और राजनीतिज्ञ केवल सुरक्षा बलों के साहरे ही जीवित हैं। ऐसा क्यों? यदि मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। पायलट जी मुझे खेद है, यह वास्तव में एक ज्वलन्त समस्या है। क्या आप आज जनता का सामना कर सकते हैं?आप इस प्रकार कब तक कार्य कर सकते हैं? यह ऐसी बात नहीं है जिस पर आप हंसे। प्रत्येक को इस के परिणाम भुगतने होंगे। प्रत्येक राज्य शिक्षित उग्रवादियों और आतंकवादियों का घर बनता जा रहा है। आप इस गलतफहमी में न रहें कि केवल पंजाब में ही कुछ उग्रवादी हैं और आपने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया है। उन्होंने इसे राज्यों में फैला दिया है। उन्हें बाहर पहुंचा दिया गया है। आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है। वे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। इस गलतफहमी में न रहें कि भारत शान्त देश बन गया है, आपने यह बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यह सभी आपके सामने संतोष के लिए है। आप लोग कह रहे हैं कि ये सभी बातें केवल अस्थाई लाभ, अस्थाई राजनैतिक लाभ के लिए है।

एक शिक्षित युवक, जो ऋण के लिए आवेदन करता है, सभी जमानतों के बावजूद 1 लाख रुपये प्राप्त नहीं कर सकता। आप यहां कुछ ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जो बिना किसी ऋण आवेदन पत्रों के यहां तक कि बिना किसी जामनत और प्रतिभूति के ऋण प्राप्त कर लेते हैं। बैंक घोटाले में कुछ दलालों ने हजारों करोड़ों, 800 करोड़, 600 करोड़ और 500 करोड़ रुपये निकाल लिये थे। यह क्या हो रहा है? इन तथाकथित शिक्षित बेरोजगारों को यह सब कैसे बर्दाश्त हो रहा है? क्या आपने हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा निर्मित "आई विटनेस" वीडियो कैसेट देखा है? उन्होंने पिछले महीने सभी बड़े शहरों में एक सर्वेक्षण किया था और वे इस निष्कर्ष पहुंचे है कि 80 प्रतिशत से अधिक युवक इस देश को छोड़ना चाहते हैं। यह विचार पांच बड़े शहरों में हमारी युवा पीढ़ी द्वारा व्यक्त किया गया था। लगभग 50 या 52 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने "भारत छोड़ो" आन्दोलन चलाया था। आज ये नवयुवक, ये शिक्षित बेरोजगार लोग भारत छोड़ना चाहते हैं। वे राष्ट्रपिता की भावनाओं का सम्मान करना चाहते हैं, जिन्होंने लगभग 50 वर्ष पूर्व यह नारा दिया था। यही आपकी उपलब्धि है।

[श्री एच० डी० देवगौड़ा]

आप दूतावासों के पास जाकर युवकों को देखिए। वे रोजगार की तलाश में विभिन्न देशों को जाने के लिए वीजा प्राप्त करने हेतु लाइनों में खड़े रहते हैं। क्यों? उन्हें इस देश में विश्वास नहीं है। उनका शासकों में विश्वास नहीं है। उनका इस राजनैतिक पद्धति में विश्वास नहीं है। आप इन बातों को न भूलें। यह इतना आसान नहीं है। आप अपनी जोड़तोड़ की राजनीति से और दो या ढाई वर्ष तक सत्ता में रह सकते हैं। इसके पश्चात् तो आपको सड़कों पर आंना होगा। इसका एकमात्र कारण यह है कि विपक्ष बंटा हुआ है। यही आपका सौभाग्य और आपकी सत्ता बचाने वाला मुख्य पहलू है।

मैं अवश्य ही यह स्वीकार करता हूं कि जनता दल में अनेक गुट हैं। इसे जानते हुए, मैं सत्ता दल को बताना चाहता हूं कि अगली बार चुनाव का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। आप इसे ध्यान में रखें। मैं कर्नाटक से निर्वाचित होकर आया हूं और श्री शंकरानन्द जी भी कर्नाटक से आए हैं। यह इतना आसान नहीं है। मेरी आवाज खराब हो रही है, क्योंकि मैं अपने मित्रों से मिलने के लिए राज्य में आता जाता रहता हूं। इन तथाकथित नीतियों के द्वारा आप उन्हें यह कहकर मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक गली पर शहद और दूध बहने जा रहा है। श्री चिदम्बरम जी की अंग्रेजी काफी अच्छी है। मैं इतनी वाकपटुता से अंग्रेजी बोलने का उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता।

मेरी आपको अन्तिम चेतावनी यही है कि शिक्षित बेरोजगारों की उपेक्षा न करें। कुशल, अर्द्ध कुशल, अशिक्षित और अल्प रोजगार सहित उनकी संख्या बीस करोड़ से अधिक है। वे मर रहे हैं, वे सड़कों, फुटपाथों पर रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप ऐसे निर्धन लोगों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कैसे कर सकते हैं? उनकी देख रेख के लिए कोई नहीं है। धनी व्यक्ति अपनी धन सम्पत्ति से सुख भोग रहे हैं; वे पांच सितारा होटलों में ऐश कर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं है। हम ऐसे लोगों की सहायता करना चाहते हैं। पर्यटक संवर्द्धन के लिए लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं और केबिनेट द्वारा 32,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा चुकी है। हम इन सभी बातों को कागजों पर ही देखते हैं।

यहां प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं बोफोर्स घोटाले के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो केवल 64 करोड़ रुपये का घोटाला था। परन्तु 6000 करोड़ रुपये के घोटाले का क्या हुआ? कोई भी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बारे में नहीं बोल रहा है, उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। वर्ष 1976 में दिए गए श्रीमती गांधी के "गर्भ कोश के नारे" का क्या हुआ? उन्होंने इसे साठ फुट गहरा दबा दिया था। श्री जार्ज, मैं समझता हूं कि आपको यह "गर्भ कोश का नारा" याद होगा। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट 60 फुट गहरी दबा दी गई है। उसकी किसको चिन्ता है? क्या इन मुद्दों पर सरकार की ओर से किसी को चिंता है? यदि आप धन एकत्रित करना चाहते हैं तो एकत्रित कीजिए। परन्तु किसी सीमा तक? क्या यह एक पीढ़ी अथवा दो पीढ़ी या तीन पीढ़ियों के

लिए होगा? क्यों, किस लिए? आपका अपना भाई सड़क पर मर रहा है। इसलिए हम अपने दिलों को देखें। मैं सत्ता पक्ष के अन्दर किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

वास्तव में मैंने राजनीतिक पेंशन के बारे में एक पत्र लिखा था। प्रतिदिन समाचार पत्रों के वाचक अंक में वे हम पर यह कह कर प्रहार करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हम लोग केवल इन राजनैतिक पेंशन और ऐसी सभी बातों के लिए ही हैं। 39 वर्षों तक विधान सभा के सदस्य होने के नाते में मैं 2000 रुपये की राजनैतिक पेंशन का हकदार हूं। परन्तु मैंने इसे आज तक नहीं लिया है क्योंकि मुझे अपनी स्थिति के बारे में जानकारी है। पूरा कर्नाटक शंकरानन्द जी की स्थिति को और देवगौड़ा की स्थिति को भी जानता है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि क्या हमारे पास ऐसा हृदय है, जो समाज के इन गरीब वर्गों के बारे में सोचता समझता है। लोग मुम्बई जैसे महानगरों में पानी के पाइपों में रहते हैं, केवल गंदी बस्तियों में ही नहीं, अपितु पाइपों में रहते हैं और हम नयी आर्थिक नीति के पश्चात इस देश में शहद और दूध की बात करते हैं। इसलिए मैं इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वह इस तथाकथित 'आर्थिक सुधारों के रूप में इन मूलभूत परिवर्तनों के रूप में और इस नयी औद्योगिक नीति के रूप में गरीब लोगों की उपेक्षा न करें।

आप प्रौद्योगिकी के आयात की बात करते हैं। आप विदेशी पूंजी की बात कर सकते हैं आप किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का आयात कर सकते हैं? उनकी प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अलग है और यह हमारे देश के अनुकूल नहीं होगी। कृपया इसे ध्यान में रखें। हमारी प्रौद्योगिकी पूरी तरह भिन्न है, इस देश में जनशक्ति इतनी अधिक है कि अपने देश की वर्तमान स्थिति में आप इस प्रौद्योगिकी को स्वीकार नहीं कर सकते। वहां पूंजी उन्मुखी प्रौद्योगिकी है और हमारी जनशक्ति उन्मुखी प्रौद्योगिकी है। आप वास्तविकता से हट नहीं जा सकते और लोगों को विश्वास में नहीं ले सकते। आप लोगों को कुछ दिन के लिए मूर्ख बना सकते, लेकिन हर समय के लिए नहीं।

मैं प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगा– उनकी बुद्धिमता या कुशलता कुछ भी हो, वे गठजोड़ द्वारा बहुमत हासिल करके अगले $2\frac{1}{2}$ वर्षों के लिए सरकार चलाने में समर्थ हो सकते हैं। मुझे उनकी उपलब्धि पर कोई ईर्ष्या नहीं है। कुछ क्षेत्रों के आबंटन में 60%, 40% तथा 20% की वृद्धि बताई गई है, जो कि भ्रान्ति पैदा करने वाली है। आपने कहा था कि बागवानी के क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 160 करोड़ रुपये के आबंटन को बढ़ाकर 180 करोड़ रुपये किया गया है और यह वृद्धि 40% प्रतिशत है। आप यह सब बातें न कहिए क्योंकि यह धनराशि बहुत कम है।

मैं आपको इस बात के लिए चेतावनी देना चाहता हूं कि कृपया आप इन ज्वलन्त समस्याओं पर ध्यान दीजिए, जो इस समय देश और गरीब लोगों के समक्ष हैं अन्यथा देश में रक्तपात हो जाएगा। मैं किसी को उत्तेजित नहीं कर रहा हूं। लेकिन प्रत्येक राज्य, प्रत्येक गली, प्रत्येक गांव में रक्तपात होगा और जीवित रहने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि भूखे पेट को सही-गलत कुछ भी नहीं सूझता है। आप इस सदन की मर्यादा के बारे में न्यायपालिका के सम्मान के बारे में तथा अन्य संस्थान जो हमारे पूर्वजों द्वारा बनाये गये हैं के सम्मान के बारें में बात कर सकते हो। लेकिन वे

[श्री एच० डी० देवगौड़ा]

इन बातों की परवाह नहीं करते। कृपया अपनी जिम्मेदारी को समझिये और लोगों की आशाओं को पूरा करने का प्रयास कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सूची में अगले वक्ता डा० पवार हैं। लेकिन हमारे दो मित्र नमाज के लिए जाना चाहते हैं। क्या आप उनके साथ समायोजन करेंगे ?

डा० वसंत पवार (नासिक) : मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : हमने कल अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया था कि हमें आज थोड़ा जल्दी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे कि हम रमजान की नमाज अदा कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया था। सदन को भी मालूम है कि जब इस प्रकार के अनुरोध किये जाते हैं, तो उन सदस्यों के साथ समायोजन किया जाता है।

डा० वसंत पवार : ठीक है, वह पहले बोल सकते हैं; कोई बात नहीं है।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, राष्ट्रपति ने पिछले माह की 21 तारीख को अपने अभिभाषण में देश में व्याप्त स्थिति का बहुत अच्छा चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। लेकिन मुझे डर है कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों, बढ़ती हुई बेरोजगारी, श्रमिकों की छंटनी, बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति; सभी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, कश्मीर की बिगड़ती स्थिति, अयोध्या–बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों ने लोगों को कठिनाई में डाला है, यह सब मुद्दे हमारे सामने होते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि सब क्षेत्रों में निरन्तर प्रगति हो रही है और स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

3.00 म०प०

आवश्यक वस्तुओं जैसे चावल, गेहूं, चीनी के मूल्य तथा अन्य वस्तुओं जैसे गैस सिलेण्डर, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सरकार को 60,000 करोड़ रुपये का फायदा होगा। राष्ट्रपति अभिभाषण में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये सब बजट प्रस्तुत करने से पहले किया गया था। इस मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? हम सब भली प्रकार जान सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बेहताशा वृद्धि होने से गरीब लोगों की कमर टूट गई है। इसकी तीखी आलोचना की गई है और लोगों को इस कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है मुझे डर है कि यदि वस्तुओं के मूल्य इस तरह लगातार बढ़ते रहे तो देश के विभिन्न भागों में भुखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या और अधिक हो जायेगी और यह अत्यन्त दुखद स्थिति होगी।

महोदय, अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण से पृष्ठ संख्या 1, पैरा 4 को उद्धृत करता हूं :

> "पिछले वर्ष लगभग इसी समय राष्ट्रीय परिदृश्य पर अयोध्या मसले की छाया रही। विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों के संभावित असर को लेकर लोगों में गहरी चिंता व्याप्त थी। देश वासियों में व्याप्त बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को ही यह श्रेय प्राप्त है कि तरह-तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थीं, वे सब गलत साबित हुईं। वातावरण में पर्याप्त सुधार आया है और हम इस विवाद के स्थायी सपाधान की आशा कर सकते हैं। संविधान के अन्तर्गत यह मामला उच्चतम न्यायालय को सौंपा गया है, और इस न्यायालय द्वारा उस पर कार्यवाही की जा रही है। उच्चतम न्यायालय की राय को ध्यान में रखते हुए सरकार समुचित उपाय करेगी।"

एक बात बिल्कुल स्पष्ट है। जब राष्ट्रपति ने अयोध्या मामले के बारे में, बाबरी मस्जिद, रामजन्म भूमि के बारे में ऐसा जो कहा है, वह वास्तविकता से बहुत दूर है; और आप यह नहीं कह सकते कि आज लोग मंदिर का अधिग्रहण करने से संतुष्ट हो गए हैं और विशेषतया राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, उच्चतम न्यायालय को दिये गये हवाले से संतुष्ट हो गये हैं; नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबरी मस्जिद जैसे नाजुक और जटिल मामले को सुलझाने में इस देश की सरकार द्वारा लिये गये उपायों से वे बिल्कुल असंतुष्ट हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि जब यह प्रस्ताव लाया गया था और जब संसद ने इस अधिनियम का रूप दिया था। तब से हम प्रधान मंत्री से लगातार इस पर बहस करते हैं कि इसका अधिग्रहण और संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन इस मामले को उच्चतम न्यायालय को भेजना इस तथ्य को देश के न तो अल्प संख्यकों को स्वीकार्य होगा और न ही देश के अच्छे नागरिकों को विशेषतया धर्म निरपेक्ष विचारों वाले लोगों को यह बात स्वीकार्य होगी।

मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख और आक्रोश हो रहा है कि केन्द्रीय सरकार ने अयोध्या मामले को, राम भूमि बाबरी मस्जिद मामले को बड़े ही घटिया ढंग से, बड़े ही गैर-जिम्मेदाराना ढंग से निपटाने का प्रयत्न किया है, इस मामले पर सरकार का ढुलमुल पूर्ण रवैया रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की देशद्रोही ताकतों के साथ मिलीभगत रही है। मुझे विश्वास है कि देशद्रोही ताकतों के साथ केन्द्रीय सरकार की मिली भगत के बिना बाबरी मस्जिद किसी भी हालत में नहीं गिरायी जा सकती थी। केन्द्र सरकार के पास सभी शक्तियां थीं, जबकि दूसरों के पास शक्तियां नहीं थीं, वे इन ताकतों के साथ मिल गये थे, यह देखने के लिए कि बाबरी मस्जिद गिरा दी जाए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि शुरू से ही इस समस्या का समाधान करने के लिए मैत्रीपूर्ण समाधान ढूंढ़ने के लिए केन्द्र सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा है और उसके सभी प्रयास इस मामले को पेचीदा बनाने में लगे रहे हैं। वर्ष 1949 से 1992 तक केन्द्रीय सरकार ने सभी प्रयास इस मामले को पेचीदा बनाने के लिए किए हैं।

मूर्तियां बाबरी मस्जिद में 22-23 दिसम्बर 1949 की रात को ही रख दी गयी थीं। उस समय समस्त अधिकारों के साथ पण्डित जवाहरलाल नेहरू इस मामले के नियंत्रक थे। पण्डित जवाहरलाल नेहरू स्वतन्त्र भारत के सबसे अधिक प्रभावशाली प्रधान मंत्री थे। उस समय उत्तर प्रदेश

[श्री इब्राहिम सुलेमान सेट]

में उनका शासन था और उन्हें अत्यधिक अधिकार प्राप्त थे फिर भी वे उन मूर्तियों को जिन्हें शरारती तत्वों ने चोरी छिपे मध्य रात्रि को वहां रख दिया था, नहीं हटा पाये। वास्तव में यह उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया गया शपथ पत्र था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि मूर्तियां मध्य रात्रि को शरारती तत्वों द्वारा चोरी छिपे और गलत तरीके से मस्जिद में रख दी गयी थीं। परन्तु कुछ नहीं किया जा सका था। इस बात को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? मस्जिद का द्वार किसने खोला? मस्जिद खोलने के लिए जिम्मेदार कौन था? आप इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि जब 1 फरवरी 1986 को ताला खोला गया था, तो इसमें केन्द्र सरकार का भी हाथ था। फिर पुनः शिलान्यास के लिए कौन उत्तरदायी था? शिलान्यास 1989 में श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में किया गया था। शिलान्यास के लिए कौन उत्तरदायी था? इससे वास्तव में सम्पूर्ण मामला तथा देश में वातावरण ही बिगड़ गया है। यही कारण था कि उन्हें इतनी बड़ी असफलता हाथ लगी।

3.06 म०प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं)

फिर, 6 दिसम्बर 1992, देश के इतिहास का सर्वाधिक अंधकारमय दिवस को क्या हुआ? उस दिन बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था। यह भी केन्द्र सरकार की मौनानुमति से हुआ। मैं ऐसा इस कारण से कहता हूं कि राष्ट्रीय एकता परिषद 27 नवम्बर 1992 को माननीय प्रधानमंत्री जी को बाबरी मस्जिद को बचाने हेतु कुछ भी करने का अधिकार दे दिया था। फिर संसद द्वारा भी उन्हें बाबरी मस्जिद को बचाने हेतु अधिकार दिये गये थे। उच्चतम न्यायालय के बारे में क्या कहा जाए? उच्चतम न्यायालय ने सिर्फ सांकेतिक का सेवा की अनुमति दी थी। इसमें यह निर्देश दिया है कि किसी भी चीज न तो ध्वंस किया जाए और न ही किसी चीज का बिर्माण किया जाए तथा यथा स्थिति बरकरार रखी जाए। यथा स्थिति किसे बरकरार रखनी चाहिए? यह कार्य केन्द्र सरकार करेगी। वहां जब 6 दिसम्बर को लाखों कार सेवक एकत्र हो रहे थे तो वे सिर्फ स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। उन्होंने वहां कार सेवकों को एकत्र होने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यह आपकी जिम्मेदारी थी। फिर क्या हुआ?

इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का पुनीत संविधान मौजूद है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत वे कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर सकते थे। सेना वहां है परन्तु उन्होंने मस्जिद को बचाने हेतु सेना को वहां नहीं भेजा। कुछ भी नहीं किया गया था। यह दुविधा तथा निष्क्रियता के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया। परन्तु कब? उन्हें बाबरी मस्जिद ढा देने के पश्चात् बर्खास्त किया गया था। 4.30 म०प० पर बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया था और 6.30 म०प० पर कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। यह एक मजाक है। वास्तव में यह एक मजाक है कि बाबरी मस्जिद को गिराये जाने के पश्चात्

कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त किया गया था। बाद में जो घटनायें घटीं हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अतः बाबरी मस्जिद गिराये जाने के लिए मैं केन्द्र सरकार को उत्तरदायी मानता हूं। मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जिद गिराये जाने के लिए श्री नरसिंह राव जी उत्तरदायी थे और वे इस उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते हैं। अतः मैं यह कहता हूं कि इस मामले को बहुत ही बुरे तरीके से निपटा गया है और इस कारण ही ये सभी घटनायें हो रही हैं।

बाबरी मस्जिद गिराये जाने से पूर्व हमें खतरा महसूस हुआ था। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से दो नहीं बल्कि तीन बार मिले और उनसे मस्जिद को बचाने का अनुरोध किया। वे इसमें बुरी तरह से असफल रहे। फिर पुनः, आज आप इस बात से मुकर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपने वायदा नहीं किया है। यहां दूसरे दिन माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कोई वायदा नहीं किया है। यह बात गलत है। हम 35 सम्माननीय व्यक्ति या भारत के नेतागण उनसे मिले थे। विद्वान, संसद के सदस्यगण, नेतागण कहां उपस्थित थे। मैं वहां था। श्री ओवेसी वहां मौजूद थे। पत्रकार वहां मौजूद थे। 6 दिसम्बर 1992 की दुर्भाग्यपूर्ण रात को माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमारे समक्ष कहा कि उसी स्थल पर पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जायेगा। उन्होंने यह आश्वासन दिया था। यह बात दूरदर्शन पर भी दोहरायी गयी थी। सम्पूर्ण विश्व ने यह बात दूरदर्शन पर देखी सुनी, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जायेगा। अब वे अपनी बात से मुकर रहे हैं। वे इस प्रकार से शुरू से बाबरी मस्जिद के मामले को देख रहे हैं। उन्होंने मुद्दे को और उलझा दिया है और कुछ नहीं।

अब हम हमेशा से यह कहते रहे हैं कि किसी प्रकार का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। पूजा स्थल के लिए अधिग्रहण ने एक खराब पूर्वोदाहरण स्थापित कर दिया है। हम पूजा स्थल के अधिग्रहण के विरुद्ध हैं। यह भारतीय संविधान की भावना के विरुद्ध है यह देश के विधि के शासन के विरुद्ध है।

यह सभी बातें हुई थीं और मामला आज उच्चतम न्यायालय में है। हम संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत इसका उल्लेख करने का भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हम यह समझ सकते हैं कि जहां तक अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत इसका उल्लेख करने की बात है, वर्तमान स्थिति में इसका कोई अर्थ नहीं है। राष्ट्रपति महोदय ने राय देने हेतु इस मामले का उल्लेख किया है। यह उल्लेख भी अस्पष्ट है कि क्या बाबरी मस्जिद को गिराये जाने से पूर्व इस प्रकार की कोई इमारत थी। इसका कोई अर्थ नहीं है। यह एक अस्पष्ट उल्लेख है। यदि उच्चतम न्यायालय भी इस मामले को उठाता है और अपनी राय देता है तो यह सिर्फ परामर्शपूर्ण विचार होगा। यह आदेशात्मक नहीं हो सकता है। अतः यह मुद्दे को सुलझा नहीं सकता है। आज सम्पूर्ण मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। यह तर्क किया जा रहा है कि अधिग्रहण उचित है या नहीं। आज उच्चतम न्यायालय में यह चर्चा की जा रही है कि क्या अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उल्लेख किया जा सकता है अथवा नहीं। अनुच्छेद 143 के

[श्री इब्राहिम सुलेमान सेट]

अन्तर्गत दिये गये इस उल्लेख की सुनवाई प्रारम्भ करने में उच्चतम न्यायालय को 15 महीने लग गये हैं। हमें बताया गया : "हमने अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत मामला उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया है। अतः हम शीघ्र ही निर्णय लेंगे।" यह बात यहां कही गयी थी। हमने संविधान के अनुच्छेद 138 (2) का समर्थन किया।

यह मामला सौंप दिया गया है। यह बात दिसम्बर 1993 में माननीय प्रधान मंत्री जी ने हमसे कही थी। इसमें 40-45 वर्ष लगेंगे। यह सिर्फ एक मजाक है। यदि सरकार ईमानदार है तो सभी मामलों पर एक साथ विचार किया जा सकता है 1 अनुच्छेद 138 (2) के अन्तर्गत यह मामला उच्चतम न्यायालय को सौपा जा सकता है। फिर हम इस उद्देश्य हेतु एक विशेष पीठ का गठन कर सकते हैं। इसमें दिन प्रति दिन सुनवाई की जा सकती है और यह मामला निपटाया जा सकता है। आपको एक या दो वर्ष में निर्णय मिल सकता है। यह संभव है। यह मामला निपटाया जा सकता है। यह बात सभी को स्वीकार्य है। यदि संघटित मामला उच्चतम न्यायालय को सौंपा जाता है और यदि उच्चतम न्यायालय सभी दलितों को सुनने तथा गवाहों के बयान लेने के पश्चात् निर्णय देता है तो यह हमें स्वीकार करना होगा। इससे मामला निपट जायेगा। परन्तु नहीं। उन्होंने पूरे मामले को अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत किया है। इससे मामला बिल्कुल ही नहीं निपट पायेगा।

मुझे यह कहना चाहिए देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने तथा केन्द्र सरकार ने इस मामले को पेचीदा बना दिया था। वे अपने वायदों से मुकर गये। उन्होंने मस्जिद की रक्षा का वचन दिया था परन्तु वे मस्जिद की रक्षा करने में असफल रहे। फिर उन्होंने उसी स्थान पर जहां मस्जिद था, मस्जिद बनवाने का वायदा किया था। परन्तु वे असफल रहे। अतः मैं यह चाहता हूं कि शीघ्र ही यह अध्यादेश जो कानून बन जायेगा, निरस्त कर दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि इस अधिग्रहण को निरस्त कर दिया जाये जिसके द्वारा ये सभी मामले उठ खड़े होंगे। सभी मामलों को संघटित कर देना चाहिए और अनुच्छेद 138 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय को सौंप दिया जाना चाहिए। अतः मैं यह चाहता हूं कि अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उल्लेख किये जाने की बात शीघ्र ही वापस ले लेनी चाहिए क्योंकि इससे मुद्दे का समाधान नहीं होगा।

यदि आप मामले का उल्लेख 138 के अन्तर्गत करने जा रहे हैं तो मुद्दे के निपटारे का एक और अवसर मिलेगा। अन्यथा जब तक भारत सरकार इस मामले में उचित कदम नहीं उठाती है, इसके समाधान की कोई आशा नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार यथार्थ तो समझे तथा इस पेचीदा मुद्दे के समाधान हेतु इस मामले में एक उचित निर्णय ले।

केरल सरकार के हमारे साथियों ने कहा कि वे संघर्ष करेंगे। केरल विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया है कि इस पैकेज में संशोधन किया जाना चाहिए और अधिग्रहण नहीं किया जाना

चाहिए। यह सिर्फ जनता के उपयोग हेतु है। सरकार में हमारे साथी हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक बहाना है। वे अनुच्छेद 143 का तथा अधिग्रहण का विरोध करते हैं, परन्तु आज वे उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत इसका उल्लेख करने का समर्थन करते हैं। बाहर वे इसके विरुद्ध हैं। यह एक प्रकार का मजाक है। यह एक प्रकार का राजनीतिक कपट है। ऐसी बात हो रही है। यह बात उजागर की जानी चाहिए ताकि लोग इसे समझ सकें।

पृष्ठ 9, पैरा 36 में माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है :

> "भारत सरकार की सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का स्वप्न 8 सितम्बर 1993 को साकार हुआ। जब सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए आदेश जारी किया। इसके साथ ही देश की पिछड़ी जातियों के लोगों का एक बहुत बड़ा स्वप्न साकार हो सका है।"

मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को कार्यान्वित किया जा रहा है। महोदया मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों को सवर्ण जातियों द्वारा शादियों से इस देश में दबाया जाता रहा है। और यदि उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण आज दिया जा रहा है तो इसका स्वागत करना चाहिए। मैं मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन करता हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे केरल सरकार की तर्ज पर होना चाहिए। यहां, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि हम मुसलमानों के लिए भी पिछड़ी जाति के रूप में आरक्षण की मांग करते रहे हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात आती है, तो जाहिर है कि मुसलमान अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए उनका एक निर्धारित कोटा होना चाहिए। पिछड़ी जातियों को 28 प्रतिशत आरक्षण दे देना ही पर्याप्त नहीं होगा। मुसलमानों को या तो उस 27 प्रतिशत के प्रावधान के तहत या उसके बाहर एक निर्धारित कोटा मिलना चाहिए, जो पिछड़ी जातियों को मिल रहा है। अतः, देश भर के मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए एक कोटा निर्धारित होना चाहिए, जो कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ठीक तभी हम यह महसूस कर सकेंगे कि यहां न्याय प्रदान किया जाता है। अन्यथा, मुसलमानों को न्याय नहीं मिल सकेगा और इसे कोटे की जनसंख्या के आधार पर भरा जाना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से देश की स्थिति का सही जायजा नहीं मिल पाता। राष्ट्र में जो अन्याय हो रहा है, उसका जायजा इससे नहीं मिलता, खासकर बाबरी मस्जिद मुद्दे के संदर्भ में मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस विषय में तो कुछ भी पता नहीं चलता। अब मैं मांग करता हूं कि जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। सरकार को इन सच्चाइयों को समझना चाहिए और कदम उठाना चाहिए ताकि सभी अन्याय को दूर किया जा सके। देश में शांति और सौहार्द के वातावरण के लिए, इस जटिल समस्या और बाबरी मस्जिद का समाधान निकाल

[श्री इब्राहिम सुलेमान सेट]

लीजिए। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के कारण, सबसे पहले जो हताहत हुई थी वह थी धर्मनिरपेक्षता। आज, धर्मनिरपेक्षता तो एक ढोंग बन चुकी है और साम्प्रदायिक सौहार्द हताहत हुआ है। आज बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के कारण विश्व भर में हमारी छवि धूमिल हो चुकी है। अतः मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि वह सच्चाइयों को समझे और इस प्रकार हमारी जनसंख्या के सभी वर्गों को न्याय मिल सके। तभी साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण बन सकता है और तब हम कह सकते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र में वाकई में विश्वास रखता है।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : मोहतरम चेयरमैन साहिबा, सदर का एतबाद खुद गवर्नमेंट की पालिसी होती है। हम उसको पढ़ते हैं और यह समझते हैं कि जो बात सदर ने कही है, उसके ऊपर अमल होगा।

सदर ने अपने खुतबे में यह कहा कि माइनोरिटी फाइनेंस कारपोरेशन को 500 करोड़ रुपया दिया जायेगा, लेकिन जब बजट आता है, तो उसमें एक पैसा नजर नहीं आता तो आखिर सदर की जो यह तौहीन की जाती है, यह अजीबोगरीब है और इसका सिलसिला चला आ रहा है। आपको भी याद होगा कि सदर ने अपने खुतबे में बरनाला साहब की बड़ी तारीफ की थी, लेकिन एक बरस भी नहीं गुजरा कि उनको पंजाब से हटा दिया गया तो यह तजाद नहीं होना चाहिए कि आखिर जब एक बात सदर कह रहे हैं तो उसको पूरा होना चाहिए।

इसी तरीके से सदर ने अपने खुतबे के अन्दर कश्मीर के ताल्लुक से बड़ी तफसील से जिक्र किया। यकीनन, लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि कश्मीर एक मुस्लिम अक्सीरियल की रियासत है, लेकिन आप बताइये कि यहां कितना फर्क किया जाता है कि एक तरफ तो कश्मीर के जो पंडित आते हैं, उनके लिए कैम्प्स कायम किये गये हैं, उनको 1000 रुपये और 1500 रुपये तनख्वाहें मुकर्रर की गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद हैदराबाद का मैं नाम लेकर कहूंगा कि हैदराबाद के अन्दर 150 फैमलीज एक खुली जमीन पर पड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई वजीफा नहीं। उनके लिए रहने के लिए कोई झोंपड़ी नहीं, उनके लिए कोई सहूलियत नहीं। हत्ता कि वे भीख मांगते हैं, अगर उनको कोई तरस खा कर खाना देता है तो पुलिस उनको गिरफ्तार करती है कि तुमने उनको खाना क्यों दिया। यह मल्लापल्ली हैदराबाद के इलाके का एक वाकया है जो पूरे अखबारात में वहां पर आया है। जब दूसरी तरफ पुलिस यह कहती है कि तुम फोटो खिंचाओ तो वे बेचारे कश्मीरी मुसलमान कहते हैं कि अगर हमारी फोटो खींच दी जाएगी, अगर टेरेरिस्टों को यह मालूम होगा कि वहां हमको जाना है तो हमको मार डालेंगे। तो आप बताइये कि आखिर आप इस तरह का भेदभाव क्यों रखते है? आप हरेक के साथ मसावियान सलूक कीजिए, इन लोगों के साथ मसावियान सलूक नहीं है।

महोदय, हमारे पास खुद वहां के कश्मीर के कई लड़के हैदराबाद आए कि साहब, आपके मेडीकल कॉलेज में दाखिला दीजिए, इन्जीनियरिंग में दाखिला दीजिए। यहां गैर मुसलमानों को तो दिल्ली के कॉलेजों में दाखिला दिया गया, लेकिन मुसलमान कश्मीरियों को एक को भी दाखिला नहीं और जब मुझ से उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि मैं लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हम एक प्राइवेट मेडीकल कॉलेज चलाते हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में एजूकेशन एक्ट है वहां भी आपकी गवर्नमेंट है। मैंने कहा कि मैं 50 लड़कों को लेने को तैयार हूं, आप एक्ट में थोड़ा तरमीम कीजिए लेकिन वह आप करना नहीं चाहते। हां, आपकी गवर्नमेंट और फिर आप बताइये कि वहां के लोगों के दिल पर क्या गुजरती होगी कि हमारे साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। अभी मैं दो बजे अपने घर 34, अशोक रोड से आ रहा था, वहां दो मुसलमान औरतें मेरे घर पर आई थीं कि हम भूखे हैं, हमें कुछ दीजिए। हमारा कोई सहारा नहीं है, तो क्या उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता। फिर टाडा के तहत हैदराबाद में आठ सौ मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और गैर कानूनी तौर पर उनको 8-8 दिन तक रखा गया और उन पर मार-पीट की गई। हत्ता कि उनकी टांग के अंदर करेंट दिया गया। वायर लगाए गए, शॉट दिया गया और 8 दिन के बाद छोड़ा गया है। उनके फोटो पूरे अखबारात के अंदर आए कि इस तरीके का जुल्म हुआ।

महोदय, होम मिनिस्टर साहब यहां अभी नहीं हैं। वे भी खुद हैदराबाद आए थे, तो आखिर ये सब कुछ क्या है? हर जगह पूरे राजस्थान, बम्बई, गुजरात, सभी जगह पर आज टाडा के तहत आप लोगों को पकड़ कर डालते हैं। अगर वे मुल्क से गद्दारी करते हैं तो हम ताइद नहीं करते, आप उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाइए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक-एक, डेढ़-डेढ़ वर्ष तक एक-एक आदमी को गिरफ्तार करके रखें। आज हैदराबाद में दो लड़कियां 16-17 वर्ष की हैं, वे वहां इंटरमीडिएट में पढ़ती थीं उनको तक गिरफ्तार करके डेढ़ वर्ष तक जेल में रखा। उनकी मां गिरफ्तार है। क्या आपको उनके ऊपर भी कोई हमदर्दी का इज़हार नहीं। अगर वाकई ये हैं तो आप अदालत में उनको पेश कीजिए और कानून के हवाले कीजिए। लेकिन आप कानून के हवाले नहीं करना चाहते और फिर लोगों को लाया जाता है, उनको मारा-पीटा जाता है। पेपर में आया कि हर हैदराबाद के अंदर 6 जौन पुलिस के हैं। हर जौन के ऊपर एक टास्क फोर्स लोगों को पकड़ कर लाती है। पांच हजार, दस हजार, पचास हजार, नाम तक लेकर पेपर में लिखे गए। लोगों के मकानात तक अपने नाम पर करवा लिए। आखिर, यह इतना ज्यादा जो जुल्म बढ़ रहा है, इनका कोई तो मुकाबला करेगा ही। आप इस तरीके से दबा नहीं सकेंगे और आप खुद देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं इसके बाद भी अगर आप कोई हल निकालना नहीं चाहते, जब कि पूरे पार्लियामेंट के अंदर यह मामला आता है, असेम्बलियों में आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा मालूम होता है कि यह असेम्बली और पार्लियामेंट एक सालाना चादरा है या उर्स है जहां हम आकर फूल चढ़ा देते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। जब डेमोक्रेसी के ऊपर से एतमाद खत्म हो जाएगा तो आप जानते हैं कि मुल्क के अन्दर क्या हालात होंगे। आखिर कब तक यह बरदाश्त किया जाएगा।

[श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी]

हम माइनारिटीज कालेज चलाते हैं, जिनमें हम सरकार से कुछ नहीं लेते। इसके बाद हमसे कहा जाता है कि आप 50 परसेंट नान माइनारिटी कम्युनिटी के लोगों को लेने को तैयार हैं, लेकिन आप सरकारी कालेजेज में 25 परसेंट हमारे लोगों को स्थान दे दीजिए। वहां पर देने के लिए तैयार नहीं हैं, उल्टा हमसे मांगा जाता है। दस्तूर के अंदर आर्टीकल 30 (ए) रखा गया है, तो क्या वह दस्तूर-दस्तूर के अंदर बंद रहेगा, क्या वह हमारे लिए नहीं है। यदि माइनारिटीज के लिए कुछ दस्तूर हैं तो ह्यूमन रेसोर्सेस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर इसकी वजाहत करें, कि आखिर यह क्या है। 9 जजेज ने माइनारिटीज के लिए फैसला दिया, लेकिन उसके बावजूद यह होता है और वहां पर होता है जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं। यह कब तक होगा। हमारे लोग पसमांदा हैं, उनके लिए कालेजेज नहीं हैं, नौकरियां नहीं हैं, अपने कालेजेज बनाकर चलाते हैं, तो वहां पर भी परेशान करते हैं। जुल्म की कोई इंतहा होती है।

न हमारे लिए कोई अदालत है, न कानून है। बाबरी मस्जिद के मामले में नेशनल इंटीग्रेशन कौंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट ने आपको अधिकार दे दिए, लेकिन इसके बावजूद मस्जिद ढहा दी गई। इसके बाद एक नया जुल्म हम पर किया गया कि हमसे अदालती चाराजोई का हक भी छीन लिया गया, हम अदालत में नहीं जा सकते। पिछला मुकदमा वापिस ले लिया गया। जमीन अक्वायर कर के आर्टीकल 143 के रेफरेंस के लिए जा रहे हैं आज लोग चांद पर जा रहे हैं और आप जमीन के नीचे देखने जा रहे हैं कि वहां पर 1000 वर्ष पहले कुछ था या नहीं था। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हमने कह दिया कि अदालत जो फैसला करेगी, चाहे हमारे खिलाफ करे, हम उसको मानेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों प्राइम-मिनिस्टर साहब डर गए और आर्टीकल 143 के रेफरेंस के लिए जा रहे हैं। कोर्ट में मुकदमा चलता, जो भी फैसला होता, उसको हम कुबूल करते, लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से सेकुलरिज्म नहीं आ जाया करता, सेकुलरिज्म लाने के लिए हमारी गवाही चाहिए। यहां की जो अक्लियत है, मुसलमान हैं, वह बोलेगा, तब यहां पर सेकुलरिज्म होगा। लेकिन यहां पर तो हर चीज हमसे छीनी जा रही है, हर चीज के मामले में हमारे साथ मजाक किया जा रहा है।

इसी तरह से रिजर्वेशन का मामला है। हैदराबाद में म्युनिसपल कार्पोरेशन में हम 5 वर्षों तक रूलिंग पार्टी में रहे हैं। अब वहां 33 परसेंट महिलाओं के लिए आरक्षण, बाकी और लोगों के लिए आरक्षण, तो हम लोग कहां जाएंगे। आप हमारे लिए भी आरक्षण कर दीजिए। नौकरियों में, विधान-सभाओं में, पार्लियामेंट में, सब जगह हमारे लिए भी रिजर्वेशन कर दीजिए। . . . (व्यवधान) . . .

आपने घंटी बजा दी है, हम जानते हैं कि यहां पर बोलने से कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन हमको अपने दिल का बुखार तो उतार लेने दीजिए। लेकिन आप तो उसके लिए भी इजाजत नहीं दे रहे हैं। जैसे इकबाल ने कहा है–

यह दस्तूर-ए-जुबांबंदी, कैसा है तेरी महफिल में,

यहां तो बात करने को तरसती हर जुबां मेरी।

यहां तो बात करना भी मुश्किल हो रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : मैंने आपको रोका नहीं।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवसी : अब मैं क्या जवाब दे सकता हूं, आप बताइए? हरेक अपना-अपना मसायल रखता है। अगर मैं रोता रहा हूं और आपको अच्छा नहीं दिखता है और आप बोल देंगे तो खामोश हो जाएंगे। आखिर मैं कहता हूं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है और यह गलत है तो उठकर कह दें कि यह गलत है। मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि आप जाकर देखिए कि हमारे मुस्लिम मौहल्लों में किसी किस्म की सहूलियत नहीं है, न ड्रेनेज है और न पीने का पानी है। जब हम दिल्ली को देखते हैं तो अशोक होटल या अकबर होटल जाएंगे तो 300 एकड़ के ऊपर हरियाली का लान है, यह हमारा माशूकाना सोशलिज्म है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लेकिन हमको पीने का पानी नहीं है। लोग कहते हैं कि हम इनसान की बजाय हरियाली का पौधा हो जाते तो कम से कम पीने का पानी तो मिल जाता। हम पीने के पानी के लिए तरसते हैं तो भी पानी नहीं है। आप जामा-मस्जिद के पास जाकर देखें कि क्या हालत है? हैदराबाद या जहां हिन्दुस्तान के हर शहर में मुस्लिम आबादी है तो वहां क्या हालत है? वहां किसी किस्म की तवज्जुह नहीं है, वहां उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है वहां नए-नए कवानीन या नए-नए जीओ लाए जाते हैं। हमसे कहा जाता है कि अगर गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो वे प्राइमरी या हाई-स्कूल चला रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ें और उनको रोजगार मिले। आन्ध्रा की सरकार कहती है कि तीस एकड़ जमीन होनी चाहिए तो हमने कहा कि हम पैसा दे देंगे तो हमें दे दो। आखिर क्या चाहते हैं? क्या हम डेमोक्रेसी का रास्ता छोड़ दें, यह कब तक होता रहेगा। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। यह जानिए कि मरता तो क्या नहीं करता। उस मुकाम पर लाकर मत छोड़िए नहीं तो यह मुल्क के लिए खतरा होगा। आखिर यह जुल्मो-सितम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। इसकी कोई हद होती है। टाडा के तहत या किसी चीज के तहत जुल्म किया जाता है। हम दो 18-20 करोड़ लोगों के नुमाइन्दे हैं फिर भी हमारे लिए दो मिनट का वक्त नहीं निकल सकता। मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूं कि कुछ नागवारी है और कुछ खुशी भी है फिर भी मुझे आपके एहसास का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मोअजिज मोहतरमा हैं इसलिए मैं वक्त से पहले खत्म करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बोलने को मौका दिया।

جناب سلطان صلاح الدین اویسی (حیدرآباد) محترمہ چیئرمین صاحبہ ، صدر کا خطبہ خود گورنمینٹ کی پالیسی ہوتی ہے ۔ ہم ان کو پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات صدر نے کہی ہے ، اس کے اوپر عمل ہوگا ۔

صدر نے اپنے خطبہ میں یہ کہا کہ مائنوریٹی فائنس کارپوریشن کو پانچ سو کروڑ روپیہ دیا جائے گا ۔ لیکن جب بجٹ آتا ہے ۔ تو اس میں ایک پیسہ نظر نہیں آتا تو آخر صدر کی جو یہ توہین کی جاتی ہے یہ عجیب و غریب ہے اور اس کا سلسلہ چلا آرہا ہے ۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ صدر نے اپنے خطبہ میں برنالہ صاحب کی بڑی تعریف کی تھی لیکن ایک ہوس بھی نہیں گذرا کہ آپ کو پنجاب سے ہٹا دیا گیا تو یہ تضاد نہیں ہونا چاہئے کہ آخر جب ایک بات صدر کہہ رہے ہیں تو اس کو پورا ہونا چاہئے ۔

اس طریقے سے صدر نے اپنے خطبہ کے اندر کشمیر کے تعلق سے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ، یقیناً ۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیر ایک مسلم اکثریت کی ریاست ہے لیکن آپ بتائیے کہ یہاں کتنا فرق کیا جاتا ہے کہ ایک طرف تو کشمیر کے جو پنڈت آتے ہیں ان کے لئے کیمپس قائم کئے گئے ہیں ان کو ایک ہزار روپئے اور پندرہ سو روپئے تنخواہیں مقرر کی گئی ہیں لیکن دوسری طرف خود حیدرآباد میں نام لے کر کہوں گا کہ حیدرآباد کے اندر ایک سو پچاس فیملیز ایک کھلی زمین پر پڑی ہوئی ہیں ان کے لئے کوئی وظیفہ نہیں ۔ ان کے رہنے کے لئے کوئی جھونپڑی نہیں ان کے لئے کوئی سہولت نہیں ۔ حتی کہ وہ بھیک مانگتے ہیں اگر دن کو کوئی ترس کھا کر کھانا دیتا ہے تو پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے کہ تم نے ان کو کھانا کیوں دیا یہ ملاپلی حیدرآباد کے علاقے کا ایک واقعہ ہے جو پورے اخبارات میں وہاں پر آیا ہے ۔ جب دوسری طرف پولیس یہ کہتی ہے کہ تم فوٹو کھنچاؤ تو وہ بے چارے کشمیری مسلمان کہتے ہیں کہ اگر ہماری فوٹو کھینچ دی جائے گی ۔ اگر تیراسٹوں کو یہ معلوم ہوگا کہ وہاں ہم کو جانا ہے تو وہ ہم کو مار ڈالیں گے ۔ تو آپ بتائیے کہ آخر اس طرح کا بھید بھاؤ کیوں رکھتے ہیں ؟ آپ ہر ایک کے ساتھ مساویانہ سلوک کیجئے ان لوگوں کے ساتھ مساویانہ سلوک نہیں ہے ۔

محترم ! ہمارے پاس خود وہاں کے کشمیر کے کئی لڑکے حیدرآباد آئے کہ صاحب آپ اپنے

میڈیکل کالج میں داخلہ دیجئے ۔انجینئرنگ میں داخلہ دیجئے ۔یہاں غیر مسلموں کو تو دلی کے کالجوں میں داخلہ دیا گیا لیکن مسلمان کشمیریوں کو ایک کو بھی داخلہ نہیں اور جب مجھ سے انھوں نے کہا تو میں نے کہا کہ میں کہنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ ہم ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج چلاتے ہیں ۔لیکن آندھرا پردیش میں ایجوکیشن ایکٹ ہے وہاں بھی آپ کی گورنمینٹ ہے ۔میں نے کہا کہ میں لڑکوں کو لینے کو تیار ہوں آپ ایکٹ میں تھوڑا ترمیم کیجئے لیکن وہ آپ کرنا نہیں چاہتے ۔ہاں اگر آپ کی گورنمینٹ اور پھر آپ بتلایئے کہ وہاں کے لوگوں کے دل پر کیا گذرتی ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا جارہا ہے ۔ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہے ۔ابھی میں دو بجے اپنے گھر 34 اشوک روڈ سے آرہا تھا وہاں دو مسلمان عورتیں میرے گھر پر آئیں تھیں کہ ہم بھوکے ہیں ہمیں کچھ دیجئے ۔ہمارا کوئی سہار نہیں ہے تو کیا ان کے لئے کوئی انصاف نہیں ہے ؟ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا ۔پھر ٹاڈا کے تحت حیدرآباد میں آٹھ سو مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اور غیر قانونی طور پر ان کو آٹھ آٹھ دن تک رکھا گیا اور ان پر مار پیٹ کی گئی ۔حتیٰ کہ ان کی ٹانگ کے اندر کرنٹ دیا گیا ۔واٹر لگائے گئے شاٹ دیا گیا اور آٹھ دن کے بعد چھوڑا جاتا ہے ان کے فوٹو پورے اخبارات کے اندر آئے کہ اس طریقے کا ظلم ہوا ۔

محترم ہوم منسٹر صاحب یہاں بھی نہیں ہیں ۔وہ بھی خود حیدآباد آئے تھے ، تو آخر یہ سب کچھ کیا ہے ہر جگہ پورے راجستھان ،بمبئی گجرات سبھی جگہ پر آج ٹاڈا کے تحت آپ لوگوں کو پکڑ کر ڈالتے ہیں ، اگر وہ ملک کے غداری کرتے ہیں تو ہم تائید نہیں کرتے آپ ان کو پھانسی کے تحت چڑھایئے ۔لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ سال تک ایک ایک آدمی کو گرفتار کر کے رکھیں ۔آج حیدرآباد میں دو لڑکیاں سولہ سترہ سال کی ہیں وہ وہاں انٹرمیڈیٹ میں پڑھتی تھیں ان کو تک گرفتار کر کے ڈیڑھ سال تک جیل میں رکھا ۔ان کی ماں گرفتار ہے کیا آپ کو ان کے اوپر بھی کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں ۔اگر واقعی یہ ہیں تو آپ عدالت میں ان کو پیش کیجئے اور قانون کے حوالے کیجئے ۔لیکن آپ قانون کے حوالے نہیں کرنا چاہتے ۔اور پھر لوگوں کو لایا جاتا ہے ۔ان کو مارا پیٹا جاتا ہے ۔لیٹر میں آیا کہ حیدرآباد کے اندر چھ زون پولیس کے ہیں ہر زون کے وہ ہر ایک ٹاسک فورس لوگوں کو پکڑ کر لاتی ہے ۔پانچ ہزار دس ہزار پچاس ہزار نام تک لیکر لیٹر میں لکھے گئے ۔لوگوں کے مکانات تک اپنے نام پر کروالئے ۔آخر یہ اتنا زیادہ جو ظلم بڑھ رہا ہے ان کا کوئی تو مقابلہ کرے گا ہی ۔

آپ اس طریقے سے دبا نہیں سکیں گے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی حل نکالنا نہیں چاہتے بلکہ پورے پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ آتا ہے اسمبلیوں میں آرہا ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسمبلی اور پارلیمانی ایک سالانا چادر رہا ہے یا عرس ہے جہاں ہم آکر پھول چڑھا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوسکا

جب ڈیموکریسی کے اوپر سے اعتماد ختم ہوجائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ ملک کے اندر کیا حالات ہوں گے۔ آخر کب تک یہ برداشت کیا جائے گا۔ ہم مائنوریٹز کالج چلاتے ہیں جن میں ہم سرکار سے کچھ نہیں لیتے اس کے بعد ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ پچاس فیصد نان مائنوریٹی کمیونٹی کے لوگوں کو اس میں لیجئے۔ ہم کہتے ہیں کہ پچاس نہیں ہم پچہتر فیصد تک نان مائنوریٹی کمیونٹی کے لوگوں کو لینے کو تیار ہیں، لیکن آپ سرکاری کالج میں % 25 ہمارے لوگوں کو استھان دے دیجئے۔ وہاں ہر دینے کے لئے تیار نہیں ہیں، الٹا ہم سے مانگا جاتا ہے۔ دستور نے اندر آرٹیکل (A) جو رکھا گیا ہے۔ تو کیا وہ دستور بے دستور کے اندر بند رہے گا یا کیا وہ ہمارے لئے نہیں ہے اگر مائنوریٹیز کے لئے کچھ دستور ہیں تو ہیولین سورسز منسٹر پارلیامنٹ کے اندر اس کی وضاحت کریں کہ آخر یہ کیا ہے۔ تو ججوں نے مائنوریٹیز کے لئے فیصلہ دیا لیکن اس کے باوجود یہ ہوتا ہے اور وہاں یہ ہوتا ہے جہاں پر کانگریس کی سرکاریں ہیں یہ کب تک ہوگا۔ ہمارے لوگ پسماں ہیں ان کے لئے کالج نہیں ہیں نوکریاں نہیں ہیں اپنے کالج بنا کر چلاتے ہیں تو وہاں بھی پریشان کرتے ہیں ظلم کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ نہ ہمارے لئے کوئی عدالت ہے نہ قانون ہے۔ بابری مسجد کے معاملے میں نیشنل انٹی گریشن کاؤنسل نے اور سپریم کورٹ نے آپ کو اختیارات دے دیئے، لیکن اس کے باوجود مسجد ڈھادی گئی۔ اس کے بعد ایک نیا ظلم ہم پر کیا گیا کہ ہم سے عدالتی چارہ جوئی کا حق بھی چھین لیا گیا۔ ہم عدالت میں نہیں جاسکتے۔ پچھلا مقدمہ واپس لے لیا گیا۔ اس میں آپ کو انٹر کر کے آرٹیکل 143 کے ریفرنس کے لئے جارہے ہیں۔ ۔ آج لوگ چاند پر جارہے ہیں اور آپ انہیں کے نیچے دیکھتے جارہے ہیں کہ وہاں پر ایک ہزار سال پہلے کچھ تھا یا نہیں تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ عدالت جو فیصلہ کرے گی چاہے ہمارے خلاف کرے، ہم اس کو مانیں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں پرائم منسٹر صاحب ہار گئے اور آرٹیکل 143 کے ریفرنس کے لئے جارہے

ہیں ۔ کورٹ میں مقدمہ چلتا جو بھی فیصلہ ہوتا اس کو ہم قبول کرتے لیکن آپ اس کے لئے تیار نہیں ہیں اس کے بعد آپ سیکولرزام کی بات کرتے ہیں تو اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے سیکولرزام نہیں آجایا کرتا سیکولرزام لانے کے لئے ہماری گواہی چاہئے یہاں کی جو اقلیت ہے مسلمان ہیں، وہ بولے گا ۔ تب یہاں پر سیکولرزام ہوگا ۔ لیکن یہاں پر تو ہر چیز ہم سے چھینی جا رہی ہے، ہر چیز کے معاملے میں ہمارے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے ۔ اسی طرح سے ریزرویشن کا معاملہ ہے ۔ حیدرآباد میں میونسپل کارپوریشن میں ہم پانچ سالوں تک رولنگ پارٹی میں رہے ہیں، اب وہاں بھی %33 مہلاؤں کے لئے آرکشن باقی اور لوگوں کے لئے آرکشن تو ہم لوگ یہاں جائیں گے آپ ہمارے لئے بھی آرکشن کر دیجئے ۔ نوکریوں میں وہاں سبھاؤں میں پارلیامنٹ میں سب جگہ ہمارے لئے بھی ریزرویشن کر دیجئے ۔

(ریزرویشن)

آپ نے گھنٹی بجادی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر بولنے سے کچھ ہونے والا تو نہیں ہے لیکن ہم کو سنبادل کا بخار تو اتار لینے دیجئے ۔ لیکن آپ تو اس کے لئے بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں ۔ جیسے امثال کے کہا ہے ۔

"یہ دستور زبان بندی کیسا ہے تیری محفل میں
یہاں تو بات کرنے کو ترس زبان میری"

یہاں تو بات کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے ۔

Mr. Chairman (Shrimati Malini Bhattacharya): I did not stop You

جناب سلطان صلاح الدین اویسی کو اب میں کیا جواب دے سکتا ہوں آپ بتائیے : ہر ایک اپنا اپنا مسائل رکھتا ہے ۔ اگر میں وہ نہ رہا ہوں اور آپ کو اچھا نہیں دکھتا ہے اور آپ بول دیں گے تو خاموش ہو جائیں گے ۔ آخر میں کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ۔ اور یہ غلط ہے تو اٹھ کر کہیں کہ یہ غلط ہے میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ آپ جا کر دیکھیں کہ ہمارے مسلم محلوں میں کسی قسم کی سہولیت نہیں ہے نہ بجلی ہے نہ پینے کا پانی ہے جب ہم دلی کو دیکھتے ہیں تو اشوک ہوٹل یا اکبر ہوٹل جائیں گے تو 300 ریکٹر کے اور اوپر مہربانی کا لاٹ ہے یہ ہمارے معشوقانہ سوشلزم ہے ۔ شاہ جہاں نے تاج محل

بنوایا لیکن ہم کو پینے کا پانی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انسان کے بجائے ہریالی کا پودا ہو جاتے تو کم سے کم پینے کا پانی تو مل جاتا۔ ہم پینے کے پانی کے لئے ترستے ہیں تو بھی پانی نہیں ملتے۔ آپ جامع مسجد کے پاس جاکر دیکھیں کہ کیا حالات ہیں؟ حیدر آباد یا جہاں ہندوستان کے ہر شہر میں مسلم آبادی ہے تو وہاں کیا حالات ہیں؟ وہاں کسی قسم کی توجہ نہیں ہے وہاں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں نئے نئے قوانین بلنئے جاتے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ اگر غریب لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو وہ پرائمری یا ہائی اسکول چلا رہے ہیں تاکہ بچے پڑھیں اور ان کو روزگار ملے۔ آندھرا کی سرکار کہتی ہے کہ تیس ایکڑ زمین ہونی چاہیئے تو ہم نے کہا کہ ہم پیسہ دے دیں گے تو ہمیں دے دو۔ آخر کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ڈیموکریسی کا راستہ چھوڑ دیں یہ کب تک ہوتا رہے گا۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ یہ جانئے کہ برتا تو کیا نہیں کرتا، اس مقام پر لا کر مت چھوڑیئے نہیں تو یہ ملک کے لئے خطرہ ہوگا۔ آخر یہ ظلم و ستم کب تک برداشت کرتے رہیں گے اس کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ٹاڈا کے تحت یا کسی چیز کے تحت ظلم کیا جاتا ہے۔ ہم تو اٹھائیس کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں پھر بھی ہمارے لئے دو منٹ کا وقت نہیں نکل سکتا۔ میں آپ کے صبرے پر دیکھ رہا ہوں نہ کچھ ناگواری ملے اور کچھ خوشی بھی ملے پھر بھی مجھے آپ کے احساس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ معزز محترمہ ہیں اس لئے میں وقت سے پہلے ختم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بولنے کا موقع دیا۔

(ختم شد)

सभापति महोदया : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

डा० वसंत पवार (नासिक) : महोदया मेरा नाम मेरी पार्टी की ओर से है। इसकी घोषणा भी हुई थी।

सभापति महोदया : श्री पवार, मैं आपका नाम श्री इन्द्रजीत गुप्त के बाद बोलूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदया, इस सदन में आज सुबह व्यर्थ ही जो कुछ हुआ, उसके लिए मुझे खेद प्रकट करना है। 12 बजे से 1 बजे के बीच के बीच का पूरा एक घंटा बर्बाद हो गया। सदन का समय बहुत ही कीमती है। सदन का समय नष्ट हुआ, क्योंकि विपक्ष ने जो न्यायोचित मांग उठाई थी, उसे माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अस्वीकार किया था, जो एकदम आवश्यक नहीं था।

विपक्ष तो सिर्फ बोफोर्स से जड़े उन दस्तावेजों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कह रहा था, जो कि स्वीट्जरलैण्ड में है और हमें कहा गया था कि इसे भारत सरकार इस महीने की पहली को ही भेज दिये जाएंगे। क्या इसे प्राप्त किया जा चुका है कि नहीं। मैं समझता हूं कि संसद को यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, कुछ और नहीं पूछा गया। लेकिन मंत्री जी कहते रहे कि वह कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि मेरी शिकायत न्यायोचित है, क्योंकि 2 बजे जब दोपहर के भोजनावकाश के बाद सभा पुनः समवेत हुई तो श्री विद्याचरण शुक्ल यहां पुनः आए और आधे मिनट के लिए बयान दिया जिसने मुद्दे को सुलझाया और आगे कोई उतेजना नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सदन शांत था। वह आए और कहा, "मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से पता लगाया। वे दस्तावेज अभी तक प्राप्त नहीं हो सके। वे स्विट्जरलैण्ड में किसी जांच मजिस्ट्रेट के पास हैं। वह बाद में कोई दिन निर्धारित करेंगे और दस्तावेज भेजे जाएंगे।" यदि इतना ही वह पहले कह दिए होते तो 12 बजे से 1 बजे तक सदन का समय नष्ट नहीं होता।

अब मैं सदन को संक्षिप्त रूप से स्मरण कराना चाहता हूं। हां, प्रत्येक आदमी उत्तेजित है, बौखलाया हुआ है इसे बोफोर्स के मुद्दे पर, जो वर्षों से लटका हुआ है और यह साबित हुए भ्रष्टाचार का मामला है, जिसे हमने साबित नहीं किया, बल्कि स्विट्जरलैण्ड को लोगों द्वारा ही स्वीकार किया गया। बोफोर्स कंपनी ने स्वीस न्यायालय के माध्यम से स्वीकार किया था कि उन्होंने यह रकम भारत में किसी व्यक्ति को भुगतान किया है। यद्यपि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने किसको यह रकम दी, क्योंकि उनको देश का विधान इसकी अनुमति नहीं देता। वह रकम किसी व्यक्ति को भारत में उस समय दिया गया था, जब बोफोर्स और अन्य कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि भारत सरकार किस तरह की तोपें अपनी सेना के लिए खरीदेगी। इसलिए, इसे अस्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, वह रकम किसी को पहले ही दी जा चुकी है। तत्पश्चात जो कुछ हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता।

इतने वर्षों के बाद, यह स्थापित किया गया था कि रकम स्वीस बैंक के किसी गुप्त खाते में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

जमा हो चुकी है। और हम यह पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उक्त खाताधारी कौन हैं। मुझे मालूम है कि जिस व्यक्ति के नाम वह रकम जमा कराई गई थी, वह व्यक्ति असली दलाली खाने वाला न होकर कोई और है। मैं समझता हूं कि वह व्यक्ति तो एक आवरण का काम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है और उस व्यक्ति को छिपाने के लिए किया गया होगा जो असली दलाली खाने वाला है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हमारा पैसा था। यह हमारी सरकार का पैमा था। अतः हमें यह जानने का पूरा अधिकार है कि ये खाताधारी हैं कौन। दरअसल मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह अपने आप में एक उदाहरण ही नहीं है, माननीय सदस्य ऐसे कई मामलों से अवगत हैं, जिनमें ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप अनगिनत रूप से बढ़ रहे हैं। यह हमारे समाज में कैंसर की तरह फैल रहा है और मेरा विचार है कि यह कैंसर काले-धन का प्रसार है, जिससे इस तरह का उच्च स्तर भ्रष्टाचार फैल रहा है, यह काला-धन इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

मुझे यह शंका है कि हाल के बजट प्रस्तावों में इस संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अभी हम बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और उन प्रोत्साहनों पर जिसे माननीय वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र के अबाधित विकास के लिए प्रदान किया है। इस निजी क्षेत्र में घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। मुझे भय है कि काले-धंधे को इस अबाधित विकास से ज्यादा भ्रष्टाचार फैलेगा। हम इस तरह की की गई व्यवस्था को वित्तीय आपराधिक प्रवृत्ति ही कहेंगे। भ्रष्टाचार तो बहुत नरम शब्द है। कुछ देशों में, वे इसे वित्तीय आपराधिक प्रवृति माना जाता है। इस समय हमारे देश में यह सब कुछ किया जा रहा है। महोदया, जिस किसी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार किया होगा, उसने जानबूझकर किया होगा, इस बढ़ते हुये प्रकोप का कोई जिक्र नहीं किया, और उन लोगों का भी कोई जिक्र नहीं किया, जो यह कार्य कर रहे हैं या जो भी लोग इस प्रकार के वित्तीय अपराध में भागीदार होने की स्थिति में हो, का भी कोई जिक्र नहीं किया है।

चूंकि मैं इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। मैं एक उल्लेख करना चाहता हूं। मैं किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया। इस सभा में कुछ सदस्य उपस्थित हैं, जिनके नाम इस समाचार में दिये गये हैं, जिसका हवाला मैं देना चाहता हूं।

29 जनवरी को एक प्रमुख समाचार पत्र "दि स्टेट्समैन" के प्रथम पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें विभिन्न दलों के 42 व्यक्तियों की सूची दी गई थी, जिनको कथित रूप से उन्हीं लोगों द्वारा धनराशि प्रदान की गई थी, जिनको हिजबुल मुजाहिद्दीन और मुम्बई बम काण्ड के अभियुक्तों को धनराशि देने के लिये आई० एस० आई० द्वारा उपयोग किया गया था। मैं नहीं जानता हूं कि राजनीतिक संपर्क किस प्रकार का है। मैं इस बात का आसानी से पता नहीं लगा सकता हूं। खैर यह मामला इस समय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। एक सज्जन, जिनको शायद यहां काफी लोग जानते हैं, द्वारा लोकहित की याचिका दायर की है। यह एक विख्यात व्यंग्य-चित्रकार और

सक्रिय कार्यकर्ता श्री राजेन्द्र पुरी हैं। उन्होंने कहा है कि यह नाम उन डायरियों की प्रतियों में से लिये गये हैं, जिनको केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दो हवाला का कार्य करने वाले व्यक्तियों श्री एस० के० जैंन और श्री जे० के० जैन द्वारा जब्त किया गया था।

उन्होंने 42 व्यक्तियों की एक सूची दी है, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उनके नाम और उनके द्वारा प्राप्त की गई धनराशि के बारे में इस समाचार में छपा है। इसमें से अधिकांश लोग कांग्रेस पार्टी और दूसरे स्थान पर भा० ज० पा० के हैं और जनता दल के भी हैं और कुछ जनता दैल, समाजवादी पार्टी के भी हैं, परन्तु अधिकांश नाम कांग्रेस पार्टी के हैं। यह सभी प्रतिष्ठित लोग हैं। इनमें से अधिकांश संसद सदस्य हैं, कुछ मंत्री रहे हैं और कुछ इस समय मंत्री हैं।

मैं समझता हूं कि जब किसी समाचार पत्र द्वारा कोई गम्भीर आरोप छापा जाता है तो या तो उस समाचार-पत्र के विरुद्ध न्यायालय में मानहानि का दावा करना चाहिये, जो कि नहीं किया गया है, या जिन लोगों के नाम इन 42 व्यक्तियों की सूची में दिये गये हैं, को सार्वजनिक तौर पर कुछ खण्डन करना चाहिये, जो कि नहीं किया गया है।

एक माननीय सदस्य : वे ऐसा कैसे कर सकते थे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे यह कैसे कर सकते थे ? वह यह कैसे कर सकते थे, का क्या मतलब है ? समाचार-पत्र सभी के लिये हैं। मेरे माननीय मित्र, मैं नहीं जानता हूं कि आप कौन हैं, पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूं कि श्री चन्द्रशेखर ने थोड़ी देर पहले मुझे बताया, जब मैं उन्हें इस मामले के बारे में कह रहा था।

उन्होंने कहा "जब मैंने अपना नाम इस 42 व्यक्तियों की सूची में देखा था" उनकी अनुमति से मैं उनका नाम बताता हूं। मैंने पूछा "क्या मैं यह बता दूं।" उन्होंने कहा, "जी हां, आप कह सकते हैं।" उन्होंने, कहा, "मैं इस व्यक्ति को श्री राजेन्द्र पुरी कहता हूं, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं और मैंने पूछा कि आपने यह क्या छाप दिया है।"

श्री चन्द्रशेखर के अनुसार श्री राजेन्द्र पुरी ने कहा, "यह गलती हो गयी है। आपका नाम गलती से छाप दिया गया है।"

अगले दिन एक प्रतिवाद जारी किया गया ठीक है, मैं इसे इनकी साख के आधार पर देखता हूं। मैं न तो यह जानता हूं कि ये आरोप सही हैं या सही हो सकते हैं या नहीं। परन्तु मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि इस प्रकार के समाचार ने जो लोग यह समाचार पत्र पढ़ते होंगे उन लोगों में काफी उत्तेजना पैदा कर दी थी, परन्तु कोई खण्डन नहीं हुआ और मानहानि का कोई दावा भी नहीं किया जा रहा है।

यह अत्यन्त उत्सुकता की बात है, मुझे ऐसा लगता है और मैं इस सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि संबंधित माननीय सदस्यों को इसके बारे में वास्तव में अधिक गम्भीर होना चाहिये और जो भी आवश्यक कार्यवाही वे उचित समझते हों, वह करनी चाहिये। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

इसके अलावा, उदाहरणार्थ, यहां भी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से संबंधित किसी मामले के बारे में जल्दी-जल्दी आरोप लगाये जा रहे हैं। उन्होंने इस सभा में बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई बैंक खाता नहीं है। परन्तु पुलिस अधिकारियों सहित अमेरिकी अधिकारियों ने जांच करके बताया कि उनका खाता है। मुझे नहीं पता कि कौन सच बोल रहा है। परन्तु इस प्रकार की बातों से हमारी राजनीतिक व्यवस्था को लाभ नहीं हो रहा है। इस देश के लोगों में हमारी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वसनीयता दिन प्रतिदिन कम हो रही है और विशेषकर उन परिस्थितियों में जब इस प्रकार के गम्भीर आरोप लगाये जाते हैं। एक आरोप यह बताया गया कि श्री हर्षद मेहता ने नोटों से भरा हुआ सूटकेस प्रधान मंत्री निवास पर भेजा। आज तक यह सिद्ध नहीं हो पाया मेरा मतलब है कि उस सूटकेस में क्या था–क्या उसमें 1 करोड़ रु० था या क्या था? या उसमें क्या था, मुझे पता नहीं। क्या उसे स्वीकार किया गया या स्वीकार नहीं किया गया।

श्री किरिण चालिहा (गुवाहाटी) : बाद में यह सिद्ध हो गया कि उन्होंने यह कभी भी नहीं भेजा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ। इसका खण्डन करते हुये एक वक्तव्य दिया गया था। न तो श्री हर्ष मेहता सिद्ध कर पाये और न ही सूटकेस के प्राप्तकर्ता उसके खण्डन को सिद्ध कर पाये और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया और अब लोग इसके बारे में यह कहते हुये मजाक कर रहे हैं कि वह मशहूर अटैची कहां है? उस अटैची का क्या हुआ? क्या यह अच्छी बात है। एक बात स्पष्ट करने के लिये कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। **(व्यवधान)** जी हां, मुझे पता है कि इससे आपको कष्ट होगा क्योंकि यह आपके प्रधानमंत्री से संबंधित है।

मेरी बात यह है कि इन मामलों की संख्या में वृद्धि होती चली जायेगी, किसी व्यक्ति की प्रवृति के कारण नहीं, बल्कि जो मैंने कहा है, उसके कारण। कुछ आर्थिक और सामाजिक शक्तियां हैं जो कार्य कर रही हैं। इसका प्रमुख कारण काला धन है और काले धन के कारण ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही है और ज्यों-ज्यों यह बढ़ता है लोग सोच रहे हैं कि "ऊंचे स्थानों पर अनेक लोग हैं, चाहें वह संसद सदस्य हों या मंत्री हों, या कोई भी हो इस भ्रष्टाचार से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होंगे।" क्या यह हमारे देश के भविष्य के लिये अच्छा है? अतः मैं यह कहता हूं कि यह एक ऐसा मामला है, जिस पर सभी लोगों को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसमें 1993 में घटित एक बड़ी घटना के बारे में भी नहीं बताया गया है, एक बहुत ही बड़ी घटना घटित हुई थी अर्थात् बैंक घोटाला। क्या यह छोटा-सा मामूली मामला है? इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। सरकार कह सकती है कि ऐसी घटना घटित हुई थी, हमने संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था, संयुक्त संसदीय समिति ने इस मामले की जांच की थी। उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया और प्रधान मंत्री ने संसद में आश्वासन दिया है कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुवर्ती कार्यवाही की

जायेगी। इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि 8000 करोड़ रु० या उससे अधिक लोग कहते हैं 12000 करोड़ रु० फंसा हुआ है। इसकी तुलना में बोफोर्स मामला बहुत छोटा है। बोफोर्स में केवल 60 या 65 करोड़ रु० की बात थी। इसमें 8000 से 12000 करोड़ रु० फंसे हुये हैं जो कि जनसाधारण द्वारा बैंक में जमा किया गया रुपया है।

लोग बैंक में रुपया क्यों जमा करते हैं? क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि यह पैसा बैंक में सुरक्षित है। लघु खातेदार जैसे पेंशनभोगी बैंक में रुपया जमा करते हैं। परन्तु जब हजारों करोड़ रुपया निकल जाये चोरी छिपे बैंक अधिकारियों, ब्रोकरों, व्यापारियों और ऐसे ही अन्य लोगों के बीच मिला भगत के कारण निकल जाये तो यह गम्भीर बात है। इस धनराशि को स्टाक बाजार या स्टाक एक्सचेंज के सट्टेबाजों को देने के लिये बैंक से निकाला गया था। क्या यह मामूली बात है? देश में ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई। इससे मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग और राष्ट्रीयकृत बैंक प्रभावित हुये हैं, जिसके बारे में राष्ट्रीयकरण के समय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि ये वास्तव में अर्थव्यवस्था की शीर्षस्थ ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। अब क्या हो रहा है? राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। अतः मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस प्रकार मैं उन्हें अभिभाषण के लिये धन्यवाद दूं। इन बातों को छिपाने का कोई फायदा नहीं है। संयुक्त संसदीय समिति का क्या हश्र हुआ? संयुक्त संसदीय समिति में सभी दलों के दोनों सभाओं के सदस्य थे और समिति ने अपने कार्य में मेहनत की सभापति भी लोकसभा के सदस्य हैं और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। क्या इन प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने की कोई गम्भीरता है? कुछ नहीं, केवल इतनी ही आशा की जा रही है की लोगों की जागरूकता को कुण्ठित कर दिया जायेगा, लोग भूल जायेंगे और सारे मामले को चुपचाप दबा दिया जायेगा।

श्री मृत्युन्जय नायक (फूलबनी) : आप किसी बात पर प्रकाश डालें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आपको यह पसंद नहीं है, तो आप बाहर जा सकते हैं। मैं आपको यहां रहने के लिए बाध्य नहीं कर रहा हूं।

श्री मृत्युन्जय नायक : परन्तु मैं आपसे कुछ नई बातें सुनना चाहता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब आपने मुझे मूल बात से हटा दिया है। मैं यह कह रहा हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण आखिर सरकार द्वारा उनके लिए तैयार किया गया है और इसलिए हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो इस प्रकार का अभिभाषण तैयार करते हैं, जिसमें इन बातों का उल्लेख नहीं होता है, उनकी मंशा क्या है। यदि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर इस प्रकार से विचार किया जायेगा तो अन्य समितियों का क्या होगा? जब इस सभा में सं०सं०स० की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, तो कुछ माननीय सदस्यों ने इस रिपोर्ट की निन्दा करके, इसे गलत बतलाने का भरसक प्रयास किया था और यह कहा था कि इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अन्य समितियों का

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

क्या होगा? इन स्थायी समितियों का क्या होगा जो अब कार्य कर रही हैं और जिनका गठन भी सर्वदलीय आधार पर हुआ है। उनकी रिपोर्ट तथा उनकी सिफारिशों का क्या होगा? कोई भी उनकी परवाह नहीं करेगा। यह हमारी व्यवस्था का एक हिस्सा है। क्या ऐसी बात नहीं है? यह हमारी संसदीय व्यवस्था का एक हिस्सा है? यह सभी इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इसे देखते हैं, इन संस्थाओं के प्रति आपका जितना सम्मान है और उनकी सिफारिशों को आप किस हद तक मानने के लिए तैयार हैं। हमारे यहां संसदीय प्रणाली की सरकार है। यदि आप किसी अन्य प्रकार की सरकार बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह एक भिन्न मामला है। परन्तु जब तक यह देश संसदीय लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली की सरकार, वयस्क मताधिकार पर आधारित बहुदलीय व्यवस्था के प्रति समर्पित है तो आप 'संसदीय उत्तरदायित्व' से बच नहीं सकते हैं। यदि आप ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं, जिसमें किसी को भी उत्तरदायी न ठहराया जाए, कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी न हो तो इस बात की कोशिश करना और इस प्रकार का परिवर्तन लाने की कोशिश करना आपका काम है। परन्तु वर्तमान व्यवस्था में आप मंत्री वर्गीय उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते हैं। इसी कारण हम कह रहे थे कि मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से, वे ईमानदार हो सकते हैं, एक पैसा भी न लिया हो या कुछ भी न किया हो। परन्तु यदि उस क्षेत्र में, जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री करते हैं, कोई गंभीर बात हो जाती है तो उन्हें भी इस उत्तरदायित्व में भागीदार होना पड़ेगा और वह इसे टाल नहीं सकते हैं। यह बात हमारे अपने देश में अनेकों बार हुई है। चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों या वी०वी० गिरि या शानमुगम शेट्टी अथवा कृष्णामाचारी, इन लोगों को दोषी नहीं ठहराया गया था कि उन्होंने स्वयं रिश्वत ली थी अथवा लाल बहादुर शास्त्री स्वयं उस रेलगाड़ी को चला रहे थे, जिससे अनेकों दुर्घटनायें हुई थीं। उन दिनों उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनके मंत्रालय अथवा विभाग में हुई किसी गलती के लिये वे स्वयं जिम्मेवार हैं। अब ऐसी बाते हो रही हैं। मैं सिर्फ यही बात कह रहा हूं। यदि इसी प्रकार का रवैया रहा जो हम विकसित कर रहे हैं, तो हमारी संसदीय परम्परा और व्यवस्था में कुछ भी धरा नहीं रह जायेगा।

महोदय, अन्य बात में संक्षेप मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत खुशी है कि हमारे माननीय गृह मंत्री श्री एस०बी० चव्हाण, यद्यपि दुर्भाग्यवश उनकी बात सुनने के लिए कल मैं यहां उपस्थित नहीं था, मैंने जो पढ़ा है उससे मालूम हुआ है कि हम जो चाह रहे थे उसके बारे में पहली बार उन्होंने सरकार की ओर से कहा है। यह हमारे आन्तरिक मामलों में विशेष रूप से कश्मीर के सम्बन्ध में बाहरी ताकतों द्वारा हस्तक्षेप करने के प्रयासों पर बहुत ही जोशपूर्ण और सकारात्मक आघात है। इस मौमले पर वस्तुतः यहां प्रति दिन चर्चा होती है। परन्तु सरकार की ओर से हमेशा बचाव का निषेधात्मक रवैया अपनाया जाता रहा था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख कभी भी नहीं होता है। वह तथ्य के बारे में कभी नहीं बोलते हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी और एकमात्र महाशक्ति जानबूझ कर कश्मीर मामले को लेकर अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और उनके प्रवक्ता ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, जो मुख्यतः भारत विरोधी, और भारतीय प्रभुसत्ता विरोधी हैं। मुझे

विश्वास है इस सम्बन्ध में कल श्री एस० बी० चव्हाण जी ने स्पष्ट रूप से कुछ कहा था और यदि मैं उनकी बात ठीक-ठीक समझा हूं, तो मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं। बेहतर होगा यदि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका कुछ उल्लेख रहता।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह बात सही नहीं है और ऐसा सोचना गलत होगा कि अमेरीका सिर्फ मानव अधिकारों के उल्लंघन का ही मुद्दा उठा रहा है। यह इसका एक पहलू है। वे गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कश्मीर में गृह युद्ध चल रहा है। यह बात सुश्री रोबिन राफेल ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने भाषण में कही थी। राष्ट्रपति क्लिंटन ने कहा है कि कश्मीर में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रहीं है। 'गृह युद्ध' एक ऐसा शब्द है, जिसका एक विशिष्ट अर्थ है।

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : बोस्निया और फिलिस्तीन में क्या हो रहा है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं?

श्री सी०के० जाफर शरीफ : अमेरीका उस बारे में क्यों नहीं बात करता है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रपति क्लिंटन नहीं हूं। आपको उनसे पूछना पड़ेगा।

श्री सी०के० जाफर शरीफ : आप कश्मीर को महत्व क्यों देते हैं?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं महत्व देता हूं, क्योंकि मैं एक भारतीय हूं। यदि आप महत्व नहीं देते हैं, तो मुझे आपके लिए खेद है। मैं महत्व इसलिए देता हूं, क्योंकि यह हमारे देश का एक अंग है। मैं यह नहीं पसंद करता हूं कि विदेशी लोग वहां आयें और वहां के मामलों में हस्तक्षेप करें और हमारी प्रभुसत्ता को भी चुनौती दें तथा यहां तक कहें कि हम अन्ततः भारत में कश्मीर के विलय की बात पर विचार नहीं करते हैं। यदि आप बोस्निया के बारे में चिन्तित हैं तो आपको कम से कम कश्मीर के बारे में भी उतनी ही चिन्ता करनी चाहिए।

श्री सी०के० जाफर शरीफ : अमेरीका जो कहता है, वह हमारे लिए असंगत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय जाफर शरीफ जी आपने बहुत ही साहसिक शब्दों का प्रयोग किया है और यदि आप उतना ही साहस दिखायें तथा धान और ऋण हेतु उन पर निर्भर नहीं करें, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप उनकी परवाह क्यों करते हैं?

यह एक बात है। जेनेवा में मानव अधिकार आयोग के सम्बन्ध में अभी भी एक खतरा है। पाकिस्तान द्वारा लाया गया एक प्रस्ताव, जो वहां प्रस्तुत किया जा चुका था शायद पारित हो जाए। इसलिए नहीं कि बड़ी शक्तियां उसके पक्ष में मतदान करेंगी, बल्कि बड़ी शक्तियां तो तटस्थ भूमिका निभाना अधिक पसंद करेगी। अल्प छोटे देश हैं, जिन्हें वे यह कहते हुए अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हमें कश्मीर में एक जांच दल भेजने के लिए तैयार हो जाना

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

चाहिए, जो स्वयं यह देख सके कि वहां क्या हो रहा है। यदि वे इसमें सफल हो जाते हैं तो यह उनकी जीत होगी। मैं नहीं सोचता हूं कि हम इस स्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं। अतः जेनेवा में हमारे प्रयासों से, जिनमें तेजी लायी गयी है और हम अधिक आश्वस्त तथा सक्रिय हुए हैं, अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं और हमें किसी भी तरह उनमें शिथिलता नहीं आने देना चाहिए।

महोदया, मैं सिर्फ उन कुछ बातों का उल्लेख कर रहा हूं, जिनका उल्लेख मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वह हाल ही में चार राज्यों में, वास्तव में पांच राज्यों में हुए उप-चुनावों के बारे में कुछ कहेंगे। चुनाव के पूर्व वहां भाजपा का शासन था। उन राज्यों में बात कुछ उल्टी हो गयी थी। मैं समझता हूं कि भाजपा के हमारे कुछ मित्रों को आश्चर्य हुआ है। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे पुनः सत्ता में आ जायेंगे। मैं समझता हूं कि बात यह होनी चाहिए कि इसके लिए कौन उत्तरदायी है। क्या कुछ राजनीतिक दलों अथवा नेताओं को, देश की, कम से कम कुछ समय के लिए कट्टरपंथियों तथा साम्प्रदायिक ताकतों से बचाने का श्रेय लेना चाहिए? मुझे खुशी है कि मेरे दल ने इसमें अधिक सहयोग नहीं दिया है। अन्य दलों या कांग्रेस पार्टी की तुलना में भी विशेषकर उत्तर प्रदेश में जहां वे एक सुदृढ़ सरकार के रूप में शासन कर रहे थे, मेरे दल ने इस मामले में शायद ही कोई कार्य किया था।

4.00 म०प०

इस चुनाव द्वारा अभूतपूर्व तरीके से जो कुछ सामाजिक ताकतें उभर कर आयी हैं, श्रेय उन्हें दिया जाना चाहिए और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए। इस सम्प्रदाय और वर्ग के लोग जो स्वयं को सामाजिक न्याय से वंचित समझते हैं, जिन्हें उनके सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया है, जिन्हें राजनीतिक अधिकार में उनकी भागीदारी से वंचित रखा गया है, जिनका हमेशा से शोषण किया गया है, चाहे यह अन्य पिछड़ी जाति या दलित या अल्प संख्यक अथवा आदिवासी समुदाय हो, इस चुनाव द्वारा उन्हें भारी सफलता प्राप्त हुई है। वे विभिन्न दलों से सम्बन्धित हो सकते हैं, परन्तु उनके बीच इस प्रकार का अलिखित, अमौखिक और अघोषित समझौता हुआ था कि इन दलों को जो उच्च वर्गों की है और जो वर्षों से उनका शोषण करती रही है, उन्हें पराजित करना चाहिए और उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई।

4.01 म०प०

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

मैं नहीं सोचती कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस शक्ति को दबाना अब संभव हो सकेगा। और आपको ऐसी कोई कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये समुदाय समग्र रूप से हमारी जनसंख्या का अधिसंख्यक हिस्सा है और ये गरीब और वंचित लोग हैं। संविधान में सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने का उल्लेख है। जो कुछ भी हो, इस समुदाय ने अपनी पहचान के लिए अपने

जुझारुपन का आश्रय लिया है। यही वह शक्ति है, जिसने कभी भाजपा को तो कभी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में साथ दिया। यह समझना चाहिए। सभी सहानुभूति रखते हुए मैं यह कहूंगी कि देश में एक सामाजिक क्रांति उभर रही है।

जब मंडल आयोग की रिपोर्ट विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी और जब यहां इसकी घोषणा की गई, तो देश में काफी शोर-शराबा हुआ। कुछ बड़े दल पूर्ण रूप से इसके विरुद्ध थे। वे इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। यहां दिल्ली में, बसें और ट्रेने जला दी गई थीं। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि कुछ छात्रों, लड़के और लड़कियों, को आत्मदाह के लिए भड़काया गया। उन लोगों ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लाग दी। कुछ लोगों ने सोचा कि इस आयोग की रिपोर्ट का मतलब यह है कि चूंकि वे अन्य पिछड़ी जातियों के नहीं हैं। इसलिए उन्हें कोई रोजगार अथवा किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। यह गलत धारणा उनके दिमाग में गलत ढंग से बिठा दी गयी। आज, दो एक वर्षों बाद एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो अन्य पिछड़ी जातियों के लिए इस 27 प्रतिशत आरक्षण का विरोध करती हो। दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था लम्बे समय से चलती रही है। मैं कार्यान्वयन की बात नहीं कर रहा हूं। कार्यान्वयन में तो कसर बाकी है और हमें इसकी ओर भी ध्यान भी देना होगा, लेकिन इस आरक्षण सिद्धांत का काफी विरोध हुआ था। इसके विरुद्ध संघर्ष हुआ था। यहां सदन में और सदन के बाहर हमने इसका शुरू से ही समर्थन किया था और हमने कहा था कि यह पहले दस वर्ष के लिए बगैर किसी आर्थिक मानदण्ड के हो सकता था और इस दौरान इसमें कोई भी आर्थिक मानदण्ड नहीं प्रवृष्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे सारी व्यवस्था का असर समाप्त हो जाएगा। दस वर्षों के बाद हम स्थिति की समीक्षा करेंगे और फिर देखेंगे कि हो क्या रहा है। इसलिए, मैं सोचता हूं कि राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में बहुत से उन कारक तत्वों को नजर अंदाज किया जा रहा है जो देश में कार्य कर रहे हैं। और जो भविष्य की रूप-रेखा तय करेंगे। एक तो इन निम्न वर्गों की यह सामाजिक क्रांति है। इन वंचितों की यह क्रांति है, जिनके साथ अन्याय किया गया। भविष्य में यह देश में बहुत बड़े कारक-तत्व के सभा में उभरेगा और हम सभी को इसे स्वीकार करना होगा। यह सोचने से कोई फायदा नहीं होगा कि किसी न किसी तरह यह फिर एक बार समाप्त हो जाएगा और हमें इसको दबाना होगा। यदि हम इसे दबाना चाहेंगे तो मैं सोचता हूं कि इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। इनके अधिकारों का हमें सम्मान करना होगा। साथ ही इनके अधिकारों को लागू करना होगा और इनके अधिकारों की गारंटी देनी होगी और निजी रूप से मैं सोचता हूं कि नौकरियों में कुछ प्रतिशत आरक्षण कर देने भर से उनकी समस्याएं नहीं सुलझेंगी। उन्हें शिक्षा की पूरी तरह से जरूरत है। उनमें से बहुत से लोग भूमिहीन हैं जिन्हें भूमि की जरूरत होगी। कई ऐसे लोग हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन कृषि मजदूर, मामूली गरीब शिल्पकार हैं और बुनकर अधिक जैसे स्वनियोजी लोग हैं। उन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है। उन्हें शिक्षा की जरूरत है। उन्हें नौकरियों में आरक्षण के अतिरिक्त भूमि सुधार की जरूरत है। तभी इन लोगों को ऊपर उठाया जा सकता है और अन्य लोगों के बराबर लाया जा सकेगा। यह कोई आसान कार्य नहीं होगा और इसमें

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

काफी समय लगेगा। हम क्यों इसमें हस्तक्षेप करें दक्षिण भारत के कई राज्यों में, अभी नहीं, बल्कि बहुत पहले, कानून के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था है जो 27 प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ अन्य पिछड़ी जातियों के लिए ही नहीं है, बल्कि महिलाओं के लिए भी है। उन्होंने महिलाओं के लिए दो प्रतिशत से तीन प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान महिलाओं के लिए किया है। कुछ प्रावधान मुसलमानों यानी अल्पसंख्यकों के लिए किया गया है। सब मिला कर यह 50 प्रतिशत से ज्यादा है जबकि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। वहां यह वर्षों से व्यवहार में है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि वे अपना प्रतिशत कम करेंगे क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उपरी सीमा निर्धारित कर रखी है? वे ऐसा कर नहीं सकते हैं। इसलिए, हमें बहुत सी चीजों को बर्दाश्त कर जीना होगा। खासकर उत्तर भारत के हिन्दी भाषी क्षेत्र में, हमें हाल के चुनावों में जो कुछ हुआ उससे सबक सीखनी चाहिए। हमें यह दृढ़ नीति बनानी चाहिए कि हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि हम मदद करें और इन वर्गों के उत्थान में सहयोग करें जो आने वाले दिनों में एक निर्णायक कारण बनेगा।

ये तीन या चार मुद्दे ऐसे हैं जिन पर प्रकाश विकीर्ण करना चाहता था, क्योंकि मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन सभी मुद्दों पर एक चुप्पी है और एक भी शब्द इन के विषय में नहीं कहा गया है। हां, हमारे समक्ष धन्यवाद प्रस्ताव है। लेकिन राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में इस अनदेखी की वजह से मैं नहीं सोचता कि धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, जो कि महज औपचारिकता का है।

लेकिन मैं सरकार का ध्यान गंभीर त्रुटियों की ओर दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में, सरकार को देखना है कि देश सामाजिक रूप से एक रहे-यह एक कठिन काम है-और हम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकें जो अतीत का स्मृति घोष है। दुर्भाग्यवश, हमारे समाज में सामंतवादी व्यवस्था की बहुत-सी स्मृतियां अभी भी कायम हैं। पुरातनपंथी विचारधाराएं हमारे समाज में विद्यमान हैं। कुछ जगहों पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए वे धर्म से जोड़े जाते हैं। हमें इन सभी के विरुद्ध लड़ना होगा। अन्यथा, एक आधुनिक समाज और एक आधुनिक भारत का निर्माण संभव नहीं हो सकेगा।

अतः मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधान मंत्री जी द्वारा भी इन सभी बातों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाए। इसलिए मैं चर्चा के दौरान प्रधान मंत्री जी के उत्तर का इंतजार कर रहा हूं कि उनकी दृष्टि इस संदर्भ में क्या है।

डा० वसंत पवार (नासिक) : मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने का मौका दिया है, जिसे मेरे मित्र श्री एस० सी० माथुर ने पेश किया और मि० के० वी० थॉमस ने इसका समर्थन किया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन और सरकार की भावी

कार्य-योजना पर प्रकाश विकीर्ण किया गया है। हम स्थिति की समीक्षा कर पाने में सक्षम हैं। और यह वार्षिक-लेखा-जोखा का एक मौका है। मैं अनुभव करता हूं कि यह प्रक्रिया, यह परम्परा भविष्य में भी जारी रहनी चाहिए। संसद चर्चा की एक जगह है। यह विपक्ष के लिए एक मौका है, जहां विपक्ष को तुच्छ पूर्वाग्रह और दलगत भावना को भुलाकर बुनियादी मुद्दों और राष्ट्रीय समस्याओं पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष अवसरवादी आलोचना का आश्रय लेता रहा और पूर्वाग्रह का शिकार होता रहा है।

महोदया, क्या विपक्ष के पास राष्ट्र के लिए कोई वैकल्पिक योजना है ? नहीं, उनके पास राष्ट्र के लिए कोई वैकल्पिक योजना नहीं। वे योजना बनाने की स्थिति में नहीं हैं और राष्ट्र को वैकल्पिक योजना दे सकने में सक्षम नहीं हैं। वे सिर्फ सरकार की आलोचना और इसे किस तरह कमजोर किया जाए आदि पर ध्यान देते हैं। यही दुखद कहानी है। विपक्ष को मेरी सलाह यही है कि "अगर आपके पास सरकार की खिंचाई के लिए छड़ी का अभाव है तो आप ऐसी छड़ी इस्तेमाल नहीं करें जो कि आपके हाथ में ही टूट जाए और आपको चोट आए।"

माननीय राष्ट्रपति ने आप सभी को अपील की है कि आप राष्ट्र के विषय में सोचें राष्ट्र के बारे में और देश की एकता के लिए सोचें। मैं एक उर्दू शेर का उद्धरण देता हूं :

"वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है,

तेरी बर्बादियों के मशविर हो रहे हैं आसमानों में।

ना समझे तो मिट जाओगे ए-हि-दोस्तां वालो,

तेरी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में"

अब समय आ गया है और हमें देश के हित में चिंतन करना चाहिए। जिस तरह हमने देश हित में जम्मू और कश्मीर पर संकल्प एकमत होकर पारित किया उसी प्रकार हमें राष्ट्रहित में चिंता करना चाहिए। हमने एकजुट होकर पाकिस्तान से संघर्ष किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसे अनेक रास्तों और अनके मुद्दों का उल्लेख किया गया है, जिन पर हमारी आम सहमति हो सकती है हमारा एक संयुक्त कार्यक्रम हो सकता है।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उभरती आशावादिता के बारे में उल्लेख किया है और यह आशावादिता मूल रूप से सरकार की नीतियों तथा हमारे देश के लोगों की प्रतिक्रिया के कारण है। भारतीय समुदाय में–देशभक्ति और सहनशीलता की प्रबल भावना है और हमें कठिन संघर्ष करना होगा। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री, हमारी नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है, जिसे मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूं :

"शक्ति कभी भी आराम और आसान रास्ते से नहीं अपितु कठोरतम प्रयासों से आती है।"

[डा० वसंत पवार]

वाद-विवाद के दौरान सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में उल्लेख किया गया है। हमें इस मुद्दे का समाधान दलगत राजनीति अथवा राजनैतिक उद्देश्यों से ऊपर उठकर करना होगा। भ्रष्टाचार है चाहे यह सत्ता पक्ष के लोगों में हो अथवा सत्ता में आने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति अथवा किसी अन्य व्यक्ति में हो। हमें सभी स्तरों पर इसका पूरी शक्ति से मुकाबला करना होगा और इस बड़ी बुराई के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष करते रहना होगा। इस बुराई से लड़ने के लिए हमें देश की इस सबसे बड़ी बुराई के विरुद्ध संघर्ष आरम्भ करना होगा।

माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैरा 6 में जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि कल वाद-विवाद में हमारे गृह मंत्री ने जो उत्तर दिया था उससे सरकार की आतंकवाद से लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति का पता लगता है। मैं समझता हूं कि वह पाकिस्तान और अमरीका को जम्मू-कश्मीर के मामलों में हस्तक्षेप न करने तथा हमें मानव अधिकारों की सीख न देने की पर्याप्त चेतावनी है।

हमारे संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है, जबकि हमने यह निर्णय लिया है कि कार्यपालिका को संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। संसद के प्रति अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ही हमने स्थाई समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि प्रत्येक को मतदाताओं तथा देश के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। और जवाबदेही की यह भावना प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जवाबदेही की यह भावना लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर तक पहुंचेगी। विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के गठन के लिए मैं विशेष रूप से प्रधान मंत्री, श्री पी०वी० नरसिंह राव जी और अपने अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल जी को बधाई देता हूं।

हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। किन्तु प्रकृति, जाति, वंश, धर्म, राष्ट्र अथवा देश में भेद नहीं करती है। महाराष्ट्र में प्राकृतिक आपदा आई थी और इसने हमें भी नहीं छोड़ा। लातूर और उस्मानाबाद क्षेत्र में भूकम्प से हजारों लोग मर गये थे। महाराष्ट्र सरकार ने प्रशंसनीय सतर्कता का परिचय दिया और प्रभावित लोगों को तत्परता से राहत पहुंचायी। विश्व बैंक और अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं, विशेषकर स्वयंसेवी संगठनों ने सराहनीय कार्य किया था। वहां पुनर्निर्माण का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है और लगभग 1000 करोड़ रुपये के व्यय को स्वीकृति दी गई है। मैं अपने नेता और प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव जी तथा महराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री शरद पवार जी को बधाई देता हूं।

आर्थिक स्थिरता प्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक स्थिरता से जुड़ी हुई है, विगत वाद-विवाद में यह उल्लेख किया जा चुका है कि इस सरकार ने अब बहुमत प्राप्त कर लिया है। जो लोग कांग्रेस में आ गए हैं उनमें निश्चित रूप से राष्ट्रीयता की भावना है। इस सरकार का आर्थिक कार्य-निष्पादक वास्तव में सन्तोषजनक है। जी०डी०पी० चार प्रतिशत है; मुद्रास्फीति की दर छः और 8.4 प्रतिशत के बीच

है। इन आर्थिक सुधारों के कारण हमने जो विश्व का विश्वास प्राप्त किया है, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 65,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश हो रहा है। इससे हमारी नीति, हमारे प्रशासन और हमारी सरकार में विश्व के विश्वास का पता लगता है। यह कहा गया है कि उनमें विश्वास है। एक शेर में जो कहा गया, मैं इसे पुनः उद्धृत करता हूं :

"बशर ने खाक पाया, लाल पाया गुहार पाया,

मिजाज अच्छा जिसने पाया, तो उसने सब भर पाया।"

आज हमारी सरकार का मिजाज बहुत अच्छा है और यही एक संकेत है कि विश्व का भारत में विश्वास है।

माननीय राष्ट्रपति ने कृषि के बारे में उल्लेख किया है। मैं उन मुख्य बातों के बारे में कह रहा हूं, जिनके बारे में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है, हमें खाद्यान्नों के अच्छे उत्पादन के लिए अपने देश के किसानों को बधाई देनी चाहिए। खाद्यान्नों का भंडार लगभग 180 मिलियन टन है, उसमें 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खरीफ का उत्पादन 99 मिलियन टन हुआ है और रबी की फसल भी काफी अच्छी होने की संभावना है। इसीलिए हमारी सरकार ने योजना बनाई है और इसे 1050 करोड़ रुपये से 1330 करोड़ रुपये करके 26.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वह काफी महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार की नीति प्रसंस्कृत अथवा अप्रंसस्कृत कृषि सामान के निर्यात की है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम अंगूर की खेती होती है। पिछले वर्ष हमारे किसानों ने लगभग 32 करोड़ रुपये के अंगूरों का निर्यात किया था।

इस वर्ष लगभग 200 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य है। यह केवल केन्द्रीय सरकार की निर्यात संवर्धन नीति के कारण ही संभव हो सका है।

जहां तक कृषि का संबंध है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने पनधारा विकास के लिए 1100 करोड़ रुपये नियत किये हैं। ग्रामीण विकास के संबंध में यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है। यही समस्या की जड़ है। कृषि के लिए पानी अत्यन्त आवश्यक है। आजकल भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। अतः हमें इस पनधारा का विकास करना होगा और इस विकास से हमें खाद्यान्न, चारा, ईंधन और रेशों के उत्पादन के लिए लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि मिल जायेगी। इस शुष्क भूमि कृषि प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास किया जाना चाहिए, ताकि हम अपने भूमिगत जल स्तर में सुधार कर सकें और भविष्य में हमारे किसांनों की स्थिति में निश्चित रूप से सुंधार होगा।

सभापति महोदया, अपने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति हमारा विशेष कर्तव्य है। उनका कल्याण हमारी व्यवस्था की मूल आवश्यकता है और हम इन लोगों की सहायता के लिए दृढ़संकल्प हैं क्योंकि गरीबी के कारण इन लोगों को समाज में अवसरों तथा उनके वाज़िब अधिकार से वंचित रखा गया है।

मैं मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा० बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा

[डा० वसंत पवार]

विश्वविद्यालय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। ऐसे सराहनीय कार्य के लिए महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के लोगों को मेरी बधाई है। ऐसी उदारता दर्शाने के लिए मैं मराठवाड़ा के लोगों को भी बधाई देता हूं। हमारे मित्रों की लम्बे समय से लम्बित मांग को स्वीकार कर लिया गया है। मेरी उन सभी के लिए शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने डा० बाबा साहेब अम्बेडकर के साहित्य का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया है। उनका चिंतन और उनके विचार समाज को समृद्ध बनायेंगे और इसके बदले वे हमारे लोकतंत्र को समृद्ध बनायेंगे।

सभापति महोदया, हमारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम ग्रामीण विकास का मूल है और हम इसे और अधिक उत्साह तथा विश्वास से कार्यान्वित कर रहे हैं। सरकार महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए दृढ़ संकल्प है। हमारे मित्र अल्पसंख्यकों के बारे में उल्लेख कर रहे थे। मैं कहता हूं कि एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम की स्थापना की गई है तथा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए नियत किये गये हैं। नया वक्फ विधेयक, 1993 वक्फ के मामलों को तय करने में निश्चित रूप से सहायता करेगा।

जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रोजगार आश्वासन योजना, महिला समृद्धि योजना और सफाई कर्मचारी अधिनियम जैसी योजनाएं निर्धनों तथा पददलित व्यक्तियों के उत्थान में मील के पत्थर सिद्ध होंगे।

जहां तक शिक्षा का संबंध है, दिल्ली घोषणा में 'सभी के लिए शिक्षा' को लक्ष्य बनाया गया था। मैं अपने प्रधान मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना सकल घरेलू उत्पाद का छः प्रतिशत शिक्षा परिव्यय के लिए नियत किया जायेगा। यही आवश्यकता और अनिवार्यता है। उन्होंने एक सही कार्य किया है।

महिला साक्षरता, राष्ट्रीय साक्षरता, मिशन और प्राथमिक शिक्षा, ये सभी हमारी प्राथमिकताएं हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण और विकेन्द्रित प्रबंध 'सभी के लिए शिक्षा' के प्रति हमारी वचनबद्धता को पूरा करने में सहायता करेंगे। मैं कहूंगा कि महिला साक्षरता दर, जो 1981 में 29.75 प्रतिशत थी, 1991 में बढ़कर 39.29 प्रतिशत हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 41 में जिक्र किया गया है। यह ऐसा क्षेत्र है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लिये यह जरूरी है कि वे लोगों को छोटे परिवार के मानदण्ड को अपनाने के लिये जागरूक बनायें और परिवार नियोजन कार्यक्रम को जन-आन्दोलन का रूप दें। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां हम सब एक साथ कार्य कर सकते हैं, और हमें इसे राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये, क्योंकि जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में स्थिति कल्पना से कहीं अधिक परे है। आपको पता होना चाहिये कि हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 170 लाख की वृद्धि हो रही है हमारे देश में पूरे विश्व के भू-भाग

का केवल 2.4 प्रतिशत है और हम विश्व जनसंख्या के 16 प्रतिशत लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 846.3 मिलियन है, जिसे अब तक बढ़ कर 900 मिलियन हो जाने की संभावना है। हमें जनसंख्या पर नियन्त्रण करने के लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिये। जनसंख्या एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें हमें राजनीतिक स्तर पर एक दूसरे का प्रतिद्वन्द्वी नहीं होना चाहिये। अतीत में सभी ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है और इसी कारण हम कुछ नहीं कर पाये हैं। मैं पुनः सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में आम सहमति होनी चाहिये और परिवार कल्याण के संबंध में यह लक्ष्य होना चाहिये कि हम इस समय जन्म दर को 29.3 प्रति 1000 से 21 प्रति 1000 तक ले आयें और मृत्यु दर को 9.8 प्रति 1000 से 9 प्रति 1000 तक ले आयें और बाल मृत्यु दर को 1991 में 80 प्रति एक हजार से 2000 में 70 प्रति 1000 तक ले आयें। राष्ट्रीय विकास परिषद जनसंख्या नियन्त्रण के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है।

खेलकूद के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि हम कपिल देव पर और महाराष्ट्र में पुणे में राष्ट्रीय खेल आयोजित करने से गौरवान्वित हुए हैं। उन्होंने अपने-अपने उद्देश्यों को पूरा किया है।

जो कुछ भी मैंने कहा यह सरकार की उपलब्धियों में नगण्य नहीं है। सरकार निश्चित रूप से अच्छा कार्य कर रही है। हमारे अभियंता, शिल्प वैज्ञानिक, किसान और श्रमिक राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुये हैं। उन्हें सरकार और लोगों की ओर से केवल समर्थन और प्रोत्साहन की जरूरत है। सरकार उनका समर्थन कर रही है। हमें उन महिलाओं और पुरुषों पर गर्व का अनुभव करना चाहिये, जो कि राष्ट्र निर्माण में यथासंभव सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं और 21वीं शताब्दी ईमानदारी, अखण्डता, उत्तरदायित्व, उत्पादकता और गुणवत्ता की भी होगी। हमें अधिक तेल, अधिक बिजली, अधिक उर्वरक, अधिक खाद्यान्न और लोगों को मौलिक आवश्यकताओं का अधिक उत्पादन करने के लिये सभी संभव प्रयास करने होंगे। हमारी सरकार और हमारी राजनीतिक व्यवस्था तकनीकी दृष्टि से और अन्यथा भी काफी मज़बूत है और यह विदेशी निधियों द्वारा अपनी आत्मनिर्भरता को गिरवी नहीं रखने देंगे।

मित्रो, हम सबको एक साथ आगे आना चाहिये। हमें आत्म निर्भरता के लिये आगे बढ़ना चाहिये। हमें इस कार्य को आगे ले जाना चाहिये; तेजी से और आगे सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में हम हमेशा महसूस करते हैं कि जंगल सुहावने, अंधेरे और घने हैं, परन्तु हमें मीलों आगे जाना है हमें भूलना नहीं चाहिये।

सभापति महोदया, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और मैं मेरे माननीय मित्र श्री माथुर द्वारा प्रस्तुत और श्री थामस द्वारा अनुमोदित इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री मानवेंद्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : कुछ दिन पूर्व, माननीय सदस्या कुमारी उमा भारती ने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में सभा को जानकारी दी है। उन्होंने उचित ही

[श्री मानवेंद्र शाह]

उन घटनाओं को उद्धृत किया, जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार समाज के अवांछित तत्वों से अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा करने में विफल रही और जिला प्राधिकारियों, विशेषकर पुलिस पर सरकार के प्राधिकार को लागू करने में विफल रही।

अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे मामले बहुत कम हैं, लेकिन वास्तव में यह पूरे उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था का मुद्दा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जंगल का कानून व्याप्त है मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद ही यह अस्तित्व में आया है। विगत में जब वे सत्ता में थे, तब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जंगल का कानून व्याप्त था और अब पुनः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब तो उन्होंने गुंडा अधिनियम को भी समाप्त कर दिया है। इन सभी बातों के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विद्यमान स्थिति से साबित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के छः जिलों को अब "खतरे वाले जिले" घोषित कर दिया गया है। हरबटपुर में थानेदार द्वारा कमल कुमार की हत्या करने के बाद देहरादून में इस जिले को भी "खतरे वाले जिलों" में शामिल कर लिया गया है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश के सात जिले अव्यवस्था वाले जिले बन गए हैं और उन्हें ऐसा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है। इस स्थिति से और कुमारी उमा भारती के कथन से पता चलता है कि पूरा उत्तर प्रदेश अशान्त क्षेत्र बन गया है।

बाबरी मस्जिद की घटना के बाद केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से परामर्श किए बगैर ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। उन्होंने सोचा कि स्थिति बदतर हो सकती है, इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर दिया। विधान सभा को भंग कर दिया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब जबकि पूरा उत्तर प्रदेश कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के कारण अशान्त हो गया है तो केन्द्र सरकार को उपयुक्त कार्यवाही करनी चाहिए। कुमारी उमा भारती के कथन का उत्तर देते हुए गृह मंत्री ने कहा था कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को यह मामला भेजेंगे और फिर सभा को इस बारे में बताएंगे। यह कार्यवाही उनके द्वारा विगत वर्षों में अपनाए गये नियमों के अनुरूप नहीं है। विगत नियमों के अनुसार उन्हें इससे भिन्न रवैया अपनाना पड़ता। इसके तहत उन्हें ऐसा रवैया अपनाना पड़ता, जो उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मामले में अपनाया था। इस प्रकार हम अपेक्षा करते हैं कि प्रधान मंत्री इन नियमों के अनुरूप चलेंगे, जो उन्होंने विगत में निर्धारित किए थे और उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करेंगे तथा राज्य को राष्ट्रपति शासन के तहत लाएंगे।

मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ने यह संकेत दिया है कि आगे से हम रक्षात्मक की बजाय आक्रामक विदेश नीति अपनाएंगे। इसकी पुष्टि गृह मंत्री द्वारा कल कर दी गई है, जबकि वह जम्मू-कश्मीर से संबंधित सांविधिक संकल्प पर वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे। यह ऐसी बात है जिसे अब किया जाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आगे बढ़ने की बजाय सरकार की यह कार्यवाही

पश्चगामी हो। सोवियत संघ के विघटन और खाड़ी युद्ध के बाद शक्तिशाली देश अमेरिका की डराने-धमकाने की नीति और अधिक प्रखर हो गई। अमेरिका द्वारा हुक्म दिया जाना राष्ट्रपति बुश ने शुरू किया था और राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा भी पूरे जोर शोर से इसका अनुसरण किया जा रहा है। दुर्भाग्य से सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश अमेरिका की दूसरी लोकतांत्रिक देश, भारत को कमजोर करने में कोई झिझक नहीं है। वे नहीं चाहते कि हमें प्रभावी स्थान प्राप्त हो। वे नहीं चाहते कि हम अपनी क्षमतानुसार शक्तिशाली बन जाएं। इसलिए, मैं डंकल रिपोर्ट इसके ब्यौरे और लाभ तथा नुकसान पर नहीं बोलना चाहूंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं केवल डंकल मामले तक सीमित रहूंगा। तीसरे विश्व के साथ वार्ताएं व्यक्तिगत रूप से क्यों हो रही हैं? निःसंदेह भारत तथा इस जैसी विचाराधारा वाले अन्य देश तृतीय विश्व को संगठित रखने में विफल रहे हैं। इसलिए शक्तिशाली अमेरिका फूट डालो और राज करो की नीति में सफल हो रहा है। वे पृथक रूप से वार्ताएं कर रहे हैं क्योंकि हमारा साझा मंच नहीं है।

अगर विकसित देशों को डंकल योजना से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं हो रहा तो वे डंकल प्रस्तावों के संबंध में इतने उत्साहित क्यों हैं? इसका यही अर्थ है कि पहले स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि में आर्थिक शोषण के साथ राजनैतिक-सैन्य उपनिवेशवाद था, अब यह पुराना पड़ गया है। वे आर्थिक रूप से हमारा उपनिवेशीकरण चाहते हैं। इसलिए हमारी सरकार को आर्थिक उपनिवेशवाद के खिलाफ साहसपूर्वक तथा बलपूर्वक कार्यवाही करनी होगी। बड़ी शक्तियों द्वारा यही किया जा रहा है।

राष्ट्रपति क्लिंटन को भारत से जो अनुचित भय है उसके कारण वह पाकिस्तान की भारत विरोधी कार्यवाही का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं और आतंकवाद-विरोधी आलोचना से हिचकिचा रहे हैं और भारत के विघटन को बढ़ावा दे रहे हैं तथा कथित मानवाधिकार हनन की जांच चाहते हैं।

मानवाधिकार के अर्थ को तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। मानवाधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य जोर "प्रभुत्व" शब्द पर दिया गया है। "प्रभुत्व" शब्द जाति, रंग, नस्लीय उत्पत्ति, लिंग अथवा ऐसे अन्य आधार पर भेदभाव, निषेध, प्रतिधारण अथवा तरजीह का संकेत देता है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमने इस प्रभुत्व शब्द का उल्लंघन नहीं किया है। इसी कारण हमारी सरकार को कश्मीर में राजनयिकों को ले जाने में कोई झिझक नहीं है और परस्पर आधार पर मानवाधिकार संगठन द्वारा निरीक्षण करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह आश्चर्य की बात है कि शीशे के मकानों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। अमेरिका का इतिहास ही रेड इंडियन के विनाश से शुरू हुआ तथा इंडियन की भूमि हथियाई गई और रिहाइश की गई। आज काले लोगों पर गोरे लागों का प्रभुत्व है। निश्चित रूप से इस बारे में मानवाधिकार आयोग द्वारा जांच करने की जरूरत है।

पाकिस्तान बड़ा अपराधी है। उनके द्वारा विभिन्न मतों के मुस्लिम भाईयों अथवा भारत के

[श्री मानवेंद्र शाह]

प्रवासी मुस्लिमों से गलत व्यवहार और हिन्दू धर्म-स्थलों का इतना दुरुपयोग कि उन्हें शौचालय के रूप में प्रयोग किये जाने के संबंध में निश्चित रूप से मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में मानवाधिकार आयोग द्वारा जांच अपेक्षित है।

इसलिए हमारी सरकार उनके अपराधों को उजागर करे और मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जांच की मांग करे। उन पर जाति, रंग जातिगत उत्पत्ति या धर्म के आधार पर प्रभुत्व जमाने, फर्क करने, निषेध और तरजीह देने का आरोप है।

सभी देशों में अमेरिका को अपना इतिहास स्मरण करके यह मानना चाहिए था कि (क) बाहर से या देश के अन्दर से उठे कदमों से देश की एकता को बचाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाहरी शक्तियों के हमलों, आतंकवाद के बढ़ावे से सीमा क्षेत्र की रक्षा करने अथवा (ग) अपने देश में आतंकवाद समाप्त करने के लिए कार्यवाही, सैन्य कार्यवाही करना भी भेदभाव, फर्क रखना, निषेध अथवा पाबन्दी नहीं माना जा सकता और इसलिए यह मानवाधिकार के तहत नहीं आता। इसके अलावा, सरकार पर यह संवैधानिक भारत का दायित्व है कि वह देश तथा इसकी एकता की रक्षा करे।

महोदया, इसके साथ ही मैं एक अन्य मुद्दे अर्थात् पर्यावरण पर आता हूं। राष्ट्रपति ने यह सही संकेत दिया है कि विकास प्रक्रिया और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच सामंजस्य रखा जाए। टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी की पहाड़ियों में हम तथा संभवतः उत्तर प्रदेश के अंन्य पहाड़ी जिले भी विकास प्रक्रिया और पर्यावरण सुरक्षा के बीच गैर-सामंजस्य के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अतः हम राष्ट्रपति जी के इस वक्तव्य का स्वागत करते हैं कि विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा के बीच सामंजस्य रखा जाएगा। अब इस प्रकार के सामंजस्य की घोषणा की जा चुकी है तो हम आशा करते हैं कि विकास कार्य, विशेषकर सड़कें, नहरें, पेयजल तथा अन्य विकास परियोजनाओं में, जिनमें वन शामिल हैं, तेजी आएगी। फिर भी, मैं जोर देना चाहूंगा कि घोषणा तभी सफल हो सकती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मानदंड बाकी भारत से भिन्न हो। इसलिए सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मानदंड सोच विचार कर तैयार करे, ताकि यह कारगर हो सके। अभी तक दिल्ली तथा लखनऊ स्थित सरकारों ने मैदानों की स्थिति को समझा है। इसलिए पर्यावरण और सुरक्षा के लिए मानकों में संशोधन के लिए जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करना उचित होगा।

राष्ट्रपति जी एक और मुद्दे पर नहीं बोले और मुझे इस पर आश्चर्य है, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री इस बारे में चिन्तित हैं और वह इस पर विचार कर रहे हैं। यह मुद्दा बड़े बांधों का है। बड़े बांध पर्यावरण के अतिरिक्त अन्य अनेक समस्याएं लाते हैं। पर्यावरण की तरह की मानवीय भावनाओं का मुद्दा, पुनर्वास तथा सुरक्षा का मुद्दा भी इतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम बांधों पर विचार करते हैं तो इन सभी मुद्दों को एक साथ लेकर निर्णय लेना चाहिए।

मैं पुनः प्रधान मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने और स्पष्टीकरण चाहते हुए टिहरी बांध की स्वीकृति को लम्बित करके रखा है। संक्षेप में, ये समस्याएं हैं।

सुरक्षा संबंधी मुद्दे की अभी तक स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हुई है, दशकों के बाद भी पर्यावरण सुरक्षा की कार्यवाही सफल नहीं हुई है, डिजाइन संबंधी सन्देह दूर नहीं हुए हैं, पुनर्वास के लिए प्रस्तावित मुआवज़ा झगड़े की जड़ बना हुआ है; पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर पुनर्वास हेतु वैकल्पिक योजनाएं भी नहीं बनी हैं। वृक्षों का अनुदान, सरकारी भूमि तथा वनों में चराने के निःशुल्क अधिकार जैसे पैत्रिक अधिकारों के विकल्प नहीं दिए गए हैं; टिहरी बांध से नदी के ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर भी कम से कम दो दशकों तक लोगों के लाभ के लिए सभी विकास कार्य और परियोजनाएं इस आधार पर रोक दी गईं कि यह क्षेत्र डूब क्षेत्र के तहत आता है अगर यह बांध बना तो इसके पूर्ण होने तक कई दशक गुजर जाएंगे। केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों ही इस समस्या के प्रति उदासीन हैं। इसलिए, मैं मांग करता हूं कि इस डूब क्षेत्र का विकास भूतलक्षी प्रभाव से पुनः शुरू कर दिया जाए। अन्तिम तथा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सरकार देश के कानून का सम्मान करते हुए धार्मिक स्थानों को सुरक्षा प्रदान करे। अगर टिहरी बांध को आगे निर्माण जारी रखने की अनुमति दी गई तो इस कानून का उल्लंघन होगा। स्वयं भू पुराणिक सत्येश्वर महादेव जैसे मन्दिर जलमग्न हो जाएंगे। कम से कम, यह कानून बनाने वाली सरकार अर्थात् मौजूदा सरकार से तो यह अपेक्षा है कि जिस कानून को उन्होंने बनाया है उसका अनुपालन करें। अतः सरकार के पास यही विकल्प बचा है कि टिहरी बांध को "रन आफ द रिवर" श्रेणी में परिवर्तित किया जाए। इस प्रकार, मैंने जो समस्याएं उठाई हैं वे हल हो जाएंगी और ये समस्याएं नहीं रहेंगी। प्रधान मंत्री ने कल कहा था कि जहां तक उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों का संबंध है, ये भूकम्प प्रवण क्षेत्र हैं, अतः इन पर पुनः विचार किया जाएगा। मुझे आशा है कि वह हमारे पक्ष में निर्णय लेंगे और इसे "रन आफ द रिवर" बांध के रूप में बनाएंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदया, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हमारे मित्र श्री माथुर और श्री थामस ने पेश किया है। मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, देश के नागरिकों की रक्षा के बारे में और किसानों, आदिवासियों, हरिजनों आदि के बारे में मुद्दे उठाए हैं। लेकिन मुझे यह बात कहते हुए आश्चर्य हो रहा है कि सबसे पहले बी०जे०पी० के जिन माननीय सदस्य ने इस पर भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ दस्तावेज है और इसमें घिसी-पिटी बातें लिखी गई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि यह भाषण बहुत सुन्दर है। हमारी पार्टी ने देश को आगे ले जाने के लिए जो काम किए हैं, वे इसमें दर्शाए गए हैं। कुछ लोग बढ़ा-चढ़ाकर गलत बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, 1947 के बाद से कश्मीर भारत का अंग बन गया है, वहां पर हमारा झंडा

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

लहराता है। एक साथी ने तो यहां तक कह दिया कि हम 109 साल पुरानी जमात हैं, मर जाएंगे। मैं समझता हूं कि सदन में इस तरह की बात करना अच्छा नहीं है।

कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वी क्षेत्र में आग लगी हुई है, सरकार वहां पर कुछ नहीं कर सकी, ऐजीटेशन को बन्द नहीं कर सकी। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की कोशिशों की वजह से ही आज वहां पर अमन-चैन है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि इस देश में जो भी खराबी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। क्या आपने यह नहीं कहा था कि राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं? तभी आप इस सदन में आए और आपकी सरकार लगभग तीन साल के लिए बनी थी। तब यूनाइटेड मोर्चा था, कांग्रेस आपोज़ीशन में थी, आप यहां पर क्या कर रहे थे?

बोफोर्स के बारे में कहा गया। जब हम विपक्ष में थे तो हमारे नेता राजीव गांधी ने बोफोर्स के बारे में पूछा था। आपने कहा कि हम पांच बजे तक बता देंगे। यह बात रिकार्ड में है, लेकिन 5 बजे पेश नहीं कर सके। फिर 15 दिन में पेश किये जाने का जो वायदा किया गया, उसको भी पूरा नहीं कर सके। इस तरह की बातें कही गईं। यहां कहा गया कि कराची और लाहौर के लिये बात करो। यह भारत का हिस्सा ही नहीं है तो बात कैसे की जा सकती है। हम अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हम इस तरह के सवाल कैसे उठा सकते हैं। पाकिस्तान ने हम पर जो आरोप लगाये, हमने उनका पूरा जवाब दिया। कश्मीर हमारा अटूट अंग है और वह कभी भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। वह भारत का ताज है। कश्मीर में जिस तरह से लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, उनको राष्ट्र याद रखेगा। हमारी आर्मी ने भी वहां बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। आपने देश के लोगों को यह कह कर गुमराह किया कांग्रेस पार्टी देश में अनार्की पैदा करना चाहती है। कांग्रेस ने कोई दल-बदल नहीं कराया। हमने सदन में अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध करके दिखा दिया। आपने बहुत भारी शोर मचाया कि कांग्रेस अल्पमत में है। आपने इसलिये शोर मचाया, क्योंकि कई प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में इलैक्शन होने वाले हैं। आप जो स्कीम बना कर दांव-पेच चला रहे हैं, वह चलने वाली नहीं है। मैं साफ शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि नरसिंह राव जी की रहनुमाई में यह देश आगे बढ़ रहा है। वह तो प्रधान मंत्री बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने सब को इकट्ठा किया। उनके प्रधान मंत्रित्व काल में जिस तरह से देश में खुशहाली आ रही है, उसकी आज हर कोई प्रशंसा कर रहा है। गरीबों को ऊपर उठाने के लिये कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया और कांग्रेस पार्टी ही उनको ऊपर उठा सकती है।

हिमाचल प्रदेश में जब तीन नौजवान मारे गये तो मैंने हाउस में बार-बार यह मांग की कि उनको कुछ मदद दो, लेकिन उस समय की सरकार ने कोई मदद नहीं की। पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को अच्छा समर्थन मूल्य देने के बारे में अभी बी०जे०पी० के साथी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गढ़वाल के इलाके में कुछ नहीं मिलता है। जो पहाड़ी क्षेत्र है–चाहे कश्मीर का इलाका हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का इलाका हो, चाहे गढ़वाल का इलाका हो, चाहे उत्तरी क्षेत्र का पहाड़ी इलाका हो,

वहां के किसानों का अच्छा समर्थन मूल्य मिलना चाहिये। इन पहाड़ी इलाकों में सेब और दूसरे कई फल बहुत पैदा होते हैं। आज गरीबों के पास सीमित साधन हैं। इसलिये अगर उन्हें अपनी उपज के अच्छे मूल्य मिलते हैं तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये। पहाड़ी इलाकों में न रेलवे की कोई सुविधा है और न ही दूसरे यातायात के अच्छे साधन हैं। उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों से अपनी जरूरत की चीजें लानी पड़ती हैं। उनकी तरफ सरकार ज्यादा ध्यान दे और उन्हें ऊपर उठाये। इससे खुशहाली आयेगी। हमारा क्षेत्र तिब्बत और चीन के बॉडर से लगता है। वहां अगर खुशहाली आयेगी तो राष्ट्र भी मजबूत होगा।

जो बातें कश्मीर के बारे में उठायी गईं, उनको सुनकर हमें बहुत हैरानी हुई। हजरतबल के मामले को लेकर बहुत कुछ कहा गया। हमारी सेना ने बहुत धैर्य का परिचय दिया था। इस मामले में जो बातें सदन में कही गईं, उनको यहां कहना नहीं चाहिये था। अब ऐसी बातों को हमें और आगे नहीं बढ़ाना चाहिये। राष्ट्र को संगठित रखने के लिये और आगे ले जाने के लिये सब को मिल कर काम करना चाहिये। हमारा राष्ट्र एक मंदिर है। अगर मन्दिर में गड़बड़ होगी तो देश आगे नहीं बढ़ पायेगा। आप एक के बाद दूसरे मामले को खींचना शुरू कर देते हैं और सुबह-शाम सदन की कार्यवाही चलने नहीं देते हैं ... **(व्यवधान)** ... और यह क्लैरीफिकेशन मांगते हैं। नौवीं लोकसभा में एक दिन ऐसा नहीं गया, जब बोफोर्स का मुद्दा नहीं उठा हो। उस पर 6 दिन पूरी बहस हुई और बोफोर्स ही बोफोर्स का मुद्दा छाया रहा। यह उनके इलैक्शन का एजेण्डा है और यह सोचते हैं कि इलेक्शन में यह उनकी मदद कर सकता है, लेकिन इस बार इससे कुछ नहीं होना, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बातें कही गई हैं और यह रिकार्ड पर है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि गैर जिम्मेदार शब्दों का प्रयोग करना किसी के लिए भी उचित नहीं है और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको अपने साथियों को समझाना चाहिए। जसवन्त सिंह जी की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में सरकार की आलोचना की है, मैं उसकी निन्दा करता हूं।

कोई भी प्रस्ताव हो, चाहे डंकल प्रस्ताव हो या और कोई हो, उसके बारे में यह कहना कि किसानों को एक्सप्लायट करने जा रहे हैं। मेरा यह कहना है कि अगर किसानों को कोई अच्छा सीड मिलता है। और उसका प्रयोग करने से **खेती-बाड़ी** में उन्नति होती है, तो हमें इस प्रकार की टैक्नीकल चीजें दूसरे राष्ट्रों से लेनी चाहिए। उस **टैक्नोलाजी** को लेने के लिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा हमारे साथी कर रहे हैं। अगर किसी राष्ट्र के कारण हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ता है और हमारे यहां उनके सहयोग से अच्छे सब्जी के बीज पैदा हो सकते हैं तो वह हमारे किसानों को पैदा करने चाहिए। अगर हमारे किसानों की हालत को कमजोर करने की कोशिश की गई तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारी सरकार ने कहा है कि यह कोई स्थाई एग्रीमेण्ट नहीं है, यह कुछ दिनों के लिए है और अगर यह उचित होगा तो हम इसको अपनाएंगे और अगर उचित नहीं होगा तो हम इसको नहीं अपनायेंगे।

इसी के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि लक्ष्य, चाहे भूमि के कटाव का हो, भूमि को

[श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी]

सिंचित करने का हो या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने का हो, इस देश की सरकार आगे की ओर जा रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में हम इस देश को आगे ले जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और हमारी सरकार ने इस ओर काफी प्रयत्न किया है। इन लोगों के लिए तो अब अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हमारे यहां हिमाचल प्रदेश में तो हमने अंधेरा दूर कर दिया, वहां अंधेरा खत्म हो गया। अब हम यहां देखेंगे, दिल्ली में तुम्हारी सरकार दिल्ली वालों का कितना अंधेरा दूर करती है। तुम्हारी पार्टी सिर्फ बड़े-बड़े जमाखोरों और ऐसे लोगों की संस्था है, जो इस देश का भला नहीं कर सकती, इस देश को बर्बाद करना चाहती है।

चाहे बाबरी मस्जिद का सवाल हो, चाहे मंदिर का मुद्दा हो यह गले में पट्टा डालते हैं और समझते हैं कि सिर्फ यही राम भक्त हैं, बाकी यहां सब ऐसे ही हैं। मैं तो कहता हूं कि आप सब इस देश के लिए कुछ काम तो करके दिखाओ, वरना यह रामभक्ति ऐसे ही नहीं चलेगी कि साधू का चोला बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाओ। इस देश के लोगों को आप कमजोर मत समझो, यह मत समझो कि उनको बुद्धि नहीं है, यह मत सोचो कि अक्ल से कमजोर हैं, लोग आपको जान गये हैं कि यह सिर्फ विधायक लोग हैं। यह न मंदिर बनने देंगे, न मस्जिद बनने देंगे। अगर मंदिर बन गया या मस्जिद बन गई तो पता नहीं यह कहां पहुंच जायेंगे। यह समझते हैं कि यह राष्ट्र को इस तरह लोगों की भावनाओं को भड़काकर और पैसा इकट्ठा करके भगवान के पास पहुंचा देंगे। एक-एक ईंट का पैसा जोड़कर इस देश को बर्बाद करने के सिवा इन्होंने और कोई काम नहीं किया।

मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि भगवान इनको भी अक्ल देगा, ताकि यह लोग भी इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें।

5.00 म०प०

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : सभापति महोदया, आज सदन में माथुर जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, मैं उस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह अभिभाषण सामने बैठे, सरकार में बैठे लोगों के द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण है। मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं, महामहिम का गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी, 1994 के दिन दिया गया राष्ट्र के नाम संदेश, राष्ट्र के नाम दिया गया भाषण का जिक्र करना चाहता हूं।

महोदया, महामहिम का वह गणतंत्र दिवस का भाषण, जिसमें भारत को स्वावलम्बी बनाने का, स्वदेशीपना लाने का चर्चा इन्होंने किया था। इसको याद दिलाते हुए यह जो महामहिम का सरकार के द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण है, उसको सामने रखना चाहता हूं। इसमें कहीं भी स्वदेशीपना और स्वावलम्बन, जो महामहिम राष्ट्रपति जी का गणतंत्र दिवस पर अपना भाषण था, उससे कहीं मेल

नहीं खाता है। यह जो सरकार है, राष्ट्रपति जी ने गणतंत्र दिवस पर जो अपने उद्‌गार को रखने का काम किया था। स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने का, भारत में स्वदेशीपना लाने का, उसको नजरअंदाज करके यह जो नयी आर्थिक नीति के तहत अमेरिका के दबाव में, आई० एम० एफ० के इशारे पर, विश्व बैंक के इशारे पर चलने का काम कर रहे हैं, उन्होंने उसको उजागर किया है। इसलिये हम इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करते हैं और यह कहना चाहते हैं कि सरकार को देश को स्वावलम्बी बनाने का, देश में स्वदेशी की भावना लाने का काम करना चाहिये और इस प्रस्ताव में उसको शामिल करना चाहिये।

महोदया, अभी हमारे माननीय सदस्य सुल्तानपुरी जी ने कश्मीर की काफी चर्चा की, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि कल गृह मंत्री जी का कश्मीर पर बहुत अच्छा वक्तव्य संसद के अंदर आया। अमेरिका की भूमिका, जो कश्मीर के सवाल पर आए दिन है, उसके प्रति चव्हाण साहब ने गंभीर चिंता संसद के अंदर और बाहर करने का काम किया है। हम आपके जरिए यहां बैठे सरकार के लोगों से पूछना चाहते हैं, हम गृह मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या इस देश की नीति दोहरी चलेगी। एक तरफ तो आप जब अमेरिका कश्मीर के सवाल पर कुछ अपनी भूमिका अदा करने का काम करता है तो आप सदन के अंदर और बाहर उस पर चिंता व्यक्त करने का काम करते हैं। समूचा देश इस सवाल पर आपके साथ है, लेकिन वहीं पर आप नई आर्थिक नीति के नाम पर वित्त मंत्री जी के द्वारा जो अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे खेल खेला जा रहा है, भारत के बजट को आई० एम० एफ० की राय से, विश्व बैंक की राय से बनाने का काम हो रहा है। आपकी जो नयी आर्थिक नीति में भूमिका हो रही है, नई आर्थिक नीति के तहत जो-जो कार्य हो रहे हैं वह दुनिया के पर्दे पर सामने काम आ रहा है वित्त मंत्री जी के द्वारा अमेरिका के दबाव में अमेरिका के साथ, अमेरिका की सहमति से आ रहा है।

महोदय, हम आपके जरिए वित्त मंत्री जी, गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या एक ही जगह पर दोहरी नीति चलेगी। क्या यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि आपकी मंशा अमेरिका के साथ है। आप अमेरिका के दबाव में हैं, उसके दबाव में चल रहे हैं। अमेरिका के सामने पर्दे के पीछे झुकने का काम करते हैं। अमेरिका की राय से अपनी नीति बनाते हैं, अपना काम चलाते हैं। गैट में जाकर डंकल प्रस्ताव पर सहमति देने का काम करते हैं। एक तरफ आप देश के किसानों को मजबूर करने की कार्यवाही करने वाले हैं, दूसरी तरफ आप सदन में और बाहर कश्मीर के सवाल पर अमेरिका की आलोचना करते हैं।

यदि किसी अंतरराष्ट्रीय अखबार में नई आर्थिक नीति पर वित्त मंत्री जी का भाषण और कश्मीर मसले पर गृह मंत्री जी का भाषण छपे तो अमरीका के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर क्या जग-हंसाई नहीं होगी? क्योंकि उसमें एक ही काबीना के दो मंत्रियों का एक राष्ट्र अमरीका के बारे में अलग-अलग दृष्टिकोण होगा और कश्मीर के संबंध में अमरीका के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता है, उस पर प्रश्न-चिह्न लगेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री और प्रधान मंत्री

[श्री नवल किशोर राय]

अपनी नीतियों में बदलाव लाने की कृपा करें। देश को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वदेशी को बढ़ावा दें, नई आर्थिक नीति का त्याग करें और देश हित में एकजुटता का परिचय दें।

सभापति महोदय, इसी तरह से अयोध्या के सवाल पर मैं कहना चाहता हूं कि 6 दिसंबर की घटना के बाद हमने टेलीविजन पर सुना कि वहां पर मस्जिद बनाई जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि उस घोषणा का, प्रधान मंत्री के उस निर्णय का क्या हुआ? आज धारा 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने का काम किया जा रहा है, जिसमें केवल राय देने की बात होगी। आज देश में चारों तरफ से यह मांग आ रही है कि धारा 138 (2) के तहत एकमुश्त फैसला किया जाना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक वह काम नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, अभिभाषण के पृष्ठ 6, पैरा 17 में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात की गई है। अभी 28 तारीख को जो बजट पेश किया गया, वह किसान विरोधी है। उसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण में कहा जाता है कि कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इस बजट में जो इतना बड़ा सकल घाटा दिखाया गया है उसमें कृषि के विकास के लिए कुछ नहीं रखा गया है। अभी सुल्तानपुरी जी डंकल प्रस्तावों की बात कर रहे थे। डंकल प्रस्तावों पर सचिव-स्तरीय सहमति हो चुकी है और मंत्री-स्तरीय सहमति 15 अप्रैल को देने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा भी होती है। डंकल प्रस्तावों के विरोध में 15 मार्च से सत्याग्रह का काम शुरू हो जाएगा और उस दिन हम लोग संसद का घेराव भी करेंगे। डंकल प्रस्तावों के अंतर्गत किसानों के बीज रखने के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है, दवाओं के दाम बढ़ने वाले हैं, आयात की सीमा तय होगी, जिससे बहुत से खतरे उत्पन्न होंगे। डंकल प्रस्तावों के दुष्परिणामों के बारे में यहां पर चर्चा होनी चाहिए और इन प्रस्तावों को न मानने की बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से अभ्यास के तौर पर पिछले वर्ष गेहूं का ऊंचे दामों पर आयात किया, जिसके विरोध में हम लोगों ने श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व में मुंबई में सत्याग्रह करने का काम किया। इसी प्रकार से भारत सरकार के सहयोग से गुजरात में गोबर आयात करने का फैसला किया गया है।

यह देश किसानों का देश है। यहां पर खेती-बाड़ी और मवेशी पालन सबसे पहले नंबर पर है जबकि विश्व में कोई भी देश पशु-पालन के क्षेत्र में हम से आगे नहीं है। यहां गोबर का कंपोस्ट खाद बनता है, जो गांवों में मिलता है। फिर भी भारत सरकार गुजरात में हालैंड से गोबर का आयात करके कंपोस्ट खाद का निर्माण करने वाली है। वहां के जिस गोबर के बारे में कहा जाता है तो उसमें विषैला थाईमैन पाया जाता है। हालैंड में भी उस गोबर को नहीं फेंका जाता है, जिसको भारत सरकार इस बार आयात करने वाली है। मैं यह बताना चाहता हूं कि गरीब बच्चे सड़कों पर कागज के टुकड़े चुनते हैं ··· **(व्यवधान)** यह सरकार देश को कहां ले जा रही है और यह देश कहां खड़ा है और दूसरे देशों की खराब क्वालिटी को यहां पर आयात किया जा रहा है।

यहां पर सुलतानपुरी जी ने शिक्षा के बारे में चर्चा की है। यह सरकार ढिढोंरा पीटती है कि

दो हजार ईसवी तक सार्वभौमिक शिक्षा ले आयेंगे और सबको साक्षर कर देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे होगा? ...(व्यवधान) इस सरकार ने पिछले बजट में भी कहा था कि छह प्रतिशत शिक्षा के लिए देंगे। लेकिन आपने उसको देने का काम नहीं किया है, जबकि आप दो हजार ईसवी तक सार्वभौमिक शिक्षा देना चाहते हैं ...(व्यवधान) इस देश में जन शिक्षा निलयन, वयस्क शिक्षा और अनऔपचारिक शिक्षा बड़े पैमाने पर चलाई जाती है, लेकिन उसकी कभी उपयोगिता की चैकिंग नहीं होती है। कागज में दिखाया जाता है कि 80 फीसदी काम होता है और लोग साक्षर दिखाए जाते हैं। सही मायनों में इतने लोग साक्षर नहीं होते हैं। हम बिहार से आते हैं। हमारे मुख्य मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय का कंसेप्ट दिया है। इस साल मानव संसाधन मंत्रालय ने और यूनिसेफ ने प्रशंसा का काम किया और चरवाहा विद्यालय के कंसेप्ट रखने का काम किया। हमने श्री अर्जुन सिंह जी से अनुरोध किया था बिहार में 113 कृषि फार्म हैं और चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय चल रहे हैं तो इसका सर्वेक्षण करा देश में लागू करवाए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। दूसरी बात मैं जल के बारे में कहना चाहता हूं। नेपाल और भारत के बीच पानी के बारे में हाईडैम के निर्माण के लिए वार्ता हुई है, जिससे उत्तर बिहार को पानी मिल सके। हम बिहार से आते हैं। वहां बागमती नदी है, वहां अदवारा समूह में कमला बालान और कोसी है। इन तमाम नदियों से बिहार उर्वरा शक्ति रखता है और पूरे देश को अनाज दे सकता है। वहां पर कभी बाढ़ आती है और कभी सूखा पड़ता है। इस सम्बन्ध में दर्जनों बार जल संसाधन मंत्रालय से चर्चा हुई है, भारत सरकार ने भी वार्ता की है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पिछले साल हम लोगों को कुछ आशा बंधी थी, जब नेपाल के प्रधान मंत्री भारत आये थे और उन्होंने बिहार का दौरा भी किया था। तब यह तय हुआ था कि कोसी पर डैम बनेगा और उसके बाद अदवारा समूह और बागमती पर डैम बनेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह सरकार इसलिए ध्यान नहीं देती है और भेदभाव करती है, क्योंकि बिहार की जनता ने इसको वोट नहीं दिया है, वहां पर जनता दल की सरकार है। कब तक यह चलता रहेगा और कब तक आप क्षेत्रवाद को अपनाते रहेंगे तथा उस क्षेत्र की उपेक्षा करते रहेंगे। आज डंकल के प्रस्ताव से लेकर कोसी पर डैम बनाने के सवाल पर, जो भेदभाव चल रहा है, इन तमाम सवालों पर चारों तरफ वहां लोगों में आक्रोश और गुस्सा है। कभी यह गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट निकलेगा। दिनकरजी ने अपनी कविता में यह कहा है :

होश करो दिल्ली के देवो होश करो
सब दिन न मोहनी चलने वाली है।
गर्म हो रही है दिशाओं की सांसें
अब मिट्टी आग उगलने वाली है॥

इसके जरिये हम कहना चाहते हैं कि अब यह क्षेत्रवाद नहीं चलेगा, रेल बजट में भी आपने बिहार की उपेक्षा की है।

[श्री नवल किशोर राय]

मैं सरकार की आर्थिक नीति के बारे में एक उदाहरण देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। अभिभाषण में कहा गया है कि नई आर्थिक नीति जो 1991 में शुरू हुई वह गतिशील है और काम अच्छा हो रहा है। राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 895 के जवाब में वित्त मंत्री ने विदेशी धनराशि के बारे में बताया है, उसकी कापी मेरे हाथ में है। इसमें सरकार ने जवाब दिया है, ये 31-12-1993 तक के आंकड़े हैं, कि कुल राशि 23,650.580 मिलियन अमेरिकन डालर्स ऋण के रूप में ली गई थी, जिसमें से 12 हजार 20.289 मिलियन डालर्स खर्च हुए और 11,630.301 मिलियन डालर्स बचे रह गये।

हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यह जो योजनाओं की फेहरिस्त है, जिसमें विदेशी ऋण लिया जाता है, उसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। अभी बजट पेश किया गया है, जिसमें 46,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, केवल विदेशी कर्जे के ब्याज को अदा करने लिए, यानी इसका मतलब यह हुआ कि उस पैसे से मौज की जाती है और काम कुछ नहीं होता है। पैसा बच जाता है, उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। जबकि अभिभाषण में कहा गया है कि 1991 में जो नई आर्थिक नीति शुरू हुई थी वह विकास कर रही है।

अन्त में मैं आरक्षण के बारे में कहकर एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। उस दिन सदन में चर्चा हो रही थी कि मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक 27 फीसदी आरक्षण दिया गया है। उसमें उम्र सीमा में छूट नहीं है। इससे आज छात्र उत्तेजित हैं। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि पांच वर्ष की आयु सीमा में छूट छात्रों को दी जाये और तीन चांस मिलने चाहिए। सरकार को अपने जवाब में इसकी घोषणा करनी चाहिए। केवल आरक्षण से ही कुछ नहीं होगा। तकनीकी और गैर तकनीकी संस्थानों में दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा तो इनको इसमें दाखिला नहीं मिलेगा। इस अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। हम चाहेंगे कि प्रधान मंत्री जी जब जवाब दें तो इसकी घोषणा करें। इनका आरक्षण जनसंख्या के अनुपात से होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : माननीया सभापति महोदय, श्री माथुर साहब ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं।

5.20 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अयोध्या के बारे में बात आयी, मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहूंगा कि सरकार ने Single point reference किस लिये सुप्रीम कोर्ट में भेजा? अगर कोर्ट की यह राय हो जाये कि यहां पर कोई ढांचा है, तो आप क्या करेंगे या आपकी इसके लिये क्या करने की नीयत है? आपने आज तक खुले तौर पर यह बात नहीं

बतायी है। हमारा देश बहुत प्राचीन है और ऐसे ही कई केसेज़ हैं, उनको आप किस लिये नहीं भेज रहे हैं? इस देश में बहुत से नगर बने, बहुत से उजड़े तो देश का जो पुराना कानून है, उसका क्या होगा? 6 सिदम्बर के बाद देश में काफी बेचैनी फैली जो अभी तक बंद नहीं हुई है। पिछले दिनों कानपुर में आग भड़क उठी। आपने कम्पोज़िट फोर्स बनाने की बात की थी कि हर कम्युनिटी के लिये बनेगी लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं है। शायद यह कम्पोजिट फोर्स बन चुका है, जिसमें श्री चव्हाण मराठा हैं, पायलट राजस्थान के ओ०बी०सी० हैं, राही जी हरिजन हैं और श्री पी०एम० सईद जी लक्षद्वीप से अनुसूचित जनजाति के मुस्लिम हैं। मेरा ख्याल है कि इस फोर्स के बनने से यह एंटी रायट बन गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल यहां पर जम्मू कश्मीर के बारे में काफी चर्चा हुई थी तो मैं भी इस बारे में एक-दो सुझाव देना चाहता हूं। कल होम मिनिस्टर के भाषण में दम था और उन्होंने अमरीका के खिलाफ खुलेआम बात करने की हिम्मत दिखाई और कश्मीर के लोगों में हौसला बढ़ाया है। वे लोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरा सुझाव है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम जब यहां पर एक रिज्योल्यूशन पास कर चुके हैं, तो अमरीका के खिलाफ भी तो एक रिज्योल्यूशन पास करना चाहिये। जो लोग वहां पर आतंकवादियों से लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिये सदन से एक संदेश जाना चाहिये। जो लोग उजड़ गये हैं, उनके लिये सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। इसके बारे में कोई नीति का ऐलान किया जाना चाहिये।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है कि देश के चारों तरफ अमन है, लेकिन मणिपुर, नागालैंड और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में बेचैनी है और वहां के लोगों की जो भावनाएं हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सरकार का काम समस्या को सुलझाना है, न कि उसको उलझाना, लेकिन सत्ता में आने के लिये आप हमेशा इसको उलझाने का काम करते हैं। आप इस काम को रोकने की कोशिश करें। बहुत शर्म की बात है कि भ्रष्टाचार के बारे में इस सदन में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आया और सारी दुनिया देखती रही कि इसमें सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव राय आपने नहीं दी। आपने उनकी मदद की और देश भर के लोग देखते रहे और जस्टिस रामास्वामी, जिन्होंने इस्तीफा देने का वायदा किया था वे भी वहीं रहे।

भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहें। आज भी देश के कोने-कोने में बच्चे-बच्चे कहते हैं कि सूटकेस में क्या है?

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहटी) : निराधार बातें न करें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा : आप अपराधियों की बातों पर विश्वास क्यों करते हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : अगर यह बात बेसलेस है तो आप हल्ला मत करो। आपसे ऊंची मेरी आवाज़ है। अगर यह बात बेसलेस है तो आपने हर्षद मेहता के खिलाफ सदन में प्रिविलेज कमेटी में नोटिस क्यों नहीं दिया, कोर्ट में केस क्यों नहीं किया? आपको शर्म नहीं आती है, लेकिन मुझे शर्म आती है। वह लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो मेरे भी लीडर हैं, इसलिए मुझे शर्म आती है। ...**(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाये रखें।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने सिर्फ यही कहा है कि सूटकेस में क्या है। लोग कहते हैं और इस बात से उन्हें शर्म नहीं आती है। आपके लिए यह बात बेसलेस हो गई है। आपका स्टैंडर्ड मुझे मालूम है। पिछले दिनों जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के लिए कार्पोरेशन बिल आया था, तो एयर टैक्सी के बारे में बात उठी और उसका फैसला हुआ तो आपने "shame" कहा था और उसी बिल को आपने यहां पास करवाया मेजें थपथपाते हुए। आपके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यह "बंच ऑफ" है, एडजेक्टिव मैं जनता पर छोड़ देता हूं। ...**(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

श्री मृत्युंजय नायक : हमें पता है कि वे अपनी बात पूरी नहीं करेंगे। उनके पास उत्तर नहीं है तो वे अपनी बात पूरी क्यों करें।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, डंकल प्रस्तावों पर चर्चा होने वाली है, इसलिए मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता हूं। सिर्फ इतना कहूंगा कि उन लोगों के इशारे पर जो ये बजट बनाते हैं, उनके सामने घुटने टेकते हैं। इससे मैं समझता हूं कि हमारे यहां दिन-पर-दिन हालत बिगड़ती जा रही है। उद्योग बंद हो रहे हैं। 47,724 उद्योग बीमार हो गए हैं और आप कहेंगे कि यह वर्कर्स की छंटनी के लिए नहीं हो रहा है। इसके भी आंकड़े मेरे पास हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 1991-92 में स्ट्राईक एण्ड लॉक-आउट के कारण मैनडेज का लॉस 34.57 से घटकर 21.15 मिलियन हो गया,

लेकिन इसकी जिम्मेदारी वर्कर्स के ऊपर नहीं है। सब्सिडी आप खत्म करते जा रहे हैं, फर्टिलाईजर पर आप सब्सिडी खत्म कर रहे हैं और पी०डी०एस० पर भी आप सबसिडी खत्म कर रहे हैं। पी०डी०एस० के बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जब भी इसकी चर्चा उठती है तो उस तरफ से बार-बार कहा जाता है कि किसानों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, इसलिये पी०डी०एस० में हम ईश्यू प्राईस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यह सरासर गलत है। मैं आपके सामने आंकड़े पेश करना चाहता हूं कि जब प्रोक्योरमेंट आप करते हैं तो उस टाइम क्या रेट होता है और जब ईश्यू करते हैं तब आप किस रेट पर करते हैं। वर्ष 1991 के अप्रैल-जून महीने में आपने 225 रुपये के हिसाब से प्रोक्योर किया और जनवरी, 1992 में उसका ईश्यू प्राईस बढ़ाकर 280 रुपये कर दिया। ऐसे ही, 1992 के अप्रैल-जून महीने में आपने 330 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर व्हीट प्रोक्योर किया और अब आप उसे 402 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से बेच रहे हैं। यह काम कोई बाहर के लोग नहीं कर रहें हैं, कोई बाहर का बनिया नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार यह काम कर रही है। फिर आप कवर एण्ड सैल सिस्टम में उसे रखते हैं, जिसमें कह देते हैं कि माल खराब है और इसलिये ओपन मार्केट में उसका एक बड़ा हिस्सा बेचते हैं। एक तरफ तो आप सब्सिडी खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ सपोर्ट प्राईस के नाम से जो भी पैसा देते हैं, किसानों के पास वह पैसा नहीं जा रहा है।

अब आखिर में, मैं दो-तीन प्वाइंट्स और जोड़ देना चाहता हूं। आपने देखा कि परसों जब इस हाउस में वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया, उससे पहले इकॉनामिक सर्वे की रिपोर्ट भी आ चुकी थी। हमारे देश में बिलो द पावर्टी लाईन रहने वाले लोगों का प्रतिशत 1983-84 में 44.8 था, जो 1987-88 में घटकर 39.3 रह गया। पावर्टी लाईन के नीचे रहने वालों से मेरा मतलब है कि एक महीने में 50 रुपये से ज्यादा खर्च करने की जिनकी क्षमता नहीं है। **(व्यवधान)** इन्फलेशन के बारे में, मेरा अपना दृष्टिकोण है, आपका दृष्टिकोण क्या है, उसे आप जानें। अपने दृष्टिकोण के बारे में, मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 40 परसेंट लोग इस देश में बिलो द पावर्टी लाईन रहते हैं। वित्त मंत्री जी ने यहां बजट पेश करते वक्त डायरेक्ट टैक्स का स्लैब बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दिया और 50 हजार रुपये सालाना तक कमाने वालों को टैक्स में छूट दे दी, लेकिन क्या उन लोगों को भी कोई छूट दी, जो बिलो द पावर्टी लाईन रहते हैं। उनके ऊपर भी इन्डायरेक्ट टैक्स है, जिनकी पूरे महीने में 50 रुपये खर्च करने की भी क्षमता नहीं है। यदि वे बाजार से एक माचिस खरीदने जाते हैं, तो उस माचिस पर भी उन्हें 10 पैसे टैक्स देना पड़ता है। उनकी जेब काटकर आप किन्हें छूट दे रहे हैं, जिनकी आमदनी साल में 50 हजार रुपये तक है। इसके पीछे आपकी नियत क्या है ?

कहने के लिये तो एन्टी डौरी एक्ट हमारे देश में है, दहेज देना गैर-कानूनी है और देश के अनेकों महिला संगठन इस बारे में लड़ते रहते हैं, लेकिन दहेज को लेकर आज भी हमारे देश की लड़कियां जलकर मरती हैं। अब तो वित्त मंत्री जी ने एक लाख रुपये तक दहेज पर टैक्स को माफ कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : यह पूरी तरह गलत व्याख्या है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : तो उपहार और दहेज में क्या अन्तर है।

[हिन्दी]

आप बताइये कि क्या डिफरैंस है।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा : आप महिलाओं को उनके जायज हिस्से से वंचित नहीं करते जाएंगे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

आपका दृष्टिकोण गरीब लोगों को जेब काटकर बड़े लोगों को छूट देने का है।

आखिर में मैं एक-दो वाक्य डंकल प्रस्ताव के बारे में कहना चाहता हूं। डंकल पर हम घुटने टेककर बैठे हैं और हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। आपकी सरकार कह रही है कि इसके सिवाए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? आज भी गरीब लोगों के पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या इसके बाद उनको दवा खरीदने के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा? उनके जीने का कोई साधन नहीं रहेगा। किसानों के लिए बीज खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा।

बजट आने से पहले इस सरकार ने जिस तरह ऐडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर से दाम बढ़ाए हैं, उससे पूरे देश के लोग दुखी हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक मजाक जैसा हो गया है और इसमें राष्ट्रपति को शामिल करना अनुचित है। आप जैसा चाहते हैं वैसा चलते हैं लेकिन एक ऐसा पद, जिसकी गरिमा सबसे ज्यादा है, के व्यक्ति से इस तरह का भाषण दिलाना ठीक नहीं है।

इस सदन में जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री विजय कुमार यादव अपनी बारी के लिये खड़े हैं। श्री मंगल राम प्रेमी गाड़ी से जाना चाहते हैं और वे उनसे पहले बोलना चाहते हैं।

मैं समझता हूं कि जब कभी जरूरत हो तो आपको भी औरों को मौका देना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और श्री यादव का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे पहले बोलने दिया। अभी हमारे साथी श्री सुल्तानपुरी और कुछ अन्यों ने कहा कि राष्ट्रपति ने

किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है। मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति महोदय ने पिछले साल अपने अभिभाषण में जो कहा था, इस साल भी वही कहा है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? इस सरकार ने उस कमी को पूरा नहीं किया है।

मैं सफाई कर्मचारियों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक साल पहले भी राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा था कि सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग बनाया जाएगा। इस साल फिर वही बात कही है। राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, मैं कहता हूं कि यह सबसे बड़ी दुर्घटना है। पिछले साल कहा गया था कि आयोग गठित किया जायेगा। गरीब समाज के लिये अब तक सरकार ने आयोग गठित नहीं किया है। पिछले सत्र में यहां इस पर एक बिल भी आया था। वह हर्षध्वनि से पास हो गया था, लेकिन आयोग अभी तक नहीं बना है। आपने राष्ट्रपति जी से असत्य बात बुलवा दी कि आयोग बन गया। कहा गया कि सफाई कर्मचारियों के लिये 1200 करोड़ निकाला गया। उसका पता नहीं क्या किया, कहां खर्च कर दिया, मालूम नहीं अब इनके पास कुछ है या नहीं? मैं समझता हूं कि अगर 1200 करोड़ में से कुछ थोड़ा बहुत भी होता, तो यह आयोग गठित हो गया होता। आप आयोग गठित करने के लिये तैयार नहीं हैं। आयोग गठित होगा, फिर रुपये की मांग होगी, कहां से देंगे, क्या देंगे, इसलिये असत्य बुलवा दिया। गरीब समाज के लिये असत्य बोलना मेरी समझ से बाहर है। ये सब सरकार करवा रही है। पिछले साल भी कहा गया कि आयोग गठित होगा और इस साल भी कहा गया कि आयोग गठित होगा। प्रधान मंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि आयोग गठित होगा, पार्लियामेंट में कहा कि आयोग गठित होगा, राष्ट्रपति जी ने कहा कि आयोग गठित होगा, लेकिन आयोग का कहीं कोई पता नहीं है।

मेरे पड़ोस में उत्तराखंड की मांग काफी दिनों से चल रही है। 1992 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रस्ताव भी बना कर यहां भेजा, लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया है वजह, इनके बस का करना नहीं है। आप उसकी तरक्की नहीं चाहते हैं। देहाती कहावत है कि अगर देहात में पढ़ाई-लिखाई सब ठीक से चल जाये तो हर कोई सोच समझ कर वोट देगा। फिर पता नहीं वे किस को वोट दें? इसलिये यह नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का प्रचार हो और तरक्की के लिये अलग से प्रान्त बने। अगर आपने उत्तराखंड अलग से गठित कर दिया, मैं सबसे पहले उसको सही करके दिखा दूंगा और तरक्की होती दिखा दूंगा। लेकिन आप में हिम्मत नहीं कि उसको गठित कर दें। आप उसको स्वयं तरक्की करता हुआ देख नहीं सकते हैं।

मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आयोग को गठित करे, उत्तराखंड की मांग को स्वीकार करे और जो कुछ अभिभाषण में दिया गया है, अगर उनको पूरा कर दिया जायेगा तो इस देश में किसी बात की कमी नहीं रहेगी और कश्मीर का मामला भी हल हो जायेगा। इतना कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का समय दिया। यह अभिभाषण असत्य का पुलिंदा है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद।

5.44 म०प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1993-94

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : मैं रेलवे बजट 1993-94 के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें (हिन्दी और अंग्रेजी रूपांतर) दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल०टी० 5545/94]

5.45 म०प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा–जारी

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए जो समय दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद।

आगे आने वाले दिनों में सरकार की जो नीति होगी, उसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता है। मैं ऐसा समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार अपनी सफलताओं को अतिरंजित रूप में रखती है, जो कि अपनी विफलताओं को भी इसमें रखना चाहिए, तभी संतुलित ढंग से आगे आने वाले दिनों के लिए नीति का निर्धारण किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार अपनी पीठ खुद थपथपाती है और तारीफ के पुल बांधती है। ...**(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : यहां कोई मंत्री नहीं है। यह मंत्री का स्थान नहीं है। उन्हें पहले इसके लिये माफी मांगनी चाहिये। यह क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं समझता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : मेरा यह सुझाव है कि आगे आने वाले दिनों में या तो अभिभाषण की परम्परा समाप्त कर दी जाये और अगर परम्परा को रखना है तो जो सही नक्शा है, सरकार की सफलताओं और विफलताओं, दोनों का उसमें चित्रण किया जाना चाहिए और तब कोई नतीजा निकाला जाना चाहिए।

मुझे बहुत खुशी हुई, कल जब गृह मंत्री जी का भाषण हुआ, पता नहीं प्रधान मंत्री उसको किस रूप में लेंगे। सरकार की क्या वही नीति है, क्योंकि अब तक सरकार की नीति हम लोगों की समझ थी कि अमेरिका जो भी करे, अमेरिका का नाम मत लो और कल ज़िस तरह से गृह मंत्री जी ने खुलकर नाम लिया है, उसके लिए पूरा देश उनका आभारी है। अगर कांग्रेस की यह नीति बनी है, तो मेरा यह सुझाव होगा कि जिन नीति विषयक बातों को कल गृह मंत्री जी ने अमेरिका के बारे में

कश्मीर के सम्बन्ध में पेश किया था, उसको संशोधन के रूप में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी जोड़ा जाना चाहिए और प्रधान मंत्री जी को भी खुलकर इस तरह की बात करनी चाहिए तथा अमेरिका को ठीक ढंग से जवाब दिया जा सकता है और उसको रास्ते पर लाया जा सकता है।

हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ था तो हिन्दुस्तान के अन्दर केन्द्र और राज्य का सम्बन्ध बहुत ही मधुर था और आपस में पारस्परिक सहयोग भी था। मुझे अफसोस है कि जैसे-जैसे दिन गुजरते जो रहे हैं, केन्द्र और राज्यों का सम्बन्ध विषाक्त होता जा रहा है। राज्यों के रिसोर्सेज पर केन्द्र पालथी मारकर बैठा है और राज्य को लगभग भूखा, नंगा और कंगाल बनाकर छोड़ दिया है। नतीजा यह हो रहा है कि राज्य ज्यादा से ज्यादा अधिकार की मांग कर रहा है, चाहे वह अपने विकास की बात हो, देश के अन्दर क्षेत्रीय असन्तुलन बढ़ता जा रहा है। कुछ राज्यों को केन्द्र सरकार ने अपना प्रिय राज्य घोषित कर दिया है और राजनैतिक तौर पर जहां उनको वोट नहीं मिलते हैं, जहां से उनके लोग चुनकर नहीं आते हैं, उनके साथ एक शत्रु के जैसा व्यवहार किया जाता है। नतीजे के तौर पर चाहे वह उद्योग का मामला हो, चाहे वह कृषि का मामला हो, चाहे वह बिजली का मामला हो, चाहे रेल यातायात या दूसरे तरह के मामले हों, अगर उन राज्यों को आप देखेंगे, चाहे बिहार की बात हो, चाहे उड़ीसा की बात हो, चाहे बंगाल की बात हो या और भी इस तरह के जो राज्य हैं, वह लगातार पीछे जा रहे हैं। ...(व्यवधान) ...तो कहने का अर्थ यह है कि देश कैसे चलेगा? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया जाना चाहिये था कि केन्द्रीय सरकार जो आवंटन करेगी, जो विकास योजनाओं का बंटवारा करेगी, योजना आयोग जो फंड देगा, उसमें यह आधार भी रखा जाएगा कि जो राज्य पिछड़े हुए हैं, जहां पर बेकारी, भुखमरी, इनफ्रासट्रक्चर की निहायत कमी है, उन राज्यों का विशेष तौर पर ध्यान करके और विशेष तौर पर आर्थिक मदद दे करके उन राज्यों को, जो देश के विकसित राज्यों के मुकाबले में लाया जाएगा। इतने बड़े काम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो कि बिल्कुल सच्चाई है उसका राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है।

महोदय, कल-परसों जब रेलवे का बजट पेश हुआ है और इससे पहले जो रेलवे का बजट पेश हुआ था, तो चाहे उड़ीसा, बिहार या बंगाल हो या और इस तरह के जो उत्तर-पूर्वी राज्य हैं, उन राज्यों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर से विरोध किया था और जो रेल मंत्री का व्यवहार रहा है, उसके विरोध में लोग खड़े हो गए थे। पिछली बार तो वायदा भी किया गया था, उसके मुताबिक तमाम माननीय सदस्य भी लोगों से मिले, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। रेल के मामले में, उद्योगों के मामले में, बिजली के मामले में जो उपेक्षा की जा रही है या और दूसरे मामलों में जो उपेक्षा की जा रही है, यह अगर ज्यादा दिनों तक रहा तो देश को नहीं बचाया जा सकता है और देश की एकता कायम नहीं रखी जा सकती है। एक ओर अमेरिका, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और जहां गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है वहां की जनता के अंदर भी बगावत की आग जल रही है, इसलिए उसको ज्यादा दिनों तक दबा कर के नहीं रखा जा सकता है।

महोदय, अगर कांग्रेस की सरकार यह चाहती है कि हम देश की एकता को एकताबद्ध बना

[श्री विजय कुमार यादव]

करके रखें तो पिछड़े हुए राज्यों पर विशेष ध्यान देना होगा। उनको स्पेशल मदद करके, उनको और विकसित राज्यों के मुकाबले में लाना होगा। महोदय, कांग्रेस इस समय थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित है। अभी जो इलेक्शन हुए और उसमें इनकी जो जीत हुई, तब इन्होंने समझा कि कांग्रेस की नीतियों की जीत हुई है, लेकिन इनको वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिये। भाजपा की ओर से जो नीतियां चलाई गईं और बाबरी मस्जिद को ढाया गया, उसका जो बाद में इफेक्ट हुआ, हिन्दुस्तान की जनता जो आम तौर पर सेक्युलर है वे काफी भयभीत हो गए और उन्होंने कांग्रेस की गलत नीतियों को छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए माफ कर दिया। उन्होंने सोचा कि इस समय नं० 1 काम यह है कि हम साम्प्रदायिकता से और इसके जहर से इस देश को बचाएं और इस नाम पर चाहे वे कांग्रेसी हों या गैर कांग्रेसी हों सभी लोगों ने मिल कर, जहां कांग्रेसी मुख्य तौर पर चुनाव के मैदान में भाजपा के मुकाबले में थे, क्योंकि कांग्रेस को हर तरह के लोगों ने वोट दिया और उस वोट की वजह से जब ये जीत करके आए हैं तो यहां आने के बाद ये क्या कर रहे हैं, जो दल-बदल कानून कांग्रेस ने लाया उसको आज बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी हिन्दुस्तान में अकेली कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस का मुकाबला करने वाली नहीं है। नैतिक तौर पर जो कदम उठा रहे हैं, जो बीज बो रहे हैं और 50 लाख में, एक करोड़ में लोगों को खरीद रहे हैं वह ठीक नहीं है। अब इधर प्रचार यह चल रहा है, मैं खास तौर पर नीतीश जी को कहना चाहता हूं कि आप जनता दल के अंदर अभी भी जा रहे हैं। अभी लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं आप 50-50 लाख का आश्वासन दे रहे हैं। आप एक पेट्रोल पम्प और कुछ जमीन, लोगों को तोड़ने के लिए उनसे वायदा कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मुकुल वासनिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जो कि पूरी तरह लापरवाह और निराधार हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे निराधार आरोपों को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये। इससे गलत धारणा पैदा होगी। यह पूरी तरह निराधार है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : मैंने मंत्री जी का नाम लेकर नहीं कहा है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप इसको बेसलेस कह कर टाल रहे हैं, लेकिन आज यह आम चर्चा का विषय है। जिस तरह से आपने एक पार्टी तोड़ कर मंत्री पद दिया है, तो इस तरह से जब दल-बदल विरोधी अधिनियम आपके द्वारा लाया गया था और 10वें शेड्यूल के तहत नैतिकता की बात की गई थी, उसके साथ आपने क्या किया है? उस समय क्या कहा गया था और सदन में क्या डिबेट हुई थी, आज उस कानून को नैतिक स्तर पर कहां ले जाया जा रहा है? इससे क्या मैसेज आपने दिया है, यही कि टूट कर आओ और मंत्री पद पाओ। इसलिए आज यह हर जगह चर्चा का विषय है और इनका आब्जेक्शन बेसलेस है।

श्री विजय कुमार यादव : आवश्यकता इस बात की थी कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी राजनीति में फैले भ्रष्टाचार को दूर करती, सरकार रहती या न रहती, लेकिन कांग्रेस का नाम आगे बढ़ता। लेकिन इनकी सरकार गिरने का डर भी नहीं था, फिर भी इन्होंने यह तरीका अपनाया और आज भी ये इस बात का वादा नहीं कर रहे हैं कि चुनाव सुधार कानून लाया जाएगा। इस बारे में चुनाव आयोग की तरफ से भी सुझाव आया है और गोस्वामी कमेटी ने भी रिपोर्ट में कहा है कि एक व्यापक चुनाव सुधार लाया जाए, इसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी आरक्षण की बात भी की गई, इससे कोई असहमत नहीं है कि अनुसूचित जाति-जन जाति की तरह ओ॰बी॰सी॰ के लोगों को भी नियुक्ति में 5 वर्ष की छूट और एक से अधिक बार परीक्षाओं में बैठने की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए। इसी प्रकार आपने क्रीमीलेअर की बात कह दी है, गरीब लोग ट्रेड नहीं होते हैं और उनका फैमली ट्रेडीशन इलाइट क्लास की तरह नहीं होता है। इसलिए मेरा कहना है कि अनुसूचित जाति-जनजाति की तरह ओ॰बी॰सी॰ के लोगों के लिए भी कोचिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, टेक्नीकल संस्थाओं में इनका कोटा होना चाहिए और एक से अधिक बार परीक्षाओं में बैठने की सुविधा दी जानी चाहिए।

वित्त मंत्री जी ने कहा है कि कर्जे के ब्याज की बात की जाती है, हम लोग कर्जे में फंस रहे हैं, ऐसी बात नहीं है और आई॰एम॰एफ॰ को समय से पहले हम कर्ज का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि अपने स्वाभिमान और देश की आजादी को दांव पर लगा कर कर्जे लिए जा रहे हैं। एक जमाना था जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की बात सुनी जाती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि सही बात को भी भारत अमरीका, आई॰एम॰एफ॰ और विश्व बैंक के दबाव में नहीं कह पाता है। इस तरह से कर्जा असर ला रहा है।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : कल कह तो दिया है।

श्री विजय कुमार यादव : इसकी मैंने तारीफ की है, लेकिन इस तरह की बात प्रधान मंत्री को भी करनी चाहिए।

मैं कह रहा था कि कर्जा रंग ला रहा है, इसका असर पड़ रहा है और राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन नीतियों की बात की गई है, वे प्वाइंट्स कर्जे के बोझ में दबे हुए हैं।

6.00 म॰प॰

इन कर्जों के पहले आप बोल्डली बात कहते थे, लेकिन वह दम आपके यहां नहीं है और मिनिस्टर भी कुछ नहीं बोलते हैं। राव जी कुछ बोलते हैं तो सभी उनका अनुसरण करते हैं। उनके दिल में कुछ होता है तो नहीं बोलते हैं। देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं लेकिन नयी आर्थिक नीतियों की वजह से कारखाने बंद होने जा रहे हैं। हमारे यहां राजकीय क्षेत्र को निजी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है। भारतीय संविधान में समाजवाद है लेकिन मैं समझता हूं

[श्री विजय कुमार यादव]

कि उसको काट देना चाहिए और काटकर घनघोर पूंजीवाद की स्थापना आप करना चाहते हैं तो यह अमेंडमेंट आपको लाना चाहिए। जो तरीका अपना रहे हैं ... (व्यवधान) तो उससे कुछ नहीं हो रहा है। संविधान कुछ कहता है और आप कुछ और काम कर रहे हैं। काम का अधिकार आप नहीं देना चाहते और प्रगतिशील भूमि सुधार का कानून आप लागू नहीं करते हैं और जमीनों का बंटावारा नहीं करते हैं और कहते हैं कि जवाहर रोजगार या दूसरी रोजगार योजना चलाना चाहते हैं, लेकिन उससे बेरोजगारी समाप्त नहीं होने जा रही है। बजट से पहले आपने सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं, जो कभी शोभा नहीं देता है। जब आपका बहुमत है तो बजट लाने के बाद उसको करना चाहिए था, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। आप कहते हैं कि इन्फलेशन घट रहा है। आप गरीबों के यहां देखें तो पता चलेगा कि पैसे का दाम क्या रह गया है और कितना सामान उसको मिल पाता है। आप होलसेल का दाम लगाते हैं, जबकि करोड़ों लोगों का मतलब रिटेल से होता है इसलिए उसको बाजार में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो आपको इस सिलसिले में फर्म एटीच्युड लेना चाहिए। यहां पर दो-तीन दिन इस मामले में बहुत बातें हुई, लेकिन यह कहकर टाल दिया जाता है कि यह राज्य का मामला है, जबकि यह देश का मामला है। जुल्म अगर किसी वर्ग पर होता है तो वह पूरे देश का मामला होता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन बातों को जोड़िए अन्यथा हम उसका विरोध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री एन०डेनिस (नागरकोइल) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के आरंभ में ही आशावान होते हुये ठीक ही कहा था कि इस समय देश की स्थिति वर्ष 1993 के आरंभ की स्थिति की तुलना में भिन्न है। इस समय देश में स्थायित्व, सुरक्षा, विश्वास, और प्रगति का वातावरण है। एक स्थायी सरकार ही प्रगतिशील नीतियों को तैयार करके क्रियान्वित कर सकती है। केवल वही कुशल और प्रभावी प्रशासन के लिये सुदृढ़ नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार कर सकती है।

एक ऐसी सरकार, जिसे अपना संपूर्ण समय अपने अस्तित्व की रक्षा करने में ही लगाना है, क्रियान्वयन हेतु सुदृढ़ नीतियां तैयार करने के लिये समय नहीं निकाल सकती है। अतीत में देश को अनेक परीक्षा के क्षणों से गुज़रना पड़ा है। देश को अनेक चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के अलावा साम्प्रदायिक असन्तोष के कारण देश की एकता, अखण्डता और उसका धर्मनिरपेक्ष स्वरूप खतरे में पड़ गया था। अतः राष्ट्रपति ने अपने पिछले अभिभाषण में साम्प्रदायिक सौहार्द बहाल करने और राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा करने को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के बारे में कहा था।

इन समस्याओं को हल करने के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं। सभी क्षेत्रों में प्रगति का

सकारात्मक रुझान देखने को मिला है। हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों से यह पता चलता है कि लोगों ने सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने साम्मदायिक सौहार्द और धर्मनिरपेक्षता में भी विश्वास व्यक्त किया है। जिन लोगों को साम्प्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है, उन्हें एकजुट होकर साम्प्रदायिकता और घृणा फैलाने वाली शक्तियों का मुकाबला करना होगा। कानून बनाकर और यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन करके धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिये।

सभी क्षेत्रों में स्थिति में सुधार करके सरकार ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापक तौर पर विश्वास पाया है।

कश्मीर के बारे में सरकार की लगातार यही नीति रही है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे भारत से अलग नहीं कर सकती है। सरकार इस बात के लिये भरसक प्रयास कर रही है कि पंजाब की भांति कश्मीर में भी निर्वाचित सरकार कार्य करना शुरू करे। निर्वाचित सरकार वहां के लोगों की वास्तविक प्रतिनिधि होगी और वहां की समस्यायें वहां के लोगों की संतुष्टि के अनुसार हल की जा सकती हैं। सरकार आतंकवाद को समाप्त करके सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये भरसक प्रयास कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप और दो मिनट तक बोल सकते हैं। अन्य अनेक सदस्यों को बोलना है। आवंटित समय समाप्त होने वाला है।

श्री एन० डेनिस : हजरतबल दरगाह की समस्या का हल करने में सरकार ने जिस धैर्य, बुद्धिमानी और सावधानी का परिचय दिया वह अभूतपूर्व है और इसकी बड़े पैमाने पर प्रशंसा हुई है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में शान्ति और सद्भाव लाने और चुनाव करवाकर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बहाल करने के भरसक प्रयासों के बावजूद सीमा के उस पार की आवंछित शक्तियां के घृणा फैलाने की गतिविधियों में संलग्न रहने से सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो पा रही है। देश में अव्यवस्था और अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमें आशा और विश्वास करना चाहिये कि सामान्य स्थिति बहाल हो जायेगी और उस राज्य में लोकतान्त्रिक चुनाव करवा लिये जायेंगे।

विदेशों से हमारे संबंध में काफी सुधार हुआ है। विदेशी उच्चाधिकारियों और सरकारों के प्रमुखों और पड़ोसी देशों को सरकारों के प्रमुखों के भारत आगमन और हमारे प्रधान मंत्री की अन्य देशों की यात्रा से हमारे देश के अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार हुये हैं और उनके साथ होने वाले व्यापार और वाणिज्य में भी सुधार हुआ है। चीन के साथ सहमति हुई है। यह सही दिशा में एक कदम है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंधों में सुधार नहीं हुये हैं, क्योंकि उसका नकारात्मक रवैया है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हमारी अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति और व्यापार नीति के अन्तर्गत फिर से ठीक किया जा रहा है और इसमें सुधार किया जा रहा है, प्रक्रियाओं को आसान और सरल बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री एन० डेनिस : मैंने तो अभी शुरू किया है। मैं कम से कम दस मिनट और बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस दस मिनट में अनेक सदस्य भाग ले सकते हैं।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : यह अनुचित है। विपक्ष के सदस्य काफी लम्बे समय तक बोले हैं। **(व्यवधान)**

श्री देवगौडा एक घण्टे तक बोले थे।

श्री नीतीश कुमार : उन्हें समय दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री एन० डेनिस : उत्पादन और निर्यात में वृद्धि हुई है। भुगतान संतुलन की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और यहां विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है। मुद्रा स्फीति की दर भी नियंत्रित हुई है। जब उत्पादन बढ़ता है तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और हमारे देश में यही हो रहा है। जहां तक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संबंध है। निर्धन वर्ग से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति की देखरेख के लिए प्रधान मंत्री द्वारा एक प्रकोष्ठ का गठन एक स्वागत योग्य कदम है। अब जिला औद्योगिक केन्द्र और अन्य प्राधिकारी बैंकों को ऋण जारी करने के निदेश दे रहे हैं, परन्तु बैंक इन निदेशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे इन कार्यक्रमों के प्रति बाध्य नहीं हैं। इसलिए, गरीबों के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के सरकार के इरादे को असफल कर दिया जाता है, इसलिए कोई नीति बनानी होगी अथवा किसी तंत्र की स्थापना करनी होगी, ताकि सरकार की इच्छानुसार लाभ भोगियों को ऋण प्राप्त हो सके। इस संबंध में उचित कार्यान्वयन अभिकरणें की स्थापना करनी होगी।

जहां तक कृषि का संबंध है, खाद्य उत्पादन में तीन गुणा वृद्धि हुई है और इस क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त है। हम निर्यात करने की स्थिति में भी हैं। हमारे खाद्यान्न भंडार की स्थिति भी संतोषजनक है। इसको श्रेय किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और सरकार को भी जाता है, परन्तु हमें इस पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। खाद्यान्नों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अनेक अन्य देशों के उत्पादन की तुलना में कम है और चावल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम है। खाद्य उत्पादन की तुलना में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश में बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्र हैं, जिनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक मत्स्य पालन का संबंध है, हमारा तटीय क्षेत्र काफी लम्बा है। और अनेक ऐसे स्थान हैं, जहां मछली मारने के केन्द्र खोले जा सकते हैं। कन्याकुमारी जिले का पश्चिमी तट ऐसा ही स्थान है, जिसमें मत्स्य पत्तन का केन्द्र शीघ्रातिशीघ्र खोला जायेगा। प्राकृति आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की शीघ्र सहायता उसी प्रकार की जानी चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र में भूकम्प पीड़ितों को दी गई थी। वहां भूकम्प पीड़ितों की सहायता सरकार और अन्य सामाजिक सेवा संगठनों द्वारा की गई

थी, परन्तु मैं तमिलनाडु के इसी प्रकार के मामलों का उल्लेख करना चाहता हूं। कन्याकुमारी जिले में 25000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गये हैं और उन मकानों के पुनर्निर्माण के लिए अब तक पर्याप्त सहायता प्रदान नहीं की गई है और जिन व्यक्तियों के घर क्षतिग्रस्त हो गये थे वे 'अब भी बेघर इधर-उधर घूम रहे हैं। मैं यह बात सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि अपने क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु कारगर कदम उठाये जाने चाहिए।

दूसरी बात अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के गठन के बारे में है, जिसकी शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है। इसका हम स्वागत करते हैं। पहले भी अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था कि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाद की कार्यवाही की कमी के कारण अल्पसंख्यक आयोग कारगर ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। यहां भी इसकी और अल्पसंख्यक आयोग की उचित कार्यप्रणाली के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए।

मैं पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का स्वागत करता हूं, जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों की लम्बे समय से इच्छा थी। इस इच्छा को पूरा कर दिया गया है और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने मुझे संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूं, और विरोध करते हुए मैं सरकार के सामने उन अनेक समस्याओं को प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनका हमारी जनता मुकाबला कर रही है। मैं उजागर करना चाहता हूं कि अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के कारण आम आदमी किस प्रकार कष्ट उठा रहा है; अलाभकारी मूल्यों के कारण किस प्रकार किसान कष्ट झेल रहा है; आयात और सरकार की अन्य नीतियों के कारण हमारा घरेलू उद्योग किस प्रकार परेशानी का सामना कर रहा है, किस प्रकार से आंतरिक और बाहरी ऋण हमारे ऋण बोझ में वृद्धि कर रहे हैं, भ्रष्टाचार किस प्रकार से दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा है, जबकि सरकार इस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। जनसंख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ रही है और यह जनसंख्या वृद्धि हमारे रोजगार क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, दिन प्रतिदिन बेरोजगारी किस प्रकार बढ़ रही है और सरकार इस समस्या का कारगर ढंग से समाधान करने में समर्थ नहीं है। किस प्रकार से उर्वरक की कमी भविष्य में हमारे खाद्य उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित करने जा रही है। अनेक संस्थानों और सरकार द्वारा भारी ऋण का किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है और सरकार तथा सत्तादल किस प्रकार से संदीय लोकतंत्र की परम्पराओं और अन्य संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं।

मैं अब मूल्य वृद्धि पर आता हूं सरकार ने बजट से पूर्व मूल्यों में वृद्धि कर दी है। चीनी के मूल्य में नौ प्रतिशत चावल के मूल्य में 23 प्रतिशत; गेहूं के मूल्य में 21 प्रतिशत; रसोई गैस में 12 प्रतिशत और पेट्रोल तथा डीजल के मूल्य में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, रेल और सड़क द्वारा ढोये जाने वाले माल प्रभारों में वृद्धि के कारण लगभग सभी अन्य वस्तुओं के मूल्यों

[श्री डी० वेंकटेश्वर राव]

में वृद्धि हुई है। सभी वस्तुओं के मूल्यों में इस वृद्धि के कारण लगभग सभी अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। सभी वस्तुओं के मूल्यों में इस वृद्धि के विपरीत आम आदमी के वेतन अथवा आय में इस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। दूसरी ओर इस सामान्य मूल्य वृद्धि के कारण उसे लगभग 20 से 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस प्रकार की मूल्य वृद्धि के कारण आम आदमी किस प्रकार निर्वाह कर सकता है और अपनी मूल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा कर सकता है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि सरकार आम व्यक्ति की कठिनाई को दूर करने और उसके समाधान के लिए आगे नहीं आ रही है।

यदि हम कृषक समुदाय की ओर देखें तो लगता है कि किसान भी दयनीय स्थिति में हैं। उन्हें भी उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं होता है। मैं यह साबित करने के लिए धान और चावल का उदाहरण दूंगा कि पिछले चार वर्षों से कृषि उपजों के मूल्यों में वास्तव में थोड़ी वृद्धि नहीं हुई है। धान की कीमत 250 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि चावल 12 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है। गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति टन है। कपास के संबंध में भी यही स्थिति है जो कि 1400 रु० या 1500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेची जा रही है। मूल्य पिछले चार वर्षों से निरन्तर स्थिर रहे हैं। इसी प्रकार से, मिर्च और अन्य कृषि उपजों के मूल्य में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। एक ओर तो गरीब किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है और दूसरी ओर उर्वरक, कीटनाशक के मूल्य में वृद्धि और यातायात प्रभारों में वृद्धि के कारण उसे अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है। ये वृद्धियां 20 और 60 प्रतिशत के बीच होती हैं और कभी कभी यह सौ प्रतिशत तक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में, किसान हानि उठाये बिना अपने कृषि संबंधी क्रिया कलापों को जारी रखने की स्थिति में नहीं है। परन्तु सरकार किसी भी प्रकार से उसकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रही है। हमारा एक कृषि प्रधान समाज है और हमारी 80 से 85 प्रतिशत जनसंख्या कृषि समुदाय से संबंध रखती है। परन्तु उनकी दशा सुधारने अथवा उन्हें प्रसन्न रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है कृषि समुदाय को राहत प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से कोई सुधार कार्यक्रम नहीं है और न ही उन्हें कोई राहत दी जा रही है।

मैं ऋण पक्ष पर आता हूं। बाहरी ऋण 85 विलियन डालर के आसपास अर्थात यह दो लाख, छियासठ हजार एक सौ सड़सठ करोड़ के लगभग है। यह हमारे सकल घरेलू उत्पादन का 38.3 प्रतिशत है। ऋण सेवा अनुपात 30.4 प्रतिशत है। यह सभी बाहरी ऋण हमें अदा करना है। और हम मोटे तौर पर प्रतिवर्ष 8.9 विलियन डालर का ब्याज के रूप में भुगतान कर रहे हैं। ब्याज का भुगतान करके हम पुनः कुछ और ऋण मांगने जा रहे हैं। यहां इस प्रकार की स्थिति जो हमारे देश में विद्यमान है और हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि हम इस स्थिति से बाहर कैसे निकलें।

अन्य क्षेत्र पर आते हुए, नई आयात नीति के कारण हमारे घरेलू उद्योग कठिनाई का सामना

कर रहा है। आयात शुल्क कम किये जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप घरेलू तथा लघु कुटीर उद्योग के लिए कोई राहत नहीं दी जा रही है, इससे भी देश में बेरोजगारी की समस्या भी पैदा हो रही है।

हम भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या विकास की दर बहुत ऊंची हैं, यह लगभग 27 प्रतिशत है, हर वर्ष हमारी जनसंख्या में आस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। हर मिनट में तीन हजार बच्चे जन्म ले रहे हैं जनसंख्या में इस वृद्धि से बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। यदि परिवार नियोजन के क्षेत्र में कोई कारगर उपाय न किये गये तो हमें लगातार इस समस्या का सामना करना पड़ेगा।

उर्वरकों के मुद्दे पर आते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी उर्वरक खपत बहुत कम है। यह प्रति हेक्टेयर लगभग 72 किलोग्राम है। जबकि यूरोपीय देशों में यह प्रति हेक्टेयर 200 किलोग्राम है, जापान में यह प्रति हेक्टेयर 365 किलोग्राम है और चीन में यह प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम है। पाकिस्तान और बंगलादेश में भी उर्वरक खपत भारत की तुलना में बहुत अधिक है। यह क्रमशः प्रति हेक्टेयर 89 किलोग्राम तथा 99 किलोग्राम है।

हमारा खाद्यान्न उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 180 मिलियन टन है। चीन में, यह प्रति वर्ष लगभग 450 मिलियन टन है। चीन का कुल कृषि योग्य क्षेत्र भारत की तुलना में थोड़ा अधिक है लेकिन वे कृषि के अच्छे और कारगर तरीकों का इस्तेमाल करके अधिक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में है। 1951 में, हमारा प्रति व्यक्ति खाद्यान्न खपत 394 ग्राम थी और यह 1993 में 465.6 ग्राम तक आई है, पचास वर्षों में केवल 65 ग्राम की वृद्धि हुई है। यदि हम इस तरह आगे बढ़ते हैं तो इसका हमारे देश तथा जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अब, चूंकि उर्वरकों पर राजसहायता समाप्त कर दी गई है, उर्वरकों की खपत कम है और इसके फलस्वरूप हम खाद्यान उत्पादन के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं यदि आप इस समय के उर्वरक उत्पादन पर नजर डालें तो यहां पर आवश्यक नाइट्रोजन उर्वरक का केवल 85 प्रतिशत उत्पादन किया जा रहा है और फास्फोरिक उर्वरकों के मामले में यह हमारी आवश्यकता का केवल 70 प्रतिशत उत्पादन किया जा रहा है हमारे देश में पोटाश उर्वरकों का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं हो रहा है। इस वर्ष, पहले ही उर्वरकों की 4.5 प्रतिशत कम हुई है और हम लगातार इस ढंग से उर्वरकों का उत्पादन कर रहे हैं हमारा खाद्यान्न उत्पादन बुरी तरह प्रभवित हो जायेगा, जो हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए अच्छा नहीं है।

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आते हुए, सरकार के पास, घोटालों जैसे बोफोर्स घोटाला तथा ए०बी०बी० रेलवे लोकोमोटिव की खरीद, का कोई उत्तर नहीं है। हम भली प्रकार जानते हैं कि ए०बी०बी० रेलवे इंजनों की खरीद रेल अभिसमय समिति की सिफारिश के विरुद्ध थी। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा घोटाले की जांच करने बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर, सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस तरह से सरकार संसद जैसे लोकतान्त्रिक संस्था को व्यय कर रही है।

[श्री डी० वेंकटेश्वर राव]

आप न्यायाधीश रामास्वामी का मामले का उदाहरण लीजिए। सरकार ने न्यायपालिका के व्यक्ति को सुना नहीं दी थी। दूसरे शब्दों में, इसका अभिप्राय यह है कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है।

ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां सरकार भली प्रकार से उत्तर नहीं दे रही है उदाहरण के लिए, मेरे राज्य, आन्ध्र प्रदेश को ही लीजिए। यद्यपि प्रधान मंत्री भी आन्ध्र प्रदेश से हैं, हमें तेलगू गंगा, हन्द्रिनिवा, पोलावरम, पुलीचेनताला, जुरुला और श्री सेलम जैसी परियोजनाओं के लिए सहायता देने से इन्कार किया है। ऐसी बहुत सी परियोजनाएं हैं, जो अभी भी सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं। प्रधान मंत्री जी ने इन परियोजनाओं की स्वीकृति के बारे में बहुत बार विश्वास दिलाया था, लेकिन इन परियोजनाओं में से किसी भी परियोजना को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में नन्ददलाला भूमिगत जल निकासी प्रणाली टी० वी० ट्रांसमीटर का प्रावधान और मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में बहुत से वचन दिये थे। आज तक, किसी को क्रियान्वित नहीं किया गया है चाहे यह राज्य सरकार के स्तर पर हो या केन्द्र सरकार के स्तर पर हो।

चुनावों के दौरान ऐसी कई बातों के बारे में वचन दिये थे, लेकिन उन्हें कभी लागू नहीं किया, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश का छः बार दौरा किया था। उनके दौरों पर काफी धन खर्च किया जाता है। मेरे अनुसार यह 6 करोड़ रुपये का खर्च आता है। वह किराये पर हेलीकाप्टर लेते हैं; वह रायलसीमा की पुलिस से सहायता लेते हैं और उनके साथ बहुत एस० पी० जी० कामडो साथ-साथ चलते हैं। अतः उनके निर्वाचन क्षेत्र की यह स्थिति है। इन सब को मिलाकर प्रति दौरा 1 करोड़ रुपये का खर्च आता है। **(व्यवधान)**

डा० आर० मल्लू (नगर कूरनूल) : उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। प्रधान मंत्री को हमारे राज्य में अवश्य आना चाहिए। उन्होंने बहुत-सी परियोजनाओं को स्वीकृति भी दी थी। आन्ध्र प्रदेश के लोग उनके दौरों मे काफी प्रसन्न होते हैं। मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब कभी वह आते हैं, स्वतः ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें हेलीकाप्टर सेवा इसलिए नहीं दी जा रही है कि वह इसमें रुचि रखते हैं, बल्कि इसलिए दी जाती है, क्योंकि वह भारत के प्रधान मंत्री हैं। लेकिन मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य ने उन्हें गलत ढंग से लिया है। वह आखिरकार हमारे प्रधान मंत्री हैं और उनके साथ केवल सांसद जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : सरकार जिसका आन्ध्र प्रदेश में शासन है, संसदीय लोकतन्त्र का नाश कर रही है। अब, मैं संयुक्त संसदीय समिति का उल्लेख करना चाहूंगा। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बावजूद, कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जे० पी० सी० में सभी पार्टियों के सदस्य हैं। अतः जे० पी० सी० की पवित्रता खत्म हो चुकी है, क्योंकि सरकार की ओर से गलत कार्यवाही की गई है। इसी तरह, जो दल सत्ता में हैं वह सभी प्रकार के अलोकतान्त्रिक उपायों का सहारा ले रही है, चाहे

यह दल-बदल विरोधी विधेयक ही या ऐसी कुछ चीज हो। दल-बदल विरोधी विधेयक जिसे कांग्रेस सरकार द्वारा पुनः स्थापित किया गया था, इस विधेयक को इसी पार्टी द्वारा नष्ट (विरोध) किया जा रहा है। जब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल तथा अन्य पार्टियां आती हैं, उस समय सत्ता में थीं, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब इस प्रकार अजीब तरह की बातें की जा रही हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं यह भी आशा करता हूं कि सरकार उन्हें उत्तर देते समय, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बरार, आप अपना भाषण शुरू करने से पहले, मुझे एक अनुरोध करना है, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा जाना चाहते हैं, उन्हें पहले बोलने दीजिए।

श्री जगमीत सिंह बरार : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई वयोवृद्ध व्यक्ति और बच्चियों से कह रहा हो कि "नाच बेबी नाच बेबी पैसा मिलेगा। आज नहीं कल नहीं परसों मिलेगा, एक नहीं दो नहीं तीन मिलेगा, नाच बेबी नाच पैसा मिलेगा" और पैसा कभी नहीं मिला?

6.30 म०प०

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

जब हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पहले पैरा को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ पाते हैं कि सभी मोर्चों पर निरन्तर प्रगति हुई है, प्रगति हो रही है, ऐसी बात नहीं है। प्रगति हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि देश की आत्मनिर्भरता के बारे में क्या प्रगति हुई है? महंगाई को कम करने के लिये क्या प्रगति हुई है, निरक्षरता को दूर करने के लिये क्या प्रगति हुई है? भ्रष्टाचार को मिटाने, विधि व्यवस्था को कायम करने, विषमता को मिटाने और विदेशी कर्जा कम करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है? यदि कुछ मायने में प्रगति हुई है तो दूसरी बात है लेकिन सभी मोर्चों पर प्रगति हुई है, ऐसा कहना सही नहीं लगता। जब हम एक-एक बात को लेंगे तो उसमें लम्बा समय लग जायेगा; इसलिये मैं जल्दी में और संक्षेप आपके सामने अपनी राय रख रहा हूं।

जहां तक आत्मनिर्भरता का सवाल है, हम लोगों को याद है जब हम विदेशी कपड़ों की होली जलाया करते थे। हम को याद है जब विदेशी सामानों का बहिष्कार गांधी जी और दूसरे नेताओं के नेतृत्व में किया करते थे। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम उन्हें न्योता दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं, निमंत्रण-भेज रहे हैं कि आप यहां आओ। मैं कहना चाहता हूं कि जिस अबाध गति से, जिस रफ्तार के साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश में आ रही हैं और अपने सामान का डम्प कर रही हैं,

[श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा]

उससे हमारे देशी उद्योगों पर खतरा पैदा हो गया है। शायद सब को पता होगा कि हमारे कागज उद्योग को इतना खतरा हो गया है कि करीब 50 करोड़ रुपये का कागज बन कर गोदाम में तैयार है लेकिन वह बिक नहीं रहा है और विदेशी कागज सस्ता बिक रहा है ...(व्यवधान) मैं यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से डंपिग हो रहा है और माल सस्ता बिक रहा है, उससे हमारे कारखाने बंद हो जायेंगे। फिर उसी चीज को वे महंगा बेचने लगेंगे। हमारे फर्टिलाइजर का क्या हाल है? हमारे यहां के बुनकरों की क्या हालत है? वे बहुत तेजी से अपने धंधों से कटते जा रहे हैं। जो पुश्तैनी धंधे थे वे प्रायः लुप्त होते जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा खतरा है। जब हमारे देशी उद्योग खत्म होंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। आज भले ही आप कुछ कह लें लेकिन देशी उद्योगों को बर्बाद किया जा रहा है। कई कारखानों में तो फॉल्स प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है। कोयले के मामले में यह चीज पकड़ी गई है। आयरन और की क्या बात कहें, एक स्टील एथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसकी एक शाखा रॉ-मैटिरियल डिविजन है। उसने बिना किसी पेपर में विज्ञापन दिये हुए, एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम मांगे हुए, 50 व्यक्तियों से अधिक लोगों की बहाली कर ली और उसमें चर्चा है कि 50,000 से लेकर एक लाख रुपये तक लिये गये हैं, तो क्या इससे यह उद्योग पनपेगा? इतना ही नहीं, उसी स्टील एथॉरिटी ऑफ इण्डिया में 5 हाइड्रोलिक शैवेल मशीनें, जो 5 करोड़ रुपये की एक है, 25 करोड़ में खरीदकर रख दी गई हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और पूंजी फंसी हुई है। मैं बहुत मजबूती के साथ यह कहना चाहता हूं, पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार, भारत सरकार और अर्धसरकारी संस्थाओं के द्वारा करीब 50 अरब रुपये की मशीनरी ऐसी आई है, जिसका इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ। यह मशीनरी सिर्फ कमीशन के लोभ में मंगाई गई है लेकिन हमारा ध्यान कमीशनखोरों की ओर नहीं जाता है। एक मामले में बोफोर्स में गया लेकिन बाकी मामलों में नहीं जा रहा है। आखिर इस मुल्क का क्या होगा, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं?

कहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। मैं चुनकर बिहार के गया चतरा और पलामू जिले से आता हूं, जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां रोज हत्याएं हो रही हैं। पिछली 14 फरवरी को 3 नौजवान मारे गये। हमारे क्षेत्र में दो बच्चे मोटरसाइकिल पर आ रहे थे और एक ट्रक से आ रहा था, तीनों को रोका गया और काट दिया गया, मार दिया गया। उनकी मोटरसाइकिल और ट्रक को जला दिया गया। फिर 6 रोज के बाद 20 तारीख को वैसी ही घटना चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखण्ड में घटी। देश में आज ऐसी घटनाएं हर जगह घट रही हैं, चाहे वह आन्ध्र प्रदेश का करीम नगर जिला हो, चाहे मध्य प्रदेश का बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा हो, उड़ीसा का कालाहांडी हो या दूसरे पिछड़े हुए इलाके हों। बिहार में जो मध्य बिहार का इलाका है, उसमें भी हालत बहुत भयावह हो गई है लेकिन यह कहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। मेरा कहना है कि सुधार नहीं हुआ है, बल्कि जितने लोग पंजाब और कश्मीर में मारे गये हैं, उससे ज्यादा लोग इन जगहों में मारे गये हैं। इसको आप आसानी से न लें की कि इसमें

सुधार हो गया है। अयोध्या मसले की चर्चा इसमें की गई है। अयोध्या मसले की चर्चा जब की गई तो मैं उस सम्बन्ध में तीन तारीखों को याद करना चाहता हूं। एक तो 1949 का जमाना, जब पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे और दूसरा 1 जनवरी, 1986 जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे और तीसरा 6 दिसम्बर, 1992 आप देखें कि क्या हुआ। वहां पर ही बन्द नहीं होता है। 1949 में एकाएक बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति रखी गई और हल्ला हुआ कि रामलला पैदा हो गये, रामलला पैदा हो गये। इस पर जवाव हुआ तब ताला लग गया। जब ताला लगा तो यह ताला बहुत दिनों तक लगा रहा। फिर जब ...

सभापति महोदय : वर्मा जी, आप कितना समय और लेंगे ?

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : आप जब कहिएगा, बन्द कर देंगे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पहली जनवरी, 1986 को ताला खुल गया और ताला खुल गया तो फिर बवाल मच गया और उसको शान्त करने के लिए उस समय के प्रधान मंत्री अयोध्या पहुंचे और उन्होंने अयोध्या से अपना चुनाव अभियान शुरू किया, राम का नाम लेकर चुनाव अभियान शुरू किया और मंदिर का शिलान्यास किया। मैं पूछना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में यदि किसी देश का प्रधान मंत्री या सरकारी अफसर जब इस तरह का काम करेगा तो धर्मनिरपेक्षता कहां बचेगी।

मैं बिहार में पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं कि सरकारी जमीन पर जबरदस्ती मंदिर और ठाकुरद्वारे बनाये जा रहे हैं, बेरोकटोक बनाये जा रहे हैं। आप पटना से आगे बढ़िये तो बखत्यारपुर के पास फतवा नामक जगह है, फतवा के थाने में एक मंदिर बना और उस मंदिर पर बाबा थानेश्वरनाथ मंदिर लिखा गया। उसी फतवा में बिजलीघर पर मंदिर बना और उस पर बाबा बिजलेश्वरनाथ मंदिर लिखा गया। कहीं अचलेश्वर नाथ, कहीं पशंडेश्वर नाथ, इस तरह हो रहा है। ... **(व्यवधान)** ... पटना की बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की एक कालोनी में 10 साल पहले एक दर्जन मन्दिर बनाए गए और जब मन्दिर बनता है ... **(व्यवधान)** ... तो फिर मस्जिद और गिरिजाघर बनाने की मांग होने लगती है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। जब कोई चाहता है हम मस्जिद बना देंगे, चर्च बना देंगें तो और इस प्रकार तनाव पैदा हो जाता है, यदि आप कम्यूनलिज्म (साम्प्रदायिकता) को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो यह मामला जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि आपने जो ये संसद की स्थाई समितियों का जिक्र किया है, उसमें यह भी जिक्र होना चाहिये था कि शुरू से जो प्रश्न-काल का समय एक घंटा रहता आ रहा है, प्रश्नों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उसे बढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं संसद का जो कार्यकाल है उसमें भी कटौती हो रही है। विधान मंडलों में और संसद के कार्यकाल में कटौती हो रही है और यह एक मायने में जनतंत्र पर हमला है यह मैं मजबूती के साथ कहना चाहता हूं। इस ओर राष्ट्रपति जी का और सरकार का ध्यान जाना चाहिये था, लेकिन नहीं जा सका और अभी भी नहीं जा रहा है, यह दुख की बात है।

[श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा]

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने ग्रामीण विकास की बहुत चर्चा की है। आपने कृषि पैदावार की बहुत चर्चा की, यह बात सही है कि किसानों ने, खेत मजदूरों ने और हमारे वैज्ञानिकों ने मिल कर कृषि का उत्पादन 5 करोड़ टन से ले कर 18 करोड़ टन तक पहुंचा दिया है लेकिन आज इसके आगे क्या हो रहा है? मैं जहां से चुनकर आता हूं चतरा में 25 पैसे किलो टमाटर बिक रहा है। हमारे पूरे क्षेत्र में यही हालत है। ...(**व्यवधान**)... सरकार से कहा गया कि वहां फ्रूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाओ, ...(**व्यवधान**)... लेकिन वहां पिछले वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से क्या लगा? वहां एक भी ऐसा प्लांट नहीं लगा। वहां सिर्फ दारू का लाइसेंस दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि किस ढंग से यह मामला बिगड़ता जा रहा है, जहां तक शिक्षा का सवाल है, आज भी हम संविधान के निर्देशों को नहीं मान रहे हैं। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि जितने भी बच्चे और बच्चियां 6 वर्ष से 14 वर्ष के हैं उनको 10 साल के अंदर स्कूल में भेजना चाहिये, लेकिन आज भी 5 करोड़ बच्चे-बच्चियां ऐसे हैं, जिन्हें स्कूलों का मुंह देखने का मौका नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं सबों के लिए शिक्षा, किन्तु आप यह देखिए कि हम कहां जा रहे हैं? जिस दिन देश आजाद हुआ था हमारे देश में निरक्षरों की संख्या 21 करोड़ थी, कुछ वर्षों के बाद 28 करोड़ हुई और कुछ वर्षों के बाद 36 करोड़ हुई। उसके बाद 81 में 43 करोड़ हुई और आज भी भारत में निरक्षरों की कुल संख्या दुनिया की कुल संख्या की आधी है, मैं यह कहना चाहता हूं। संविधान के निर्देशों की खुली अवहेलना की गई, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की क्यों न रही हो। क्या सरकार में दम है जो कहे कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा होगी। जब तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक मामला नहीं सुलझेगा। ...(**व्यवधान**)...

महोदय, आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब गड़बड़ी मचती है तो उसका मुख्य कारण राजनीति होता है, जब राजनीति के स्तर में गिरावट आती है तो फिर उसको कोई संभाल नहीं सकता। इसको रोकने के लिये हमने क्या कदम उठाया है? बहुत से लोग कहते हैं कि हम यह तरक्की कर गए, वह तरक्की कर गए। मैं बस दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं यह कहता हूं कि आप तराजू का पलड़ा लेकर आजादी के पहले के भारत को और आजादी के बाद के भारत को तोलिए। जब भारत गुलाम था, भारतमाता के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और छाती पर अंग्रेजी सल्तनत बैठी हुई थी, उस जमाने में भी भारत की मिट्टी से रवीन्द्र नाथ टैगोर ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ, जिसकी जोड़ का आदमी दुनिया में नहीं मिला, जिसको नोबेल प्राइज मिला और जिसके सामने दुनिया ने सिर झुकाया। उस गुलामी के जमाने में जगदीश बसु, सी॰बी॰ रमण और भाभा जैसे वैज्ञानिक पैदा हुए, गामा जैसा विश्व विजयी पहलवान पैदा हुआ, जो 20 वर्ष तक विश्व चैंपियन रहा। उस जमाने में विवेकानंद जैसा वक्ता, गांधी जैसा नेता पैदा हुआ और उसी जमाने में हाकी में हम दुनिया को पछाड़ते रहे। क्या वजह है कि आजादी मिलने के बाद हम ने वैसा साहित्यकार, न वक्ता,

न वैज्ञानिक, न पहलवान, न खिलाड़ी, अब कपिल पैदा कर सके, जिसका लोहा दुनिया मानती है। इसलिए कहीं न कहीं कमी है, जिसको दूर करने के लिए हमको राजनीति से ऊपर उठकर सोचना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण को अस्वीकार करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री याइमा सिंह जी, आपने सिर्फ तीन मिनट की अनुमति मांगी है। कृपया अपनी बात तीन मिनट में समाप्त करें।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने इस बात का ठीक ही उल्लेख किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह की स्थिति में सुधार आया है। मणिपुर के सम्बन्ध में यह बात सही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण अर्थात 21 फरवरी से पूर्व स्थिति अत्यधिक खराब थी। राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात अब मणिपुर में स्थिति में सुधार हुआ है।

महोदय, चूंकि अब मणिपुर में स्थिति में सुधार हुआ है, मैं यह मांग करता हूं कि राज्य में जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रिमंडल बहाल किया जाना चाहिए। यह मेरी पहली मांग है।

मेरी दूसरी मांग यह है कि मणिपुर घाटी में विद्रोहियों को आम माफी दी जाए। असम में इसका अनुभव किया गया था और यह बिलकुल सफल रहा था तथा इसका जवाब भी बहुत अच्छा मिला था। अतः मैं सरकार के समक्ष मणिपुर में विद्रोहियों की आम माफी दिये जाने का प्रस्ताव रख रहा हूं और यह एक अच्छा उपाय सिद्ध होगा। मणिपुर में वर्तमान स्थिति अस्थायी संधि से उत्पन्न हुई है। यह स्थायी समझौता नहीं होगा। स्थायी समझौते द्वारा विद्रोहियों को आम माफी दी जायेगी और साथ ही साथ भूमिगत लोगों के सामने आने पर उनके पुनर्वास, बेरोजगार तथा उनकी अन्य मांगों से सम्बन्धित कार्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे और इससे बहुत अधिक सहायता मिलेगी। वे कुण्ठाग्रस्त हैं मणिपुर में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, वहां कोई पेपर मिल कोई चीनी मिल तथा कोई इंजीनियरिंग कालेज नहीं है। अतः मणिपुर के युवाओं में निराशा व्याप्त है। परिणामस्वरूप वे हथियार उठा रहे हैं।

महोदय, नागा तथा कुकी के बीच जातिया विवाद का समाधान करना होगा। राज्यपाल की रिपोर्ट में इस बात की ओर ठीक ध्यान आकर्षित किया गया था कि कुछ मंत्री अप्रत्यक्ष रूप से जातीय विवाद भड़का रहे हैं अथवा इसमें लिप्त हैं। अब वे वहां नहीं हैं। अतः नागा और कुकी के बीच जातीय विवाद का समाधान करना होगा। यदि हम घाटी में छिपे विद्रोहियों को रोजगार के अवसर, पुनर्वास तथा कुछ अन्य प्रोत्साहनों का आश्वासन दे सकें तो वे सामने आ जायेंगे।

मणिपुर में काफी बांस होते हैं, परन्तु पेपर मिल सिल्चर में स्थापित है। इसे मणिपुर में होना चाहिए। वहां गन्ने की उपज काफी होती है परन्तु वहां कोई चीनी मिल नहीं है। यह स्वाभाविक है कि राज्य युवा वर्ग इससे कुण्ठाग्रस्त है।

सभापति महोदय : मैंने आपको साढ़े चार मिनट का समय दिया है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : जैसा कि आप जानते हैं हाल ही के राष्ट्रीय खलों में मणिपुर को 13 स्वर्ण पदक तथा कुछ अन्य पदक प्राप्त हुए हैं। तथापि वहां कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है, कोई खेल का मैदान नहीं है। तथा खेलकूद के विकास के लिए कोई आधारभूत सुविधा नहीं है। परन्तु इसके बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक और कुछ अन्य पदक प्राप्त किये। मणिपुर राज्य हर दृष्टिकोण से बहुत ही उपेक्षित है। मैं सोचता हूं कि इसी कारण वहां युवा वर्ग विद्रोह कर रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या के समाधान हेतु इन युवाओं को आम माफी दी जाए। उनका पुनर्वास किया ही जाना चाहिए तथा उन्हें रोजगार दिया ही जाना चाहिए।

अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

(व्यवधान)

महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा के नियमों के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को बोलने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यहां मैंने प्रसताव में संशोधन प्रस्तुत किया है। नियमों के अन्तर्गत अधिकार के रूप में बोलने की अनुमति प्राप्त होने के बजाय मैं बोलने की अनुमति मांग रहा हूं। जबकि अन्य सभापति ने एक माननीय सदस्य को एक घंटे से अधिक समय दिया था मुझे सिर्फ साढ़े तीन मिनट का समय दिया जा रहा है। यह उचित नहीं है।

सभापति महोदय : परसों आपका नाम पुकारा गया था। आप उपस्थित नहीं थे। अतः कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

अब मैं श्री जगमीत सिंह बरार को आमंत्रित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर जो प्रस्ताव हमारी पार्टी के सीनियर नेता श्री माथुर जी और श्री थामस जी ने रखा तो मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे आज की इस डिबेट के शाम के समय मंत्रियों की उपस्थिति बहुत कम है और माननीय सदस्य भी बहुत कम हैं। मैं वादा करता हूं कि जितने प्वाईंट यहां पर कहे गए हैं तो मैं उनमें से एक भी प्वाईंट रिपिट नहीं करूंगा और सबसे पहले शुरुआत मानवाधिकार से करना चाहता हूं। मानवाधिकारों की चर्चा सारे विश्व में और सारी दुनिया में है। मुझे यह देखकर, सुनकर और पढ़कर भारत का एक नागरिक होने के नाते पीड़ा और दुख है कि आज दुनिया के तमाम नेता, जिनमें श्री बिल क्लिंटल, श्री मैलट, श्रीमती राबिन राफिल और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी शामिल हैं, जो आज हमें मानवाधिकारों का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे इतिहास के झरोखे से याद आता है कि जो हिरोशिमा का जो नागासाकी का साका हुआ और इस पर ट्रयुमैन कहते हैं, जो अमेरिका के प्रेजीडेंट थे। उनकी आर्मी के विशेषज्ञों ने राय दी कि जर्मनी आत्मसमर्पण कर चुका है

और जापान के बहादुर लोग लड़ रहे हैं, आप इस अणु-बम का इस्तेमाल न करें। लेकिन वहां अणु बम फेंका गया। दो लाख तीन मिनट के अंदर पैरिश हो गये। आज तक उनकी पीढ़ियां याद करती हैं, जब अगले दिन मि० ट्रयुमैन ने व्हाइट हाउस में दुनिया के पत्रकार मिलने गये और उनसे पूछा कि आपकी कल रात कैसे बीती, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं पहले से ज्यादा अच्छी तरह पिछली रात सो पाया, क्योंकि हमारा तजुर्बा सफल हुआ। ये मानवाधिकारों की उपेक्षा और निरादर करने वाले लोग भारत की संस्कृति पर हमला करके हमें मानवाधिकारों को सबक पढ़ा रहे हैं। हमारे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस मिश्र ने एक बयान दिया है। उसको मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं :

[अनुवाद]

> "वास्तव में मानवाधिकारों से सम्बन्धित हमारा क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक होगा।"

[हिन्दी]

इतनी बड़ी बात इस मुल्क का ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन कहे, उस मुल्क को किसी सबक की जरूरत नहीं है। इससे आगे जब देश के नक्शे की तरफ हम देखते हैं, तो मेरी निगाह जाती है देश के उस महान प्रदेश कश्मीर के ऊपर, जो कभी बुद्धिज्म, कभी हिन्दुज्म और कभी मुस्लिम बहुत मिरिटक्स सैंटस का राज्य रहा है। उर्दू के महान शायर के कथन के अनुसार–

वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है

तेरी बर्बादियों के मशविरे हैं आसमानों में।

हमने जैसे जम्मू और कश्मीर को टैकल किया है, मुझे इस बात का दुख और अफसोस है कि 45 बरस बीत जाने के बाद।

[अनुवाद]

हमारे हजारों मील के सीमा क्षेत्र ऐसे हैं, जिनके बारे में सीमांकन और समझौता नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

जो बोर्डर्स हमारे चीन और पाकिस्तान के साथ लगते हैं।

जगमहोन साहब जो जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे, मुझे उनकी पुस्तक 'माई फ्रोजन टर्बुलेंस' का शुरू का पैरा याद आता है, जिसका मैं यहां पर हवाला देना चाहता हूं। इसमें उन्होंने बताया है कि जब मैं बी०एस०एफ० के जहाज पर था और जहाज क्लाउड पाकेट पर कभी नीचे जाता था और कभी ऊपर जाता था। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे गृह मंत्री और राज्य मंत्री में जो डिफरेंस आफ ओपीनियन है, यह कहीं ऐसा न हो जैसे जहाज ऊपर-नीचे जा रहा हो।

[श्री जगजीत सिंह बरार]

[अनुवाद]

और अन्त में यह फिर कभी नहीं उड़ान भर पाने के लिए नीचे गिर पड़ता हो।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर को हमारे से अलहदा करने की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सकते। मुझे यह कहने में बड़ा फख महसूस होता है कि हिन्दुस्तान का ताज कभी कश्मीर रहा है। कहते हैं कि 84,000 स्क्वायर माइल्स का उसका एरिया था, 1947 तक जो कि अब 42.000 स्क्वायर माइल्स रह गया है। यह बात डा० कर्ण सिंह के पिता हरिसिंह जी ने वहां के महाराज थे उनके भाषण और नोट में कही गई है। हम आधा हिस्सा पहले ही गंवा चुके हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए।

मुझे पाकिस्तान के जनरल्स पर रहम आता है। 1965 में वहां पर अयूब खां हुए वे कहते थे।

[अनुवाद]

कश्मीर का अन्तिम समाधान युद्ध है।

[हिन्दी]

लेकिन 1965 में क्या हुआ, इस देश के तमाम लोगों ने देश के लिए सरहदों के ऊपर फौजों ने जो कुर्बानियां दी, क्या उनके मंसूबे फेल नहीं हुए और वह मुल्क कम से कम 25 बरस पीछे चला गया।

[अनुवाद]

सेना के आक्रमण को सशक्त बनाने हेतु सम्पूर्ण पंजाब राज्य ने भोजन तथा अन्य सामग्री प्रदान कर उसकी सहायता की।

[हिन्दी]

7.00

पाकिस्तान के साहसिक सेनाध्यक्ष रहे उससे मुल्क को बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार एक बहुत बड़ी शख्सियत हुये हैं और उन्होंने इन जनरलों के बयान पढ़कर एक जगह लिखा था।

[अनुवाद]

उन्होंने कहा : "यदि भारत को एक नहीं बल्कि आधा दर्जन कश्मीर देना पड़े तो भी भारत यह देखेगा कि पाकिस्तान के साथ शांति सम्बन्ध स्थापित नहीं होंगे।"

[हिन्दी]

जिनके इरादे नेक नहीं हैं, जो देश को तोड़ने की साजिश आई० एस० आई० के द्वारा बनाते हों, अपनी तरफ से भारत की हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि बहुत दीगर विचार से

[अनुवाद]

कश्मीर पंजाब नहीं है। मैं अपने साथियों की बात से सहमत नहीं हूं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह पंजाब से भिन्न होगा। आज कश्मीर में लोग बहुत अधिक कष्ट उठा रहे हैं। इस्लामाबाद में सचिव स्तरीय बातचीत के दौरान विदेश सचिव को स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि शिमला समझौता प्रासंगिक नहीं है तथा जनमत संग्रह प्रासंगिक है।

[हिन्दी]

कश्मीर पंजाब का मसला एक नहीं है, उनमें बहुत फर्क है। मैं इन बयानों का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे विदेश सचिव को पाकिस्तान में हुई मीटींग में कहा था।

[अनुवाद]

"भारतीय कश्मीर में शोषण चरम सीमा पर है।"

[हिन्दी]

इसलिये गहराई के जो मसले हैं, सरकार उनको गंभीरता से हल करे। मिसेज बेनजीर, रोबिन रैफल और मोहतरमा लोदी ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं।

[अनुवाद]

ये तीनों पूरे राष्ट्र के पीछे पड़े हैं। ये व्यक्ति अमरीका के राष्ट्रपति की ओर से अदभुत कारनामे करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

और काले बादलों की तरह छाये हुये हैं। हमारे विदेश मंत्रालय को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिये।

कश्मीर के बारे में बहुत सी बातें की गयी हैं। पंजाब के एम० पी० को जब मौका मिलता है, तो पंजाब की बात करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे काबिल दोस्त श्री अय्यर ने कहा है कि सरदार बेअंत सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिये, जिससे मैं मुत्तफिक हूं। हमारे मुख्य मंत्री और लोग सरकार के आगे माथा रगड़ रगड़ के हार गये कि आप कहते थे कि मेरे देश के लोगों ने, पंजाब हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख ने जाइंटली लड़ाई लड़ी है, लेकिन उस सूबे पर 6600 करोड़ रुपये का कर्ज अभी बाकी है। इस ओर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने माफ करना तो दूर उसने पंजाब का टैक्स हालिडे भी नहीं दिया है यह बड़े अफसोस की बात है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। हमारे पंजाब

[श्री जगजीत सिंह बरार]

के बड़े शायर हुये हैं सुरजीत पाट्र जिनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला है। उन्होंने लिखा है–मातम, हिंसा, खौफ, बेबली ये पंजाब कि नदियों के नाम आदि दरिया हैं जो पंजाब से आये हैं। राष्ट्रपति जी ने तीसरे सफे पर कहा है :

[अनुवाद]

"हम पंजाब में प्राप्त अपनी सफलता को बनाये रखने में सक्षम हैं।"

[हिन्दी]

इसके लिये एक शायर ने कहा है

महरूमे हकीकत है साहिल के तमाशायी,

हम डूब के समझे दरियाओं की गहराई।

इन गहराइयों को समझने के लिये इकबाल का एक शेर भी इस सदन में रखना चाहूंगा।

मुझे अभी संत हरचंद लोंगोवाल के गांव में जाने का मौका मिला तो वहां के लोगों ने महरूम प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी एकार्ड के बारे में कहा। वहां पर सपोर्ट मेले में एक लाख इकट्ठा हुए थे। उन लोगों ने चुने हुये प्रतिनिधियों से सवाल करते हुये कहा कि आपके प्रधान मंत्री ने और आपकी पार्टी ने एक पंजाब एकार्ड किया था, परन्तु अब आपका दल उस समझौते से पूरी तरह से पीछे हट गया है। माननीय गृह मंत्री जी ने दर्जनों बार पंजाब के सम्बन्ध में सहायता प्रदान करने की घोषणा की है परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

यह वह पंजाब अकॉर्ड है और यह1985 में हुआ। इसकी 11 क्लोज़ बनती हैं। और एक क्लोज़ भी हमारी सरकार द्वारा इंप्लीमेंट नहीं हुई। यह पंजाब की ट्रेजडी है। यह पंजाब की सिचुएशन और हालात के लिए इतना खतरनाक हो सकता है मैं उसका ज़िक्र इस मौके पर करना चाहता हूं।

भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत दिल्ली में आज आई है। हमारे साथ खुराना जी बैठा करते थे। वे कहा करते थे कि दिल्ली के दंगों के दोषियों को सज़ा दी जाएगी। अगर हमारी हुकूमत आएगी तो इंसानियत के कातिलों को पकड़ा जाएगा। वे कहा करते थे कि कांग्रेस इसके लिए ज़िम्मेदार है लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेताओं से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की हुकूमत पर बैठने के बाद उन्होंने क्या इनीशियेटिव लिया है इस बात का सवाल आज तमाम हिन्दुस्तान के कोने-कोने में है। कोई भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। किसी एक राजनीतिक नेता को भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने अरेस्ट नहीं किया है।

मैं अपनी हुकूमत से विनती करूंगा कि हाल ही में प्रधान मंत्री जी पंजाब गए, लेकिन एक

नया पैसा भी थीन डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं दिया गया। मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि बहुम कम लोगों को पता है कि जब पाकिस्तान बनने पर पंजाब का बंटवारा हुआ था, तो वहां की 25 नहरों में से 23 नहरें वेस्ट पाकिस्तान में चली गईं और केवल् दो नहरें ईस्ट पंजाब के पास आईं। लेकिन एक रीआर्गनाइज़ेशन एक्ट 1966 बनाकर उसमें सैक्शन 78 और 80 डालकर उसको इनकार्पोरेट करके इर्रीगेशन के तमाम अधिकार जो सारे देश के सूबों को दिये गए हैं वह पंजाब से वापस लेकर पंजाब के किसान को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया है और देश को कहा जा रहा है कि पंजाब पानी नहीं दे रहा है।

[अनुवाद]

इस देश में पंजाब सिर्फ ऐसा राज्य है, जो अन्य राज्यों जैसे हरियाणा तथा राजस्थान को अपने जल संसाधनों का 75 प्रतिशत भाग दे रहा है। हम राजस्थान तथा हरियाणा के अपने भाइयों को कुछ भी देने के लिए तैयार हैं। परन्तु हमारी स्थिति देखिए।

[हिन्दी]

हमारी शोर्टेज ऑफ वॉटरकी पोज़ीशन इस वक्त 14 मिलियन एकड़ फीट वॉटर की है और पंजाब के वह लोग जो शेखूपुरा, लॉयलपुर, सरगोदा, लाहौर में थे वहां सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई, जिन्होंने सैकड़ों एकड़ ज़मीनों को छोड़कर बंजर भूमि पंजाब में ली थी।

[अनुवाद]

इतिहास में मानव का सबसे बड़ा पलायन अब हुआ है, उन्होंने ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था की है।

[हिन्दी]

इस मौके पर पंजाब को पानी देकर बहुत बड़ा अन्याय किया है और मैं जल संसाधन मंत्री से अपील करूंगा कि पानी के मामले को, रावी, व्यास, सलतुल के वितरण को एक नयी झलक से देखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आपके 20 मिनट दिये जा चुके हैं। आप समाप्त करिये।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारी नेशनल पोलिटी के हैड नरसिम्हाराव जी हैं। मुझे खुशी है कि मैं इस कांग्रेस का सदस्य हूं, जिसको एक स्कोलर स्टेट्समैन लीडर मिला है। यह मैं नहीं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

डेवोस में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष द्वारा जारी वक्तव्य मेरे समक्ष है।

कलंक एकबाल धरती पर एक ऐसी सफल कहानी है, जिसे अब तक पहचान नहीं मिली है,

[श्री जगजीत सिंह बराबर]

अतः मेरा विचार है कि पी० वी० नरसिंह राव जैसे नेता, जो पंजाब वार्ता में भी शामिल थे, जब पंजाब संबंधी गुप्त खेल में शामिल था, जो पंजाब की समस्या का समाधान करने के लिए, एक गृह मंत्री के रूप में कटिबध था, अवश्य ही राजीव लोंगोवाल समझौते को कार्यान्वित कर सकेगा। कांग्रेस राष्ट्र का रक्षक है। इसलिए मैं पार्टी नेताओं से निवेदन करता हूं कि पंजाब में स्थायी शांति लाई जाए।

[हिन्दी]

इस मौके पर मुझे एक बात इंगलैंड के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर सर रौबर्ट पोल की याद आती है, जो उन्होंने ऐसे नेताओं के ऊपर कही थी कि पार्टी इंटरैस्ट से नेताओं को कैसे ऊपर उठना चाहिये। उनका वह भाषण दुनिया के इतिहास में शोर्टेज एण्ड द बैस्ट कहकर आज भी याद किया जाता है। जब उन्होंने रिजाइन किया एज ए प्राइम मिनिस्टर तो उन्होंने कैसे नेशनल इंटरैस्ट को पार्टी इंटरैस्ट से ऊपर रखा, उन्होंने कहा था :

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि मेरा पुतला कई महलों जलाया जाएगा, परन्तु मैं संतुष्ट हूं कि कुटीरों में मेरी तस्वीर लगाई जाएगी।

[हिन्दी]

यदि हमारे प्रधान मंत्री पी० वी० नरसिंह साहब पंजाब की समस्या को पक्के तौर पर हल कर देते हैं, तो दुनिया के तमाम लोग, विश्व के लोग, आपके आभारी होंगे।

चेयरमैन साहब, मैं अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे गौरव है कि मेरी पार्टी एक डैमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन मैं उससे कुछ डिफरैंट व्यू रखता हूं और इस मुद्दे का जिक्र करने की इजाजत मैंने कांग्रेस पार्टी से नहीं ली है। कांग्रेस पार्टी का 109 साल पुराना गौरवमय इतिहास रहा है। हमारे देश में 1967 और 1972 के बीच 4000 मैम्बर देश की पार्लियामेंट और असैम्बलियों में थे। सुभाष कश्यप जी ने एक किताब लिखी है, जो इस हाउस के फौर्मर सैक्रेटरी जनरल थे, जिसमें कहा गया कि उन 4000 मेम्बरों में से 2000 लोगों ने डिफैक्ट किया है। यह रिकॉर्ड पर है और इसी की खातिर हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी को एन्टी डिफैक्शन बिल लाना पड़ा था लेकिन आज उसकी स्पिरिट, उसका भावना हमें दिखाई नहीं देती है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। रोजी स्टारलिंग नाम का एक माईग्रेटरी पंछी होता है, आप कहेंगे कि यह माईग्रेटरी पंछी की बात मैंने कहां से शुरू कर दी, कहते हैं कि रोजी स्टारलिंग लार्ज फ्लौक्स में ओवरनाईट नैरो रूट से जाते हैं। अभी आपके एक सदस्य बोल रहे थे कि कांग्रेस ने उनको एंकरेज किया लेकिन फिर वाजपेयी साहब, जसवन्त सिंह साहब, और सोमनाथ चटर्जी साहब क्यों नहीं इधर आ जाते।

यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ तू,
मुझ को तो गिला तुझ पै है, यूरोप पर नहीं।

डिफैक्शन कोई करवाता नहीं है। डिफैक्शन किसलिये किया जाता है– अपनी ताकत, अपनी पावर और सत्ता की हवश के लिये लोग अपने रास्ते बदलते हैं। मैं अपनी पार्टी से इस विचार में थोड़ा डिफर करता हूं :

[अनुवाद]

मैं अपनी पार्टी से असहमत हूं कि संसद में बहुमत से हमारी संख्या अवश्य बढ़ गई हो, लेकिन हमने राजनीति की बुनियादी सच्चाइयों को खोया भी है।"

[हिन्दी]

नम्बर से कुछ नहीं होता है बल्कि एक आदमी से ही देश की सरकारें चलती हैं, देश की हुकूमतें चलती हैं। इस संबंध में, मेरे मन में जो बात थी, उसे मैंने आपके सम्मुख रखा है।

एक बिहार की कहानी भी है। चकवा और चकवी की इश्क की कहानी बहुत मशहूर है, बड़ी पॉपुलर स्टोरी है। चकवा बोलता है– आऊं यानी "आऊं" क्या मैं आऊं तो उधर से चकवी जवाब देती है–'आओ'। इस मौके पर, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे कुछ लोग जो अपने आपको रिंग मास्टर्स ऑफ डिफैक्शन समझते हैं, हमारे कुछ लोग आजकल बहुत मशगूल हैं और वे अपने आपको समझते हैं कि सारे देश के वे ही रिंग मास्टर ऑफ डिफैक्शन हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो एम्बलॉक, टोटल, तमाम पार्टी के साथ डिफैक्ट करके आ जाते हैं। ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सारी की सारी पार्टी डिफैक्ट करके किसी दूसरी पार्टी में जा मिली हो।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जैसे हमारे दल के नेता के होते हुए, हमें इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित भी नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

यह मेरे दिल की भावना है, एक इलैक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव होने के नाते, जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया।

कहते हैं कि जब भगवान महावीर हनुमान जी बूटी लेने गये तो तमाम पहाड़ को ही उठा कर ले आये। उसी तरह सारी की सारी पार्टी हाईजैक होकर इधर आ गयी, जो इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारे एन्टी डिफैक्शन लॉ के पीछे जो मूल भावना है, जिसके लिये हमारे स्वर्गीय नेता ने अपनी जिन्दगी पार्टी के लिये दी, उस भावना पर इसे मैं एक चोट मानता हूं।

चेयरमैन शाहब, किसी शायर ने कहा है, इकबाल साहब का एक खूबसूरत कथन है :

सच कह दूं ऐ बिराहमिन गर तू बुरा न माने,

तेरे सनम कदों के बुत हो गये पुराने।

जो पुरातन रीति-रिवाज और बातें रही हैं, वो पुरातन हो चुकी हैं।

[श्री जगजीत सिंह बरार]

मैं एक विनती भारतीय जनता पार्टी के लीडर श्री आडवाणी, जो इस समय हाजिर नहीं हैं, से करना चाहता हूं कि अपने रथ को, जो आपने कभी चलाया था, मोड़िए और राजस्थान की धरती में, जहां आपकी सरकार है, जाइए। आप कहेंगे कि वहां क्यों जाएं। वहां इसलिए जाएं कि मक्का शरीफ के बाद अजमेर की पावन धरती के चिश्ती घरानों की वह मुकद्दस जगह है। वहां जाकर माफी मांगे। आपने देश की माईनौरिटीज का मस्जिद गिराकर दिल तोड़ा है। भारतवर्ष के लोग माफ कर देते हैं। हमारे फौर्मर होम मिनिस्टर चले गए और उन्हें वहां प्यार से माफ कर दिया गया। इसलिए मैं उनसे विनती करूंगा कि उनके तमाम लीडर्स रथ में सवार होकर अजमेर शरीफ जाएं और दरगाह पर जाकर नेशन से इस बात की माफी मांगें, क्योंकि वे मस्जिद गिराने के लिए जिम्मेदार थे। यह देश की याक यहती के लिए बेहतर होगा। इससे हमारे देश की इनटैगरिटी और यूनिटी को मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

पीठ ने कहा है :

इंग्लैण्ड अपने लोगों के प्रयास से सुरक्षित है।

यूरोप सुरक्षित है इंगलैण्ड के उदाहरण से।

अगर आज एग्ज़ैमप्लरी बात हमारी पार्टी देश के सामने रखे और तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ उन मसलों पर हमारा साथ देंगे तो इससे देश को बचाया जा सकता है। मैं बहुत भारी दिल से यह बात कहना चाहता हूं कि क्लिंटन ने एक पत्र ही पंजाब के ऊपर नहीं लिखा, बल्कि यह अन्तर्राष्ट्रीय साजिश का एक हिस्सा है। हमें ह्यूमन राइट्स सिखाने वाले वे नहीं हैं। हमारे इतिहास ने गुरू तेगबहादुर जैसे मानवीय अधिकारों के अलम्बरदार पैदा किए हैं, जो ब्राह्मण सोसाइटी और ब्राह्मणवाद की नीतियों से सहमत नहीं थे लेकिन उन्हीं के लिए दिल्ली आकर अपना सीस कलम करवाया और दुनिया का एक नया रास्ता दिखाया। हम अपने सर कलम करवा सकते हैं, लेकिन देश की परम्पराओं को टूटने नहीं देंगे।

इन्हीं बातों के साथ श्री माथुर और श्री थॉमस, जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो शुरुआत हुई है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं।

प्रो० के० वेंकटगिरि गौड (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं 21 फरवरी 1994 को संसद को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कुछ बोलना चाहता हूं। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वेंकटरामण ने बंगलोर में एक जनसमूह को कहा कि यह अभिभाषण अर्थहीन औपचारिकता है। मैं उनसे सहमत हूं।

यद्यपि हमें 47 वर्ष पहले स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि हम

संसदीय व्यवहार और गतिविधि को निर्देशित करने के लिए वेस्टमिस्टर मॉडल का अनुकरण कर रहे हैं।

राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अभिभाषण लोकव्यापी नीरस शब्दों, से लय है। अस्पष्ट सामान्यीकरणों भविष्य के लिए ऐसे आश्वासनों आदि हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ने भारत की आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक स्थिति का अपने अभिभाषण में सुंदर खाका खींचा है। लेकिन उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि स्वयं वह काले धब्बे भी छिपा रहे हैं।

आरंभ के पैरा में, राष्ट्रपति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की सुंदर तस्वीर खींची है। वह दावा करते हैं कि मुद्रास्फीति की दर को कम किया गया है। मैं उनसे सहमत हूं। वह यह भी दावा करते हैं कि विदेशी मुद्रा का भंडार अब बेहतर है।

मैं उनसे सहमत हूं। वह कहते हैं कि निर्यात में अभिवृद्धि भी हुई है। वह यह भी कहते हैं कि आयात में कमी आई है और विकास दर में अभिवृद्धि हुई है। लेकिन इन दावों की जांच से पता चलता है कि इनमें से अधिकतर दावे निराधार हैं। यह सत्य है कि, मुद्रा स्फीति की दर अगस्त 1991 में 17 प्रतिशत थी। इसका श्रेय मनमोहन सिंह द्वारा अर्थव्यवस्था के इस प्रबंधन को जाता है कि मुद्रा स्फीति दर पिछले अगस्त को 7 प्रतिशत तक आ गया था। यह मनमोहन सिंह का चमत्कार है। लेकिन इस चमत्कार का प्रभाव अब क्षीण हो रहा है। यह अब 8.5 प्रतिशत तक आ पहुंचा है, और अब संभावना यह है कि यह दो अंकों तक पहुंच पाएगा।

ठीक दो महीने पहले, चीनी की कीमत बढ़ा दी गई थी। रसोई गैस की कीमत बढ़ा दी गई थी। गेहूं तथा चावल जैसी खाद्य सामग्रियों की कीमत बढ़ा दी गई और पिछले सप्ताह रेल किराये और ढुलाई दरों में भी अभिवृद्धि की गई थी। इस सबका प्रतिकूल असर मुद्रा स्फीति पर पड़ेगा। सरकार कहती है कि खाद्य सामग्रियों के मूल्यों में अभिवृद्धि के कारण इन अनाजों की खरीद कीमत में अभिवृद्धि हो रही है। मैं उनसे सहमत हूं। जब लागत में वृद्धि होती है, जब पारिश्रमिक में वृद्धि होगी तो जाहिर है कि किसान ऊंचे मूल्य मांगेंगे। और यह दिया भी जाना चाहिए। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इसका मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जब कीमत बढ़ती है तो पारिश्रमिक में भी वृद्धि होगी। पारिश्रमिक में अभिवृद्धि से दो तरह की मुद्रास्फीति। ये दोनों मुद्रा स्फीतियां आपस में मिल जाती हैं और इनका एक समय ऐसा भी आता है कि उन्हें अलग-अलग करना कठिन होता है। उनसे भारत में स्थिति में प्रतियोगिता भी कम हो जाती है और आयात में वृद्धि होती है। इसके फलस्वरूप भारत की व्यापार प्रणाली पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

राष्ट्रपति कहते हैं कि निर्यात में अभिवृद्धि हुई है। यह सही है। लेकिन मुद्दा यह है कि उत्तरोत्तर अवमूल्यीकरण के विलम्बित असर के कारण, निर्यात में अभिवृद्धि हुई और इसके साथ-साथ आयात में औद्योगिक मंदी का बजट से कमी आई। औद्योगिक विकास की दर 1.8 प्रतिशत के आसपास पहुंचा है, परिणामस्वरूप आयातित माल, पूंजीगत उत्पादों और कच्चे मालों की लागत में कमी आई। यह संतोषप्रद स्थिति नहीं है।

[प्रो० के० वेंकटगिरि गौड]

राष्ट्रपति दावा करते हैं कि विदेशी मुद्रा का भंडार 13 विलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच गया है। लेकिन इनमें से 70 प्रतिशत विदेशी नीधियां हैं, अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष विश्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण और विदेशी निवेशकों द्वारा लगाई गई पूंजी है। सिर्फ 30 प्रतिशत ही हमारे निर्यात का प्रतिफल है और विदेशी निधियां तो 24 घंटे की सूचना के अंदर वापस ली जा सकती हैं। और ये रुपये नहीं है ये तो तुरंत वापस लेने वाली राशियां हैं, साथ ही ये अनुमानित धन है। जब वे देश छोड़ते हैं जो, भारत भुगतान स्थिति खतरे में पड़ जाएगी।

यह सही है कि विकास दर में कमी आई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था 5.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से विकास दर्ज करेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था 3.8 प्रतिशत से ज्यादा का विकास कमी दर्ज नहीं कर सकी है। इसको ठीक प्रतिकूल चीनी अर्थव्यवस्था का विकास दर 13.4 प्रतिशत तक रहा है। यह चीनी अनुभव की प्रतिकूल है। इसका कारण क्या है? इसके कई कारण हैं, जिनको मैं बाद में स्पष्ट करूंगा और विदेशी मुद्रा के भंडार में इस कमी की वजह से वित्त मंत्री पूंजीगत परिवर्तनीयता के मार्ग का अवलम्बन नहीं करना चाहते। और अगर ऐसा किए होते जाहिर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को और कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता।उसी समय, औद्योगिक क्षेत्र में मंदी है। उद्योगों को जो पिछले बजट के तहत रियायतें दी गयी थीं, उससे उद्योगों को आर्थिक विकास की धीमी विकास दर से उबरने में सफलता नहीं मिली है। पिछले वर्ष, बजट में, वित्त मंत्री ने उत्पाद शुल्क को इस उम्मीद में कम किया था कि निर्माता इसका लाभ उपभोक्ता को कीमत को कम करके देंगे और इससे उत्पादों की मांगें बढ़ेंगी और यह व्यवस्था को पुनजीर्वित करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निर्माताओं ने उपभोक्ताओं को उत्पाद शुल्क का लाभ कम कीमत करके नहीं दिया। परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादों की मांगें बढ़ी नहीं हैं। अतः उद्योग इससे उबर नहीं पाया।

साथ ही, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने ऋण दर को कम कर दिया, यह इस उम्मीद से किया कि औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करेगा और ज्यादा निवेश भी करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, परिणामस्वूरूप औद्योगिक क्षेत्र आज भी भयंकर मंदी में है। अतः मुझे साफ कहना चाहिए कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा किए गए दावे ठीक नहीं हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था दो संकटों में एक तो मुद्रस्फीति की समस्या है और दूसरी भुगतान संतुलन की समस्या है। वे भारत के लिए नहीं है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की वर्ष 1956 में भारत को देना है। वर्ष 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना आंरभ की गई थी और मुद्रास्फीति की संभावना इसी में बन गई थी। जब योजना आधी तैयार थी, तो इसमें छंटनी की गई थी, क्योंकि भारत मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन की समस्या से निबट पाने में सक्षम नहीं था। ये समस्याएं अब भी मुंह बाए खड़ी हैं।

जनवरी के महीने में, प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव ने स्विट्जरलैण्ड की यात्रा की थी और डेवीस में उन्होंने विश्व आर्थिक मंच को संबोधित किया था। उन्होंने उन श्रोताओं को संबोधित किया जो

प्रख्यात उद्योगपति थे, विदेशी निवेशक थे, अर्थशास्त्री थे और देश के नागरिक थे। वहां उन्होंने नेहरू मॉडल की प्रशंसा की और कहा कि भारत नेहरू के मध्यम मार्ग के सिद्धांत को अमल में ला रहा है। यह मध्यम मार्ग क्या है? नेहरूवीयन मॉडल मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक मॉडल है। दो क्षेत्र थे निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। नेहरू के माडल में सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख स्थान दिया गया और निजी क्षेत्र को निम्न प्राथमिकता दी गई थी। इसलिए जिस मध्यम मार्ग की घोषणा नरसिंहराव द्वारा की गई थी वह नेहरू के मॉडल से मेल नहीं खाता। नेहरू के मॉडल में सार्वजनिक क्षेत्र की ओर ज्यादा झुकाव है। अन्तर्राष्ट्रीय उदारीकरण और निजीकरण की चर्चा चल रही है अतः यह कहना गलत होगा कि दोनों मध्यम मार्ग वही है। दरअसल मैं कहना यह चाहता हूं कि नेहरू का मॉडल राव सिंह मॉडल से अलग है। यह उम्मीद की जाती है कि नरसिम्हा राव मॉडल के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी।

राष्ट्रपति ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता का दावा किया है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष एक बड़ी राशि खर्च करती रही है। लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणाम संतोषप्रद नहीं हैं। भारत की आबादी 88 करोड़ है। इस शताब्दी के अन्त तक यह एक विलियन मार्क तक पहुंच जाएगी। यह बढ़ती हुई आबादी संसाधनों की खपत का कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्यायें उत्पादकों से ज्यादा बच्चे हैं। बच्चे उपभोक्ता होते हैं? कि उत्पादक। बालक खपत करते हैं इसका परिणाम यह होता है कि बचत दर में कमी आ जाती है। आर्थिक विकास का हैरोड-डोमर मॉडल कहता है कि विकास की दर नए निवेश की दर पर निर्भर करती है। निवेश बचत पर निर्भर करता है और जब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, परिवार की बचत खिलाने में ही खर्च हो जाती है, उससे बचा-खुचा पहनावे और उनके शिक्षण में खर्च हो जाता है, परिणामस्वरूप बचत बहुत कम होता है। परिणामस्वरूप निवेश के अनुपात में कमी आएगी। इससे आर्थिक विकास का दर कम होती है। अतः विकास अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत निम्न स्तर के विकास जाल में फंसा हुआ है। अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम को और भी प्रभावकारी बनाया जाना चाहिए और जनसंख्या वृद्धि को कम कर एक प्रतिशत पर लाया जाना चाहिये। सरकार को 'एक परिवार एक बच्चा' की बात को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए कि जनसंख्या वृद्धि का जो यह बेतहाशा दौर है वह रुक सके अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम को सभी धर्म के लोगों के लिए अनिवार्य बनाया जाए। और जाति, समुदाय, प्रजाति और धर्म का बंधन इस पर नहीं होना चाहिए। केवल तभी भारत की जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित हो सकेगी।

भारत की शिक्षा व्यवस्था समस्याओं से घिरी हुई है। विश्वविद्यालय वित्तीय और शैक्षणिक रूप से ऊधेड़बुन में पड़े हैं। शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। वे बाजारू नोटों का आशय लेकर शिक्षा देते हैं और विद्यार्थी भी उन्हीं के पद चिह्नों पर चलते हैं। डाक्टरी अनुसंधान खटाई में पड़ा है। यह कहा जाता है कि पी०एच०डी० के शोधपत्र चोरी से लिखे जाते हैं। कई विश्वविद्यालयों में पी०एच०डी० उत्तीर्ण व्यक्ति बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं। परिणाम यह होता है कि वे लोग माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में ही नियुक्त हो पाते हैं। अतः विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में जब तक अपेक्षित सुधार नहीं होगा, तब तक देश के भविष्य में कोई सुधार नहीं होगा।

[प्रो० के० वेंकटगिरि गौड]

प्रौद्योगिकियों के कई स्थान हैं; और सरकार 135 करोड़ रुपये उनके रख रखाव पर खर्च कर रही हैं। जबकि ये संस्थान एक छात्र के प्रशिक्षण पर सिर्फ 7 लाख खर्च करती है। उनमें से 70 प्रतिशत बेहतर रोजगार की तलाश में और ऊंची तनख्वाह की खोज में विदेश जाते हैं अतः सरकार को प्रतिभा पलायन को रोकने वाली नीति अमल में लानी चाहिए, इसलिए कि जो निपुणता यहां भारत में हासिल की जाती है वह यहीं सुरक्षित रहे और तब ही हम आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर पाएंगे।

भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन फिर भी कृषि आज पिछड़ी हुई है। राष्ट्रपति कहते हैं कि अच्छा अनाज उत्पादन हुआ है। भारत 180 मिलियन टन खाद्य सामग्री का उत्पादन करता है, लेकिन पौष्टिक स्तर की जरूरत को देखते हुए वर्तमान जनसंख्या को खिला पाना संभव नहीं होगा। भारत को 235 मिलियन टनों की जरूरत है, ताकि वह अपनी जनसंख्या के अनुसार पौष्टिक खाद्यान्नों की जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें अवश्य सुधार होना चाहिए। लेकिन मुद्दा यह है कि भारत सरकार उर्वरक से राजसहायता हटाना चाहती है। जब उर्वरक पर दी जाने वाली राजसहायता में कमी आती है तो उर्वरक की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। अनुभव से पता चलता है कि उर्वरक की कीमतों में वृद्धि से उर्वरक हेतु निवेश की मांग में कमी आएगी। परिणामस्वरूप, खाद्य उत्पादन में कमी आयेगी और अन्य उत्पादन में भी कमी आयेगी। जब खाद्य उत्पादन में कमी आती है कि अनाज की कीमतों में वृद्धि होगी और सरकार राजसहायता दे पाने में सक्षम साबित नहीं होगी। राजसहायता वित्तीय घाटों को और बढ़ाएगी और इसका प्रतिकूल असर मुद्रास्फीति पर पड़ेगा। यदि राजसहायता हटा दी जाती है, तो खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी, तब भी, सरकार को राजसहायता देनी पड़ेगी। सरकार वित्तीय घाटे को कम करने और राजसहायता देने की दो प्रक्रियाओं में उलझी हुई हैं।

भारत में चुनाव सुधार की अपरिहार्य जरूरत है, ताकि प्रजातांत्रिक आधार मजबूत हो। श्री टी० एन० शेषन इस कार्य के लिए सही आदमी हैं। एक सांसद ने उन्हें छूटा सांड़ कहा था। भारत के लिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है, डरपोक गायों और बछड़ों की नहीं।

भारत आर्थिक सुधार के मार्ग पर चल रहा है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करना चाहता है। भारतीय बाघ लम्बे समय से बंधा हुआ था। समय अब आ गया है कि अब इसे खोला जाए, ताकि यह आगे जा सके, आगे बढ़ धावा बोले साहस और आत्म विश्वास के साथ। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि राव सिंह मॉडल जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार है, भारत को प्रगति के पथ पर ले जाएगा, मुद्रास्फीति और भुगतान संतुलन की समस्या को समाप्त कर सकेगा।

अंत में, मैं राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संसद में अपना अभिभाषण दिया। साथ ही, मुझे भाजपा के मुख्य व्हिप को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मुझे भाषण देने के लिए चार दिन तक इंतजार कराया और आज की शाम तक इंतजार कराया गया। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मुझे और न चिढ़ाएं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, करीब-करीब हमारे सभी मित्रों ने सभी विषयों पर अपनी राय रख दी है। मैं केवल अपनी तरफ से, जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है, उसके विरोध में कुछ बाते कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभी जो हमारे देश का केन्द्रीय मंत्रिमण्डल है, इसमें कोई कल्पना नहीं है, देश का आगे निर्माण करने और भविष्य की कोई चिन्ता नहीं है, क्यों यह सही मायने में मंत्रिपरिषद् नहीं, अवकाश प्राप्त राजनीतिज्ञों का एक गपोड़ी क्लब है।

[अनुवाद]

यह अवकाश प्राप्त राजनीतिज्ञों का एक गपोड़ी क्लब है।

[हिन्दी]

इसकी औसत उम्र 66 वर्ष से अधिक की है इस मंत्रिमंडल का हर मंत्री भारत की आजादी के 1942 के अंतिम संघर्ष के समय 17-18 वर्ष का नौजवान विद्यार्थी रहा होगा। उस समय इस उम्र के नौजवान इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन इस मंत्रिमंडल के किसी सदस्य द्वारा उस आंदोलन में भाग लेना संशय पैदा करता है। इसलिए इनसे यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि राष्ट्रीय मुद्दों और मूल्यों की हिफाजत के प्रति ये प्रतिबद्ध होंगे। सिर्फ एक सदस्य श्री राम लखन बाबू, जो अभी मंत्री मंडल में गए हैं, उनको छोड़ कर अन्य कोई मंत्री जेल नहीं गया है और राम लखन बाबू भी किस तरह से मंत्रिमंडल में गए हैं, उसको देख कर 1942 के आंदोलन में शिरकत करने वाले शर्मिंदा ही हुए होंगे, उनको प्रसन्नता नहीं हुई होगी। इसलिए ऐसी पार्टी और ऐसे मंत्रिमंडल से राष्ट्रीय मूल्यों की हिफाजत की कल्पना करना व्यर्थ है।

आज की कांग्रेस पार्टी जवाहर लाल जी की कांग्रेस नहीं है, जिन्होंने इस देश में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था लागू की थी और कहा था कि इससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में प्रतियोगिता होगी और अंततः सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। आज उस नीति को कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिया है। इसके बाद इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजाओं का प्रिवीपर्स समाप्त किया, हमारा उनसे विरोध हो सकता था, लेकिन कुछ मूल्यों पर हमने उनका समर्थन किया था। लेकिन आज की कांग्रेस पार्टी सारे बैंकों का निजीकरण करने की सारी पृष्ठभूमि तैयार कर चुकी है और इस देश में विदेशी बैंकों को धड़ल्ले से बुलाया जा रहा है। कांग्रेस के तीसरे प्रधान मंत्री राजीव जी थे, उनके जीवन की एक ही उपलब्धि थी, उन्होंने दल-बदल विरोधी कानून पास करवाया और 30 जनवरी 1985 को इस पर संसद की मोहर लगा कर गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात की गई। इसके बाद जब वर्तमान प्रधान मंत्री अपना पहला दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे थे, तो पहले भाषण में कहा था कि हमारी सरकार राजीव गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली सरकार है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार ने राजीव के सिद्धांतों पर, न इंदिरा जी के सिद्धांतों पर और न नेहरू के सिद्धांतों पर

[श्री मोहन सिंह]

चलने वाली सरकार है, बल्कि यह स्वर्गीय राजगोपालाचारी और उनकी स्वतंत्र पार्टी की नीतियों पर चलने वाली स्वतंत्र पार्टी की सरकार है। नरसिंह राव जी के नेतृत्व में नए सिरे से स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इस देश में हुई है, बिना जनादेश के नए सिरे से 1991 से स्वतंत्र पार्टी की हुकूमत इस देश में लागू है।

राष्ट्रपति जी कहते हैं कि इस देस में अयोध्या के सवाल को हल किया जा चुका है, लेकिन क्या यह सही है। अभी तक वहां के कलक्टर और पुलिस कप्तान, जिनको दंडित करने का दायित्व केन्द्र सरकार का था, उनको कोई चार्जशीट नहीं दी गई है, न सी॰ बी॰ आई॰ की तरफ से और न केन्द्र सरकार की तरफ से और उनका निलंबन समाप्त करके फिर से नियुक्त कर दिया गया है। इस तरह से आप इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। इस घटना के जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के पुलिस महा-निदेशक को निलंबित करना तो दूर की बात है, नरसिंह राव सरकार ने उनको पदोन्नत कर दिया।

आज भारत सरकार के अंदर काम करने वाला केंद्रीय सुरक्षा बल का महानिदेशक वह व्यक्ति बनाया गया, जो श्री नरसिंह राव द्वारा उत्तर प्रदेश के महानिदेशक की हैसियत से बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जिम्मेदार था, इसलिए राष्ट्रपति जी देश को आश्वस्त करते हैं कि अयोध्या की समस्या को हल करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है और हमने पग उठाए हैं। केवल नाम परिवर्तन हुआ और कोई नौकरी की बात नहीं थी। मराठा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डा॰ भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया। उसके बारे में आंदोलन चला और जिस व्यक्ति ने उस आंदोलन की प्रेरणा दी और प्रोत्साहित किया, उसका खुलकर समर्थन किया तो आज उस व्यक्ति के खिलाफ भारत सरकार ने कौन सी कार्यवाही कीं? आज वहां पत्रकार पीटे जा रहे हैं और सांप्रदायिक वातावरण विषाक्त किया जा रहा है, लेकिन आपकी सरकार में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने की हैसियत नहीं है। यह बूढ़े अवकाश प्राप्त लोगों का जमघट है और इसमें सामर्थ्य का अभाव है। शासन का नियम होता है या कानून होता है जैसे वज्रादपि कठोराणी और कुसुम से भी मधुर यानि अपने देश के नागरिकों के प्रति और अमन पसंद लोगों के प्रति और देश तोड़ने वाले लोगों पर वज्र से कठोर आज देश में जो कुछ हो रहा है और राष्ट्रपति जी कहते हैं कि पूर्वी हिंदुस्तान की हालत अच्छी हो गई है। अखबारों में आया है और दो बार संसद में सवाल उठाया है कि बारदुलाई जी आसाम के राष्ट्रीय आंदोलन में जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनके परिवार का लड़का 380 दिनों के बाद सरकार के प्रयास से नहीं आया, बल्कि स्वेच्छा से उग्रवादियों ने छोड़ दिया है, जबकि वह एक बहुत बड़े औद्योगिक संस्थान में एक बहुत बड़ा अधिकारी था, फिर भी आपकी सरकार उसके लिए कुछ नहीं करती। एक बिहार के भूतपूर्व विधायक का पता नहीं कि वह कब आयेगा और कहां गया है? उनकी औरत अपने पति के बारे में भारत में घूम-घूमकर भीख मांग रही है। लेकिन उनके

बारे में कोई बताने वाला नहीं है। मैं आपका मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि यह कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रपति जी का अभिभाषण दिशाहीन है और इस सरकार में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : सभापति महोदय, मैं संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर माननीय श्री शिव चरण माथुर द्वारा प्रस्तुत और प्रो० थामस द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण को सदा सरकार के वक्तव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का स्पष्टीकरण होता है।

महोदय, क्या यहां गणपूर्ति की समस्या है?

सभापति महोदय : अब आपको बोलना है और आप स्वयं ही गणपूर्ति का मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री किरिप चालिहा : नहीं, महोदय, मैं गणपूर्ति का मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या यहां कोई समस्या है।

सभापति महोदय : यहां कोई समस्या नहीं है। आप अपना भाषण रख सकते हैं। यदि आप बोलना नहीं चाहते तो आप बैठ सकते हैं और मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कहता हूं।

श्री किरिप चालिहा : महोदय, मैं आपके निदेश का अनुपालन करता हूं। परन्तु मैं अवश्य बोलना चाहता हूं और मैं पहले से ही खडा हूं।

सभापति महोदय : कृपया आप बोलिये। सदन का समय बर्बाद न करें।

श्री किरिप चालिहा : राष्ट्रपति का अभिभाषण में सरकार द्वारा दिये गये कार्यों का लेखा जोखा होता है और चालू वर्ष के लिए सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का एक स्पष्टीकरण होता है। जैसा कि प्रत्येक वक्ता ने ध्यान दिलाया है इस वर्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण शैली और सार दोनों ही दृष्टियों से पिछले वर्ष के अभिभाषणों की अपेक्षा काफी भिन्न है। निःसन्देह उनकी शैली आशावादी है और उनका अभिभाषण अत्यधिक विस्तृत है। वास्तव में, आरम्भ से ही अभिभाषण में यह संकेत मिलता है कि आज देश की स्थिति पिछले वर्ष के इस समय की स्थिति से अलग है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से यह संकेत भी मिलता है कि देश ने सभी क्षेत्रों में एकसमान प्रगति की है और आज आशावाद, 'जागरूक आशावाद' की भावना बढ़ रही है जैसा कि अभिभाषण में कहा गया है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे बुजर्ग राजनेता श्री पी०वी० नरसिंह राव के नेतृत्व वाली ढ़ाई वर्षों की हमारी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यहां सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ है। कानून और अन्य क्षेत्रों में यहां सुस्पष्ट सुधार हुआ है। अयोध्या मुद्दे को पूरी

[श्री किरिप चालिहा]

तरह से पीछे ढ़केल दिया गया है जैसा कि होना चाहिए था। मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया गया है और हममें से अधिकांश सदस्यों ने यह पहले ही उल्लेख कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर सरकार के पक्ष को उचित ठहराने के साथ-साथ देश में जनता की देखरेख करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र में अभूतपूर्व भूकम्प के विनाशकारी परिणामों से ठीक से निपट लिया गया है। सरकार द्वारा अनेक अत्यधिक महत्वपूर्ण कल्याणकारी उपायों की घोषणा की गई है, जो कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। साक्षरता अभियानों को तेज किया गया है। अन्तरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की प्रगति की चारों ओर सभी द्वारा जय जय कार की गई है। और यहां तक कि विदेश नीति के मामलों में, जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है, भारत एक बार फिर शिष्टमंडल में विवेक और शान्ति का अग्रणी देश बन गया है।

यह भी सही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रारम्भ से ही हमारे प्रिय नेता प्रधान मंत्री नरसिंह राव जी की सरकार ढ़ाई वर्षों की सफलता की कहानी का उल्लेख किया गया है। मैं राष्ट्रपति को उनके इस उचित मूल्यांकन के लिए धन्यवाद देता हूं। वास्तव में, मैं यह कहूंगा कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में आत्मसंयमी रहे हैं, और यद्यपि अभिभाषण काफी विस्तृत रहा है, इस अभिभाषण में कोई अतिश्योक्ति नहीं है और यह वस्तुतः एक सही मूल्यांकन है। दुर्भाग्य की बात यह है कि व्यक्ति हमेशा अपने सहयोगियों से प्रभावित होता हैं, हम पिछले ढ़ाई वर्षों से अनेक निन्दकों के साथ रह रहे हैं। अनेक विपक्षी सदस्यों, जो पूरी तरह से संशयी हैं, की कटुता का यह संक्रमक रोग–मैं यह कह सकता हूं कि संशयवादिता अनेक जीवन की एक मूल विशेषता बन गई है–ने हमें भी सताना शुरू कर दिया है। इसी कारण से मैंने यह कहना उपयुक्त समक्षा, सभी मोर्चों पर हो रहे स्पष्ट सुधारों को क्यों उजागर किया जाए और क्यों न विस्तार में जाया जाए और इन विपक्षी नेताओं की मनोवैज्ञानिकता को समझने का प्रयास किया जाए, जिनमें से अनेक मेरे आदर्श हैं।

मैं असम के एक काफी छोटे कस्बे का रहने वाला हूं। आज भी मैं आडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, इन्द्रजीत गुप्त जी, नीतीश कुमार जी, उमा भारती जी और दीपिका जी का अत्यधिक सम्मान करता हूं। इस कारण से मैं उनके विचारों की कद्र करता हूं। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल मूल सत्य के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व और सही मूल्यांकन करने से पूर्व मैंने उन बातों का स्मरण किया, जो विपक्षी नेता इस सरकार के सत्ता में आने के समय से ही इसके बारे में कह रहे हैं। मुझे कुछ रहस्योद्घाटन करना है। मैं अग्रणी विपक्षी नेताओं की एक या दो उन भविष्य वाणियों का उल्लेख करना चाहता हूं, जो आज तक भी सत्य साबित नहीं हुई हैं।

प्रधान मंत्री ने स्वयं ही जोर देकर कहा था और मैं उद्धृत करता हूं :

"मैं वास्तव में संख्या को महत्व नहीं देता हूं, मैं जिस संख्या पर हूं अथवा जितनी संख्या से पीछे हूं, वास्तव में इन संख्याओं का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है।"

प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे संसद में संख्याओं के इस खेल के संबंध में कतई भी चिंतित नहीं थे, परन्तु विपक्षी नेता प्रारम्भ से ही इस मुद्दे पर शोर कर रहे हैं कि यह सरकार अल्पमत सरकार है। आप श्री सोमनाथ चटर्जी की नम्रता हमेशा देख सकते हैं। 16 जुलाई को उन्होंने जो कहा था मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "हम इस सरकार को कल बर्खास्त कर सकते थे। हमने ऐसा नहीं किया। सरकार यह न समझे कि हमेशा ऐसा ही रहेगा।"

फिर, जुलाई 1991 में श्री जसवंत सिंह ने अपने ओक्सफोर्ड के लहजे में संख्याओं की गणना के संबंध में कहा था। उन्होंने अत्यधिक स्पष्ट और सुबुद्धि से जो कहा था, मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "संख्याओं का गणित मंत्रि परिषद के विरुद्ध है। यही सही वास्तविकता है।"

वाजपेयी जी, यद्यपि वे एक राजनेता हैं, कभी कभी निम्न स्तर के आरोप लगाते हैं। उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक ढंग से कहा था :

> "यह सरकार उसी प्रकार दिन व्यतीत कर रही है, जैसे कोई प्रतिदिन पानी पीने के लिए कुआं खोदता है। इसका कोई स्थायी समाधान होना चाहिए।"

करीब-करीब सभी विपक्षी नेता हमारी सरकार के अल्पमत में रहने की बात ही कर रहे हैं। वे हमेशा से हमें स्थायित्व लाने हेतु कुछ करने के लिए कहते रहे हैं। महोदय, हमारे प्रधान मंत्री के शानदार नेतृत्व के कारण हमारे देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है और अभी भी अनेक बड़े-विपक्षी नेतागण संसद में नहीं आ पाये है, क्योंकि वे चुनाव नहीं जीत पाये। दूसरी ओर अनेक नेताओं ने, जो अपने बलबूते पर नेता बने हैं, इस पक्ष के आने का निर्णय किया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि राजनीतिक पुनः मिलन की आवश्यकता है। ऐसा उस समय हुआ था जब साम्प्रदायिकता और मानवद्वेष सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे।

जब हमारी सरकार अल्पमत में थी तो विपक्ष ने हमारा मजाक उड़ाया था और हमारी आलोचना की थी। आज हम बहुमत में हैं, अभी भी विपक्ष को शिकायत है। मुझे विश्वास है कि विपक्ष ऐसा नहीं है, जो हमेशा गलतियां निकालना चाहता है। यदि हमारी स्थिति सुदृढ़ है तो भी उसे आलोचना करनी है और यदि हमारी स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो भी मुझे आलोचना करनी है। मैं नहीं जानता हूं कि वे क्या चाहते हैं। जब सोना गिरवी रखा जा रहा था तो वाजपेयी जी ने कहा था और मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "सोना विदेश भेज दिया गया है और इस प्रकार से भेजा गया है जैसे इसकी तस्करी की जा रही हो। इसे चोरी छिपे भेजा गया था।"

[श्री किरिप चालिहा]

हाव भाव पर जोर देने का उनका तरीका अद्वितीय है। वह इस तरह से बोल रहे थे जैसे कि पूरी सरकार ही चोर हो। अनेक विपक्षी नेताओं ने उस समय शोर मचाया था कि यह सरकार चोरों और लुटेरों की है और यह सोना विदेशों में बेचना चाहती हैं।

वे स्वयं को राष्ट्रीय अखंड़ता, राष्ट्रभक्ति आदि का प्रबल समर्थक समझते हैं। वे समझते हैं कि इन बातों पर उनका एकाधिकार है। आपको याद रखना चाहिए कि 18 जुलाई को वाजपेयी जी ने क्या कहा था। महोदय, 18 जुलाई को वित्त मंत्री ने कहा कि :

> "यह सोना जो परिस्थितिवश हमारे देश से बाहर भेज दिया गया था, शीघ्र ही वापस लाया जायेगा।"

इसे वापस लाया गया। क्या विपक्ष के किसी वरिष्ठ नेता ने अथवा किसी छोटे नेता ने भी इसके लिए सभी सरकार की प्रशंसा की? क्या वे अपनी बात से मुकर गये? जो भी हो ढाई वर्ष पश्चात अन्तिम जीत किसकी हुई?

महोदय, जिस विषय पर चर्चा की जा रही है मैं वापस उस मुद्दे पर आऊंगा। हमने डंकल प्रस्ताव पर चर्चा किया। हम गैट पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा कहा गया था कि कांग्रेस सरकार अ० मु० को० और विश्व बैंक की एजेंट बन चुकी है। ऐसा कहा गया था कि जो भी हम कर रहे हैं वह अ० मु० को० के निर्देशों पर कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अरे बेच गये हो, यह हो गया वह हो गया।

[अनुवाद]

हम सुनते थक गये हैं। वास्तव में 4 मार्च 1992 को श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो कहा था मैं उद्धृत करता हूं :

> "भविष्य में लिखे जाने वाले इतिहास में इस सरकार को इस रूप में देखा जायेगा, जिसने कतिपय क्षुद्र लाभ के लिए हमारे देश की सामन्तवादी वित्तीय आक्रमणकारियों के पास बंधक रख दिया था। हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय गौरव चर्चा करने योग्य बन चुका है और सम्पूर्ण विश्व के समक्ष हमें सामन्तवादियों तथा पूंजीवादियों के अनुनयी के रूप में पेश किया गया है। उन्होंने हमारी सरकार को परतंत्र कहा है; एक ऐसी सरकार कहा है जिसका नियंत्रण श्री बुश, श्री कैमाडेस्स तथा श्री प्रेस्टन के हाथ में है।"

महोदय, हम विपक्ष का इस प्रकार का रवैया देख रहे है। आखिर विपक्ष की असफलता पर ही सत्ता पक्ष की सफलता निर्भर करती है। विपक्ष ही वह मूल आधार है, जिसके द्वारा सरकार की सफलता

अथवा असफलता का निर्धारण होता है। मैं इस कहावत को स्वीकार करता हूं कि मुझे एक अच्छा विपक्ष दो मैं तुम्हें सर्वोत्तम सरकार दूंगा।

मुझे एक बात कहते हुए दुःख होता है। मेरे बचपन या विद्यार्थी जीवन के दौरान मेरी अपनी मूर्त्तियां हुआ करती थी। महोदय, आज वे हीरे से जीरो बनते जा रहे हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री चालिहा जी, सभा को 8 बजे तक बैठना निश्चित हुआ है। सिर्फ तीन मिनट रह गये हैं। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री किरिप चालिहा : महोदय, यदि आप हमारे जैसे लोगों से, जो बहुत दूर से आते हैं, सहानुभूति नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा?

सभापति महोदय : मैं पहले ही आपको पन्द्रह मिनट का समय दे चुका हूं।

श्री किरिप चालिहा : जी नहीं महोदय, मैं अभी अपनी बात शुरू कर रहा हूं।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने वायदों को पूरा करने के लिए एक स्वप्न की बात कही थी। यह बात हमें याद रखनी है। उन्होंने उस स्वप्न को यथार्थ में बदलने हेतु मिल-जुल कर प्रयास करने का आह्वान किया था। उन्होंने परिवर्तन के साथ निरन्तरता की नीति का अनुसरण करने के लिए कहा था। उन्होंने सामाजिक सौहार्द के साथ सामाजिक न्याय के लिए भी कहा था। क्या आप जानते हैं कि आज हमारे यहां के सबसे बड़े विपक्षी दल की क्या राष्ट्रीय कार्यसूची है? महोदय, उनकी राजनीतिक कार्यसूची के उच्च प्राथमिकता क्रम में गरीबी की समस्या नहीं है। उनकी राजनीतिक कार्यसूची के उच्च प्राथमिकता क्रम में भूख की समस्या नहीं है। उनकी राजनीतिक कार्यसूची के उच्च प्राथमिकता क्रम में बेरोजगारी की समस्या नहीं हैं, उनका मुद्दा सिर्फ एक ही है कि मस्जिद तोड़ दो और वहां मन्दिर बनाओ।

[हिन्दी]

आपका सुहाना सोने का भारत हो मया, मस्जिद तो तोड़ दी आपने।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : केरल में मुस्लिम लीग के साथ आज की तारीख में किसने समझौता किया है? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा : यदि ऐसा होता है तो इस विश्व में सभी कुछ ठीक हो जायेगा। अतः इस दल ने मस्जिद गिरा दिया था। महोदय, मैं भाजपा नामक इस जहरीले सांप पर अधिक समय नहीं देना चाहता हूं। इस साम्प्रदायिकता की दुर्भावना से न केवल इस देश में साम्प्रदायिक सौहार्द को खतरा है, बल्कि इस देश की प्रादेशिक प्रभुसत्ता को भी खतरा है। **(व्यवधान)**

[श्री किरिप चालिहा]

मैं भाजपा के बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

अब मैं जनता दल की बात करूंगा। महोदय, जनता दल दूसरा सबसे बड़ा विपक्षी दल है, मैं आपको बता दूं कि वे इस देश में सबसे अच्छे लड़ाकू हैं। दुर्भाग्यवश वे गरीबी से युद्ध नहीं करते हैं। इस देश की मूल समस्याओं के साथ वे युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन वे हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। यह जनता दल या जनता पार्टी अभी भी एक दल है, यद्यपि उनके पीछे जनता नहीं है। और इस प्रक्रिया में श्री मोरारजी देसाई श्री जगजीवन राम से लड़े, श्री जगजीवन राम श्री चरण सिंह से लड़ पड़े तथा श्री चन्द्रशेखर गुस्से और आवेश में बाहर से ही देख रहे थे और प्रतिक्षा कर रहे थे।

सभापति महोदय : श्री भोगेन्द्र झा जी, कृपया बाधा न डालें।

श्री किरिप चालिहा : दूसरे दौर में पुनः श्री वी० पी० सिंह तथा श्री देवीलाल एक साथ मिल गये और श्री चन्द्र शेखर जी के साथ लड़ना शुरू कर दिया और इसी प्रकार एक व्यक्ति की दूसरे से लड़ाई चलती रही और पुनः श्री चन्द्र शेखर गुस्से में अलग बैठे हैं और हर व्यक्ति को कोस रहे हैं।

ऐतिहासिक घटनायें दुबारा होती हैं। पहली बार त्रासदी के रूप में, दूसरी बार स्वांग के रूप में। जनता दल के शासन काल में तीसरी बार एकजुट होने के बारे में आप क्या कहते हैं? पुनः श्री चन्द्र शेखर श्री वी० वी० सिंह से लड़ पड़े। श्री बी० पटनायक श्री श्रीकान्त जेना से लड़ पड़े और श्री नीतीश कुमार, श्री लालू प्रसाद यादव से लड़ पड़े। एक व्यक्ति दूसरे के साथ लड़ पड़ा। वे और किसी से नहीं बल्कि आपस में ही लड़ते रहे थे और इस कारण यदि कोई व्यक्ति हमारे पक्ष को सुदृढ़ करने हमारे दल में आता है, ताकि यह दल तथा सभी नेतागण देश के लिए कुछ ठोस कार्य कर सकें तो आप हमें दोष क्यों देते हैं?

8.00 म०प०

जब यह देश अंधकार में डूबा हुआ था, जब यहां अव्यवस्था और खलबली मची हुई थी, उस समय भारतीय राजनीति में श्री पी० वी० नरसिंह राव का उदय एक सूर्य की भांति हुआ और इस देश की अव्यवस्था की स्थिति से निकला और अब भारत में उनकी कीर्ति व्याप्त है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आठ बजे तक ही हाउस को आज चलना था। आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं या क्या चाहेंगे।

श्री किरिप चालिहा : आपको थोड़ा टाइम तो मुझे देना ही होगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, आठ बजे के बाद यदि हाउस को और

चलाना है तो हमारे सदस्यों को भी बोलने का मौका मिलना चाहिये। उनके लिये यदि टाइम बढ़ाया जाता है तो हमारे सदस्यों को भी मौका मिलना चाहिये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपनी बात कल जारी रख सकते हैं। अब सभा कल 11 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.01 म०पू०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 4 मार्च 1994/फाल्गुन, 13, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।